प्रस्तावना

We will face evil days... (and) 'power' will outstrip ability unless we destroy corruption in high places.

Dr.S.Radhakrishnan

राजस्थान में मंत्रियों तथा लोक-सेवकों के विरूद्ध अकर्मण्यता, पद के दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचार के आरोपों का अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ आज से 42 वर्ष पूर्व राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के द्वारा लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई थी। मेरे द्वारा दिनांक 25.03.2013 को लोकायुक्त का पद सम्भालने के प्रथम दिवस से ही सतत प्रयत्नशील रहते हुए उक्त प्रयोजन की पूर्ति हेतु कार्य करने का सद्‌भावी प्रयास किया गया ताकि उक्त प्रयोजन को सिद्ध कर राज्य की शासन व्यवस्था की गुणवत्ता में अभिवृद्धि एवं सुधार हेतु यह संस्था इससे अपेक्षित योगदान दे सके। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(4) के प्रावधानानुसार वर्ष 2014-15 में सम्पादित कार्यों के सम्बन्ध में यह वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यह लोकायुक्त संस्था का 29वाँ एवं मेरे कार्यकाल का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन है। इसमें संस्था द्वारा सम्पादित कार्यों का आँकड़ों सहित विवरण अंकित किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार-मुक्त पारदर्शी नीति पर आधारित ऐसा प्रशासन जो जन-आकांक्षाओं पर खरा उतर सके, आज के समय की माँग और समाज की महती आवश्यकता है। जब कर्त्तव्य भावना तथा सत्यनिष्ठा को त्याग कर लोक-सेवक कानून तथा नियमों की अवहेलना कर निरंकुश, स्वच्छन्द और

बेखौफ हो, सत्ता का दुरूपयोग करने लगते हैं तो समाज इस दुराचरण से त्रस्त हो व्यथित हो जाता है। उदाहरणार्थ पत्रावलियों के निस्तारण में सोची-समझी अनावश्यक देरी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में बदनियतिपूर्ण उद्देश्य से विलम्ब तथा पत्रावलियों की साशय अनुपलब्धता की बनावटी दलील आदि उनकी मनमानी, अन्यायपूर्ण तथा अनुचित कार्यवाहियों के महत्त्वपूर्ण कारक हैं। व्यवस्था में महामारी के रूप में फैल रही इन बुराइयों की जड़ में, भ्रष्टाचार और कदाचार ही मूल कारण है।

प्रशासन में शुचिता, कर्त्तव्यनिष्ठा और उत्तरदायित्व का विशेष महत्व है। लोक-सेवक की कार्यप्रणाली में राज्यहित, राष्ट्रहित और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक लोक-सेवक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। यदि विषमता और भिन्नता होगी तो ऐसा प्रशासन लम्बी अवधि तक जनता की श्रद्धा व विश्वास का पात्र नहीं रह सकता। भारतीय संविधान में राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये 'लोक-सेवक' शब्द प्रयुक्त किया गया है, अतः सभी लोक-सेवकों का यह दायित्व है कि वे आमजन के साथ शासक जैसा नहीं बल्कि सेवक जैसा ही व्यवहार कर सत्यनिष्ठा के साथ अपने पदीय कर्त्तव्यों का समुचित निर्वहन करें। इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राजस्थान में 'लोकायुक्त संस्था' पिछले चार दशकों से भ्रष्टाचार, पद के दुरूपयोग एवं कुशासन की शिकायतों पर कार्यवाही कर सुशासन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सतत प्रयत्नशील है। किन्तु जैसा कि मैंने अपने प्रथम प्रतिवेदन में उल्लेख किया था कि इस 'संस्था' की स्थापना को इतनी लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी लोक-सेवकों के भ्रष्टाचार, पद के दुरूपयोग एवं उनकी अकर्मण्यता से उत्पीड़ित व्यक्तियों के पास इस 'संस्था' एवं इसके क्रियाकलापों के बारे में यथेष्ट जानकारी नहीं पहुँच पाई है। आम आदमी की इस 'संस्था' तक पहुँच हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि उसे इस संस्था के बारे में समुचित जानकारी उपलब्ध हो।

उक्त उद्देश्य से तथा इस सचिवालय के कार्य को वांछित गति देने हेतु मेरे द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में यथासम्भव शिविर आयोजित कर जनसाधारण को इस संस्था के क्षेत्राधिकार, शिकायतों के प्रस्तुतीकरण एवं इनके निस्तारण की प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस सचिवालय में लम्बित जाँच एवं अन्वेषण कार्यवाहियों के बारे में परिवादी तथा सम्बन्धित लोक-सेवकों से वस्तुस्थिति की जानकारी ली गई। विचाराधीन जांच एवं अन्वेषण कार्यवाहियों को आगे बढ़ाते हुए ऐसे शिविरों के माध्यम से गतिशील किया गया। मुझे इन शिविरों के दौरान हर स्तर पर अनेकों लिखित व मौखिक शिकायतें मिलीं जिनका नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास किया गया। समस्याओं के निराकरण की दिशा में, संस्था के द्वारा किये गये ऐसे प्रयासों से आम जनता में एक नवीन आशा और उत्साह का संचार हुआ है।

लोकायुक्त सचिवालय के सम्बन्ध में और अधिक जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए हमारे द्वारा एक बेबसाइट lokayukta.rajasthan.gov.in भी प्रारम्भ की गई है। लोकायुक्त सचिवालय में परिवादों के प्रस्तुतीकरण को आम जन के लिये सरल और सुलभ बनाने हेतु उनके द्वारा लोकायुक्त सचिवालय के ई-मेल पते lokayukta@rajasthan.gov.in पर भी परिवाद प्रेषित करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। अब ई-मेल पते पर परिवाद प्रेषित कर, शपथ-पत्र डाक द्वारा अलग से भेजे जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हमारे द्वारा प्रकाशित विवरणिका में भी उपलब्ध है जिन्हें संस्था द्वारा जगह-जगह पर आवश्यकतानुसार वितरित कराया जा रहा है।

मैंने पदभार ग्रहण करने के बाद इस संस्था के संस्थापन, कार्यालयी प्रबंधन एवं परिवादों की जांच प्रक्रिया के सम्बन्ध में अनेक आधारभूत परिवर्तन व सुधार करने का प्रयास किया किन्तु आज भी वास्तविक स्थिति यह है कि हम इस सचिवालय के लिए मध्यप्रदेश एवं कर्नाटक आदि राज्यों जैसा आधारभूत संस्थागत ढ़ांचा स्थापित नहीं कर पाये हैं। इन राज्यों की तुलना में संस्था के पास काफी कम संख्या में

अधिकारी/कर्मचारी और संसाधन उपलब्ध हैं। इसके बावजूद भी हमने इन्हीं सीमित संसाधनों से, इस सचिवालय में लम्बित मामलों एवं प्राप्त शिकायतों का द्रुतगति से निस्तारण करने में कीर्तिमान स्थापित किया है। यह विगत वर्ष में प्राप्त एवं निस्तारित किए गए परिवादों के विवरण, जो इस प्रतिवेदन के अध्याय-2 में उपलब्ध है, के अवलोकन से स्पष्ट हो सकेगा। इस अवधि में लोकायुक्त संस्था द्वारा 96 प्रकरणों में कार्यवाही के उपरान्त प्रथमदृष्टया दोषी पाए गये 194 लोक-सेवकों के विरूद्ध सम्बन्धित विभागों द्वारा विभागीय जाँच प्रारम्भ की गई एवं कतिपय मामलों में अपचारी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित भी किया गया। इसी प्रकार 203 प्रकरणों में परिवादीगण की अपेक्षाओं के अनुरूप, उनकी परिवेदनाओं का विधिसम्मत व संतोषजनक निवारण करवाकर, उन्हें वांछित अनुतोष प्रदान करवाया गया है।

इस प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत विवरण के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि लोकायुक्त सचिवालय जन साधारण से प्राप्त परिवादों के तार्किक, त्वरित एवं सारवान निस्तारण में प्रभावी कार्यवाही सम्पन्न कर रहा है। परिणामस्वरूप जनसाधारण की संस्था के प्रति विश्वास और निष्ठा में अभिवृद्धि हुई है। इसी कारण सचिवालय में प्राप्त होने वाले परिवादों में भी दिन-प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। क्षेत्राधिकार के अनुरूप प्राप्त परिवादों में जन आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु यह सचिवालय सचेत व सतर्क रहते हुए इस हेतु प्रतिबद्ध है कि संस्था के प्रयासों से आम आदमी को यथोचित अनुतोष प्राप्त हो और उसकी व्यथा का समुचित निराकरण हो सके। यह आगाज है, हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, इस संकल्प के साथ कि हमारा हर कदम भ्रष्टाचार और पदीय दुरूपयोग को रोकने की दिशा में सफल और उपयोगी सिद्ध हो।

गत वर्ष की अवधि में सर्वाधिक शिकायतों वाले विभागों के विवरण (अध्याय-2) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अन्य विभागों की तुलना में इस वर्ष भी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, विभिन्न विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व

विभाग और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के विरूद्ध अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विभाग का नाम	शिकायतें
1.	नगरीय विकास एवं आवासन, अन्य विकास प्राधिकरण/ स्थानीय निकाय	881
2.	पुलिस	719
3.	राजस्व	654
4.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	545

इस संबंध में, मेरा राज्य सरकार से पुनः आग्रह रहेगा कि इन विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार, पद के दुरूपयोग एवं अकर्मण्यता से आमजन को राहत दिलाने के लिए इनकी कार्यप्रणाली में व्याप्त दोषों एवं कमियों का परीक्षण करवाकर उसमें यथोचित सुधार लाने हेतु ठोस एवं प्रभावी कदम उठाये जाँए। भ्रष्टाचार का निराकरण करने तथा प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिये यह आवश्यक है कि लोक-सेवकों को और अधिक जबाबदेह, उत्तरदायी और क्रियाशील बनाया जाए। प्रायः यह देखने में आता है कि विकास कार्यो में जितनी राशि लगनी होती है, उतनी नहीं लग पाती है। राष्ट्रहित व जनहित के कार्यो के लिए आवंटित राशि का एक बड़ा भाग भ्रष्टाचारियों द्वारा हड़प लिया जाता है। यह अक्षम्य व गम्भीर अपराध है। भ्रष्टाचार समाप्त होने की स्थिति में विकास के लिए आवंटित राशि का पूर्ण सदुपयोग होगा जिससे राज्य के विकास हेतु आधारभूत ढाँचा तैयार होगा और जनता की मूलभूत सुविधाएँ बढाने में सहायता मिलेगी।

लोकशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के सन्दर्भ में यह भी एक चिन्ता का विषय है कि प्रायः विभागीय जाँच प्रारम्भ होने में अत्यधिक विलम्ब हो जाता है और यदि यह प्रारम्भ हो भी जाती है तो अत्यन्त मंथर गति से आगे बढ़ती है। इसका कारण प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा जाँच अधिकारी के समक्ष सुसंगत सामग्री इरादतन या इतर कारणों से समय पर प्रस्तुत नहीं करना है। कई बार तो यह भी देखने में आया है कि आरोप-पत्र की तामील आदि होने के पूर्व ही आरोपी अपचारी लोक-सेवक सेवानिवृत्त हो जाता है। अन्ततः यह विलम्ब ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही की वैधता को न्यायालय में चुनौती देने के लिए एक महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। जाँच कार्यवाहियों को पूर्ण करने का दायित्त्व जिन आयुक्तों/अधिकारियों पर है, उनमें से अधिकांश अपेक्षित कुशलता, समर्पण व उत्साह से कार्य नहीं कर रहे हैं। अभिष्ट यह है कि इस कार्य के सम्पादन हेतु इसमें रूचि व विशेषज्ञता रखने वाले सर्वाधिक कुशल अधिकारियों को पदस्थापित किया जाए। यह भी निर्विवाद है कि भ्रष्टाचार और शासन व्यवस्था में जहाँ-जहाँ भ्रष्टाचार व अकर्मण्यता की स्थिति है, उसमें केवल अनुशंसाओं के माध्यम से कोई सारभूत सुधार या परिवर्तन सम्भव नहीं है। इसके लिए वांछित है- अनुशंसाओं पर कम से कम समय में प्रभावी कार्यवाही का सुनिश्चित किया जाना। लोकायुक्त संस्था द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुसरण में की जाने वाली विभागीय जाँच/कार्यवाही की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिये गत प्रतिवेदन में मैंने कतिपय सुझाव दिये थे। राज्य सरकार से यह अपेक्षा है कि इस सचिवालय द्वारा अनुशंसा के माध्यम से निर्देशित विभागीय जाँचें शीघ्र सम्पादित किये जाने हेतु प्रभावी प्रणाली विकसित करे ताकि आरोपी लोक-सेवक किसी भी प्रकार से तकनीकी खामियों एवं विलम्ब का लाभ उठाने में सफल न हो सकें और गुणावगुण के आधार पर उनके विरूद्ध यथोचित कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न हो सके।

जर्मनी में कार्यरत एवं वैश्विक स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों में भ्रष्टाचार की स्थिति का आकलन करने वाली स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी

इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2015 में 168 देशों में भ्रष्टाचार के प्रचलन के बाबत किये गये सर्वे में भारत को 100 में से 38 अंक देते हुए 76वें स्थान पर रखा गया है। सूचकांक में कम अंक एवं पश्चातवर्त्ती स्थान व्याप्त भ्रष्टाचार की स्थिति को दर्शाता है। इस संस्था के एशिया पैसिफिक के डायरेक्टर श्रीरक प्लिपत ने व्यक्त किया है कि जनता रिश्वत दे-देकर थक चुकी है और उन्हें टैक्स चुकाने के बावजूद सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि भ्रष्टाचार की स्थिति में सुधार लाने हेतु सबसे पहला काम लोकपाल को प्रभावी तरीके से लागू करने का होना चाहिए और लोकपाल को पूरे संसाधन एवं शक्तियाँ दी जानी चाहिए। हमारे देश के शीर्ष न्यायालय ने भी भ्रष्टाचार उन्मूलन व कुप्रशासन पर लगाम लगाने के लिए लोकपाल व लोकायुक्त संस्था को राज्य के लिए आदर्श, अनिवार्य व सुसंगत माना है जैसा कि विनिर्णय गुजरात राज्य बनाम आर.ए. मेहता (2013)3 SCC 11 में उल्लेखित है:-

"The office of the Lokayukta is very significant for the people of the State as it provides for a mechanism through which the people of the State can get their grievances heard and redressed against maladministration. In a State where society suffers from moral denigration and simultaneously from rampant corruption, there must be an effective forum to check the same."

लोक सेवकों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु पारदर्शिता, संवेदनशीलता, उत्तरदायित्त्व और समानता को उचित महत्त्व देने वाले स्वच्छ, संवेदनशील, दृढ़ और चुस्त-दुरूस्त प्रशासनिक ढाँचे की आवश्यकता है। यद्यपि उच्च, मध्य और निम्न तीनों ही स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार सामान्य जन के लिए एक बड़ी समस्या है परन्तु उच्च स्तर का भ्रष्टाचार निम्न स्तर के भ्रष्टाचार से कहीं अधिक घातक और चिंताजनक

है क्योंकि उच्च स्तर का भ्रष्टाचार द्रुत गति से निम्न स्तर तक फैलता है और सम्पूर्ण शासन व्यवस्था को भेदभावपूर्ण, अशुद्ध व कलुषित कर समाज को संतापित करने की प्रवृत्ति रखता है।

यह सर्वविदित हैं कि धन की आसक्ति न केवल व्यक्ति के निजी जीवन की गुणवत्ता को नष्ट करती है बल्कि ऐसे व्यक्ति विशेष के सम्पूर्ण जीवन व उसके चारों तरफ के वातावरण को ही दुष्प्रभावित व अवसादग्रस्त कर देती है। यह एक यथार्थ है कि जिस समाज या राष्ट्र में सर्वत्र केवल धन की महत्ता स्थापित हो जाती है, वह राष्ट्र या समाज अन्ततः अपना गौरव खो देता है। मूल्यों तथा आदर्शो का क्षय होने लगता है। लोग अपने से ऊँचे स्तर के व्यक्तियों को देखते हैं और उनमें किसी प्रकार के चारित्रिक गुण, त्याग की भावना अथवा अन्य उच्चादर्श न पाकर स्वयं भी उस आदर्शविहीन जीवन-शैली को अपनाने की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। समष्टि में कहा जा सकता है कि उपभोक्तावादी जीवन दर्शन के साथ ऐसा व्यक्ति निरंतर अधोगति की ओर जा रहा है जैसा कि कविवर जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में लिखा है:-

अपने में सब कुछ भर कैसे, व्यक्ति विकास करेगा।
यह एकान्त स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा।

अतः हमें पूर्णतया जागरूक रहना होगा कि कहीं लोक-सेवकों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से आमजन के धैर्य का बाँध टूट ना जाए और देश को अराजकता की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। भ्रष्टाचार के उन्मूलन में किसी भी प्रकार की देरी देश के सम्यक और सुनियोजित विकास को बाधित करेगी। इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश राज्य बनाम रामसिंह, (2000)5 SCC 88 में प्रतिपादित अभिमत को उद्धृत किया जाना सुसंगत होगा:-

"Corruption is opposed to democracy and social order, being not only anti-people, but aimed and targeted against them. It affects the economy and destroys the cultural heritage. Unless nipped in the bud at the earliest, it is likely to cause turbulence-shaking of the social economic-political system in an otherwise healthy, wealthy, effective and vibrating society."

उक्त स्थिति के प्रकाश में लोकायुक्त संस्था का शक्तिशाली एवं प्रभावी होना समय की महती माँग है। इसी क्रम में मैंने अपने पिछले प्रतिवेदन में विस्तृत विवरण के साथ यह रेखांकित किया था कि केन्द्रीय लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् विभिन्न संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा राजस्थान में भी लोकायुक्त संस्था को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाए जाने की माँग की जा रही है जिस ओर समय रहते ध्यान देना अपेक्षित है। इसी लक्ष्य व ध्येय को दृष्टिगत रख इस संस्था द्वारा एतद्सम्बन्धी केन्द्रीय अधिनियम एवं कतिपय राज्यों के अधिनियम, जहाँ लोकायुक्त संस्था सुदृढ़ एवं प्रभावी है, के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) बिल, 2014 का प्रारूप तैयार कर इस सचिवालय के पत्र क्रमांक:1(14) लोआस/84/13564 दिनांक 17.01.2014 द्वारा राज्य सरकार को भिजवाया गया था जिस पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने के कारण इस सचिवालय द्वारा राज्य सरकार को पुनः स्मरण भी करवाया गया है। इस सम्बन्ध में हुई यथेष्ट कार्यवाही/प्रगति की जानकारी इस सचिवालय को प्राप्त नहीं हुई है। मेरा अब राज्य सरकार से पुनः आग्रह है कि उक्त प्रस्तावित संशोधन बिल, 2014 पर आज की आवश्यकता, परिस्थिति और प्रासंगिकता के परिप्रेक्ष्य में गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र निर्णय ले, इसे अविलम्ब पारित कराया जाए।

यहाँ मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूँगा कि लोकायुक्त सचिवालय द्वारा मध्यप्रदेश एवं कर्नाटक राज्यों की तर्ज पर अलग से

पुलिस प्रकोष्ठ की स्थापना की माँग राज्य सरकार से की गई थी। राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांकः प.6(2) का/क-3/शिका/2011 जयपुर दिनांक 04.10.2013 द्वारा कुल 15 पुलिस अधिकारी/कर्मी के पद स्वीकृत करते हुए पुलिस प्रकोष्ठ की स्थापना भी कर दी गई थी किन्तु राज्य सरकार द्वारा उक्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध पुलिस अधिकारियों व कर्मियों का पदस्थापन अब तक नहीं किया गया है। इस पर इस सचिवालय द्वारा दिनांक 17.10.2014 को यह प्रस्तावित किया गया कि यदि उपर्युक्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध पुलिस अधिकारी/कर्मी उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं तो राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम की धारा 14(3) के अधीन राज्य सरकार की किसी भी अन्वेषण एजेन्सी/अधिकारीगण की सेवाएं राज्य सरकार की बिना पूर्व अनुमति/सहमति के लेने हेतु लोकायुक्त को अधिकृत किया जाए। यह सुविधा मिलने से आवश्यक मामलों में मौके पर अपेक्षित कार्यवाही अविलम्ब की जा सकेगी तथा जांच एवं अन्वेषण निश्चयात्मकता और सम्पूर्णता लिये होंगे। इस सम्बन्ध में भी राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार से अपेक्षा है कि वह इस सचिवालय को मौके पर तत्काल पहुँचकर दस्तावेजात की खोज, जाँच व जब्ती आदि की अपेक्षित कार्यवाही अविलम्ब किए जाने तथा अन्वेषण को पूर्णता प्रदान करने के उद्देश्य से वांछित अन्वेषण एजेन्सी/अधिकारीगण की सेवाएँ उपलब्ध करवाने हेतु शीघ्र आदेश जारी करेगी।

जन साधारण की समस्याओं के प्रति प्रशासन का सकारात्मकता के साथ संवेदनशील होना अति-आवश्यक है। आमजन की प्रत्येक यथोचित समस्या को अनुभव कर उसको दूर करने का सद्‌भावी प्रयास समय की महती माँग है। हमें भ्रष्टाचार निवारण की दिशा में ठोस कार्य करने हेतु इस सम्बन्ध में कतिपय स्थानों पर अब तक चली आ रही संवेदनहीनता और उदासीनता को तिलांजलि देनी होगी और भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में नये परीक्षण और प्रयोग कर श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने हेतु कटिबद्ध होना होगा। यह संस्था जन साधारण से प्राप्त परिवादों पर उनको

यथाविधि वांछित अनुतोष दिलाए जाने हेतु कृतसंकल्पित है। मुझे विश्वास है कि इस समयोचित संकल्प की पूर्ति में हमें सरकार तथा अन्य सभी का सहयोग प्राप्त होगा।

भ्रष्टाचार पर विजय पाकर ही राजस्थान देश के मानचित्र पर सिरमौर बनकर उभर सकेगा अन्यथा इसका पूर्ण एवं समग्र विकास दिवास्वप्न मात्र बनकर रह जायेगा। हमारा ध्येय है कि हमारी कार्यप्रणाली से लोक प्रशासन में उच्च मापदण्डों की स्थापना हो। हम इस संस्था की गरिमा को न केवल अक्षुण्ण तथा संरक्षित रखें अपितु इसे संवर्धित कर इसकी प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि करें ताकि स्वच्छ शासन को पोषण व सम्बल मिले, भ्रष्ट आचरण व कुशासन उजागर हो और उस पर यथोचित व विधिसम्मत कार्यवाही हो, लोक-सेवकों द्वारा पदीय दुरूपयोग अथवा भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतों का निष्पक्ष, न्यायपरक व त्वरित निस्तारण हो और लोक-जीवन एवं शासन में शुचिता का संरक्षण, विकास और अभिवृद्धि हो।

हमारा प्रयास रहेगा कि इस संस्था को जन आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने हेतु जो विधिसम्मत साधन उपलब्ध होंगे, उन्हें अपनाएँ, जो नीति उपयुक्त होगी, उसका अनुसरण करें और जो कार्यक्रम आवश्यक हों, उनका सम्पूर्ण निष्ठा के साथ क्रियान्वयन करें। हमें कदम से कदम मिलाकर अपने प्रयासों को ध्येयसिद्धि के शिखर तक ले जाना है। हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम इस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहकर अधिनियम में विहित अपने कर्त्तव्यों का पालन करते रहें।

मुझे आशा है कि भ्रष्टाचार सम्बन्धी समस्या पर चिन्तन एवं इनके निराकरण के लिए यह रिपोर्ट मात्र तथ्य और विवरण ही नहीं अपितु दृष्टि और आधार भी प्रदान करेगी। इसके साथ ही राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन विकसित करने हेतु नीति निर्धारण का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। यह संस्था उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए अपने कर्त्तव्यों का पूर्ण निष्ठा व सद्भावना से पालन करते हुए जन

आकांक्षाओं पर खरा उतरने हेतु प्रतिबद्ध है। हमें विश्वास है कि राज्य सरकार इस प्रतिवेदन में रेखांकित कठिनाइयों और समस्याओं की तरफ गंभीरतापूर्वक ध्यान देकर इनके शीघ्र निराकरण हेतु उचित और आवश्यक कदम उठाएगी। हम इस हेतु प्रतीक्षारत हैं।

मेरा यह मानना है कि यदि जनता के कल्याण के लिए समर्पित स्वच्छ छवि वाला निष्ठावान नेतृत्व तथा कुशल लोकशाही सत्य आचरण करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी तो समस्त जनता भी उनके आचरण एवं कार्य व्यवहार के अनुरूप स्वयं को ढालने का प्रयास करेगी। प्राय: यह देखा गया है कि आमजन तो सदा ही श्रेष्ठ जनों के कार्य व्यवहार का अनुसरण कर देश की प्रगति और विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरूते लोकस्तदनुवर्तते।।

(श्रीमद्भगवदगीता, अध्याय : 3:21)

"श्रेष्ठ पुरूष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरूष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य-समुदाय उसके अनुसार व्यवहार करने लग जाता है।"

जयपुर
30 मार्च 2016

(एस.एस.कोठारी)
लोकायुक्त, राजस्थान

अनुक्रमणिका

			पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना		**1-12**
अध्याय-1	**लोकायुक्त संस्था का परिचय**		**17-30**
	1.1	इतिहास एवं पृष्ठभूमि	17-20
	1.2	प्रशासनिक स्थिति एवं बजट	20-21
	1.3	अन्वेषण की अधिकारिता	22-23
	1.4	जाँच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया	24-26
	1.5	प्रचार-प्रसार	26-27
	परिशिष्ट-1.1 एवं 1.2		28-30
अध्याय-2	**सम्पादित कार्य**		**31-90**
	2.1	समग्र कार्य	31-33
	2.2	प्रारम्भिक जाँच के प्रकरण	33-34
	2.3	अन्वेषण के प्रकरण	34-35
	2.4	धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित अनुशंसा प्रतिवेदन	35
	2.5	विशेष प्रतिवेदन	36
	2.6	इस सचिवालय द्वारा निस्तारित कतिपय महत्वपूर्ण प्रकरण	36
	2.7	इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात विभागों द्वारा की गयी विभागीय कार्यवाहियों के प्रकरण	36
	2.8	इस सचिवालय की कार्यवाही के पश्चात परिवादीगण को प्राप्त अनुतोष के प्रकरण	36-37
	परिशिष्ट-2.1 से 2.10		38-90

अध्याय-3	**अनुशंसा के प्रतिवेदनों का विवरण**		**91-154**
अध्याय-4	**कतिपय महत्वपूर्ण प्रकरण**		**155-168**
अध्याय-5	**विभागीय कार्यवाहियों के अन्य प्रकरण**		**169-284**
अध्याय-6	**अनुतोष के प्रकरण**		**285-442**
अध्याय-7	**लोकायुक्त अधिनियम : संशोधन हेतु प्रयास**		**443-448**
	परिशिष्ट 7.1		448
अध्याय-8	**विविध**		**449-464**
	8.1	लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त की पदस्थापन अवधि	449-450
	8.2	श्री कल्याण सिंह, माननीय राज्यपाल से न्यायाधिपति श्री एस.एस. कोठारी, माननीय लोकायुक्त की भेंट एवं प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण	451
	8.3	आयोजित शिविरों और बैठकों के कतिपय चित्र	452-456
	8.4	समाचार-पत्रों में प्रकाशित कतिपय खबरें	457-464

परिशिष्ट अनुक्रमणिका

परिशिष्ट	परिशिष्ट का विवरण	पृष्ठ सं.
1.1	दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 की कालावधि में लोकायुक्त सचिवालय में स्वीकृत पदों का विवरण	28-29
1.2	वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण (रूपये लाखों में)	30
2.1	दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक की कालावधि की कुल शिकायतों का विवरण	38-39
2.2	दिनांक 01.04.1979 से 31.03.2015 तक की कालावधि में प्राप्त, निस्तारित व लम्बित शिकायतों का विवरण	40-42
2.3	दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 की कालावधि में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर संस्थित किये गये प्रकरणों का विवरण	43-51
2.4	दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक की कालावधि के प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का विवरण	52
2.5	दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक की कालावधि के अन्वेषण प्रकरणों का विवरण	53
2.6	दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक की कालावधि के धारा 12(1) के अधीन प्रेषित प्रतिवेदन	54-64
2.7	दिनांक 01.04.2007 से 31.03.2014 की कालावधि में अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन प्रेषित प्रतिवेदनों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित/की गयी कार्यवाही का विवरण	65-82

2.8	दिनांक 01.04.2007 से 31.03.2012 तक की कालावधि में धारा 12(3) के अधीन महामहिम राज्यपाल को प्रेषित विशेष प्रतिवेदन एवं उनके सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण	83-87
2.9	दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि में लोकायुक्त सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के पश्चात विभागों द्वारा की गयी विभागीय कार्यवाहियों के प्रकरण	88
2.10	दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक की कालावधि के अनुतोष प्रकरण	89-90
7.1	राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन बाबत इस सचिवालय द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित स्मरण पत्र क्रमांक एफ. 1(14)लोआस/84/24855 दिनांकित 20.01.15	448

अध्याय-1

लोकायुक्त संस्था का परिचय

1.1 इतिहास एवं पृष्ठभूमि

विश्व के अधिकांश देशा. म. जिस संस्था को 'ऑम्बुड्समैन' कहा जाता है, उसे भारत म. लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। इस संस्था को लोकपाल या लोकायुक्त नाम मशहूर कानूनविद् डॉ.एल.एम.सिंघवी ने वर्ष 1963 म. दिया था। लोकपाल शब्द संस्कृत भाषा के शब्द लोक (लोगा.) और पाला (संरक्षक) से बना है।

लोकपाल या ऑम्बुड्समैन नामक संस्था ने प्रशासन के प्रहरी बने रहने म. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की है। सर्वप्रथम इस संस्था की अवधारणा स्वीडन में की गई। वहाँ वर्ष 1713 म. किंग चार्ल्स XII ने कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारिया. को दण्डित करने के लिए अपने एक सभासद को नियुक्त किया। स्वीडन म. नया संविधान बनाने हेतु गठित संविधान सभा के सदस्या. का आग्रह रहा कि पूर्व व्यवस्था से भिन्न उनका ही एक अधिकारी जाँच का कार्य करें जो किसी भी स्थिति म. सरकारी अधिकारी नहीं होना चाहिए। इस पर वर्ष 1809 म. स्वीडन के संविधान म. 'ऑम्बुड्समैन फॉर जस्टिस' के रूप म. सर्वप्रथम इस संस्था की व्यवस्था की गयी। इस संस्था का मुख्य कार्य लोक सेवका. द्वारा विधि, नियमों तथा विनियमा. के उल्लंघन करने से सम्बन्धित प्रकरणा. की जाँच करना था।

स्वीडन के बाद धीरे-धीरे आस्ट्रिया, डेनमार्क तथा अन्य स्कॅण्डीनेवियन देशा. और फिर अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं यूरोप के कई देशा. म. भी 'ऑम्बुड्समैन' संस्था का गठन किया गया। संस्था की लोकप्रियता दिनोंदिन बढ़ते जाने पर फिनलैण्ड म. वर्ष 1919, डेनमार्क म.

1954, नार्वे म. 1961 व ब्रिटेन म. 1967 म. भ्रष्टाचार समाप्त करने के उद्देश्य से ऑम्बुड्समैन संस्था की स्थापना की गई। अब तक 135 से अधिक देशा. म. 'ऑम्बुड्समैन' की नियुक्ति की जा चुकी है।

'ऑम्बुड्समैन' स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ लोगा. का प्रतिनिधि या एजेन्ट होता है। वस्तुतः 'ऑम्बुड्समैन' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे पारदर्शिता के साथ कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, विलम्ब, अकुशलता, अकर्मण्यता एवं पद के दुरूपयोग से नागरिक अधिकारा. की रक्षा हेतु नियुक्त किया जाता है। 'ऑम्बुड्समैन' को ब्रिटेनिका-विश्वकोश में नागरिका. द्वारा नौकरशाही की शक्तिया. के दुरूपयोग के सम्बन्ध म. की गयी शिकायता. की जाँच करने हेतु व्यवस्थापिका द्वारा नियुक्त 'आयुक्त' बताया गया है।

विभिन्न देशा. म. 'ऑम्बुड्समैन' को भिन्न-भिन्न नामा. से जाना जाता है। उदाहरणार्थ - ब्रिटेन, डेनमार्क एवं न्यूजीलैण्ड म. यह संस्था 'संसदीय आयुक्त' (Parliamentary Commissioner) के नाम से जानी जाती है। रूस म. इसे वक्ता अथवा प्रोसिक्यूटर के नाम से जाना जाता है।

इस संस्था की आवश्यकता व उपादेयता के बारे में देश के कई न्यायाधीशगण व चिन्तका. ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। उदाहरण के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री गजेन्द्र गढ़कर ने अपनी पुस्तक ''लॉ, लिबर्टी एण्ड सोशियल जस्टिस'' म. यह उल्लेख किया कि जब तक हम भारत म. 'ऑम्बुड्समैन' जैसी संस्था का विकास नहीं करते और संविधान म. संशोधन करके अथवा विधायी प्रक्रिया के माध्यम से इस संस्था को सांविधिक दर्जा प्रदान नहीं करते, तब तक देश म. व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सकेगा।

भ्रष्टाचार राष्ट्र का कोढ़ है और आज प्रशासन की एक प्रमुख समस्या बन गया है। इसे समाप्त करने के लिए समय-समय पर अनेक महत्वपूर्ण

उपाय किये गये हैं। राजस्थान म. भी वर्ष 1963 म. प्रशासनिक सुधार समिति ने अपने प्रतिवेदन म. 'ऑम्बुड्समैन' जैसी कानूनी संस्था के गठन की सिफारिश की थी, जिसका कार्य, कार्यपालिका की कार्यवाहिया. पर नजर रखना तथा ऐसे मामलों, जिनम. सरकार की किसी भी एजेन्सी द्वारा की गई कार्यवाही अवैध, अन्यायपूर्ण या मनमानी हो, विद्यमान नियमा. या स्थापित प्रक्रिया से विपरीत या इनके उल्लंघन में हो, पर कार्यवाही करते हुए उन शिकायतों जिनम. भ्रष्टाचार का स्पष्ट आरोप लगाया गया हो, के सम्बन्ध में समुचित अन्वेषण करना हो।

हमारे देश म. 5 जनवरी, 1966 को श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता म. प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने ''प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवन्सेज'' से सम्बन्धित अपने प्रतिवेदन म. प्रशासनिक व्यवस्था म. व्याप्त भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता तथा जनआकांक्षाओं के प्रति प्रशासन की संवेदनशून्यता के विरूद्व प्राय: उभरने वाले आक्रोश पर विचार कर यह सिफारिश की थी कि जन अभियोग निवारण हेतु तथा दुराचारपूर्ण व्यवस्था से उत्पन्न भ्रष्टाचार और अन्याय का अभिकथन करने वाली शिकायता. की जाँच के लिए केन्द्र म. लोकपाल तथा राज्या. म. लोकायुक्त नामक सांविधिक संस्था की स्थापना की जाये किन्तु इस सिफारिश को लम्बे समय तक स्वीकार नहीं किया गया। अब इसे स्वीकार तो किया गया है किन्तु इसकी क्रियान्विति अभी मूर्त रूप नहीं ले सकी है।

जहाँ तक हमारे देश में लोकायुक्त संस्था का प्रश्न है, सर्वप्रथम वर्ष 1971 म. ओडिशा म. लोकायुक्त की स्थापना हुई, जहाँ वर्ष 1995 म. पुन: नया 'लोकायुक्त अधिनियम' बना और अभी हाल ही म. ओडिशा विधानसभा ने अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावी प्रावधाना. को समाहित करते हुए ओडिशा लोकायुक्त बिल 2014 पारित कर दिया है। वर्ष 1971 म. महाराष्ट्र और वर्ष 1973 म. राजस्थान म. लोकायुक्त संस्था का गठन किया गया। इसके उपरान्त लगभग 20 से अधिक राज्या. म. लोकायुक्त संस्था

की स्थापना हुई। इसके पूर्व भी राजस्थान म. जन अभियोगों की निगरानी के लिए जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग कार्यरत था, किन्तु सरकार के इस तन्त्र म. किसी ऐसी संस्था का समावेश नहीं था जिसके माध्यम से मंत्रिया, सचिवा. और लोक सेवका. के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार और निष्क्रियता की शिकायता. व अन्वेषण किया जा सके। फलस्वरूप जनता म. विश्वास और सन्तोष की भावना में अभिवृद्धि करने के लिये तथा स्वच्छ, ईमानदार, सक्षम और संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने हेतु मंत्रिया, सचिवा. और लोक सेवका. के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता आदि की शिकायता. को देखने एवं उनमें अन्वेषण करने के लिए एक स्वतंत्र एजेन्सी का सृजन करना तुरन्त आवश्यक समझा गया और इस उद्देश्य की अभिप्राप्ति हेतु वर्ष 1973 म. राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश 3 फरवरी, 1973 से प्रभाव में लाया गया। इसे 26 मार्च, 1973 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और तब से यह 'लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम,1973' के रूप में प्रदेश में प्रभावी है।

1.2 प्रशासनिक स्थिति एवं बजट

प्रतिवेदनाधीन अवधि म. कार्मिक विभाग की आज्ञा क्रमांकः प.6(9)कार्मिक /क-3/शिका/2013 दिनांक 18.6.14 द्वारा निम्नलिखित 3 नवीन पद स्वीकृत किये गयेः-

क्र.सं.	पद	पे-बैण्ड	ग्रेड पे	नवीन सृजित पदा. की संख्या
1	संयुक्त सचिव	37400-67000	9500	2
2	उप सचिव	15600-39100	7600	1
			योगः-	**3**

इसी प्रकार आज्ञा क्रमांकः प.6(9)कार्मिक/क-3/शिका/13 दिनांक 26.8.14 द्वारा निम्नलिखित 23 नवीन पद स्वीकृत किये गयेः-

क्र.सं.	पद	पे-बैण्ड	ग्रेड पे	नवीन सृजित पदा. की संख्या
1	अतिरिक्त निजी सचिव	(पीबी-2) 9300-34800	4800	2
2	अनुभाग अधिकारी	(पीबी-2) 9300-34800	4800	1
3	निजी सहायक	(पीबी-2) 9300-34800	4200	1
4	सहा. अनुभाग अधिकारी	(पीबी-2) 9300-34800	4200	2
5	लेखाकार	(पीबी-2) 9300-34800	4200	1
6	आशुलिपिक	(पीबी-2) 9300-34800	3600	3
7	सूचना सहायक	(पीबी-1) 5200-20200	2800	3
8	लिपिक ग्रेड-I	(पीबी-1) 5200-20200	2800	2
9	लिपिक ग्रेड- II	(पीबी-1) 5200-20200	2400	3
10	वाहन चालक	(पीबी-1) 5200-20200	2400	3
11	प्रोसेस सर्वर	(पीबी-1) 5200-20200	1700	2
			योगः-	**23**

प्रतिवेदनाधीन अवधि म. ही कार्मिक विभाग की आज्ञा क्रमांकः प.6(8) कार्मिक/क-3/शिका/2014 दिनांक 6.2.15 द्वारा बजट निर्धारण समिति ने वर्ष 2014-15 म. लोकायुक्त सचिवालय म. पुलिस सेल हेतु सृजित 3 वाहन चालक के पदा. म. से लोकायुक्त सचिवालय के उपयोगार्थ स्वीकृत किये गये 2 वाहना. हेतु 2 वाहन चालक के पद सृजित किये जाने के संशोधित प्रस्ताव पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। प्रतिवेदनाधीन अवधि म. कुल स्वीकृत एवं रिक्त पदा. का विवरण **परिशिष्ट-1.1** म. तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 म. आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण **परिशिष्ट-1.2** म. दिया गया है।

1.3 अन्वेषण की अधिकारिता

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 7 के अन्तर्गत लोकायुक्त को कतिपय मामला. म. मंत्रिया. तथा लोक सेवका. के विरूद्ध आरोपित अभिकथना. का अन्वेषण करने की अधिकारिता प्रदान की गई है। ये अभिकथन :

- लोक सेवका. द्वारा किसी को अनुचित हानि या कष्ट पहुंचाने,
- अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने हेतु लोक सेवक के रूप म. अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग करने,
- अपने कृत्या. का निर्वहन करने म. व्यक्तिगत हित या भ्रष्ट अथवा अनुचित हेतुआ. से प्रेरित होने,
- लोक सेवक की हैसियत म. भ्रष्टाचार या सच्चरित्रता की कमी का दोषी होने से सम्बन्धित हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 2(i) म. दी गई लोक सेवक की परिभाषा के अनुसार लोकायुक्त को निम्नलिखित पदाधिकारियों के विरूद्ध अन्वेषण करने की अधिकारिता भी है:-

(i) राजस्थान राज्य की मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य (मुख्य मंत्री के अतिरिक्त), जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात् मंत्री, राज्य मंत्री या उप-मंत्री,

(ii) राजस्थान राज्य के कार्यकलापा. के सम्बन्ध म. किसी लोक सेवा म. या लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति,

(iii) (a) जिला परिषद् का प्रत्येक प्रमुख और उप-प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान तथा उप-प्रधान और राजस्थान पंचायती राज

अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी भी स्थायी समिति का अध्यक्ष,

(b) नगर निगम का प्रत्येक महापौर और उप–महापौर, नगरपालिका/परिषद् का प्रत्येक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति का अध्यक्ष,

(iv) प्रत्येक वह व्यक्ति, जो निम्नलिखित की सेवा म. है या उनका वेतन भोगी है, अर्थात्:–

(a) राजस्थान राज्य म. कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, जिसे राजपत्र म. राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त अधिसूचित किया जाये,

(b) किसी राज्य अधिनियम के अन्तर्गत या द्वारा स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो),

(c) कम्पनी अधिनियम की धारा 617 के अर्थान्तर्गत कोई भी सरकारी कम्पनी, जिसम. समादत्त अंशपूंजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है या कोई भी कम्पनी जो किसी भी ऐसी कम्पनी की सहायक है जिसम. समादत्त अंशपूंजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है,

(d) राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राजपत्र म. उस सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है।

1.4 जाँच एवं अन्वेषण की प्रकिया

शिकायता. की जाँच पड़ताल के सम्बन्ध म. लोकायुक्त को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त हैं जिनके आधार पर वे शिकायत के सम्बन्ध म. किसी भी ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति को जो उनकी राय म. जाँच सम्बन्धी सूचना देने या सुसंगत कागजात प्रस्तुत करने म. समर्थ है, बुला सकते हैं और उसके शपथ पर बयान ले सकते हैं। किसी दस्तावेज को पेश करवाना, शपथ-पत्रा. पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि को प्राप्त करना, साक्षिया. या दस्तावेजा. की जाँच के लिये कमीशन जारी करना आदि सभी अधिकार उन्हें प्राप्त हैं। लोकायुक्त के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 के अन्तर्गत एक न्यायिक कार्यवाही है।

यह सचिवालय **''दोषी लोक सेवक को दण्ड और निर्दोष को संरक्षण''** के सिद्धान्त का अनुसरण करता है, इसलिये यह संस्था लोक सेवका. के विरूद्ध प्राप्त प्रत्येक शिकायत की गहन परीक्षा कर विषय की सच्चाई और गम्भीरता की तह तक पहुँचने हेतु प्रयासरत रहती है। परीक्षण के दौरान यदि यह पाया जाता है कि शिकायत म. लगाये गये आरोप स्पष्ट नहीं हैं तो इसके सम्बन्ध म. विस्तृत तथ्या. की माँग की जाती है अन्यथा स्थिति में सम्बन्धित विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगाई जाती है। यदि मामला प्रथमदृष्टया ही प्रारम्भिक जाँच किये जाने का प्रतीत हो तो उसम. प्रारम्भिक जाँच किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परिवादी को उसका निरीक्षण करके आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तिया. और बचाव बिन्दुओं का इस सचिवालय द्वारा परीक्षण किया जाता है। परीक्षणोपरान्त यदि आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं तो शिकायत को नस्तीबद्ध कर दिया

जाता है एवं यदि आरोप प्रमाणित पाये जाते हैं तो उनके सम्बन्ध म. इस सचिवालय द्वारा प्रारम्भिक जाँच किये जाने या सीधे ही अन्वेषण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

प्रारम्भिक जाँच के दौरान परिवादी, उसके साक्षीगण एवं सुसंगत अभिलेख के परीक्षण करने के पश्चात् यदि किसी भी लोक सेवक के विरूद्ध आरोपित अभिकथन प्रथमदृष्टया प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं तो प्रारम्भिक जाँच को बन्द कर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है जिसकी सूचना परिवादी को भी पृथक से दी जाती है।

यदि प्रारम्भिक जाँच म. आरोप प्रथमदृष्टया सही पाये जाते हैं तो सन्तुष्ट होने पर राज्य सरकार को यथोचित कार्यवाही की सिफारिश की जाती है। आवश्यकता समझने पर राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण प्रारम्भ करने के आदेश प्रदान कर अपचारी लोक सेवक को नोटिस व अन्वेषण के आधारा. का विवरण, उसका जबाव/स्पष्टीकरण मय शपथ-पत्र एवं ऐसी दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये भेजा जाता है जिसे कि वह अपने बचाव म. प्रस्तुत करना उचित समझे तथा उसकी एक प्रति उसके सक्षम प्राधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

अपचारी लोक सेवक को अन्वेषण के दौरान अपना पक्ष रखने, व्यक्तिगत सुनवाई के अतिरिक्त साक्षिया. से प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान किया जाता है। अन्वेषण के पश्चात् यदि लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं तो अन्वेषण को बन्द कर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है एवं इसकी सूचना परिवादी को भी दे दी जाती है।

यदि लगाये गये आरोप अंशतः या पूर्णतः सिद्ध पाये जाते हैं तो उनके सम्बन्ध म. राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अन्तर्गत अन्वेषण प्रतिवेदन उसके सक्षम प्राधिकारी को

भेजा जाता है जिसम. यदि अपचारी लोक सेवक द्वारा कोई दाण्डिक अपराध किया गया हो तो दाण्डिक मामला संस्थित करने अन्यथा यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की सिफारिश की जाती है।

यदि किसी मामले म. किसी भी लोक सेवक के विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया जाये परन्तु यह प्रतीत हो कि प्रशासन की किसी भी प्रक्रिया या व्यवहार से भ्रष्टाचार अथवा दुराचरण का अवसर मिलता है तो यह सचिवालय सुझाव देता है कि ऐसी प्रक्रिया या चलन म. समुचित परिवर्तन कर दिया जाये अथवा सम्बन्धित नियमा. को उपयुक्त रूप से इस प्रकार संशोधित कर दिया जाये कि जिससे लोक सेवका. द्वारा भ्रष्टाचार या दुराचरण किये जाने की सम्भावना समाप्त हो जाये तथा आम लोगा. को अनुचित हानि एवं कठिनाई न हो।

यदि शिकायत पूर्णतया मिथ्या एवं आधारहीन हो तो अपचारी लोक सेवक को, शिकायतकर्ता को अभियोजित करने की अनुमति भी दी जाती है।

1.5 प्रचार–प्रसार

लोकायुक्त संस्था के महत्व, कार्य एवं क्षेत्राधिकार से राजस्थान की आम जनता को परिचित करवाने के उद्देश्य से प्रतिवेदनाधीन अवधि म. मेरे द्वारा जिला स्तरीय अधिकारिया, उप–खण्ड स्तरीय अधिकारिया. एवं गैरसरकारी संगठना. के प्रतिनिधिया. की विभिन्न बैठकें आयोजित की गईं। गैर सरकारी संगठना. की पहुँच आम जनता तक होती है। अतः बैठका. के दौरान उनसे अनुरोध किया गया कि वे आम लोगा. को लोकायुक्त संस्था के महत्व, अधिकार–क्षेत्र, कार्य प्रणाली व शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जानकारी दें। उनसे अपनी प्राथमिकताआ. म. भ्रष्टाचार उन्मूलन को भी शामिल करने का अनुरोध किया गया।

मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि गैर सरकारी संगठन भ्रष्टाचार के उन्मूलन एवं सुशासन की स्थापना की दिशा म. कार्य करने तथा इस सम्बन्ध म. लोकायुक्त संस्था का सहयोग करने का संकल्प ले लें तो कोई कारण नहीं कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रचलन म. सारभूत कमी न हो।

जनसाधारण से भी यह आग्रह किया गया कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन म. नैतिक मूल्या. को तिलांजलि न दें एवं अपना दायित्व समझकर भ्रष्टाचार के विरोध म. लोकमत उत्पन्न करें ताकि राष्ट्र विरोधी एवं विकास विरोधी भ्रष्टाचार के केन्सर को जड़ से समाप्त किया जा सके।

सुशासन की कल्पना अधिकारिया. के सहयोग के बिना सम्भव नहीं है क्याकि अधिकारी ही प्रशासन की रीढ़ होते हैं। अत: जिला स्तरीय अधिकारिया. की बैठका. के दौरान उनसे यह आग्रह किया गया कि वे संवेदनशील रहकर लोगा. की कठिनाईयों और परेशानिया. को ध्यान से सुन, उनकी शिकायता. का पूर्ण संवेदनशीलता एवं निष्पक्षता के साथ निराकरण कर, राजकीय कार्य म. अधिकतम पारदर्शिता अपनाय. ताकि अकर्मण्यता, पद के दुरूपयोग व भ्रष्टाचार को समूल नष्ट किया जा सके।

उनसे यह भी अपेक्षा की गई है कि जब भी किसी शिकायत के बारे म. उनसे तथ्यात्मक जानकारी माँगी जावे तो वे शीघ्रता से कार्यवाही करते हुए अविलम्ब तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि शिकायत प्रकरणा. म. यथाशीघ्र कार्यवाही की जा सके।

इन शिविरा. के परिणामस्वरूप प्रतिवेदनाधीन अवधि म. लोकायुक्त संस्था के इतिहास म. सर्वाधिक 4433 शिकायत. प्राप्त हुईं जो परिशिष्ट–2.2 के अवलोकन से प्रकट है।

परिशिष्ट–1.1

दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 की कालावधि म. लोकायुक्त सचिवालय म. स्वीकृत पदा. का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	प्रमुख सचिव	1	-
2.	सचिव	1	1
3.	प्रमुख निजी सचिव	1	-
4.	संयुक्त सचिव	4	-
5.	विशेषाधिकारी–जे	1	-
6.	विशेषाधिकारी–आर	1	1
7.	संयुक्त विधि परामर्शी	1	-
8.	उप सचिव	3	1
9.	सहायक सचिव	3	-
10.	निजी सचिव	2	-
11.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	-
12.	अतिरिक्त निजी सचिव	3	1
13.	अनुभाग अधिकारी	3	-
14.	सहायक लेखाधिकारी	1	-
15.	जन सम्पर्क अधिकारी	1	-
16.	सहायक नगर नियोजक	1	-
17.	लेखाकार	1	-
18.	सहायक अनुभाग अधिकारी	4	1
19.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
20.	निजी सहायक	5	3
21.	आशुलिपिक	9	5
22.	सहायक प्रोग्रामर	1	-
23.	सूचना सहायक	3	1
24.	वरिष्ठ लिपिक	7	1
25.	कनिष्ठ लिपिक	14	2
26.	वाहन चालक	6	1
27.	जमादार	2	-
28.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	18	-
29.	प्रोसेस सर्वर	4	-
30.	अपर पुलिस अधीक्षक	1	1
31.	उप पुलिस अधीक्षक	2	2
32.	पुलिस निरीक्षक	1	1
33.	पुलिस उप निरीक्षक	1	1
34.	मुख्य आरक्षी	3	3
35.	आरक्षी	7	7
	कुलः-	**118**	**34**

परिशिष्ट–1.2

वित्तीय वर्ष 2014–15 म. आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण (` लाखा. म.)

क्र.स.	बजट शीर्ष	मूल आवंटन	संशोधित अनुदान	वास्तविक व्यय
1.	01–संवेतन	270.00	345.00	337.62
2.	03–यात्रा–व्यय	2.50	0.22	0.20
3.	04–चिकित्सा–व्यय	6.00	8.00	8.00
4.	05–कार्यालय–व्यय	22.85	25.00	23.06
5.	06–वाहना. का क्रय	17.50	17.50	13.09
6.	07–कार्यालय वाहना. का संचालन एवं संधारण	1.69	5.28	5.28
7.	08–वृत्तिक और विशिष्ट सेवाएं	1.00	0.78	0.74
8.	11–विज्ञापन, विक्रय, प्रचार और प्रसार–व्यय	10.00	5.00	4.89
9.	14–सत्कार आतिथ्य/उपहार–व्यय आदि	0.10	0.10	0.10
10.	21–अनुरक्षण एवं मरम्मत	30.00	0.00	0.00
11.	31–पुस्तकालय एवं पत्र–पत्रिकाआ. पर व्यय	2.00	0.69	0.69
12.	36–वाहना. का किराया	10.08	10.11	10.10
13.	37–वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं	0.24	0.23	0.22
14.	41–संविदा–व्यय	4.45	1.46	1.44
15.	62–कम्प्यूटराइजेशन एवं तत्सम्बन्धी संचार–व्यय	4.00	0.00	0.00
	कुल योगः–	**382.41**	**419.37**	**405.43**

अध्याय–2

सम्पादित कार्य

2.1 समग्र कार्य

(1) **दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक की कालावधि की कुल शिकायता. का विवरण:–**

परिशिष्ट–2.1 के अनुसार दिनांक 31.03.14 को 2729 शिकायत. कार्यवाही हेतु लम्बित थीं एवं दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 की अवधि में 4433 शिकायतें और प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 7162 शिकायता. म. से 3756 शिकायता. का निस्तारण करने पर दिनांक 31.03.15 को 3406 शिकायत. लम्बित रहीं।

लोकायुक्त संस्था की उपयोगिता, महत्व, कार्यप्रणाली एवं क्षेत्राधिकार से राजस्थान की आम जनता को परिचित करवाने के उद्देश्य से प्रतिवेदनाधीन अवधि में जिला एवं उप–खण्ड स्तर पर आयोजित शिविरों के परिणामस्वरूप **लोकायुक्त संस्था के इतिहास म. सर्वाधिक 4433 शिकायतें प्राप्त हुईं**। **इसी अवधि म. 3756 शिकायता. का निस्तारण किया गया, जो संस्था के इतिहास म. दूसरा सर्वाधिक निस्तारण है।** इससे पूर्व पिछले वर्ष **3928** शिकायता. का निस्तारण किया गया था जो संस्था के इतिहास म. प्रथम है। यह तथ्य **परिशिष्ट–2.2** से प्रकट है।

(2) **परिशिष्ट–2.2** के अनुसार माथुर आयोग से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुए प्रकरणा. म. से दिनांक 31.03.14 को 1089 प्रकरण जाँच कार्यवाही म. लम्बित थे। प्रतिवेदनाधीन अवधि म. 289 प्रकरणा. का

निस्तारण करने पर दिनांक 31.03.15 को 800 प्रकरण जाँच कार्यवाही म. लम्बित रहे।

(3) दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक की कालावधि के लोकायुक्त सचिवालय तथा माथुर आयोग से स्थानान्तरित प्रकरणा. का अलग-अलग विवरणः-

श्रेणी	दिनांक 31.3.14 को लम्बित शिकायतें	दिनांक 01.04. 14 से 31.3. 15 तक प्राप्त शिकायतें	योग कॉलम 1 व 2	दिनांक 01.04. 14 से 31.3. 15 तक निस्तारित शिकायतें	दिनांक 31.3.15 को लम्बित रही शिकायतें
लोकायुक्ता सचिवालय	1640	4433	6073	3467	2606
माथुर आयोग से स्थानान्तरित प्रकरण	1089	0	1089	289	800
योगः-	**2729**	**4433**	**7162**	**3756**	**3406**

(4) दिनांक 01.4.14 से 31.3.15 तक की कालावधि में सर्वाधिक शिकायता. वाले विभागः-

क्र.सं.	विभाग का नाम	शिकायत.
1.	यू.डी.एच./जे.डी.ए./एल.एस.जी.	881
2.	पुलिस	719
3.	राजस्व	654
4.	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	545

(5) दिनांक 01.04.10 से 31.03.15 तक पांच वर्ष की कालावधि में सर्वाधिक शिकायता. वाले विभाग:-

क्र. सं.	विभाग का नाम	01.04.10 से 31.03.11	01.04.11 से 31.03.12	01.04.12 से 31.03.13	01.04.13 से 31.03.14	01.04.14 से 31.03.15
1.	यूडीएच/जविप्रा/ एलएसजी	192	295	192	489	881
2.	पुलिस	252	307	254	438	719
3.	राजस्व	250	343	249	392	654
4.	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	106	216	169	233	545

(6) दिनांक 01.4.14 से 31.3.15 तक की कालावधि म. स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर संस्थित किये गये प्रकरण:-

दिनांक 01.4.14 से 31.3.15 तक की कालावधि म. स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर 58 प्रकरणा. म. कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिनका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-2.3 म. दिया गया है।

2.2 प्रारम्भिक जाँच के प्रकरण

(1) दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक की कालावधि के प्रारम्भिक जाँच प्रकरणा. का विवरण:-

दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक की कालावधि म. लम्बित, संस्थित एवं निस्तारित प्रारम्भिक जाँच प्रकरणा. का विवरण परिशिष्ट-2.4 म. दिया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 31.03.14 को कुल 46 प्रकरणा. म. प्रारम्भिक जाँच लम्बित थीं एवं दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक की कालावधि म. **26** और प्रकरणा. म. प्रारम्भिक जाँच संस्थित की गई। इस प्रकार उक्त कालावधि के प्रारम्भिक जांच के कुल 72 प्रकरणों में से **12** प्रकरण अभिकथन सिद्ध न होने के कारण, **2** प्रकरण विभाग द्वारा पहले ही कार्यवाही

कर लिये जाने के कारण, 5 प्रकरण अन्वेषण के पर्याप्त आधार विनिर्मित न होने के कारण एवं 3 प्रकरण अन्य कारणा. से नस्तीबद्ध किये गये। 15 प्रकरण अन्वेषण प्रारम्भ कर दिये जाने के कारण अन्वेषण प्रकरणा. के शीर्ष में स्थानान्तरित किये गये व 5 प्रकरणा. म. धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारिया. को प्रतिवेदन, मय सिफारिश प्रेषित किये गये। इस प्रकार उक्त अवधि म. कुल 42 प्रारम्भिक जाँच प्रकरणा. का निस्तारण किये जाने के पश्चात् दिनांक 31.03.15 को 30 प्रकरणा. म. ही प्रारम्भिक जाँच लम्बित रहीं।

(2) **दिनांक 01.4.14 से 31.03.15 तक की कालावधि में माथुर आयोग से स्थानान्तरित प्रकरणा. से सम्बन्धित प्रारम्भिक जाँच प्रकरणा. का विवरण:-**

परिशिष्ट-2.4 के अनुसार दिनांक 31.03.14 को माथुर आयोग से स्थानान्तरित होकर प्राप्त पत्रावलिया. म. से एक प्रकरण म. प्रारम्भिक जाँच लम्बित थी। दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 की कालावधि म. एक अन्य प्रकरण म. प्रारम्भिक जाँच संस्थित की गई। इस प्रकार कुल 02 प्रारम्भिक जाँच प्रकरणा. म. से उक्त कालावधि म. एक प्रकरण, अभिकथन सिद्ध न होने के कारण नस्तीबद्ध करने पर दिनांक 31.03.15 को एक प्रकरण म. प्रारम्भिक जाँच लम्बित रही।

2.3 अन्वेषण के प्रकरण

(1) **दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक की कालावधि के अन्वेषण प्रकरण:-**

इस कालावधि म. लम्बित, संस्थित एवं निस्तारित अन्वेषण प्रकरणा. का विवरण परिशिष्ट-2.5 म. दिया गया है जिसके अनुसार दिनांक 31.03.14 को कुल 08 प्रकरणा. म. अन्वेषण लम्बित था। दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक की कालावधि म. 22 और प्रकरणा. म. अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार कुल 30 अन्वेषण प्रकरणा.

म. से उक्त कालावधि म. एक प्रकरण अभिकथन सिद्ध न होने के कारण नस्तीबद्ध किया गया, 02 प्रकरण अन्य कारणा. से नस्तीबद्ध किये व अन्य 02 प्रकरणा. म. धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारिया. को प्रतिवेदन मय सिफारिश प्रेषित किये गये। इस प्रकार प्रतिवेदनाधीन अवधि म. कुल 05 अन्वेषण प्रकरणा. का निस्तारण किये जाने के पश्चात् दिनांक 31.03.15 को 25 प्रकरणा. म. अन्वेषण लम्बित रहा।

2.4 धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारिया. को प्रेषित अनुशंसा प्रतिवेदन

(1) दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक की कालावधि म. प्रेषित प्रतिवेदनः-

परिशिष्ट-2.6 के अनुसार इस कालावधि म. कुल 09 प्रकरणा. (05 प्रारम्भिक जाँच प्रकरण, 02 अन्वेषण प्रकरण व 02 तथ्यात्मक प्रतिवेदन) म. धारा 12(1) के अधीन सक्षम प्राधिकारिया. को प्रतिवेदन मय अनुशंसा प्रेषित किये गये। इनम. माथुर आयोग से स्थानान्तरित होकर आया एक प्रकरण भी सम्मिलित है। इनका संक्षिप्त विवरण अध्याय-3 म. दिया गया है।

(2) दिनांक 01.04.2007 से 31.03.2014 तक की कालावधि म. प्रेषित प्रतिवेदनः-

इस कालावधि म. अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन प्रेषित किये गये प्रतिवेदना. एवं उनम. की गई सिफारिशा. पर अपेक्षित कार्यवाही/सक्षम प्राधिकारिया. द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शित करने वाले प्रकरणा. का विवरण परिशिष्ट-2.7 म. दिया गया है। इनका विस्तृत विवरण पूर्व के प्रतिवेदना. म. दिया जा चुका है।

2.5 विशेष प्रतिवेदन

(1) दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 की कालावधि म. माननीय राज्यपाल महोदय को किसी प्रकरण म. विशेष प्रतिवेदन प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं पाई गई। पूर्व म. प्रेषित किये गये विशेष प्रतिवेदना. एवं उनके संबंध म. की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट–2.8 म. दिया गया है।

2.6 इस सचिवालय द्वारा निस्तारित कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रकरण

(1) दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक की कालावधि म. लोकायुक्त सचिवालय द्वारा निस्तारित प्रकरणा. म. से कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रकरणा. का विवरण अध्याय–4 म. दिया गया है।

2.7 इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् विभागा. द्वारा की गई विभागीय कार्यवाहिया. के प्रकरण

(1) दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक की कालावधि म. 96 विभिन्न प्रकरणा. म. 194 विभिन्न लोक सेवकगण के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियां प्रारम्भ/निर्णीत की गई, जिनका विभागवार संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट–2.9 म. तथा इनम. से अधिसंख्य प्रकरणा. का विस्तृत विवरण अध्याय–5 म. दिया गया है।

2.8 इस सचिवालय की कार्यवाही के पश्चात् परिवादीगण को प्राप्त अनुतोष के प्रकरण

(1) दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक की कालावधि म. 203 प्रकरणा.

म. परिवादीगण को अनुतोष प्राप्त हुआ जो संस्था के इतिहास म. सर्वाधिक है। अनुतोष प्रदान किये गये प्रकरणा. का विभागवार संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट–2.10 म. तथा इनम. अधिसंख्य प्रकरणा. का विस्तृत विवरण अध्याय–6 म. दिया गया है।

परिशिष्ट–2.1

दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक की कालावधि की कुल शिकायता. का विवरण

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	दिनांक 31.03.14 को लम्बित शिकायतें	दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक प्राप्त शिकायतें	योग कॉलम 1 व 2	दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक निस्तारित शिकायतें	दिनांक 31.03.15 को लम्बित रही शिकायतें (3-4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	कृषि	11	25	36	25	11
3	पुलिस	183	719	902	598	304
4	सहकारिता	12	52	64	49	15
5	शिक्षा	86	185	271	189	82
6	कॉलेज शिक्षा	3	25	28	19	9
7	खाद्य एवं आपूर्ति	13	50	63	39	24
8	चिकि. एवं स्वा.	42	119	161	71	90
9	सा.नि.वि.	10	39	49	26	23
10	विद्युत कम्पनियां	27	161	188	123	65
11	राजस्व	267	654	921	503	418
12	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	197	545	742	476	266
13	अकाल एवं राहत	0	1	1	1	0
14	यातायात	9	30	39	21	18
15	वन	20	31	51	26	25
16	यूडीएच/जविप्रा/एल. एस.जी.	455	881	1336	519	817
17	जनसम्पर्क	0	2	2	2	0
18	आबकारी	7	53	60	44	16
19	उद्योग	9	26	35	24	11
20	मुद्रण एवं लेखन	0	1	1	0	1
21	पशुपालन	7	8	15	10	5
22	माथुर आयोग से स्थानान्तरित	1089	0	1089	289	800

23	सिंचाई	19	29	48	28	20
24	इं.गा.नहर परि.	0	3	3	0	3
25	राणा प्र. सागर/जवाहर सागर	0	0	0	0	0
26	उपनिवेशन	3	2	5	1	4
28	न्याय	2	21	23	23	0
29	जेल	0	3	3	3	0
30	श्रम	1	8	9	5	4
31	पी.एच.ई.डी.	28	59	87	43	44
32	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	19	55	74	38	36
33	भू-प्रबन्ध	3	6	9	4	5
34	सचिवालय	10	25	35	19	16
35	विविध	138	463	601	402	199
40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	5	11	16	8	8
41	आयुर्वेद	4	7	11	9	2
42	देवस्थान	6	26	32	16	16
43	रा.रा.प.प.निगम	0	19	19	18	1
44	वाणिज्यिक कर	4	6	10	8	2
45	खान एवं भूविज्ञान	28	42	70	43	27
46	संस्कृत शिक्षा	2	6	8	6	2
47	बीमा एवं प्रा.निधि	4	25	29	17	12
48	तकनीकी शिक्षा	6	10	16	11	5
योगः-		**2729**	**4433**	**7162**	**3756**	**3406**

परिशिष्ट–2.2

दिनांक 01.04.1979 से 31.03.15 तक की कालावधि में प्राप्त, निस्तारित व लम्बित शिकायता. का विवरण

अवधि	वर्ष प्रारम्भ म. लम्बित शिकायतें	वर्ष म. प्राप्त शिकायतें	कुल शिकायतें	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतें	वर्षान्त म. लम्बित रही शिकायतें
01.04.1979 से 31.03.1980	521	231	752	313	438
01.04.1980 से 31.03.1981	438	318	756	360	396
01.04.1981 से 31.03.1982	396	240	636	328	308
01.04.1982 से 31.03.1983	308	263	571	163	412
01.04.1983 से 31.03.1984	412	229	641	.	641
01.04.1984 से 31.03.1985	641	371	1012	834	178
01.04.1985 से 31.03.1986	178	340	518	270	248
01.04.1986 से 31.03.1987	248	106	354	161	193
01.04.1987 से 31.12.1987	193	81	274	190	84
01.01.1988 से 30.06.1989	84	698	782	614	168
01.07.1989 से 31.12.1989	168	236	404	206	198

01.01.1990 से 31.08.1993	198	1795	1993	1675	318
01.09.1993 से 31.03.1996	318	1411	1729	1446	283
01.04.1996 से 31.03.1997	283	623	906	728	178
01.04.1997 से 31.03.1998	178	577	755	629	126
01.04.1998 से 31.03.1999	126	430	556	455	101
01.04.1999 से 31.03.2000	101	402	503	249	254
01.04.2000 से 31.03.2001	254	1101	1355	535	820
01.04.2001 से 31.03.2002	820	1648	2468	977	1491
01.04.2002 से 31.03.2003	1491	1934	3425	2341	1084
01.04.2003 से 31.03.2004	1084	1369	2453	1627	826
01.04.2004 से 26.11.2004	826	1246	2072	1188	884
27.11.2004 से 31.03.2005	884	456	1340	.	1340
01.04.2005 से 31.03.2006	1340	1037	2377	.	2377
01.04.2006 से 30.04.2007	2377	517	2894	.	2894
01.05.2007 से 31.03.2008	2894	1267	4161	3040	1121
01.04.2008 से 31.03.2009	1121	1246	2367	1357	1010
01.04.2009 से 31.03.2010	1010	1147	2157	1307	850

01.04.2010 से 31.03.2011	850	1408	2258	1401	857
01.04.2011 से 31.03.2012	857	3495	4352	1846	2506
01.4.2012 से 31.03.2013	2506	1393	3899	96	3803
01.04.2013 से 31.03.2014	3803	2854	6657	3928	2729
01.04.2014 से 31.03.2015	2729	4433	7162	3756	3406

परिशिष्ट–2.3

दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक की कालावधि में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर संस्थित किये गये प्रकरणा. का विवरण

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	उत्तरदायी लोकसेवक
1	3(8)2014	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 28.3.2014 को प्रकाशित समाचार ''थाने म. जब्त गाड़िया. म. आग लगी, बुझाने के लिए दौड़ते रहे पुलिस वाले एवं जाँच की चाल धीमी, गाड़ियां हुई कबाड़ और थाने बने गोदाम'' बाबत।	पुलिस अधिकारीगण, जयपुर
2	8(2)2014	दैनिक भास्कर म. दिनांक 01.4.2014 को प्रकाशित समाचार ''10 करोड़ की मशीन एक भी मरीज को थैरेपी नहीं'' बाबत।	चिकित्सा विभाग के अधिकारीगण
3	18(2)2014	दैनिक भास्कर अखबार म. दिनांक 03.4.2014 को प्रकाशित समाचार ''फिर से वहीं दुकान खुलते देख भड़के लोग एवं शराब की दुकाना. के विरोध म. जयन्ती बाजार बन्द'' बाबत।	आबकारी विभाग के अधिकारी
4	8(4)2014	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 09.4.2014 को प्रकाशित समाचार ''सस्ते इलाज को महंगा बना रहे हैं कुछ डॉक्टर, एस.एम.एस. अस्पताल निजी दवा की दुकानों पर जमा होते हैं पैसे, सीधा ओटी में पहुंचता है सामान'' बाबत।	चिकित्सा विभाग के अधिकारीगण
5	15(2)2014	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 09.4.2014 को प्रकाशित समाचार ''करोड़ा. की वन भूमि पर राता. रात दीवार, भूतेश्वर वन क्षेत्र म. नहीं थम रहा अतिक्रमण'' बाबत।	वन विभाग के अधिकारीगण

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	उत्तरदायी लोकसेवक
6	35(16)2014	दैनिक भास्कर म. दिनांक 21.4.2014 को प्रकाशित समाचार ''सांसद निधि का पैसा कर दिया निजी उद्योगा. पर खर्च'' बाबत।	जिला कलेक्टर, अजमेर आदि
7	12(20)2014	दैनिक भास्कर म. दिनांक 21.4.2014 को प्रकाशित समाचार ''सी.आई.डी.,एस.एच.ओ. एवं हैडमास्टर भी नरेगा म. मजदूर, गोगुन्दा की पड़ावली कला पंचायत म. सरकारी कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधिया. ने भी बनवा लिए जॉब कार्ड'' बाबत।	ग्राम पंचायत, गोगुन्दा, उदयपुर के लोक सेवकगण
8	31(2)2014	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 24.4.2014 को प्रकाशित समाचार ''बोर्ड लगाकर भी बेवफाई - करोड़ा. खर्च किए, अपनी सम्पत्ति होने का बोर्ड भी लगाया, फिर भी उम्मेद सागर को अपना मानने को तैयार नहीं जलदाय विभाग'' बाबत।	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के अधिकारीगण
9	3(47)2014	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 15.5.2014 को प्रकाशित समाचार ''बधाई की आड़ म. करोड़ों की सम्पत्ति और दबंगई का साम्राज्य'' बाबत।	पुलिस अधिकारीगण, जयपुर
10	34(3)2014	सचिवालय द्वारा कार्मिक विभाग म. विभिन्न अधिकारिया. के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाहिया. व जाँचा. में विलम्ब की जाँच बाबत।	कार्मिक विभाग के अधिकारीगण
11	6(3)2014	समाचार पत्र म. प्रकाशित समाचार ''जर्जर भवन में परीक्षा, सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्या महाविद्यालय, दो कक्षा. में प्रतिबन्ध के बावजूद परीक्षा'' बाबत।	कॉलेज शिक्षा विभाग के अधिकारीगण

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	उत्तरदायी लोकसेवक
12	10(26)2014	दैनिक भास्कर म. दिनांक 27.5.2014 को प्रकाशित समाचार ''एक ही दिन में. ली तीन पदोन्नतियां'' बाबत।	अजमेर विद्युत् वितरण निगम, अजमेर के अधिकारीगण
13	9(5)2014	दैनिक भास्कर म. दिनांक 30.5.2014 को प्रकाशित समाचार ''नेताआ. की सिफारिश के बूते ट्रान्सफर के बाद भी सरकारी आवासा. पर जमा रखा है कब्जा'' बाबत।	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर के अधिकारीगण
14	10(25)2014	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 3.6.2014 को प्रकाशित समाचार ''कबाड़ हो रही जनता की सी.एफ.एल.'' बाबत।	विद्युत् वितरण निगम के अधिकारीगण
15	34(5)2014	दैनिक भास्कर म. दिनांक 12.6.2014 को प्रकाशित समाचार ''भ्रष्टाचार से घिरे दो दर्जन कार्मिका. के तो आ गए अच्छे दिन'' बाबत।	शासन सचिवालय के अधिकारीगण
16	3(107)2014	टाइम्स ऑफ इंडिया म. दिनांक 13.6.2014 को प्रकाशित समाचार ''अजमेर पुलिस के एक अधिकारी एवं दो कांस्टेबला. द्वारा गैंगरेप करने'' बाबत।	पुलिस अधिकारीगण, अजमेर
17	3(113)2014	दैनिक भास्कर म. दिनांक 22.06.2014 को प्रकाशित समाचार ''डी.जी. के आदेश पर भी नहीं जमा हुई घोटालों की राशि'' बाबत।	गृहरक्षा दल के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण जयपुर
18	16(150)2014	दैनिक भास्कर म. दिनांक 24.6.2014 को प्रकाशित समाचार ''फ्लैट खरीददारा. को सुरक्षा देने म. एम.पी., बिहार हमसे आगे'' बाबत।	जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	उत्तरदायी लोकसेवक
19	45(12)2014	द टाइम्स आफ इण्डिया म. दिनांक 9.7.2014 को प्रकाशित समाचार ''राजस्थान सरकार द्वारा पाली म. जारी किये गये 10 खनन पट्टे'' बाबत।	खान विभाग के अधिकारीगण
20	16(280)2014	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 20.7.2014 को प्रकाशित समाचार ''बिकने की कतार म. हैं कई बंगले'' बाबत।	राजस्थान आवासन मण्डल के अधिकारीगण
21	8(43)2014	दैनिक राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 20.7.14 एवं 21.7.2014 को प्रकाशित समाचार ''पीपीपी म. 290.16 करोड़ का घोटाला एवं गड़बड़िया. का पिटारा मानस पीपीपी'' बाबत।	चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारीगण
22	16(248)2014	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 22.7.2014 को प्रकाशित समाचार ''ज्यादा भुगतान कर फंसे 30 अफसर एवं सर्वे के नाम पर भुगतान म. अनियमितता की जाँच होगी'' बाबत।	जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण
23	8(38)2014	टाइम्स ऑफ इण्डिया म. दिनांक 24.7.2014 को प्रकाशित समाचार ''अस्पताला. द्वारा की जा रही बायो मेडिकल कचरे के निस्तारण के नियमा. की अवहेलना'' बाबत।	चिकित्सा विभाग के अधिकारीगण
24	12(113)2014	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 24.7.2014 को प्रकाशित समाचार ''सोलर लाइट्स खरीद म. 11 करोड़ का घोटाला'' बाबत।	पंचायतीराज विभाग के अधिकारीगण
25	16(282)2014	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 25.7.2014 को प्रकाशित समाचार ''सफाई ठेका देने में सरकारी खाते से 70 लाख साफ'' बाबत।	नगर निगम, भरतपुर के अधिकारीगण

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	उत्तरदायी लोकसेवक
26	14(11)2014	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 26.7.2014 एवं 27.7.2014 को प्रकाशित समाचार ''मंत्री की सिफारिश पर तोड़ दिये नियम एवं वी.आई.पी. नम्बर म. समझौते का खेल''	आर.टी.ओ. एवं डी.टी.ओ., जयपुर।
27	8(40)2014	टाइम्स ऑफ इण्डिया म. दिनांक 28.07.14 को प्रकाशित समाचार ''108 एम्बूलेन्स के पास औजार तो हैं परन्तु मानव शक्ति नहीं'' बाबत।	चिकित्सा विभाग के अधिकारीगण
28	10(48)2014	दैनिक भास्कर म. दिनांक 28.7.2014 को प्रकाशित समाचार ''रोस्टर स्विच खरीद म. लाखा. का घोटाला'' बाबत।	अजमेर विद्युत् वितरण निगम के अधिकारीगण
29	16(307)2014	नेशनल दुनिया समाचार पत्र म. दिनांक 30.7.2014 को प्रकाशित समाचार ''बनना था अमेरिका के सेरीटॉस सेन्टर जैसा, बनकर रह गया मैरिज गार्डन'' बाबत।	जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण
30	16(306)2014	दैनिक भास्कर म. दिनांक 3.8.2014 को प्रकाशित समाचार ''एक ही काम के लिए दो बार भुगतान'' बाबत।	नगर निगम, जयपुर के अधिकारीगण
31	40(7)2014	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 11.8.2014 को प्रकाशित समाचार ''सी.ई.ओ. को 15 लाख देने जा रहा एक्स.ई.एन. गिरफ्तार'' एवं अन्य प्रकाशित समाचार बाबत।	नगर निगम, जयपुर एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारीगण
32	34(7)2014	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 12.8.2014 को प्रकाशित समाचार ''डेढ़ घण्टे म. जोड़ा मंत्री के करीबी का कनेक्शन, बकाया न देने पर कटा कनेक्शन मंत्री ने जुड़वाया''	ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	उत्तरदायी लोकसेवक
33	35(170)2014	राजस्थान पत्रिका मे. दिनांक 19.08.2014 को प्रकाशित समाचार ''पेयजल के साथ सीवर का पानी, परकोटे की हर गली मे. है ऐसे हालात, करीब 500 से ज्यादा प्वॉइंट, लोगा. का जीना मुहाल'' बाबत।	नगर निगम एवं जलदाय विभाग, जयपुर के अधिकारीगण
34	3(293)2014	दैनिक भास्कर म. दिनांक 23.8.2014 को प्रकाशित समाचार ''एक साल म. युवती ने दर्ज कराये रेप के 5 केस'' बाबत।	पुलिस विभाग के अधिकारीगण
35	10(55)2014	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 26.8.2014 को प्रकाशित समाचार ''लाखा. की हेर फेर अपना. का बचाव'' बाबत।	विद्युत वितरण निगम के अधिकारीगण
36	3(309)2014	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 07.09.2014 को प्रकाशित समाचार ''घर के बाहर कार पार्किंग तो नोटिस'' बाबत।	यातायात विभाग के अधिकारीगण
37	16(403)2014	दी टाइम्स ऑफ इण्डिया म. दिनांक 08.09.2014 को प्रकाशित समाचार ''अतिक्रमित भूमि निम्स को आवंटित'' करने बाबत।	जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण
38	8(60)2014	दैनिक भास्कर म. दिनांक 30.09.2014 को प्रकाशित समाचार ''सरकार खरीदकर भूल गई 100 एम्बुलेन्स, भास्कर ने ढूंढ निकाली'' बाबत।	चिकित्सा विभाग के अधिकारीगण
39	35(358)2014	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 19.11.2014 को प्रकाशित समाचार ''शाही सफर म. 14 करोड़ की चपत'' बाबत।	आर.टी.डी.सी. के अधिकारीगण
40	14(17)2014	परिवहन विभाग के कर्मचारिया. एवं अधिकारिया. द्वारा भ्रष्टाचार करने बाबत।	यातायात विभाग के अधिकारीगण

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	उत्तरदायी लोकसेवक
41	18(48)2014	दिनांक 16.12.2014 को दैनिक नवज्योति अखबार म. प्रकाशित समाचार ‘‘अतिरिक्त आबकारी कमिश्नर की दरियादिली’’ बाबत।	आबकारी विभाग, सिरोही के अधिकारीगण
42	3(567)2014	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 22.12.2014 को प्रकाशित समाचार ‘‘नेताआ. पर जाँच की कछुआ चाल’’ बाबत।	पुलिस विभाग के अधिकारीगण
43	8(96)2014	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 02.01.2015 को प्रकाशित समाचार ‘‘इंजेक्शन खरीद म. गड़बड़ी’’ बाबत।	चिकित्सा विभाग के अधिकारीगण
44	16(705)2014	दैनिक भास्कर म. दिनांक 06.01.2015 को प्रकाशित समाचार ‘‘जाँच म. फेल सड़का. की रिपोर्ट भी नहीं ले रहा जेडीए’’	जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण
45	16(697)2014	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 07.01.2015 को प्रकाशित समाचार ‘‘यहां दो दिन म. ही अलग हो गई डामर रोड़ी’’ बाबत।	जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण
46	16(701)2014	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 07.01.2015 को प्रकाशित समाचार ‘‘सड़का. पर मिलीभगत के पैबन्द’’ बाबत।	जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण
47	8(100)2014	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 20.1.2015 को प्रकाशित समाचार ‘‘दवा ही नहीं, लोकल फण्ड भी गायब’’ बाबत।	चिकित्सा विभाग के अधिकारीगण
48	35(388)2014	दैनिक भास्कर म. दिनांक 22.01.2015 को प्रकाशित समाचार ‘‘पहली पत्नी के दस्तावेजों से जीती दूसरी, सरपंच कौन?’’	सवाईमाधोपुर चुनाव विभाग के अधिकारीगण
49	3(605)2014	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 20.01.2015 को प्रकाशित समाचार ‘‘अवैध वसूली का खेल 40 करोड़ रूपये महीना’’ बाबत।	पुलिस विभाग के अधिकारीगण

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	उत्तरदायी लोकसेवक
50	3(626)2014	दैनिक भास्कर म. दिनांक 22.01.2015 को प्रकाशित समाचार ''पहली पत्नी के दस्तावेजों से जीती दूसरी सरपंच कौन'' बाबत।	पुलिस विभाग के अधिकारीगण
51	16(802)2014	दिनांक 12.02.2015 को राजस्थान पत्रिका म. प्रकाशित समाचार ''जेडीए, नगर निगम अधिकारी नोटिस देकर कर रहे खानापूर्ति, मिलीभगत से अवैध निर्माण का खेल'' बाबत।	जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम, जयपुर के अधिकारीगण
52	16(801)2014	दिनांक 17.02.2015 को राजस्थान पत्रिका म. प्रकाशित समाचार ''मुआवजे में दी जमीन की मिट्टी से ठेकेदार बना रहा रिंग रोड़'' बाबत।	जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण
53	16(803)2014	दिनांक 19.02.2015 को राजस्थान पत्रिका म. प्रकाशित समाचार ''प्लाट पर तीन आवेदन, तीसरे को दिया पट्टा'' बाबत।	जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण
54	10(153)2014	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 27.02.2015 को प्रकाशित समाचार ''ज्यादा वसूला पैसा, लौटाने म. भी कर रहे आनाकानी'' बाबत।	विद्युत वितरण निगम के अधिकारीगण
55	10(154)2014	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 27.02.2015 को प्रकाशित समाचार ''मार्च के बिजली बिल म. होगा 40 प्रतिशत तक ज्यादा करण्ट एवं नई रेट और फ्यूएल सरचार्ज जुड़ेगा एक साथ, मीटरा. में तारीख से उपभोग की गणना का सिस्टम नहीं, केवल अन्दाजन फरवरी की रीडिंग जोड़ी जायेगी''	विद्युत वितरण निगम के अधिकारीगण

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	उत्तरदायी लोकसेवक
56	31(60)2014	डेली न्यूज म. दिनांक 04.03.2015 को प्रकाशित समाचार ''बिजली चोरी की ही एफ.आई.आर. दर्ज एवं सरकारी पानी से खेती एवं अवैध बिजली कनेक्शन''	जलदाय विभाग के अधिकारीगण, चाकसू, जयपुर
57	45(40)2014	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 13.03.2015, 14.03.2015, 16.03.2015 एवं 17.03.2015 को प्रकाशित समाचार ''लगा 600 करोड़ का चूना, चारा. कम्पनिया. को एक ही दिन म. आवंटन, 500 छोटी खानों का भी आवंटन एवं केन्द्र अध्यादेश जारी कर रहा था, तब राजस्थान म. हो रहा था खान आवंटन''	खान विभाग के अधिकारीगण
58	16(869)2014	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 20.03.2015 को प्रकाशित समाचार ''फ्लाई ओवर के नीचे पसरा अतिक्रमण'' बाबत।	जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण

परिशिष्ट–2.4

दिनांक 01.4.14 से 31.3.15 तक की कालावधि के प्रारम्भिक जाँच प्रकरणा. का विवरण

क्र.सं.	विवरण	लोकायुक्त सचिवालय	माथुर आयोग	कुल संख्या
1.	दिनांक 31.3.14 को लम्बित	**45**	**1**	**46**
2.	दिनांक 01.4.14 से 31.3.15 तक की अवधि म. संस्थित	25	1	**26**
3.	योग (पंक्ति संख्या 1 व 2)	**70**	**2**	**72**
4.	अभिकथन सिद्ध नहीं होने के आधार पर नस्तीबद्व	11	1	**12**
5.	विभाग द्वारा पहले ही कार्यवाही प्रारम्भ कर दिये जाने के आधार पर नस्तीबद्व	2	.	**2**
6.	अन्वेषण के पर्याप्त आधार विनिर्मित होना नहीं पाये जाने के आधार पर नस्तीबद्व	5	.	**5**
7.	अन्य कारणा. से नस्तीबद्व	3	.	**3**
8.	अन्वेषण म. स्थानांतरित	15	.	**15**
9.	सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) म. प्रेषित किये गये	5	.	**5**
10.	**निस्तारित कुल प्रारम्भिक जाँच (योग पंक्ति सं 4-9)**	**41**	**1**	**42**
11.	**दिनांक 31.3.15 को लम्बित प्रारम्भिक जाँच**	**29**	**1**	**30**

परिशिष्ट–2.5

दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक की कालावधि के अन्वेषण प्रकरणा. का विवरण

क.सं.	विवरण	लोकायुक्त सचिवालय	माथुर आयोग	कुल संख्या
1.	दिनांक 31.03.14 को लम्बित	8	.	8
2.	दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक की कालावधि म. संस्थित	22	.	22
3.	योग (पंक्ति संख्या 1 व 2)	**30**	**.**	**30**
4.	अभिकथन सिद्ध नहीं होने के आधार पर नस्तीबद्ध	1	.	1
5.	सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) म. प्रेषित किये गये	2	.	2
6.	अन्य कारणा. से नस्तीबद्ध	2	.	2
7.	**निस्तारित कुल अन्वेषण** **(योग पंक्ति संख्या 4–6)**	5	.	5
8.	**दिनांक 31.03.15 को लम्बित अन्वेषण**	**25**	**.**	**25**

परिशिष्ट–2.6

दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक की कालावधि के धारा 12(1) के अधीन प्रेषित प्रतिवेदन

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोक सेवक का नाम एवं पदनाम	आरोप/अभिकथन का संक्षिप्त विवरण	सक्षम प्राधिकारी जिसे प्रतिवेदन भेजा गया मय दिनांक	सिफारिश सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण
1	22(87)11 FR Consolidated Report of Files 22(63)11 22(66)11 22(69)11 22(71)11 22(74)11 22(76)11 22(81)11 22(83)11 22(85)11 22(87)11 22(90)11 22(92)11 22(102)11 22(103)11 22(105)11 22(112)11	-NIL-	During the scrutiny of these files it was found that these files contained the applications of various builders to approve their building plans in contravention of normal building Bye Laws 2000 and all these files were referred by JDA to the Government and the Government used its discretionary powers under rule 6.6, 6.7, 6.9, 8.8 of JDA Building Bye Laws, 2000 to allow relaxations in FAR, Set Backs, Parking,	Chief Secretary, Government of Rajasthan Dt.25.06.14	सिफारिशः– (1) The provisions as per the National Building Code may be followed for setbacks. (2) Provision of parking in JDA building bye laws is on the basis of FAR. This can be on the basis of built up area. (3) The provision of fire safety should be made mandatory for all public buildings. (4)Provision for restriction on construction of flats on smaller plots and on roads of less than 18 meter needs to be incorporated in Bye Laws. (5) Provision for restriction on hostels, guest houses, lodges and commercialization of residential plots shall be made in Bye Laws. (6) Provisions for relaxation in parameters for height, setbacks and FAR etc. shall be based on merit and it should

			Basements, etc		not be unlimited but based on fair assessment of the request. (7) Consideration of urban design while deciding norms for important roads of cities needs to be considered. (8) If more than one building block is proposed in one campus then Partial Completion Certificate of individual building blocks may be issued. No Completion Certificate shall be issued for part of a block. (9) A specific provision should be incorporated in the Bye Laws that the powers of the Government are to be exercised only upto the permissible limits of National Building Code and on the recommendations of a committee of experts, keeping in view the geography of the area. (10) The arbitrary powers existing in the Building Bye Laws of Rajasthan and JDA need to be brought at par with the Bye Laws of other Metropoliton cities and States. **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** A committee has been constituted vide order No.F.10(7)UDH/3

					/2009/Part-III Jaipur dated 2.10.14 for suggesting amendments in prevailing Building Byelaws but its Report is awaited.
2	16(189)11 PE	-निल-	बस स्टेण्ड, गजसिंहपुर के टिकिट बुकिंग कार्यालय पर नगरपालिका का स्वामित्व होते हुए भी उसे अवैध रूप से श्री सोहन लाल पुत्र लघाराम को आवंटित कर कब्जा करवाने।	निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर दि: 8.8.14	**सिफारिशः-** श्री सोहन लाल पुत्र लघाराम जाति अरोड़ा निवासी गजसिंहपुर/श्री हरनाम दास कोचर एवं उसके उत्तराधिकारीगण द्वारा बस स्टेण्ड पर बुकिंग ऑफिस पर किये गये अवैध निर्माण (न्यू कोचर ट्रेवल्स) एवं अतिक्रमण को नियमानुसार हटा कर तीन माह म. सचिवालय को सूचित किया जावे। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 2.1.15 के अनुसार बस स्टेण्ड पर किये गये अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण (न्यू कोचर ट्रेवल्स) को हटा दिया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख नगरपालिका, गजसिंहपुर म. जमा करवा दिये गये हैं तथा प्रकरण का प्रथमदृष्टया परीक्षण किये जाने पर कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की पालना म. की गई कार्यवाही के उपरान्त इस प्रकरण को दिनांक 02.03.15

					को नस्तीबद्ध कर परिवादी को सूचित कर दिया गया है।
3	19(7)12 PE	-निल-	मैसर्स एल.सी. इण्डस्ट्रीज, चम्बल औद्योगिक क्षेत्र, कोटा को आवंटित भूखण्ड सं. जी-40 (ए) के अलावा सड़क एवं भूखण्ड संख्या एच-39 बी के कुछ भाग 608.50 वर्ग मीटर पर अवैध रूप से किये गये कब्जे को नहीं हटाकर विधि विरूद्ध अतिक्रमण को बनाए रखकर रीको को करोड़. रूपया. की क्षति पहुंचायी।	चैयरमैन, रीको, जयपुर अतिरिक्त मुख्य सचिव (इन्फ्रास्ट्रक्चर), जयपुर दि: 08.10.14	**सिफारिशः-** 1. मैसर्स एल.सी. इण्डस्ट्रीज, चम्बल औद्योगिक क्षेत्र, कोटा द्वारा उसे आवंटित भूखण्ड के अलावा सड़क एवं भूखण्ड संख्या एच 39 बी के 608.50 वर्ग मीटर भू-भाग पर किये अतिक्रमण को नियमानुसार हटाकर सचिवालय को तीन माह म. सूचित किया जावे। 2. मैसर्स एल.सी. इण्डस्ट्रीज, चम्बल औद्योगिक क्षेत्र, कोटा द्वारा रीको के अतिक्रमित भू-भाग के अनाधिकृत उपयोग-उपभोग का नियमानुसार आंकलन कर शास्ति राशि की तीन माह म. वसूली कर सचिवालय को सूचित किया जावे। 3. स्पष्ट आरोप व निर्देशा. के बावजूद अब तक अतिक्रमण न हटाने वाले अधिकारिया. को चिन्हित कर उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाकर तीन माह म. इस सचिवालय को सूचित किया जावे। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के पत्र दिनांक 10.03.15 के अनुसार मैसर्स एल.सी. रबर इण्डस्ट्रीज, चम्बल औद्योगिक क्षेत्र, कोटा द्वारा आवंटन से अतिरिक्त भू-भाग क्षेत्रफल 608.50 वर्गमीटर पर किये गये अतिक्रमण को

					स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस की सहायता से दिनांक 28.02.14 हटा दिया गया है। वर्ष 1988 से अतिक्रमण हटाने की तिथि तक अतिक्रमित भूमि क्षेत्रफल 608.50 वर्गमीटर के किये गये उपयोग-उपभोग के लिए नियमानुसार आकलन कर शास्ति राशि 15,84,685/- रूपये जमा कराने हेतु आवंटी को नोटिस दिनांक 16.02.15 दिया गया था जो राशि आवंटी द्वारा अभी तक जमा नहीं करवाई गई है। इस सम्बन्ध म. सक्षम प्राधिकारी को उक्त राशि जमा करवाये जाने की प्रगति से अवगत करवाने हेतु लिखा गया है।
4	5(13)13 Inv.	श्री दिनेश चौहान, उप जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. सिरोही (कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि.) सिरोही, (राजस्थान)	सांवलिया विद्यामन्दिर, वेलांगरी का निरीक्षण कर मान्यता के सम्बन्ध म. दो प्रतिवेदन तैयार करने, जिनमें प्रथम प्रतिवेदन म. मान्यता देना उचित नहीं होना एवं उसी दिन द्वितीय प्रतिवेदन म. मान्यता दिये जाने की अभिशंषा करना तथा परशुराम गुरूकुल विद्यालय, कोजरा को उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता देने हेतु निरीक्षण कर बिना दिनांक के हस्ताक्षर कर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना जब कि उस	प्रभारी मन्त्री, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग दि: 27.11.14	**सिफारिश:-** राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत वृहद् शास्ति से दण्डित करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण:-** सिफारिश की पालना म. की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

			दिन उपस्थिति पंजिका म. गांव नादिया की सरकारी यात्रा दर्शाई गई।		
5.	16(120)12 PE	-निल-	गीतांजलि फाउण्डेशन द्वारा सैट बैक क्षेत्र म. अवैध रूप से मोर्चरी, ए.टी.एम. तथा मैनीफोल्ड का निर्माण करवाने।	सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर दि:27.11.14	**सिफारिशः-** मैसर्स गीतांजलि फाउण्डेशन, उदयपुर को नोटिस देकर उनके द्वारा निर्माण अनुमति के विपरीत, सैट बैक क्षेत्र म. बनाये गये ए.टी.एम., मोर्चरी व मैनीफोल्ड व अन्य निर्माण कोई हो तो, नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करें तथा तहसीलदार के यहाँ लम्बित प्रकरण संख्या 170/2014 के आदेश दिनांक 04.07.2014 की पालना म. प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सड़क पर फाउण्डेशन द्वारा किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध म. आदेशानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर तीन माह म. सूचित करें। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** सिफारिश की पालना म. की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।
6	8(6)14 FR	-निल-	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन द्वारा मैसर्स क्लारिस ओटसुका लिमिटेड के साथ मिलीभगत करके टेण्डर की शर्तो एवं राजस्थान लोक उपापन म. पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (Rajasthan	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर दि: 22.12.14	**सिफारिशः-** It was recommended that they must go through the object of the Act and in future in every tender that is floated by the company after the tender in question dated 24.8.2013, it must incorporate explanations in conditions 2(b), 2(c)

			Transparency in Public Procurement Act, 2012) की अवहेलना करने व इसी प्रकार पिछली बोली म. फर्जकारी म. शामिल रही मैसर्स पेन्टागोन लैब को अनुमति देने आदि		read with 5(m) and 5(n) about the meaning of market standing as a manufacturer and annual turn over, which they are going to accept and not keep it ambiguously worded, so that different firms/companies are not misguided. For this purpose it is proposed to suggest to them to form a committee to examine this aspect within 15 days and take a decision accordingly and thereafter float any tender. **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः–** Deputy Secretary to Government, Medical and Health (Gr.2), Government of Rajasthan vide his letter No.F.26(1)MH/2/14 dated 28.1.2015 has informed that Government has accepted the recommendation of the Committee formed by the RMSC in pursuance to this Sachivalaya's directions. As the competent authority complied with the recommendation made in this matter, the matter was closed on 04.02.2015.

7	19(4)11 PE	लोक सेवकगण, रीको	इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रियल एरिया, कोटा म. आदेश दिनांक 30.03.2001 द्वारा मैसर्स ओम मेटल्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड को रियायती दर पर आवंटित किये गये भूखण्ड सं. बी-117-118 पर फर्म द्वारा आवंटन की शर्तो का उल्लंघन कर मूल प्रयोजन के विरूद्ध आवासीय भवन बना कर अन्य को बाजार दर पर विक्रय करने तथा रीको के अधिकारिया. द्वारा फर्म के विरूद्ध कार्यवाही करने की बजाय नियमा. के विपरीत निर्णय लेकर आवासीय भवन बनाने की अनुमति देने आदि।	शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री दि: 01.01.2015	**सिफारिशः-** (1) श्री सी.पी. कोठारी को रीको का निदेशक नियुक्त करने से सम्बद्धता रखने वाले समस्त लोक सेवकों, मैसर्स ओम मेटल्स एण्ड मिनरल्स लि. को इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रियल एरिया, कोटा म. भूखण्ड आवंटित करने के मामले को डील करने वाले रीको के लोक सेवका. एवं आवंटन के समय रीको में नियुक्त रहे निदेशका. के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जावे तथा इसका अन्वेषण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को सुपुर्द किया जावे। (2) राज्य सरकार, राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 30 मार्च, 2001 द्वारा आवंटित किये गये भूखण्ड को तुरन्त प्रभाव से अपने कब्जे म. ले तथा सम्बन्धित राजस्व अधिकारी को अवैध कब्जेधारिया. के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु निदेशित करें और इस भूमि को जिस उद्देश्य हेतु निर्धारित किया गया था, उस मूल स्वरूप म. बहाल किया जावे। (3) राज्य सरकार का नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग नगर विकास न्यास, कोटा को आदेश दिनांक 30 मार्च, 2001 द्वारा आवंटित किये गये भूखण्ड पर किये गये प्रत्येक अवैध निर्माण को विकासकर्त्ता

					के खर्चे पर हटाने के लिए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के प्रावधाना. के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु निदेशित करें। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण:-** सिफारिश की पालना म. की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।
8	11(82)07 Inv.	श्री अशोक असीजा, तत्कालीन तहसीलदार एवं उप-पंजीयक, संगरिया, जिला हनुमानगढ़	परिवादी को परेशान करने के लिए आवासीय भू-खण्ड का विक्रय-पत्र क्रेतागण को जानबूझकर नहीं लौटाया एवं प्रकरण को कलेक्टर मुद्रांक, हनुमानगढ़ के यहाँ बिना किसी आधार के मनमाने तरीके से विधि के प्रावधाना. के विपरीत रेफर किया। कलेक्टर मुद्रांक, हनुमानगढ़ द्वारा रेफरन्स खारिज करने के पश्चात् पुन: मनमानी कार्यवाही करते हुए प्रकरण के सन्दर्भ म. कर बोर्ड, अजमेर म. निगरानी पेश की, जो भी खारिज की गयी तथा परिवादी के आवासीय भूखण्ड का मनमाने तरीके से व्यावसायिक म. पंजीकृत करने आदि	प्रभारी मंत्री महोदय, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर दि: 13.01.15	**सिफारिश:-** लोक सेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण:-** सिफारिश की पालना म. की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

9	3(148)13 PE	श्री वीरभान अजवानी, आई.पी.एस. तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी., अजमेर	स्थानान्तरण की एवज म. 10 हजार रूपये की रिश्वत प्राप्त करने, परिवादी पर दबाव डाल कर स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति लेने को मजबूर करने आदि।	सचिव, माननीय मुख्यमंत्री दि: 13.01.15	**सिफारिश:-** 1. इस मामले म. सक्षम स्तर पर यह निर्धारित करे कि तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग द्वारा लिखी गई प्रदर्श-44 टिप्पणी, जिसके आधार पर श्री वीरभान अजवानी, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी., अजमेर के विरूद्ध प्रस्तावित विभागीय जाँच को गलत तरीके से आरोप अप्रमाणित व आधारहीन मानते हुए ड्रॉप किया गया, के लिए एक माह म. समुचित विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लें तथा 2. श्री वीरभान अजवानी, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी., अजमेर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही को ड्रॉप किये जाने का निर्णय, जो तथ्या. के विपरीत किया गया, उसका इस जाँच म. आये समस्त तथ्या. के परिप्रेक्ष्य म. व श्री अजवानी के विरूद्ध की गई समस्त जाँचा. के परिप्रेक्ष्य म. पुनरावलोकन कर एक माह म. निर्णय लेकर अवगत कराव। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण:-** सिफारिश की पालना म. की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।
				अतिरिक्त महानिदेशक, रेलवे, राजस्थान, जयपुर	श्री महावीर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री वासुदेव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा श्री सौभाग सिंह, डिप्टी कमाण्डेन्ट की

				दि. 13.01.15	जाँच रिपोर्टो पर कार्यवाही का निर्णय लेकर एक माह में सूचित करें। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः–** सिफारिश की पालना म. की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

परिशिष्ट–2.7

दिनांक 01.04.2007 से 31.03.2014 तक की कालावधि म. अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन प्रेषित प्रतिवेदना. म. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित/की गई कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोक सेवक का नाम एवं पदनाम	आरोप/अभिकथन का संक्षिप्त विवरण	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन भेजा गया प्रतिवेदन भेजे जाने की दिनांक	सिफारिश सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण
1	11(39)2000	**श्री शिवदत्त गौड़,** तत्कालीन तहसीलदार, बाली **श्री जगदीश्वर दयाल,** पटवारी, भू-अभिलेख, तह. बाली, जिला पाली	परिवादी की भूमि को क्रय करने हेतु अनुचित दबाव डालने के लिये पेड़ काटने की गलत रिपोर्ट दर्ज करवाकर अनुचित अपहानि पहुँचाने के लिये	प्रभारी मंत्री, राजस्व विभाग शासन सचिव, राजस्व विभाग दिनांक 14.06.07	**सिफारिशः–**दोना. लोक सेवका. के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः–** जिला कलेक्टर, पाली के पत्र दिनांक 10.05.13 के अनुसार श्री जगदीश्वर दयाल को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है। कार्मिक विभाग के पत्र क्रमाँक:1(134) कार्मिक/क-3/2009 दिनांक 27.08.13 के अनुसार श्री शिवदत्त गौड़ तत्कालीन तहसीलदार एवं हाल आर.ए.एस. अधिकारी को आरोप प्रमाणित पाये जाने पर एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

2.	23(19) 2000 प्रा.जाँ.	**श्री मदन लाल मीणा, वरिष्ठ लिपिक, सिंचाई उपखण्ड, भंवरगढ़, जिला बारां।**	सेवापुस्तिका खो जाने म. लापरवाही बरतने एवं समर्पित अवकाशा. हेतु दुबारा आवेदन कर भुगतान प्राप्त करने के सम्बन्ध म. ही उक्त आदेश से दंडित किया गया जब कि उसके विरूद्ध अधिकारिया. के फर्जी हस्ताक्षर व रिकार्ड म. हेरा-फेरी कर सबूत नष्ट करने, वाउचरा. म. हेरा-फेरी कर राशि हड़प करने, स्टोर म. रहकर स्टोर का सामान गायब करने आदि के आरोप भी प्रमाणित पाये गये थे।	शासन सचिव, सिंचाई विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। दिनांक 14.06.07	**सिफारिशः**-लोक सेवक के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाते हुए अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई संभाग कोटा के आदेश क्रमाँकः अमुअ/सिं/डी.ई. /41/87/9719-24 दिनांक 16.06.03 को रिव्यू करके उचित दंडादेश पारित करें। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** सिफारिश की पालना म. की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।
3	42(5)1999	**श्री बनवारी लाल शर्मा,** तत्कालीन सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर। **श्री शिवभगवान राजपुरोहित,** तत्कालीन सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर। **श्री हरिओम शर्मा,** वरिष्ठ लिपिक,	श्री बनवारी लाल, तत्कालीन सहायक आयुक्त व श्री हरिओम शर्मा, व. लि. द्वारा जानबूझ कर वाँछित प्रतियां उपलब्ध नहीं करवाने व जवाबदेही से बचने के लिये पिछली तिथिया. म. नोटिंग जारी करने तथा श्री शिवभगवान राजपुरोहित द्वारा प्रन्यास के चुनाव म. पद का	प्रभारी राज्यमंत्री, देवस्थान विभाग, शासन सचिव, देवस्थान विभाग, दिनांक 20.06.07	**सिफारिशः**-सीसीए नियमा. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमाँकः एफ.2(9)देव/2007 दिनांक **05.07.2012** के अनुसार श्री हरिओम शर्मा को सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत की गई जाँच के पश्चात् दोषी पाये जाने पर दण्डादेश दिनांक 11.12.09 के द्वारा एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

		कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर।	दुरूपयोग व वित्तीय अनियमिताएं करने के संबंध में।		श्री बनवारी लाल सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्री शिव भगवान राजपुरोहित के विरूद्ध सीसीए नियम 17 की कार्यवाही को निर्णय दि. 09.06.11 के तहत् सेवानिवृत्त हो जाने व कोई वित्तीय हानि न होने के कारण ड्राप कर दिया गया है।
4	44(9)2000	**श्री पी.के.देव** आई.ए.एस. तत्कालीन आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।	अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग करते हुए न्यू मैजेस्टिक सिनेमा, अजमेर के मालिक को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए केवल मरम्मत के आधार पर ही नियम विरूद्ध तरीके से पाँच साल के लिए मनोरंजन कर म. छूट प्रदान कर राजकोष को हानि पहुँचाने के सम्बन्ध में।	माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान दिनांक 26.02.09	**सिफारिश:**-लोक सेवक के विरूद्ध पूर्ण विभागीय जाँच की जाये व मनोरंजन कर छूट प्रदान कर राजकोष को जो हानि पहुंचाई गई है, उसकी वसूली कर दण्डित किया जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण:-** सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही संतोषजनक नहीं पाये जाने पर दि: 23.02.10 को **माननीय राज्यपाल** को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।
5	11(198) 2002	**श्री समीर सिंह चन्देल** आई.ए.एस. तत्कालीन जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर।	श्री उदय सिंह व हुकुमराज को ग्राम सेवक व पदेन सचिव, ग्राम पंचायत के पदा. पर नियुक्ति दिलाने की एवज म. उदयसिंह के भाई सुमेर सिंह व हुकुमराज से एक-एक लाख रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान दिनांक 05.03.09	**सिफारिश:**-भारी शास्ति से दण्डित किये जाने हेतु अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये व आरोपा. की गंभीरता को देखते हुए निलम्बित किया जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण:-** सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही संतोषजनक नहीं पाये जाने पर दि: 23.02.10 को **माननीय राज्यपाल** को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

6	8(10)2007 अन्वेषण	**डॉ. भरत मीणा,** तत्कालीन मेडिकल ज्यूरिस्ट **श्री छिद्दाराम** शर्मा, तत्कालीन मेल नर्स-प्रथम, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना	परिवादी व उसके परिवार के विरूद्ध दर्ज मुकदमें म. विपक्षी पार्टी को लाभ पहुँचाने की गरज से परिवादी की पुत्रवधु के एक ही दिन में दो भिन्न-2 चोट प्रतिवेदन तैयार किये।	प्रभारी मंत्री, चिकित्सा विभाग, दिनांक 14.09.09	**सिफारिशः**-सीसीए नियमा. के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** **श्री छिद्दाराम** को आदेश दिनांक 11.05.09 के द्वारा एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया है। **डा.भरतलाल मीणा** को प्रकरण के सम्बन्ध म. दिनांक 29.08.06 के आदेश से सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत भविष्य म. सावचेत होकर कार्य करने की चेतावनी दी जा चुकी थी।
7	8(39)2004 अन्वेषण	**डॉ. विजय भादू,** तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामुदायिक केन्द्र, सूरतगढ़	भ्रष्ट हेतुक से प्रेरित होकर लाठी से आई चोट को तेज धारदार हथियार से आना बता कर चोट प्रतिवेदन बनाया जिससे परिवादी के पिता को अनावश्यक रूप से जेल म. रहना पड़ा।	प्रभारी मंत्री, चिकित्सा विभाग, दिनांक 12.10.09	**सिफारिशः**-सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** सिफारिश की पालना म. 2 वर्ष तक भी कार्यवाही नहीं किये जाने **पर माननीय राज्यपाल** को दिनांक 22.11.11 को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।
8	3(76)2004 अन्वेषण	**श्री लालसिंह,** एस.आई., तत्कालीन थाना प्रभारी, **श्री राजेन्द्र सिंह,** ए.एस. आई., पुलिस थाना, कोटकासिम, जिला अलवर।	कार्यवाही करने की एवज म. रूपये 2000 की रिश्वत माँगे जाने, जो नहीं देने पर उल्टा उसे ही 151 म. बंद करने बाबत।	प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग दिनांक 04.12.09	**सिफारिशः**-सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** गृह विभाग के पत्र क्रमाँकः प. 13(3)गृह-1/2010 दिनांक 02.09.11 के अनुसार दोना. लोक सेवका. को दो-दो वार्षिक वेतनवृद्धि के अवरूद्ध किये जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।
9	11(191) 2004 अन्वेषण	**श्री गोपालराम बिरदा,** तत्कालीन एस. डी.ओ., झुन्झुनूं	भूमि संपरिवर्तन हेतु माँगी गई रिश्वत की राशि नहीं देने पर	माननीय मुख्यमंत्री (प्रभारी मंत्री,	**सिफारिशः**-सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई**

			अनुचित विलम्ब करना व निर्धारित अवधि म. प्रार्थना-पत्र को निर्णीत नहीं किये जाने बाबत।	कार्मिक विभाग) दिनांक 04.02.10	**कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** पत्र दिनांक 06.04.11 के अनुसार दिनांक 24.03.11 को सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी कर दिया गया है। जाँच परिणाम **अपेक्षित** है। जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं के पत्र दि 07.12.11 के अनुसार परिवादी श्री नन्द किशोर सोनी का प्रार्थना- पत्र स्वीकार किया जाकर औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि के संपरिवर्तन का आदेश जारी किया जा चुका है। पत्रावली नस्तीबद्ध की जा चुकी है।
10	46(4)2000 अन्वेषण	**श्री जी.पी. शुक्ला,** तत्कालीन निदेशक, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर। **श्री मुरली सिंह**, वाहन चालक, निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, जयपुर।	श्री मुरली सिंह द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर वाहन चालक के पद पर नियुक्ति प्राप्त की गई एवं श्री जी.पी.शुक्ला द्वारा बिना सत्यापन करवाये ही श्री मुरली सिंह के विरूद्ध चल रहे फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की गई नौकरी के प्रकरण को समाप्त कर दिया गया।	माननीय मुख्यमंत्री (प्रभारी मंत्री कार्मिक विभाग) शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग आदेश दिनांक 26.03.10	**सिफारिशः**-सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** सिफारिश की पालना नहीं किये जाने पर दि.09.06.11 को **माननीय राज्यपाल को** विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।
11	3(29)2009 अन्वेषण	**श्री रामदेव सिंह,** तत्कालीन वृत निरीक्षक., एस.एच.ओ. थाना, चिड़ावा, जिला झुन्झुनूं।	अतिक्रमिया. को नाजायज लाभ पहुँचाने हेतु रिपोर्ट दर्ज नहीं करने के सम्बन्ध में।	प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग आदेश दिनांक 22.03.10	**सिफारिशः**-सीसीए नियमा. के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनूं के निर्णय क्रः डीओबी-763 दिः 30.11.10 के अनुसार लोक सेवक को सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

12	10(28)2004	**श्री आर.के. खण्डेलवाल,** तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड, सार्दुलशहर, जिला श्रीगंगानगर	घरेलु विद्युत् कनेक्शन की एवज म. दो हजार रूपये की रिश्वत की माँग करना, फिर एक हजार रूपये की रिश्वत की राशि प्राप्त करना तथा बाकी एक हजार की राशि नहीं देने पर कनेक्शन म. अनुचित विलम्ब करना।	प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग दिनांक 10.05.10	**सिफारिशः**-सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी कर दिये गये हैं। परिणाम की सूचना **अपेक्षित** है।
13	3(59)2008	**श्री दिनेश शर्मा,** तत्कालीन थानाधिकारी, थाना ब्रह्मपुरी, जयपुर	विवादित भूखण्ड पर अपने भांजे का कब्जा करवाने, पुलिस पर नाजायज दबाव डालने के सम्बन्ध में।	प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर दिनांक 10.05.10	**सिफारिशः**-सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** सिफारिश के अनुरूप कार्यवाही नहीं करने पर दिनांक 16.02.12 को **माननीय राज्यपाल** को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।
14	3(18)2008	**श्री जगदीश सिंह,** ए.एस. आई., पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी, जिला झुन्झुनूं	रिपोर्ट दर्ज करने म. देरी करने के सम्बन्ध में।	प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर दिनांक 24.05.10	**सिफारिशः**-सेवा नियमा. के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत जाँच म. आरोप प्रमाणित पाये जाने पर परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।
15	8(19)2007	**डॉ0सम्पत सिंह जोधा** ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डेगाना, नागौर	किसान योजना का लाभ दिलवाने के लिए स्वाभाविक रूप से मृत्यु होने पर भी सांप के काटने से होने वाली मृत्यु का फर्जी मृत्यु प्रमाण	प्रभारी मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दिनांक 16.06.10	**सिफारिशः**-निलम्बित कर सीसीए नियम 16 की कार्यवाही की जाये, एफआईआर दर्ज करवाई जाये।उपस्थिति एवं अवकाश पंजिका के गुम होने के सम्बन्ध म. दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-**

			पत्र जारी करने जब कि उस दिन डॉ. जोधा अवकाश पर थे, जाँच प्रारम्भ किये जाने पर अभिलेख म. छेड़छाड़ कर उपस्थिति दर्ज करने की कार्यवाही करने।		डॉ. सम्पत सिंह जोधा को निलम्बित कर एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी गई है परन्तु सीसीए नियम 16 के आरोप-पत्र जारी होने की सूचना अपेक्षित है।। श्री जियाउर्रहमान, कनिष्ठ लिपिक को सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी कर दिये गये हैं। परिणाम की सूचना अपेक्षित है। सक्षम प्राधिकारी की कार्यवाही से संतुष्ट न होने पर दिनांक 13.09.11 को माननीय राज्यपाल को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 29.03.12 अनुसार लोक सेवक को सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी कर दिया गया था। तत्पश्चात् लोक सेवक द्वारा लिखित अभिकथन प्रस्तुत न करने पर प्रकरण म. एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लेते हुए विस्तृत जाँच के लिए जाँच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।
16	16(102) 2004	**श्री राजेश अरोड़ा,** कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका, केसरीसिंहपुर, श्रीगंगानगर	परिवादी से अनुचित रूप से कमीशन की माँग की, जो नहीं देने पर सामुदायिक भवन तुड़वाने की धमकी दी।	प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर दिनांक 16.06.10	**सिफारिशः**-सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग, जयपुर के आदेश **दिनांक 15.05.13 के अनुसार** श्री राजेश अरोड़ा, कनिष्ट अभियन्ता को सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत की गई जाँच के पश्चात् आरोप सही पाये जाने पर दो वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

17	10(27)2007	**वी.के.सेठी,** सहायक अभियन्ता, **गिरधारी लाल सिहाग,** कनिष्ठ अभियन्ता, **कुलविन्दर सिंह सन्धू,** कनिष्ठ अभियन्ता, जो. वि.वि.नि.लि. श्रीगंगानगर	वीसीआर की राशि के पेटे प्राप्त होने वाले 10 प्रतिशत कमीशन के लिए बिजली चोरी का झूंठा आरोप लगाना व 5000 रूपये की रिश्वत माँगना।	प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर दिनांक 18.6.10	**सिफारिशः**-लागू होने वाले नियमा. के तहत उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** सिफारिश की पालना पाँच माह तक भी नहीं किये जाने पर **माननीय राज्यपाल को 01.12.10 को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।** 17.08.10 को तीना. लोक सेवका. को आरोप-पत्र जारी कर दिये गये हैं। परिणाम की सूचना अपेक्षित है।
18	8(41)2003	**डा. छाया कालरा,** तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, थांवला, जिला नागौर।	श्रीमती गीतादेवी को इलाज हेतु अस्पताल की बजाय अपने घर पर भर्ती रखा तथा तीन हजार रूपये की माँग की व दो हजार रूपये लिये फिर भी श्रीमती गीतादेवी का सही ढंग से इलाज नहीं किया तथा समय पर रैफर नहीं किया।	प्रभारी मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दिनांक 29.07.10	**सिफारिशः**-सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त पत्र क्रमाँक 18(8)चिस्वा/2/10 दिनांक 10.02.11 के अनुसार लोक सेवक डा. छाया कालरा को दिनांक 07.02.11 को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी कर दिये गये हैं। परिणाम की सूचना अपेक्षित है।
19	35(21)2003	**श्री राजीव विजय,** तत्कालीन उप निरीक्षक **श्री बलवीर सिंह** तत्कालीन उप.निरी. परिवहन विभाग, उदयपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग पर चैकिंग का कार्य करते समय वाहना. से राशि वसूल करने	शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर दिनांक 29.07.10	**सिफारिशः**-सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी कर दिये गये हैं। परिणाम की सूचना अपेक्षित है।
20	8(30)2005	**डॉ. हरिओम बंसल,** चिकित्सा	लाठी की चोट को गंभीर चोट बताने की रिपोर्ट	प्रभारी मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	**सिफारिशः**-सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

		अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।	बनाने की एवज म. 5000 रूपये की रिश्वत लेने के सम्बन्ध में।	विभाग दिनांक 27.08.10	**सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण:-** सीसीए नियम 16 के आरोप-पत्र जारी कर दिये गये हैं। परिणाम की सूचना अपेक्षित है। पत्रावली नस्तीबद्ध की जा चुकी है।
21	44(18)2002	**श्री रजनीकान्त कस्वां,** एसीटीओ, एन्टीइवेजन, वार्ड-II,सर्किल-II, **श्री मनरूप सिंह,** वाणि.कर निरीक्षक, **श्री महेश कुमार गोवला**, तत्कालीन सहा. वाणिज्यिक कर अधिकारी, शाहजहांपुर सीमा चैक पोस्ट, अलवर	सुविधाशुल्क के बदले बिना टैक्स चुकाये दिल्ली से जयपुर माल परिवहन करने की कहने, नहीं मानने पर बिना एन्ट्री माल परिवहन करने के मामले म. झूँठा फंसाने तथा रजिस्टर म. की हुई एन्ट्री म. कांटछांट करने के सम्बन्ध में।	प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर दिनांक 07.09.10	**सिफारिश:-**उचित विभागीय कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण:-** तीना. लोक सेवकगण के विरूद्ध नियम 16/18 सीसीए के अन्तर्गत प्रस्ताव वित्त विभाग को दिनांक 06.09.11 को भिजवा दिये गये हैं।
22	3(200)2005	**श्री सुरेन्द्र सिंह,** थानाधिकारी, पुलिस थाना रानोली, जिला सीकर	प्राथमिकी दर्ज न करने व चोटा. की मेडिकल न करवाने।	प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग राजस्थान, दिनांक 14.10.10	**सिफारिश:-**सेवा नियमा. के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण:-** लोक सेवक की मृत्यु हो चुकी है।
23	**16(28)2007 प्रा.जाँ.**	श्री महेश यादव, लिपिक, यू.आई.टी. अलवर	असावधानीपूर्वक कार्य करने जिससे परिवादी की विपक्षी पार्टी को अनुचित लाभ मिला।	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर सचिव, यू.आई.टी , अलवर दिनांक	**सिफारिश:-**सीसीए नियमा. के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण:-** सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर ने अपने पत्र दिनांक 10.8.11 द्वारा सूचित किया कि लोक सेवक श्री महेश यादव, मुंशी, नगर विकास न्यास, अलवर को उनके कार्यालय के पत्रांक 5685/11 दिनांक 13.7.11 के द्वारा सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी कर

				13.05.11	विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।
24	**16(47)2002 अन्वेषण**	श्री रामकुमार आर्य, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, लाडनूं	नगरपालिका बोर्ड की पुष्टि करवाये बिना, नगरपालिका बोर्ड द्वारा स्वीकृत कार्य 'शिवमंदिर से नाईया. की बगीची तक नाला निर्माण वार्ड नं. 25', जिसकी लम्बाई 50+300 अर्थात लगभग 350 मीटर थी, को अपनी मनमर्जी एवं स्वेच्छापूर्वक, 'अमरचन्द के मकान वार्ड नं. 25 से सुजानगढ की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते तक नाला निर्माण का कार्य', शक्तियां तथा अधिकारिता ना होते हुए भी, नाले की लम्बाई को लगभग 800 मीटर तक स्वेच्छापूर्वक बढाते हुए, कार्यादेश देकर कार्य करवाने बाबत	प्रभारी मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर दिनांक 07.07.11	**सिफारिशः**-राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 तथा राजस्थान म्यूनिसीपल सर्विस रूल्स, 1963 के नियम 36(3) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमाँकः प. 2(क)(235)लोका/जाँच/डीएलबी/11/3467 दिनांक 25.11.11 के अनुसार लोक सेवक श्री रामकुमार आर्य को दिनांक 14.11.11 को सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी कर दिया गया है। विभागीय जाँच के अंतिम परिणाम की सूचना अपेक्षित है।
25	**35(58)2000 अन्वेषण**	श्री समीर सिंह आई.ए.एस. तत्कालीन जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर	जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर के पद रहते हुए पद का दुरूपयोग करते हुए सवाई माधोपुर जिले के निवासिया. एवं रीको के कर्मचारिया. से भारी राशि एकत्र करने एवं श्री बद्री लाल व प्रेमराज से	प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान। दिनांक 09.12.11	**सिफारिशः**-लोक सेवक को भारी शास्ति से दण्डित किये जाने हेतु उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** सिफारिश की पालना म. की जाने हेतु प्रस्तावित या की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

			ग्रामसेवक के पद पर नियुक्ति की एवज म. रूपये 50,000/- की अवैध राशि प्राप्त करने।		
26 27 28	**18(7)2000** लिंक फाइलें **18(5)2000** **18(6)2000**	-निल-	वर्ष 1999-2000 म. आबकारी ठेका. म. अनियमितताआ. के सम्बन्ध में।	माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान दिनांक 17.01.12	**सिफारिशः-**भविष्य म. आबकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले लाईसेंस की शर्तो म. ठेकेदारा. द्वारा हैसियत व जमानत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बजाय बैंक गारण्टी प्रस्तुत करवाई जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** सिफारिश की पालना म. की जाने हेतु प्रस्तावित या की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।
29.	42(3)2003	श्री अशोक शेखर आई.ए.एस. तत्कालीन शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर। श्री गुलजारी लाल शर्मा, तत्कालीन वरिष्ठ लेखाधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।	श्री अशोक शेखर द्वारा सक्षम प्राधिकारी अथवा सरकार से कोई अनुमति लिये बिना खाटूश्याम मंदिर जीर्णोद्धार समिति के सदस्य बनने के संबंध में। श्री गुलजारी लाल शर्मा ने लोक सेवक के रूप म. कार्य करते हुए, राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना खाटूश्याम जी मंदिर की जीर्णोद्धार समिति के सदस्य रहते हुए भक्ता. से चन्दा एकत्र करने के कूपना. पर	माननीय मुख्यमंत्री-प्रभारी मंत्री, कार्मिक विभाग दिनांक 16.04.12	**सिफारिशः-**चूँकि राज्य सरकार ने श्री शेखर के विरूद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 19(ii) के नियम 10 सपठित नियम 13 म. कार्यवाही आरंभ कर दी थी, इसलिये ऐसी ही सिफारिश नहीं कर यह सिफारिश की गई कि श्री शेखर की भांति अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी जो बिना सक्षम प्राधिकारी या सरकार से कोई पूर्वानुमति लिये ट्रस्ट के सदस्य रहे हैं तो केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमा. के नियम 13 के प्रावधाना. को ध्यान म. रखते हुए नीतिगत निर्णय लिया जाकर श्री शेखर के मामले को निपटाया जाये। श्री गुलजारी लाल शर्मा पर लागू सेवा आचरण नियमा. के उल्लंघन के लिए राजस्थान सिविल सर्विसेज (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

			हस्ताक्षर कर, चन्दा एकत्र करने म. सहयोग दिया व इस प्रकार उन्होंने राजस्थान सिविल सर्विसेज (आचरण) नियम, 1971 के नियम-14 का उल्लंघन किया था।	प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग दिनांक 16.04.12	**सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण:-** कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 18.09.12 के द्वारा अवगत करवाया गया है माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार श्री अशोक शेखर को अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 13(2) के प्रावधाना. के तहत राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी और उन्होंने उक्त नियम का उल्लंघन नहीं किया है। वित्त विभाग के पत्र दिनांक 04.09.12 के अनुसार श्री गुलजारी लाल शर्मा यह प्रतिवेदन दिनांक 16.04.12 को प्रेषित किये जाने से पूर्व ही अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31.01.12 को राज्य सेवा से सेवानिवृत हो जाने के कारण लोक सेवक नहीं रहे थे। अत: यह प्रकरण इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 01.11.13 को नस्तीबद्ध कर दिया गया हैं।
30.	3(128) 2010 प्रारम्भिक जाँच	श्री धर्मपाल, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला	कृषका. से करीब 16 लाख रूपये हड़प करने आदि। विशेष टिप्पणी:- श्री हरविन्द्र कुमार शर्मा, आर.ए.एस. तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के विरूद्ध की गई सिफारिश उसके अभ्यावेदन पर विचार कर दिनांक 04.12.14 को प्रत्याहृत की	प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर दिनांक 07.05.13	सिफारिश:-श्री धर्मपाल के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण:-** शासन संयुक्त सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 03.10.13 के अनुसार लोक सेवक के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। परिणाम अपेक्षित है।

			जा चुकी है।		
		श्री इनायत अली, तत्कालीन उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना, खाजूवाला एवं तत्कालीन वृत्ताधिकारी, वृत्त, लूणकरणसर।	अभियोग सं. 40/09, पुलिस थाना, खाजूवाला के अनुसंधान म. लापरवाही बरतने	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर दिनांक 07.05.13	**सिफारिश:-**श्री इनायत अली, तत्कालीन उप निरीक्षक, पुलिस थाना, खाजूवाला एवं तत्कालीन वृत्ताधिकारी, वृत्त लूणकरणसर के विरूद्ध प्रथम सूचना सं. 40/09, पुलिस थाना, खाजूवाला के अनुसंधान म. बरती गई गंभीर लापरवाही व अनियमितता के लिए राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण:-** संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की अ.शा.टीप दिनांक 25.11.14 के अनुसार श्री इनायत अली के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय जाँच प्रारम्भ की जाकर जाँच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। परिणाम अपेक्षित है।
31.	14(5)2000 अन्वेषण	श्री मदनलाल मीणा, तत्कालीन जि. परि.अधि., श्री गंगानगर श्री दिनेश यादव, प्रादे.परि. अधिकारी, बीकानेर श्री मधुसूदन शर्मा, तत्कालीन अति. जिला कलेक्टर, श्री गंगानगर श्री हंसकुमार शर्मा, तत्कालीन	करगिल फण्ड के नाम से श्री मदन लाल मीणा ने रूपये 1,11,000/- की राशि एकत्रित कर प्रधानमंत्री राहत कोष म. केवल 44000/- ही जमा करवाकर शेष राशि का गबन करने तथा अन्य लोक सेवका. द्वारा दोषी को बचाने की कार्यवाही करने आदि के सम्बन्ध में।	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार दिनांक 31.05.13	**सिफारिश:-**किसी लोक सेवक के विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया परन्तु यह सिफारिश की गई कि यदि राज्य सरकार द्वारा लोक सेवका. के लिए अपने विभाग के अधीन किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय/-राजकीय/-धार्मिक/-सामाजिक महत्व के किसी भी कार्य के लिए चन्दा एकत्र करने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भाग न लेने तथा न ही एतद्सम्बन्धी सहयोग करने के सम्बन्ध म. कोई परिपत्र जारी किया हुआ नहीं है तो सभी विभागाध्यक्षा. को एतद्सम्बन्धी परिपत्र जारी किया जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण:-**

		सहा.परि.आयुक्त (मुख्यालय) जयपुर श्री भजनलाल रोलन, तत्कालीन जिला परिवहन अधि., श्री गंगानगर श्री रामखिलाडी मीणा, परिवहन आयुक्त एवं सचिव, परिवहन विभाग, राज0			सिफारिश की पालना म. कार्मिक विभाग ने अपने पत्र दिनांक 07.9.13 के द्वारा इस सम्बन्ध म. पूर्व म. जारी परिपत्र क्रमाँक:9(50)पर्स/ए-1/98/पार्ट दिनांक जून 7, 2006 की प्रति प्रेषित की है।
32.	35(5)2007 अन्वेषण	श्री मानाराम विश्नोई, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, लोहावट, पंचायत समिति, फलौदी।	सूचना के अधिकार के तहत सूचना नहीं देने व सूचना देने की एवज म. 50,000/- रूपये की रिश्वत की माँग करने।	अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर दिनांक 31.05.13	**सिफारिश:-**लोक सेवक के विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। परन्तु अन्वेषण म. आये तथ्या. के मद्देनजर यह सिफारिश की गई कि एक परिपत्र इस आशय का जारी कर सभी जिला परिषदा. को निर्देश दिया जाए कि सभी लोक सूचना अधिकारीगण एवं प्रथम अपीलीय अधिकारीगण सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(6) के तहत यदि प्रार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के एक माह की अवधि म. सूचना नहीं देते हैं तो उसे नि:शुल्क सूचना उपलब्ध करवाई जाए **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण:-** सिफारिश की पालना म. की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।
33.	11(214) 2010 अन्वेषण	श्री प्रकाश चंद जाट, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं, जिला नागौर	स्थानान्तरण पर दिनांक 04.05.2007 को आयोजित विदाई समारोह म. सोने की अंगूठी जैसी कीमती वस्तु	प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, (प्रभारी मंत्री,	**सिफारिश:-**राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1972 के नियम 3,4 व 15 म. उल्लिखित के अलावा राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16/17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की

			उपहारस्वरूप प्राप्त करने।	कार्मिक विभाग) दिनांक 17.06.13	जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण:-** सिफारिश की पालना म. की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।
34.	35(117) 2003 प्रा.जाँच	श्री हरिशंकर भारद्वाज, आर.ए.एस. प्रबन्ध निदे., बुनकर संघ	भ्रष्टाचार करने आदि।	दिनांक 20.06.13	**सिफारिश:-**राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड एवं बुनकर समितिया. के प्रकरण की राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम के अन्तर्गत उचित तरीके से जाँच करवाई जाये तथा सचिव/निदेशक, शिक्षा को दरिया. की आपूर्ति से सम्बन्धित आदेशा. की मूल पत्रावली को खो देने के लिए बुनकर संघ के जिम्मेवार लोक सेवक के विरूद्ध उचित विभागीय कार्यवाही की जाये। श्री हरिशंकर भारद्वाज, तत्कालीन प्रबन्ध संचालक, बुनकर संघ राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो जाने के कारण लोक सेवक नहीं रहे हैं तथा उनके विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण:-** सिफारिश की पालना म. की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।
35.	3(237) 2004 अन्वेषण	श्री रमेश मौर्य, वृत्ताधिकारी, खाजूवाला, जिला बीकानेर श्री अश्क अली, मुंशी, पुलिस थाना, छतरगढ़, जिला बीकानेर	नील गाय की पीट-पीट कर हत्या करने की सूचना देने पर भी विधि सम्मत कार्यवाही नहीं करने।	महानिदेशक पुलिस, राजस्थान दिनांक 13.09.13	**सिफारिश:-**अन्वेषण म. लोक सेवका. के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये परन्तु महानिदेशक, पुलिस राजस्थान को यह सिफारिश की गई कि वे एक परिपत्र इस सम्बन्ध म. जारी करें कि भविष्य म. संरक्षित वन्यजीव की हत्या या मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर पोस्टमॉर्टम करवाकर ही विधिसम्मत समुचित कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण:-**

					सिफारिश की पालना म. की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।
36.	22(1586) 2011 प्रारम्भिक जाँच माथुर आयोग से स्थानान्तरित प्रकरण	श्री प्रताप सिंह सिंघवी, तत्कालीन मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग श्री परविन्दर सिंह पंवार, तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन श्री अजय पाल सिंह, तत्कालीन अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल श्री ओ.पी.गुप्ता, तत्कालीन उप सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	श्रीमती सूर्यकांता व्यास को मकान नं.17ई-757 गलत ढंग से आवंटित किया गया जो कि आवासीय आयुक्त के लिए आरक्षित था। यह कि श्रीमती सूर्यकांता व्यास को मिलीभगत के तहत कुल लागत रूपये 33,11,631 पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई। इस प्रकार उन्हें केवल 17,51,033/- रूपये का ही भुगतान करना पड़ा और इतना ही राजकोष को हानि हुई। यह कि श्रीमती सूर्यकांता व्यास को उनके एकमुश्त भुगतान पद्धति के मूल आवंटन को किराया क्रय पद्धति म. परिवर्तित करके भारी लाभ न्यौछावर किया गया।	माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं आवासीय आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल दिनांक 24.02.14	**सिफारिशः**-माननीय मुख्यमंत्री महोदया को सिफारिश की गई कि श्री प्रताप सिंह सिंघवी, तत्कालीन माननीय मंत्री, यू.डी.एच. विभाग को भविष्य म. कोई भी दायित्व सौंपने से पूर्व उनका कृत्य ध्यान म. रखा जाये। श्री परविन्दर सिंह पंवार, तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, यू.डी.एच. विभाग के विरूद्ध पेंशन नियमा. के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। श्री अजय पाल सिंह, तत्कालीन अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल के कृत्या. को देखते हुए उन्हें भविष्य म. किसी भी महत्वपूर्ण व नीतिगत मामले म. अंतिम निर्णय लेने की शक्तियां न दी जायें। मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को सिफारिश की गई कि श्री ओ.पी. गुप्ता, तत्कालीन उप सचिव-द्वितीय, यू.डी.एच.विभाग के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायें तथा डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी रेगूलेशन, 1970 के नियम 8-ए के अन्तर्गत आवास आवंटन की दरा. म. रियायत के सम्बन्ध म. एक स्पष्ट नीति/नियम तीन माह की अवधि म. बनाई जायें। अतिरिक्त मुख्य सचिव, यू.डी.एच. विभाग को सिफारिश की गई कि नियमविरूद्ध तरीके से व मनमाने तरीके से दी गई 50 प्रतिशत की छूट के कारण अप्राप्त राशि रूपये 16,43,900 की मय ब्याज के वसूली की कार्यवाही की जाये।

					आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल को सिफारिश की गई कि एकमुश्त भुगतान पद्धति से किराया क्रय पद्धति म. बदलाव करने से मण्डल को हुए ब्याज के नुकसान की गणना की जाये एवं उसकी वसूली की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण:-** सिफारिश की पालना म. की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।
37.	3(178) 2009 तथ्यात्मक प्रतिवेदन	श्रीमती योगिता मीणा, आर.पी. एस. तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक, वृत्ताधिकारी, आमेर	थाना ब्रह्मपुरी म. दर्ज अ0सं0 55/08 म. मुल्जिमा. की गिरफ्तारी की एवज म. रिश्वत की माँग करने, रूपये 31750/- का कम्प्यूटर मय प्रिन्टर बतौर रिश्वत प्राप्त करने आदि की शिकायत पर भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो द्वारा बाद अनुसंधान आरोप प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर कार्मिक विभाग द्वारा पहले अभियोजन स्वीकृति दिये जाने, तत्पश्चात् आरोपिता के अभ्यावेदन पर स्वीकृति से मनाही कर विभागीय जाँच	सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (प्रभारी मंत्री, कार्मिक विभाग) दिनांक 06.03.14	**सिफारिश:-**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एफ.आई.आर. सं.277/09 के अन्वेषण परिणाम के आधार पर दी गई अभियोजन स्वीकृति दिनांक 30.09.2012 के पश्चात् श्रीमती योगिता मीणा के अभ्यावेदन पर दिनांक 04.03.2013 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति की मनाही कर दिये जाने के आदेश पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1193/2012 डॉ. सुब्रहमण्यम स्वामी बनाम डॉ. मनमोहन सिंह एवं अन्य कई विनिर्णया. म. प्रतिपादित विधि एवं दिये गए दिशा-निर्देशा. तथा प्रतिवेदन म. किये गये विवेचन के प्रकाश म. पुन: विचार कर विधि अनुसार अभियोजन स्वीकृति जारी करें और इसके परिप्रेक्ष्य में श्रीमती योगिता मीणा के विरूद्ध सीसीए नियम 16 की प्रस्तावित कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाने के संदर्भ म. भी सक्षम स्तर से निर्णय लेने की कार्यवाही करें। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण:-**

			का निर्णय लेने बाबत।		प्रतिवेदन में दिये गये सुझावा. एवं सिफारिश की पालना म. सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।
38.	8(30) 2011 प्रारम्भिक जाँच	तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर तत्कालीन ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ़, रैणी, लक्ष्मणगढ़ एवं खेरली	आजाद राष्ट्रीय सेवा संस्थान, कोठी नारायणपुर, राजगढ़, अलवर द्वारा कार्यादेश के अनुसार अलवर जिले के राजगढ़, रैणी, लक्ष्मणगढ़ एवं खेरली ब्लाक के 33 गांवा. म. प्रति गांव 1500/- रूपये की दर पर चिकित्सा विभाग की विभिन्न गतिविधिया. जैसे जननी सुरक्षा योजना इत्यादि विषया. पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नुक्कड़ नाटक करने के उपरान्त भी अनुचित रूप से भुगतान न करने व प्रमाणीकरण की एवज म. 50 प्रतिशत राशि की माँग करने।	प्रभारी मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार दिनांक 10.03.14	**सिफारिशः-**कार्यादेश के अनुसरण म. संस्था द्वारा किये जा चुके एवं विभाग द्वारा प्रमाणित किये जा चुके कार्य का भुगतान एक माह की अवधि म. किया जाये। विहित किये गये प्रमाण पत्र को चिकित्सा विभाग के कर्मचारी से ही प्रमाणित करवाने की अनुचित माँग करने एवं प्रमाणीकरण की एवज म. 50 प्रतिशत राशि की माँग करने के आरोप के सम्बन्ध म. जाँच करवाई जाकर दोषी लोक सेवका. को चिन्हित किया जाकर उनके विरूद्ध समुचित विभागीय कार्यवाही की जाये। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरणः-** प्रतिवेदन म. की गई सिफारिश की पालना म. की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

परिशिष्ट–2.8

दिनांक 01.4.2007 से 31.3.12 तक की कालावधि म. धारा 12(3) के अधीन माननीय राज्यपाल को प्रेषित विशेष प्रतिवेदन एवं उनके सम्बन्ध म. की गई कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोक सेवक का नाम एवं पदनाम जिसके सम्बन्ध म. विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया	प्रेषित करने की दिनांक
1.	44(9)2000	श्री पी.के.देव आई.ए.एस. तत्कालीन आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर। **आरोपः–**पद का दुरूपयोग करते हुए न्यू मैजेस्टिक सिनेमा, अजमेर के मालिक को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए केवल मरम्मत के आधार पर ही नियम विरूद्ध तरीके से पाँच साल के लिए मनोरंजन कर म. छूट प्रदान कर राजकोष को हानि पहुँचाने के सम्बन्ध में। **विशेष विवरणः–** अन्वेषण म. आरोप पूर्णतया सिद्ध किये जाने योग्य पाये जाने पर लोक सेवक के सक्षम प्राधिकारी माननीय मुख्यमंत्री को दिनांकः 26.02.2009 को अन्वेषण प्रतिवेदन प्रेषित कर लोक सेवक के विरूद्ध उस पर लागू नियमा. के तहत पूर्ण विभागीय जाँच करने व मनोरंजन कर मे छूट प्रदान कर राजकोष को जो हानि पहुंचाई गई है, उसकी वसूली कर दण्डित करने की सिफारिश की गई। सिफारिश के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर दिः 23.02.10 को माननीय राज्यपाल को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। **(अन्वेषण प्रतिवेदन, 24वें वार्षिक प्रतिवेदन म. दिया जा चुका है)**	23.02.10

2	11(198)2002	श्री समीर सिंह चन्देल आई.ए.एस. तत्कालीन जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर **आरोप:-**श्री उदय सिंह व हुकुम राज को ग्राम सेवक व पदेन सचिव, ग्राम पंचायत के पदा. पर नियुक्ति दिलाने की एवज म. उदयसिंह के भाई सुमेर सिंह व हुकुमराज से एक-एक लाख रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में। **विशेष विवरण:-** अन्वेषण म. आरोप सिद्ध किये जाने योग्य पाये जाने पर लोक सेवक के सक्षम प्राधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री को दिनांक 05.03.09 को अन्वेषण प्रतिवेदन प्रेषित कर यह सिफारिश की गई कि श्री समीर सिंह चन्देल के विरूद्ध भारी शास्ति से दण्डित किये जाने हेतु सम्बधित नियमा. के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की जाये व आरोपा. की गंभीरता को देखते हुए उसे निलम्बित करने पर विचार किया जाये। सिफारिश के अनुरूप कार्यवाही नहीं किये जाने पर दिनांक 23.02.10 को माननीय राज्यपाल को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। **(अन्वेषण प्रतिवेदन, 24वें वार्षिक प्रतिवेदन म. दिया जा चुका है)**	23.02.10
3	10(27)2007	**लोक सेवक:-** ▪ श्री वी.के.सेठी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ▪ श्री गिरधारी लाल सिहाग, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, ▪ श्री कुलविन्दर सिंह सन्धू, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड, श्री गंगानगर **आरोप:-**वीसीआर की राशि के पेटे प्राप्त होने वाले 10 प्रतिशत कमीशन के लिए बिजली चोरी का आरोप लगा कर गलत वीसीआर काटना व 5000 रूपये की रिश्वत माँगना। **विशेष विवरण:-**	01.12.10

		सक्षम प्राधिकारी- प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार एवं शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा दिनांक 18.6.10 को प्रेषित प्रतिवेदन म. की गई सिफारिश की पालना पाँच माह तक भी नहीं किये जाने पर माननीय राज्यपाल को दिनांक 01.12.10 को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। ऊर्जा विभाग से प्राप्त अ.शा.पत्र दिनांक 29.12.10 के अनुसार दिनांक 17.8.10 को विनियम संख्या 6 के तहत तीना. लोक सेवका. को आरोप-पत्र जारी कर दिये गये हैं। परिणाम की सूचना अपेक्षित है। **(अन्वेषण प्रतिवेदन, 26वें वार्षिक प्रतिवेदन म. दिया जा चुका है)**	
4.	46(4)2000	**लोक सेवकः-** ▪ श्री जी.पी.शुक्ला, आर.ए.एस. तत्कालीन निदेशक, संस्कृत शिक्षा ▪ श्री मुरली सिंह, चालक, संस्कृत शिक्षा **आरोपः**-श्री मुरलीसिंह चालक को फर्जी दस्तावेजात के आधार पर चालक के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने का दोषी पाये जाने के बावजूद भी उसे जान-बूझकर विभागीय कार्यवाही म. दोषमुक्त करने के सम्बन्ध में। **विशेष विवरणः-** सक्षम प्राधिकारी, माननीय माननीय मुख्यमंत्री (प्रभारी कार्मिक विभाग) एवं शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग को आदेश दिनांक 26.03.10 के द्वारा दिनांक 05.04.10 को प्रेषित प्रतिवेदन म. की गई सिफारिश की पालना म. कार्यवाही नहीं करने पर दिनांक 09.06.11 को माननीय राज्यपाल महोदय को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। **(अन्वेषण प्रतिवेदन, 25वें वार्षिक प्रतिवेदन म. दिया जा चुका है।)**	09.06.11

5.	8(19)2007	**लोक सेवकः-डॉ. सम्पत सिंह,** तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डेगाना, जिला नागौर **आरोपः**-ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के बावजूद एवं गेनाराम की मृत्यु दिनांक 22.3.06 को होने के बावजूद, उसके परिजना. को राज्य सरकार की योजना के अनुसार 50,000/- का मुआवजा दिलाने के दुराशय से उसकी मृत्यु दिनांक 24.3.06 को होने का प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख फर्जी रूप से तैयार करना। उक्त गलत कृत्य को सही साबित करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की उपस्थिति पंजिका म. बैक डेट म. अपने हस्ताक्षर करना तथा इस हेतु अस्पताल के अभिलेख म. छेड़छाड़ करना। मृतक परसराम (जिसकी मृत्यु जहर के सेवन से अप्राकृतिक रूप से हुई थी) की मृत्यु की सूचना पुलिस को नहीं देना और न ही पोस्टमार्टम करवाना। **विशेष विवरणः-** सक्षम प्राधिकारी, प्रभारी मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान द्वारा दिनांक 16.06.10 को प्रेषित प्रतिवेदन म. की गई सिफारिश की पालना म. सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं किये जाने पर दिनांक 13.09.11 को माननीय राज्यपाल को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। **कार्यवाहीः-** शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 29.03.12 अनुसार लोक सेवक को सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी कर दिया गया था। तत्पश्चात् लोक सेवक द्वारा लिखित अभिकथन प्रस्तुत न करने पर प्रकरण म. एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लेते हुए विस्तृत जाँच हेतु जाँच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। **(अन्वेषण प्रतिवेदन, 26वें वार्षिक प्रतिवेदन म. दिया जा चुका है)**	13.09.11

6.	8(39)2004	**लोक सेवकः- डॉ. विजय भादू,** तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर **आरोपः-** आहत रणवीर के लाठी से आई चोट को तेज धारदार हथियार से आना बता कर चोट प्रतिवेदन बनाने, जिससे परिवादी के पिता को अनावश्यक जेल म. रहना पड़ा **विशेष विवरणः-** सक्षम प्राधिकारी प्रभारी चिकित्सा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर दिनांक 12.10.09 को प्रेषित अन्वेषण प्रतिवेदन म. की गई सिफारिश की पालना लगभग 2 वर्ष तक भी नहीं किये जाने पर माननीय राज्यपाल को दिनांक 22.11.11 को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। **(अन्वेषण प्रतिवेदन, 25वें वार्षिक प्रतिवेदन म. दिया जा चुका है)**	22.11.11
7.	3(59)2008	**लोक सेवकः- श्री दिनेश शर्मा,** सी.आई. तत्कालीन एस.एच.ओ, पुलिस थाना, ब्रह्मपुरी, जयपुर। **आरोपः-** वन विभाग की भूमि पर बेनामी रूप से फर्जी रूप से क्रय करना बता कर अतिक्रमण कर निर्माण करने व अनुसंधान अधिकारी पर दबाव बनाने आदि। **विशेष विवरणः-** सक्षम प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रेषित अन्वेषण प्रतिवेदन दिनांक 28.04.10 म. सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की गई सिफारिश की पालना नहीं किये जाने पर माननीय राज्यपाल को दिनांक 16.02.12 को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। **(अन्वेषण प्रतिवेदन, 26वें वार्षिक प्रतिवेदन म. दिया जा चुका है)**	16.02.12

परिशिष्ट–2.9

दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक की अवधि म. लोकायुक्त सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के पश्चात् विभागा. द्वारा की गई विभागीय कार्यवाहियों के प्रकरण

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	लोक सेवक	शीर्ष सं.	विभाग का नाम	लोक सेवक
2	कृषि	2	23	सिंचाई	1
3	पुलिस	27	24	इगानप	-
4	सहकारिता	-	25	राणा प्र.सागर/ज.सागर	-
5	शिक्षा	2	26	उपनिवेशन	-
6	कॉलेज शिक्षा	-	28	न्याय	-
7	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	-	29	जेल विभाग	-
8	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	-	30	श्रम विभाग	-
9	सार्वजनिक निर्माण	-	31	जन स्वास्थ्य. अभियांत्रिकी	30
10	विद्युत कम्पनियां	2	32	सामाजिक न्याय एवं अधि.	2
11	राजस्व	46	33	भू–प्रबन्ध विभाग	-
12	ग्रा.वि.एवं पंचायतीराज	45	34	सचिवालय	-
13	अकाल एवं राहत	-	35	विविध	-
14	यातायात	-	40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	-
15	वन	3	41	आयुर्वेद	1
16	नविआ/जविप्रा/एलएसजी	19	42	देवस्थान	-
17	जनसम्पर्क	-	43	आर.एस.आर.टी.सी.	-
18	आबकारी	-	44	वाणिज्यिक कर	2
19	उद्योग	-	45	खान एवं भूविज्ञान	-
20	मुद्रण एवं लेखन	-	46	संस्कृत शिक्षा	1
21	पशुपालन	1	47	राज्य बीमा एवं प्रा.नि.	-
22	माथुर आयोग के प्रकरण	10	48	तकनीकी शिक्षा	-
				कुल योगः–	**194**

परिशिष्ट–2.10

दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक की कालावधि के अनुतोष प्रकरण

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	संख्या
2	कृषि	2
3	पुलिस	16
4	सहकारिता	-
5	शिक्षा	7
6	कॉलेज शिक्षा	-
7	खाद्य एवं आपूर्ति	3
8	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	6
9	सार्वजनिक निर्माण	1
10	विद्युत् कम्पनियां	12
11	राजस्व	32
12	ग्रा.वि.एवं पंचायतीराज	15
13	अकाल एवं राहत	1
14	यातायात	1
15	वन	2
16	नविआ/जविप्रा/एलएसजी	57
17	जनसम्पर्क	-
18	आबकारी	2
19	उद्योग	-
20	मुद्रण एवं लेखन	-
21	पशुपालन	-
22	माथुर आयोग के प्रकरण	22
23	सिंचाई	2
24	इगानप	-
25	राणा प्र.सागर/ज.सागर	-
26	उपनिवेशन	1
28	न्याय	-

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	संख्या
29	जेल विभाग	-
30	श्रम विभाग	-
31	जन स्वा. अभियांत्रिकी	2
32	सामाजिक न्याय एवं अधि.	9
33	भू-प्रबन्ध विभाग	-
34	सचिवालय	-
35	विविध	6
40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	-
41	आयुर्वेद	-
42	देवस्थान	-
43	आर.एस.आर.टी.सी.	-
44	वाणिज्यिक कर	-
45	खान एवं भूविज्ञान	1
46	संस्कृत शिक्षा	-
47	राज्य बीमा एवं प्रा.नि.	3
48	तकनीकी शिक्षा	-
	योग :	**203**

अध्याय-3

अनुशंसा के प्रतिवेदनों का विवरण

1. Joint Report Regarding Following Files :-

22(63)/LAS/2011	**22(74)/LAS/2011**	**22(85)/LAS/2011**	**22(102)/LAS/2011**
22(66)/LAS/2011	**22(76)/LAS/2011**	**22(87)/LAS/2011**	**22(103)/LAS/2011**
22(69)/LAS/2011	**22(81)/LAS/2011**	**22(90)/LAS/2011**	**22(105)/LAS/2011**
22(71)/LAS/2011	**22(83)/LAS/2011**	**22(92)/LAS/2011**	**22(112)/LAS/2011**

1. The above mentioned files of JDA and UDH Department were originally submitted to the Mathur Aayog by the government. Subsequently, by orders of Hon'ble Rajasthan High Court and Hon'ble Supreme Court these files were referred to this Sachivalaya.

2. During the scrutiny of these files it was found that these files contained the applications of various builders to approve their building plans in contravention of normal building Bye Laws, 2000 and all these files were referred by JDA to the Government and the Government used it's discretionary powers under rule 6.6, 6.7, 6.9, 8.8 of JDA Building Bye Laws, 2000 to allow relaxations in FAR, Set backs, Parking, Basements, etc.

3. The chart herein below shows the particulars of cases wherein relaxations have been granted to the applicants:-

Sr. No.	File No.	Department File No.	Party	Relaxations Granted
1&2	22(74)/LAS/ 2011 22(112)/LAS/2011	F.10(123)UDH/3/08 JDA/MS/BPC/F 171/06	Shri Harimohan Dangayach M/S. Serveall Land Developers Pvt. Ltd., Chainpura, Aashram Marg, Hotel Radisson, Jaipur	**The party applied for 3 basements whereas only 2 basements are permissible. The Government allowed 3 basements and also allowed the applicant to establish kitchen and bar in first basement despite contrary provision 9.7.3 of building regulation not to keep inflammable material in basement.**

3	22(81)/LAS/ 2011	F.10(222)UDH/3/07	Shri Mahendra Narayan Agarwal , JLN Marg, Jaipur, Commercial Complex	**The Government granted permission vide letter dated 03.12.2007 within 12 days without opinion of CTP for Setback of 6 and 9 meters instead of 12 meters and also for three basements.**
4	22 (69)/LAS/ 2011	F.10(96)UDH/3/07	Shri V.K. Verma, 2B-2C Jagatpura Road, Jaipur for Hotel	**The applicant asked for relaxation for third basement and setbacks. The Government conditionally granted the relaxation for third basement and relaxation for back and front set backs were also granted.**
5	22 (83)/LAS/ 2011	F.10(29)UDH/ 3/06	Shri Indramohan, Hawa Sadak, Madrampura, Jaipur for Group Housing	**As per Bye Laws a height of 30 meters on 100 feet road and a height of 24 meters on 60 feet road is permissible but the State Government issued an order in 2002 that in C-Scheme and Civil Lines only 15 meters height will be permissible. The Government had referred the matter to Cabinet sub committee on 09-11-2005, but no decision was taken. The CM granted the permission for maximum permissible height as per building bye laws, 2000**
6 & 7	22 (66)/LAS/ 2011 22(102)/LAS/2011	F3(489)UDH/ 3/08 JDA/MS/BPC/F 146/08	Shri Hanuman Prasad Saini,Nahargarh Amer Road (Hotel)	**Relaxation of 30 meters height for 905 square yards plot was sought instead of the permissible 15 meters. Government granted this permission on the ground that the original plot was 1368 square yards and the application was made on 29.02.2008 i.e. before 05.07.2008. Hence, the new rules were not effective on 29-2-2008.**
8	22 (76)/LAS/ 2011	F 10(162)UDH/3/06 JDA/P-75(BPC/F-280/2006)	Shri Maniyam Properties, 12, Govind Marg, Raja Park	**Applicant asked for relaxation of 35+13% area for multi level parking, but CTP didn't agree as per page 4/c of UDH file. But the Government called a meeting of CTP to compare MLP of other big cities in India. Thereafter CTP agreed for 13% extra MLP. Though the comparative chart shows that Calcutta, Hyderabad, Gurgaon and Delhi also don't have more than 40%. Still the file was approved by CM by Para 40/N**

				of UDH file.
9 & 10	22 (87)/LAS/ 2011 22(105)/LAS/2011	F 10(134)UDH/3/07 JDA/MS/BPC/F 441/06	Dr. B.R. Soni, Soni Hospital, Vidyadhar Nagar, Jaipur	**Approval of 3rd basement and FAR of 2.0 and height 125 feet. The State Government approved the matter on 25.9.2008 for 2 FAR and 3 basements, but not the height.**
11 &12	22(103)/LAS/2011 22 (85)/LAS/ 2011	JDA/MS/BPC/F 100/06 F 10(151)UDH/3/06	Shri Vipin Bakshi, Sun City Projects, Jhotwara Road, Jaipur	**3 Basements first for commercial use, front set back 6 meters but 2 meters ramp, FAR 2.0 instead of 1.5, side set back 6 meters instead of 9 meters. The State Government allowed all the demands including side set backs on 22.2.2007, which was earlier refused. A perusal of page 21/c of UDH file where permission for side setbacks for 6 meters was refused on 04.7.2006 because the plot already had 30 percent covered area. Matter was reviewed on 29.01.2007 at page 47/c and 6 meters set back was allowed on the ground that the applicant was eligible for 35 percent covered area.**
13	22 (90)/LAS/ 2011	JDA/MS/BPC/F 339/07	Shri Vishnu Kumar Gurunani, Pink City Build Home, Airport Plaza, Tonk Road, Jaipur	**Required FAR 1.75 to 2.0 and basement for parking given by State Government on 03.11.2007**
14	22 (63)/LAS/ 2011	F 10(89)UDH/3 /08 JDA/MSCB/F-192/08	Smt. Sarika Patel, A-1, JLN Marg, Office Complex, Jaipur	**Relaxation in height 22 to 30 meters, 2 basements in 1443 square meters plot whereas minimum required area is 1500 square meters. Government gave the permission on 26.6.2008. The NOC of A.A.I. is only a photocopy and not legible.**
15&16	22 (92)/LAS/ 2011 22 (71)/LAS/ 2011	JDA/MS/BPC/F 24/06 F. 3(893)UDH/3 /08	Shri Sharad Mishra, Director For Ambiance Land Developers For Tilak Marg Residential Flats Phool Kunj, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur	**Relaxation of 27 meters height instead of 15 meters near Sachivalaya. The Government cancelled the U.O. note dated 19.02.2002, 14.02.2006 and 24.07.2002 to allow the relaxation.**

4. The above mentioned chart clearly shows that the Government accepted all the demands of the applicants and sanctioned whatever was desired without examining the *pros and cons* or the viability of the

relaxations, even on the point of safety and security without obtaining the opinion of Town Planner on merits.

5. We would like to mention some of the cases as they are classic examples of injudicious use of arbitrary powers of Goverment under the Building Bye Laws, 2000.

6. Firstly, File No. 22(71)LAS/2011 & 22 (92) LAS/2011. In these files the applicant applied for construction of residential complex Phool Kunj, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur to approve building maps. The proposed height was 24.38 meters, whereas the Government had banned buildings of more than 15 meters height in C-Scheme. Hence, the matter was referred to the Government. In a bizarre move the Government asked the JDA to implement the orders of the Government dated 22.11.2007, 24.12.2007 and withdrew its own U.O. notes SUD/PS/2002, dated 14.02.2006, 19.02.2002 and 24.07.2002 to facilitate the approval of the height of Phool Kunj on the ground that the applicant submitted his application on 19-01-2006 before the order dated 22.11.2007 was passed, limiting the heights of the building to 15 meters in C-Scheme.

7. It is pertinent to note that neither any opinion of Town Planner was obtained nor the safety, security, and the heights of the buildings in the area were examined before granting this permission.

8. Secondly, file no. 22(83)/LAS/2011. In this file Shri Indramohan, Hawa Sadak, Madrampura, Jaipur for Group Housing applied for the height of his building to be more than 24/30 meters, although on 100 feet road 30 meters and on 60 feet road 24 meters was allowed. The Government also

issued an order in 2002 that in C-Scheme and Civil Lines only 15 meters height will be permissible. The Government had referred the matter to Cabinet sub Committee on 09.11.2005, but no decision was taken by the committee. Hence, the CM intervened and granted the permission for maximum permissible height as per building bye laws, 2000.

9. Thirdly, file no. 22(76)/LAS/2011. in this file M/s. Maniyam Properties, 12, Govind Marg, Raja Park, Jaipur for Group Housing applied for relaxation of 35+13% area for multi level parking, but CTP did not agree as per page 4/c of UDH file. But the Government called a meeting of CTP to compare MLP of other big cities in India. Thereafter CTP agreed for 13% extra MLP. Though the comparative chart shows that Calcutta, Hyderabad, Gurgaon and Delhi also do not have more than 40%. Still the file was approved by CM by Para 40/N of UDH file.

10. Such is the story of most of the files examined and mentioned in the chart (supra). In some files opinion of Chief Town Planner has been obtained but only on the point that the Government is empowered to grant these relaxations under the prevailing Building Bye Laws.

11. Therefore it is clear that in all the above mentioned files necessary procedure and formalities have been observed and no law/circular or bye law was infringed.

Hence, these files were ordered to be closed and original files were returned to the concerned departments.

12. But we would be lacking in our duty, if we do not pin point the lacuna, which existed in the JDA Builing Bye Laws 2000 and are still in force in the form of JDA Builing Bye Laws, 2010. It is amply clear that regulation 6 and 8 give arbitrary powers to the Government to grant relaxations of FAR, Parking, Set backs, height as well as basements to the applicants without examining the safety, security, urban design parameters and design of the buildings in the locality concerned.

13. For this purpose we have examined the National Building Code of India as well as Building Bye Laws of Major Metropolitan Cities and States as well. For example The Bye Laws of Bangalore, Bhopal, Delhi, Noida, U.P. and Mumbai were examined. Discussions were held with The Chief Town Planner, Rajasthan, Chief Town Planner, UDH Department and Director, Town Planning, JDA. After detailed discussions, we have reached to the conclusion that it is necessary to amend the existing bye laws and the arbitrary power of Government to grant relaxations must be modified according to building bye laws of the entire country.

Hence, while sending a copy of the report to the Chief Secretary, Government of Rajasthan vide letter dated 25.6.14, it was recommended to incorporate following provisions in the New Building Bye Laws:-

(a) In building bye laws of various cities, side and rear setbacks for buildings of more than 15 meter height are prescribed in proportion to the height of the building, whereas in JDA building bye laws for buildings up to 40 meter height setbacks are proposed as per plot size irrespective of height. The provisions as per the National Building Code may be followed for setbacks.

(b) Provision of parking in JDA building bye laws is on the basis of FAR. This can be on the basis of built up area.

(c) There is provision of fire safety for buildings of more than 15 meter height only. Disaster management safety-norms and fire safety norms are necessary for all public buildings such as school, hostel, hospital etc. and also for commercial buildings, flatted developments of less than 15 meter height. This should be made mendatory in Bye Laws.

(d) Provision for restriction on construction of flats on smaller plots and on narrow roads of less than 18 meter needs to be incorporated in Bye Laws.

(e) Provision for restriction on hostels, guest houses, lodges and commercialization of residential plots should be made in Bye Laws.

(f) Provisions for relaxation in parameters for height, setbacks and FAR etc. should be based on merit and it should not be unlimited but based on fair assessment of the request.

(g) Consideration of urban design while deciding norms for important roads of cities needs to be considered.

(h) If more than one building block is proposed in one campus then partial completion certificate of individual building blocks may be issued. No completion certificate should be issued for part of a block.

(i) A specific provision should be incorporated in the Bye Laws that the powers of the Government are to be exercised only upto the permissible limits of National Building Code and on the recommendations of a committee of experts, keeping in view the topography of the area.

(j) The arbitrary powers existing in the Building Bye Laws of Rajasthan and JDA need to be brought at par with the Bye Laws of other Metropoliton cities and States.

14. It was also recommended to the Government that for the purpose of making necessary amendments in the Building Bye Laws, the Government may form a committee comprising eminent town planners and building experts as well as legal experts and the committee be asked to submit its report within 3 months on all the 10 points enumerated above as well as any other point the committee considers important.

15. The committee be formed by the Government within a period of one month and the committee should submit its report within 3 months to the Government and simultaneously a copy thereof be submitted to this office.

In compliance of the recommendations made in this case, a committee has been constituted by the Additional Chief Secretary, UDH & Local Self Government, Government of Rajasthan vide his order No.F.10(7)UDH/3/2009/Part-III Jaipur dated 02.10.14 for suggesting amendments in prevailing Building Bye-Laws. On the request of the Committee, the time period has been extended to get the revised Building Bye-Laws prepared and examine the issues suggested by this office vide UDH Depepartment order dated 12.02.15 and the committee has been directed to submit its report by 31.03.15.

2. एफ.16(189)लोआस/2011

यह प्रकरण परिवादी श्री कमलजीत पुत्र श्री तुलसी दास, निवासी वार्ड सं. 6, गजसिंहपुर, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) द्वारा की गई शिकायत पर संस्थित हुआ।

परिवादी ने अपने परिवाद में श्री चन्द्रपाल शर्मा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, गजसिंहपुर के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप लगाये:-

1. भूखण्ड संख्या 22 रायसिंहनगर रोड़ पर 17 वर्ष पूर्व मृत थानासिंह को जीवित बताकर गोपाल कृष्ण के नाम पंजीयन करवा दिया।

2. भूखण्ड संख्या 6-डी-ई श्मशान भूमि रोड़ पर श्री तुलसीदास पुत्र ताराचन्द को दिनांक 13.05.1983 को आवंटित हुआ था, उसको खुर्द-बुर्द कर दिया।

3. बाबा रामदेव मन्दिर के भूखण्ड के एक कोने पर अमरीक सिंह पुत्र मोहन सिंह अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की झौंपड़ी के स्थान पर उसके मिलते जुलते नाम के व्यक्ति श्री अमरीक सिंह पुत्र करतार सिंह जट सिक्ख का कब्जा करवा दिया।

4. सार्वजनिक निर्माण विभाग की गजसिंहपुर- पदमपुर सड़क पर भूखण्ड 66-डी, 91-डी, 94-डी व 119-डी में से तीन भूखण्डों की लम्बाई घटाकर कम एवं एक भूखण्ड की लम्बाई में वृद्धि कर सड़क की भूमि को खांचा भूमि के नाम से विक्रय कर दिया।

5. बस स्टेण्ड के टिकिट बुकिंग कार्यालय पर नगरपालिका का स्वामित्व होते हुए भी अवैध रूप से श्री सोहन लाल पुत्र लघाराम को आवंटित कर कब्जा करवा दिया।

6. एक बी.पी.एल. समूह के नाम से फर्जी नाम से डेयरी संचालित कर प्राप्त अनुदान को स्वयं के उपयोग में ले रहे हैं।

इन आरोपों के सम्बन्ध में प्रकरण में दिनांक 08.10.2013 को प्रारम्भिक जाँच किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रारम्भिक जाँच के दौरान पत्रावली

पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से बुकिंग ऑफिस पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में लगाये गये आरोप के अतिरिक्त किसी अन्य आरोप की पुष्टि नहीं हुई।

अतः दिनांक 08.08.14 को सक्षम प्राधिकारी निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर को राजस्थान लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 धारा 12(1) के अन्तर्गत प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित कर यह सिफारिश की गई कि श्री सोहन लाल पुत्र लघाराम जाति अरोड़ा निवासी गजसिंहपुर, श्री हरनाम दास कोचर एवं उसके उत्तराधिकारीगण द्वारा बस स्टेण्ड पर बुकिंग ऑफिस पर किये गये अवैध निर्माण (न्यू कोचर ट्रेवल्स) एवं अतिक्रमण को नियमानुसार हटा कर तीन माह में सचिवालय को सूचित किया जावे।

सिफारिश की पालना में निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 02.01.15 के द्वारा अवगत करवाया कि अधिशाषी अधिकारी, गजसिंहपुर के पत्र दिनांक 16.10.14 के अनुसार श्री सोहनलाल पुत्र श्री लघाराम के उत्तराधिकारी श्री हरनामदास कोचर द्वारा बस स्टेण्ड पर किये गये अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण (न्यू कोचर ट्रेवल्स) को हटा दिया गया है। यह भी अवगत करवाया गया कि प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख उक्त श्री हरनामदास कोचर के पास थे जो कि उसके द्वारा नगरपालिका, गजसिंहपुर में जमा करवा दिये गये हैं तथा प्रकरण का प्रथमदृष्ट्या परीक्षण किये जाने पर कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया है।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की पालना में की गई उपर्युक्त कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण को दिनांक 02.03.15 को अंतिम रूप से नस्तीबद्ध कर परिवादी को सूचित कर दिया गया है।

3. एफ.19(7)लोआस/2012

यह प्रकरण परिवादी श्री मनोहर पारीक पुत्र श्री राधेश्याम पारीक निवासी 1390–ए, आर.के.पुरम, कोटा/70, पत्रकार परिसर, महावीर नगर प्रथम, कोटा द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर संस्थित किया गया।

परिवाद में यह आरोप लगाया गया कि श्री राजेन्द्र भानावत, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक एवं श्री सुनील अरोड़ा, तत्कालीन अध्यक्ष, रीको ने मैसर्स एल.सी.इण्डस्ट्रीज, चम्बल औद्योगिक क्षेत्र, कोटा द्वारा उसे आवंटित भूखण्ड सं. जी–40 (ए) के अलावा सड़क एवं भूखण्ड संख्या एच–39 बी के कुछ भाग 608.50 वर्ग मीटर पर अवैध रूप से किये गये कब्जे को नहीं हटवाकर विधि विरूद्ध अतिक्रमण को बनाए रखने में अपने पद का दुरूपयोग कर निगम को करोड़ों रूपयों की क्षति पहुंचाई।

शिकायत के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, उद्योग (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 28.01.14 में आये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण में दिनांक 20.02.14 को प्रारम्भिक जाँच किये जाने के निर्देश दिये गये।

प्रारम्भिक जाँच के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से स्थापित हुआ कि मैसर्स एल.सी. इण्डस्ट्रीज, चम्बल औद्योगिक क्षेत्र, कोटा को रीको द्वारा दिनांक 11.03.1986 को आवंटित किये गये भूखण्ड संख्या जी–40(ए) क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर पर निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक निर्माण कर सामने सड़क एवं अन्य भूखण्ड संख्या एच 39 बी के 608.50 वर्ग मीटर भू–भाग पर कब्जा कर लिया गया।

रीको द्वारा कब्जा की हुई भूमि का नियमन, आवंटन दर की आधी कीमत पर किये जाने का निर्णय लेकर आवंटी को दिनांक 19.03.2001 एवं 11.05.2001 को माँग–पत्र जारी किया गया परन्तु आवंटी द्वारा न तो

माँग पत्रानुसार राशि जमा करवाई गई और न ही अतिक्रमित भू-भाग का कब्जा हटाया गया। दिनांक 11.02.1988 से वर्ष 2010 तक समय-समय पर आवंटी को नोटिस दिए गए, जिस पर आवंटी द्वारा वर्ष 2011 में अतिक्रमित भूमि को नियमित करने हेतु निगम में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 03.03.11 को रीको के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक श्री राजेन्द्र भानावत द्वारा निम्न प्रकार से आदेश प्रदान किये गयेः-

> "He may be allowed to develop green area on land in question, keeping ownership with RIICO."

उक्त निर्देशों की पालना में आवंटी को न तो कोई स्वीकृति/आदेश जारी किया गया, न अतिक्रमित भूमि का नियमन किया गया है और न ही उक्त अतिक्रमित भूमि पर आवंटी को हरित-क्षेत्र विकसित करने की स्वीकृति दी गई है।

स्पष्ट है कि श्री राजेन्द्र भानावत, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, रीको द्वारा उक्त आदेश दिनांक 03.03.11 अतिक्रमी को नियम विरूद्ध अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए पारित गया गया था परन्तु श्री भानावत के दिनांक 30.09.12 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2 के अन्तर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार अब लोक सेवक नहीं रहने के कारण उनके विरूद्ध अन्वेषण प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है। अन्य लोक सेवक श्री सुनील अरोड़ा, तत्कालीन अध्यक्ष, रीको के विरूद्ध लगाया गया कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थिति में दिनांक 08.10.14 को सक्षम प्राधिकारी चैयरमैन, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जयपुर तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव (इन्फ्रास्ट्रक्चर), को राजस्थान

लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित कर निम्नानुसार सिफारिश की गईः-

1. मैसर्स एल.सी. इण्डस्ट्रीज, चम्बल औद्योगिक क्षेत्र, कोटा द्वारा उसे आवंटित भूखण्ड के अलावा सड़क एवं भूखण्ड संख्या एच 39-बी के 608.50 वर्ग मीटर भू-भाग पर किये अतिक्रमण को नियमानुसार हटाकर सचिवालय को तीन माह में सूचित किया जावे।
2. मैसर्स एल.सी. इण्डस्ट्रीज, चम्बल औद्योगिक क्षेत्र, कोटा द्वारा रीको के अतिक्रमित भू-भाग के अनाधिकृत उपयोग-उपभोग का नियमानुसार आकलन कर शास्ति राशि की तीन माह में वसूली कर सचिवालय को सूचित किया जावे।
3. स्पष्ट आरोप व निर्देशों के बावजूद अब तक अतिक्रमण न हटाने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाकर तीन माह में इस सचिवालय को सूचित किया जावे।

सिफारिश की पालना में प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 10.3.15 के द्वारा अवगत करवाया है कि मैसर्स एल.सी.रबर इण्डस्ट्रीज, चम्बल औद्योगिक क्षेत्र, कोटा को आवंटित भूखण्ड सं. जी-40(ए), क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर के अलावा सड़क एवं अन्य भू-भाग क्षेत्रफल 608.50 वर्गमीटर पर किये गये अतिक्रमण को स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस की सहायता से दिनांक 28.02.14 को हटा दिया गया है। अन्य कोई अतिक्रमण किया हुआ नहीं है। वर्ष 1988 से अतिक्रमण हटाने की तिथि तक अतिक्रमित भूमि क्षेत्रफल 608.50 वर्गमीटर के किये गये उपयोग-उपभोग के लिए नियमानुसार आकलन कर शास्ति राशि रूपये 15,84,685/- जमा कराने हेतु आवंटी को नोटिस दिनांक 16.02.15 दिया गया था जो राशि आवंटी द्वारा अभी तक जमा नहीं करवाई गई है। इस

सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी को उक्त राशि जमा करवाये जाने की प्रगति से अवगत करवाने हेतु लिखा गया है।

4. एफ.5(13)लोआस/2013

यह प्रकरण परिवादी श्री अचलेश्वर बोहरा, निवासी सांतपुर (आबू रोड़), जिला सिरोही द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर संस्थित हुआ।

परिवाद में यह आरोप लगाया गया कि श्री दिनेश चौहान, तत्कालीन उप जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, सिरोही (कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, सिरोही) द्वारा पद पर रहते हुए निजी विद्यालयों को मान्यता हेतु विद्यालय निरीक्षण में दोहरा अभिलेख तैयार कर अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार किया गया है जिसकी परिवादी द्वारा दिनांक 21.11.12 को प्रमुख शासन सचिव एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर को शिकायत करने पर भी श्री चौहान के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह भी आरोप लगाया कि श्री चौहान के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन की जा रही जाँच में जाँच अधिकारी नियुक्त नहीं किया जा रहा है और उक्त जाँच नियम 17 में परिवर्तित कर बचाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

इन आरोपों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच की गई। प्रारम्भिक जाँच में आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से आरोप प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर लोक सेवक श्री दिनेश चौहान, उप जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, सिरोही के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किया गया।

अन्वेषण के दौरान लोक सेवक को नोटिस, उसका जबाव/स्पष्टीकरण मय शपथ-पत्र एवं ऐसी दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया, जिसे कि वह अपने बचाव में प्रस्तुत करना उचित समझे तथा

उसकी एक प्रति उसके सक्षम प्राधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित की गई। लोक सेवक को अपना पक्ष रखने, व्यक्तिगत सुनवाई एवं साक्षियों से प्रतिपरीक्षण का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया। अन्वेषण के दौरान आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से लोक सेवक श्री दिनेश चौहान के विरूद्ध निम्नांकित आरोप प्रमाणित पाये गये:-

1. श्री दिनेश चौहान ने सांवलिया विद्यामन्दिर, वेलांगरी को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में दिनांक 21.03.2009 को निरीक्षण कर दो विरोधाभासी प्रतिवेदन प्रदर्श-1 एवं प्रदर्श-2 तैयार किये जिनमें प्रथम प्रतिवेदन प्रदर्श-1 में उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता देना उचित नहीं होना माना, वहीं उसी दिन तैयार किये गये दूसरे प्रतिवेदन प्रदर्श-2 में उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता दिये जाने की अभिशंषा की।

2. श्री दिनेश चौहान ने परशुराम गुरूकुल विद्यालय, कोजरा को उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता देने हेतु बिना दिनांक के हस्ताक्षर कर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जबकि उपस्थिति पंजिका में उस दिन गाँव नादिया की सरकारी यात्रा दर्शाई गई थी। उनके द्वारा उपस्थिति पंजिका में भी कांट-छांट की गई।

अत: राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी, प्रभारी मन्त्री, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को पत्र दिनांक: 27.11.14 के द्वारा प्रतिवेदन मय सिफारिश प्रेषित कर लोक सेवक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत वृहद् शास्ति से दण्डित करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश की गई। सिफारिश की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

5. एफ.16(120)लोआस/2012

परिवादी श्री श्रवण कुमार ने एक लिखित शिकायत दिनांक 14.09.12 को प्रेषित कर बताया कि दिनांक 03.12.2007 को निजी खातेदारी भूमि पर गीतांजलि फाउण्डेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री जे.पी. अग्रवाल को राजस्व ग्राम मनवा खेड़ा (उदयपुर) में निजी खाते की नगर विकास न्यास द्वारा नियमन की गई भूमि पर स्वीकृत साइट प्लान के अनुसार मेडिकल कॉलेज तथा चिकित्सालय के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। परिवादी ने आरोप लगाया कि संस्था ने नगर विकास न्यास के अधिकारियों की मिलीभगत व राजनैतिक प्रभाव से निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व ही भवन निर्माण नियमों व शर्तों के विपरीत शुरू कर दिया। संस्था को आवंटित की गई भूमि जो खुले स्थल के रूप में उपयोग में ली जानी थी तथा जिस पर निर्माण करने की इजाजत नहीं दी गई थी, उस पर निर्माण कर लिया गया। परिवादी द्वारा परिवाद के साथ दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये गये।

इस परिवाद के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह बताया गया कि दिनांक 03.12.2007 को निर्माण स्वीकृति जारी करने के पश्चात् निर्माण कार्य शुरू किया गया। दिनांक 14.12.2006 को बिन्दु संख्या एक की भूमि आवंटित की गई लेकिन उस समय तक दोनों भूमियों का संयुक्तिकरण न होने से दिनांक 15.02.2007 के पत्र द्वारा आवंटित भूमि खुले रूप में उपयोग में लिये जाने का उल्लेख करते हुए नियमित (रूपान्तरित) भूमि पर भवन मानचित्र स्वीकृति का निवेदन किया गया तथा न्यास द्वारा इस रूपान्तरित भूमि पर निर्माण स्वीकृति दिनांक 03.07.12 को जारी की गई परन्तु नगरीय विकास विभाग, जयपुर ने दिनांक 17.02.12 के पत्र द्वारा व न्यास ने दिनांक 06.11.12 के पत्र द्वारा दोनों भूमियों का संयुक्तीकरण कर दिया। दिनांक 14.12.2006 के आवंटन-पत्र में भूखण्ड को खुले क्षेत्र के रूप में उपयोग करने की शर्त अंकित नहीं है। यह स्वीकार किया गया कि संयुक्तिकरण किये गये

भूखण्ड पर जो निर्माण कार्य कर लिया गया था, उसे न्यास के प्रचलित भवन विनियम, 2013 के अनुसार नियमित कर दिया गया है।

परिवादी को उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित करते हुए आपत्तियाँ आमंत्रित की गई। परिवादी द्वारा अपनी आपत्तियाँ प्रेषित करने पर एवं यह देखते हुए कि नगर विकास न्यास ने गीतांजलि फाउण्डेशन के निर्माण कार्य को अवैध मानते हुए उसका नियमितीकरण किया है, मामले में दिनांक 25.02.14 को प्रारम्भिक जाँच करने का आदेश दिया गया।

प्रारम्भिक जाँच के दौरान आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से यह स्थापित हुआ कि गीतांजलि फाउण्डेशन द्वारा सैट बैक क्षेत्र में अवैध रूप से मोर्चरी, ए.टी.एम. तथा मैनीफोल्ड का निर्माण करवा लिया गया है। इस अवैध निर्माण का न तो नियमितीकरण किया गया है, और न ही हटाया गया है परन्तु पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी जिससे इस अवैध निर्माण में किसी लोक सेवक की संलिप्तता प्रकट होती हो।

अतः दिनांक 27.11.14 को प्रारम्भिक जाँच प्रतिवेदन की एक प्रति सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर को अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग के जरिए प्रेषित कर यह सिफारिश की गई कि मैसर्स गीतांजलि फाउण्डेशन को नोटिस देकर उनके द्वारा निर्माण अनुमति के विपरीत सैट बैक क्षेत्र में बनाये गये ए.टी.एम., मोर्चरी व मैनीफोल्ड व अन्य निर्माण उनके सम्बन्ध में कोई हो तो, उनके सम्बन्ध में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करें तथा तहसीलदार के यहाँ लम्बित प्रकरण संख्या 170/2014 के आदेश दिनांक 04.07.14 की पालना में प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सड़क पर फाउण्डेशन द्वारा किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में आदेशानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर तीन माह में सूचित करें।

सिफारिश की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

6. एफ.8(6)लोआस/2014

This case was instituted on the basis of a complaint dated 21st April, 2014 filed by Shri Mahesh Jhalani S/o Late Shri Raghuvar Dayal Mahajan, resident of G-838, Gandhi Nagar, Jaipur. The complainant calls himself a Convenor of "Forum Against Corruption and Exploitation (FACE)". He has alleged that RMSC conspired with M/s. Claris Otsuka Ltd to contravene the tender conditions and RTPP Act, 2012 and similarly allowed another firm M/s. Pentagon Lab, which indulged in forgery in its previous bids. When a complaint was made to Hon'ble Health Minister he directed to constitute a three member enquiry committee but this committee comprised members, who were themselves members of purchase committee of RMSC. Hence, there was no hope of justice from them.

A perusal of the file shows that the following Eligibility Criteria was set for a bidder:-

2(a) he shall be a manufacturer having own valid manufacturing licence or direct importer holding valid import licence but distributors/suppliers /agents/loan licensee are not eligible to participate in the bid.

2(b) Average annual turnover of drugs and medicines including surgical business in the last 4 financial years 2009-10, 2010-11, 2011-12 & 2012-13 as mentioned in clause 5(1)(m) shall be not less than Rs. 20.00 crore. For importer firms, the annual average turnover should not be less than Rs. 10.00 crore. For SSI units of Rajasthan, it should not be less than Rs. 2.00 crores.

2(c) The bidder should have at least 3 years market standing as a manufacturer for the items quoted in the tender on the date of bid opening.

4(iii) In case of any document submitted by a bidder is found to be forged, false or fabricated, the bid will be rejected and bidder and his representative will be black-listed/banned/debarred.

5(j) Market Standing Certificate issued by the Licensing Authority/ Competent Authority as a manufacturer for the product for last 3 years, (certificate should be enclosed with list of items) should be enclosed.

5(m) Annual Turnover Statement for 3 years, i.e. 2009-10, 2010-11 & 2011-12 in the format given in Annexure-3 certified by the practising Chartered Accountant, Provisional/Audited (By CA) turnover, of Financial year. 2012-13 may be accepted but the firm has to submit Audited Turnover Statement.

According to the complainant the firm M/s. Claris Otsuka was incorporated on 12-11-2012 as M/s. Claris Speciality Injectables, which changed its name to M/s. Claris Otsuka on 29-12-2012 thereby contravening the tender conditions 2(c) and 5(m), hence was not eligible.

This is a fact that M/s. Claris Otsuka came into being only in November, 2012 but a look into the documents submitted by this firm clearly shows that this company is a joint venture company of M/s. Claris Lifesciences manufacturing I.V. fluids since 2002. The I.V. fluids manufacturing plant of M/s. Claris Lifesciences was situated in Chacharwadi, Ahmedabad since 2002. After the incorporation of Claris Otsuka two units of this plant were transferred including plant, machinery and personnel to Claris Otsuka under the same drug manufacturing license. On 26-7-2013 the same drug manufacturing license originally issued to Claris Lifesciences was renewed in the name of M/s. Claris Otsuka.

Hence, on the basis of these documents the purchase committee held that the bidder M/s. Claris Otsuka has not contravened the conditions 2(b), 2(c) and

5(j), 5(m). The purchase committee deliberated about the complaint and decided on the basis of advice given by the Company Secretary and Legal Adviser of RMSC and this opinion was further submitted to the Health Minister, who again sought legal opinion thereon.

Thereafter ILS Shri R.K. Rawat, Consultant (Law), RMSC reiterated his view that the experience of M/s. Claris Lifescience can be counted in favour M/s. Claris Otsuka.

The complainant has also referred to RTTP Act, Rule 59, Sub Rule 4 and 5 but a bare look at the provisions clearly shows that the bid evaluation was done by examining the technical aspect of the bid.

The complainant has further contested the bonafides of RMSC in accepting the bid documents of M/s. Claris Otsuka on the ground that M/s. Claris Lifesciences has transferred only two of its manufacturing units to M/s. Claris Otsuka and the company itself is manufacturing the same injectables under a different license.

It is also pertinent to note that the first appeal preferred against accepting the bid of M/s. Claris Otsuka before the Principal Secretary, Medical and Health under the RTPP Act was dismissed.

Similarly a three member committee constituted by the Health Minister to enquire into the allegation levelled by the complainant has also found the acceptance of M/s. Claris Otsuka's bid to be as per rules.

We sought an opinion from the AAO of Lokayukta Sachivalaya, who has also clearly opined that there is no transgression of tender conditions of RTTP Act, 2012 and the tender conditions. Hence, we can safely say that the allegation levelled by the complainant on the purchase committee of RMSC do not have any foundation.

M/s. Pentagon Lab Limited

The complainant alleged that this firm participated in various tender biddings of RMSC and was always successful. This firm also participated in tender process of State Health Society, Bihar and submitted its own turn over on 07.10.2013 for the preceding three years.

Similarly on 18-10-2013 the same firm submitted its turn over for the preceding three years in RMSC bid which were 20 to 30 percent higher than those submitted in Bihar tender.

A comparative chart showing the different turn over of the same company for the same year clearly brings out the forgery committed by the firm:-

Year	Bihar Turn Over (in crore rupees)	Rajasthan Turn Over (in crore rupees)	Difference (%)
2009-10	19.97	25.59	28%
2010-11	20.72	25.52	23%
2011-12	26.75	32.72	22%

The complainant has pointed out that in tender condition 2(b) turn over does not mean gross sales referring to sub section 5 of Section 44 AB of Income Tax Act. But it is clear that the term total sales, turn over or gross receipt has not been defined anywhere in the Act, but in the guidance note on terms

used in financial statement published by Institute of Chartered Accountant turn over has been defined as:-

> "Aggregate Amount for which sales are affected after deducting, there from goods return, price adjustments, trade discount and cancellation of bills."

The complainant also alleged that M/s. Pentagon Lab in its four previous bids in RMSC always submitted a false turn over certificate. It was the duty of technical committee to co-relate the turn over certificate with profit and loss account.

The complainant has submitted a table showing gross sales, rebate and actual turn over of the company from 2007-12:-

Year	Gross Sales (In Rs.)	Rebate/Discount (In Rs.)	Turnover (In Rs.)
2007-08	20,65,64,452	5,10,51,148	15,55,13,304
2008-09	20,91,12,534	3,57,71,193	17,33,41,341
2009-10	25,59,51,510	5,62,83,690	19,96,67,820
2010-11	25,52,94,104	4,80,84,385	20,72,09,718
2011-12	32,27,97,010	5,52,87,920	26,75,09,089

The Executive Director, RMSC in its factual report at page 83 has submitted that for the tender in question turn over of 2010-11, 2011-12, 2012-13 were asked and this should have been based on a certificate submitted by a Chartered Accountant. A turn over of Rs. 27.48 crores for 2010-11 submitted by the firm was due to a typographical error, because as per profit and loss account it was 25.53 crore. He also mentioned that they do not rely on definition of turn over as per section 44 AB of Income Tax Act but as per Central Sales Tax Act, 1956 according to which cash incentive/bonus can not affect the sale value of the goods.

It is also mentioned in the factual report that the actual average turn over of the M/s. Pentagon Lab Limited for the past three years was more than 20 crores. When a complaint was lodged by Shri Mahendra Jain about these false & fake turn over certificates. The RMSC sought an explanation from the firm, which is available at page 27/c, 78/c and 92/c of the complaints file submitted by RMSC.

M/s. Pentagon Labs has accepted the fact that the turn over figure of 2010-11is 25.52 crore and not 27.48 crores. It was mentioned that it is due to typographical clerical mistake for which a corrigendum was issued on 11-1-2013, which is a part of original certificate and can be verified by a copy of audited profit and loss account of the company submitted with the tender.

About the definition of turn over they have explained that turn over has not been defined in the I.T. Act even in the guidelines note on the tax audit issued by Chartered Accountant Institute. Para 5.8 clearly lays down that turn over should be construed in accordance with the method of accounting regularly employed by the assessees. It is also mentioned in explanation that M/s. Pentagon Labs is following the same accounting policy for the last eight years as per section 2(z) of M.P. Vat Act, in which turn over means aggregate amount of sale prices receivable by a dealer in respect of any sale.

M/s. Pentagon has also submitted copies of sale tax return, profit and loss account and opinions of several Chartered Accountants in their favour.

The ED, RMSC sought an opinion from M/s. S. Signal & Company an eminent Chartered Accountant of Jaipur and the firm after referring

accounting practices, and as per section 2(91) of the Companies Act including provisions of Income Tax Act opined that rebate discount and claim other than cash discount should not form part of the turn over. On the other hand, if it is a cash discount as claimed by the company and endorsed by the assessing authority, Turn Over can not be reduced by cash discount.

After receipt of this opinion, the purchase committee of RMSC accepted the explanation and bid of M/s. Pentagon Labs.

It is clear from a perusal of complainant's allegation and explanation offered by M/s. Pentagon Labs, which is supported by CA's opinion as well as Section 2z of M.P. Vat Act and other documents that the term "Turn Over" does not have a final definition but is to be based on sound accounting principles, which are variable.

In a judgement by Hon'ble Delhi High Court in Werm (India) Ltd. and ors. vs. The Lokayukta and ors. dated 30.5.2003 (2003 (69)DRJ 229), the court held that part of the Lokayukta Report, in which observation were made against the petitioner firm for laying trunk sewer on a contract by Delhi Jal Board should be ignored because the firm was not given a chance of being heard before making such observations against them.

Similarly, in this case we have not given any opportunity of hearing to M/s. Pentagon Labs. Hence, any recommendation/ observation on this point against the firm will be subject to judicial review.

In these circumstances although the decision of RMSC in allowing M/s. Claris Otsuka to submit it's bid in technical contravention of tender condition 2(b), 2(c) and allowing M/s. Pentagon Labs Limited's

explanation, can not be faulted on the ground of malafides. But it is clear that the tender conditions mentioned in the initial notice inviting tenders as per provision of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 it was imperative on the part of RMSC that tender conditions should give each and every prospective bidder equal chance.

Because many firms/companies may have been misguided on a bare reading of conditions 2(b), 2(c), 5(j), 5(m) that even a sister/joint venture company of a previously existing old company, which can fulfil these conditions is not eligible to participate in the tender process, whereas the object of RTPP Act, 2012 clearly mentions ensuring transparency, fair and equitable treatment of bidders, promoting competition, enhancing, efficiency and economy and safeguarding, integrity in the procurement process.

Hence, to avoid allegations against itself, while sending a copy of report under section 12(1) of the Rajasthan Lokayukta and Up Lokayukta Act, 1973 vide letter No.F.8(6)LAS/2014/22356 dated 22.12.2014 to the RMSC and Principal Secretary, Medical and Health & Chairman, RMSC vide letter No. No.F.8(6)LAS/2014/22359 dated 22.12.2014, it was recommended that they must go through the object of the Act and in future in every tender that is floated by the company after the tender in question dated 24.8.2013, it must incorporate explanations in conditions 2(b), 2(c) read with 5(m) and 5(n) about the meaning of market standing as a manufacturer and annual turn over, which they are going to accept and not keep it ambiguously worded, so that different firms/companies are not misguided.

For this purpose it is proposed to suggest to them to form a committee to examine this aspect within 15 days and take a decision accordingly and thereafter float any tender.

In compliance to the recommendation made in this matter, Deputy Secretary to Government, Medical and Health (Gr.2), Government of Rajasthan vide his letter No.F.26(1)MH/2/14 dated 28.01.2015 has informed this office that Government has accepted the recommendation of the Committee constituted by the RMSC in pursuance to this Sachivalaya's directions. As the competent authority has complied with the recommendation made in this matter, Consequently the matter was closed on 04.02.2015.

7. एफ.19(4)लोआस/2011

This case was instituted on the basis of a complaint made by one Shri Rajesh Tiwari S/o Shri Amarnath Tiwari, resident of B-515, OM Enclave, Jhalawar Road, Anantpura, Kota (Raj.). The complainant has questioned the allotment of land made by RIICO vide its order No. U (16)-3( )/ 12295 dated 30.03.2001(Ex.1) to M/s Om Metals & Minerals Ltd., B-117-118, IPIA, Kota (subsequently the name of the company has been changed to Om Metals Infraprojects Ltd.) (hereinafter referred to as 'Om Metals'). The Complainant alleged that vide aforesaid order dated 30.03.2001, a Plot No.1-B measuring 42,453 Sq.m. at IPIA, Kota was allotted to Om Metals at concessional rates. Out of the said land 20,000 Sq.m. was allotted for setting up a residential colony, 19753 Sq.m. was allotted for setting up an Industrial Training Institute, MCA, BBA, PGDCA and other higher educational & labs etc. and 2700 Sq.m was allotted to be kept open.

The main grievance of the complainant is about the land measuring 20,000 Sq.m allotted at concessional rates for setting up of a residential colony. He alleged that this land was allotted for setting up a colony for the purposes of the aforesaid educational institutions, whereas Om Metals has used this

land for construction of multistoried buildings and duplex bungalows and sold out the flats and bungalows to general public and this was permitted by the officers of the RIICO against the law.

He made grievance *inter alia* on the following grounds:

(i) that no plot holder in an industrial area can construct residential building on such plot and sell it to other persons. However the officer at RIICO Head Office has taken an illegal decision and allowed Om Metals to construct a residential building and sold it out to the public which indicates a conspiracy;

(ii) that Om Metals constructed a residential building on the aforesaid land and sold it out to the public at market rates whereas the land was allotted to Om Metals at concessional rates and thus caused loss to the public exchequer which in the estimate of the Complainant is about Rs.9 crores;

(iii) that Om Metals repeatedly violated the conditions of the allotment but the officers, except giving some formal notices, did not take any effective action, and requested this Office to enquire into the matter.

Having gone through the factual report and concerned original record received from the RIICO, it was decided to conduct Preliminary Enquiry in the matter at the level of this Sachivalaya and the same was entrusted to the then Secretary, Lokayukta vide para 61/N on 02.04.2012. The then Secretary, Lokayukta submitted a Preliminary Enquiry Report on 27.07.2012. The Office of Lokayukta was vacant from 1 May, 2012 to 24 March, 2013, therefore, the report was re-submitted by the then Secretary on 12.06.2013. Before reaching to a definite conclusion in the matter, it was directed vide para 106-107/N to obtain some further records and information and to submit an exhaustive Report and thereafter, on 09.10.2013, vide para 127/N, Joint Secretary, Lokayukta was authorised to conduct further proceedings in the matter.

The complaint under consideration is the climax of a story which started with an application dated 30.03.1996 (Ex.7), filed on plain paper by one Shri T. C. Kothari, Chairperson of a charitable trust namely Om Kothari Foundation (OKF) stating that the trust had taken up a prestigious project of MBA College in Kota and the College was running in a rented building for which they needed land measuring around 10 acre (40,000 sqm.). In pursuance of this application, RIICO reserved 40,000 sqm. of land in Indraprastha Industrial Area, Kota which was ordered to be allotted in two Phases.

In Phase I, 20,000 sqm. land was allotted for MBA college at the rate of 50% of the prevailing rates and 20,000 sqm. land was reserved to be allotted in Phase II at the rate of 50% of the rates prevailing at the time of allotment. There was a condition that the Phase I will have to be completed within three years starting from 1st April, 1997 and if the Phase I is not completed within the stipulated time, the allotment would be liable to be cancelled. In respect of Phase II there was a condition that the land will be reserved for 3 years and if the Phase I is not completed by then, the RIICO would be free to put the land reserved for Phase II to another use(Ex. 8). There are several evidences on the file (Ex. 22-29 Article-1 page 288, 300, 302, 305-309) which show that OKF incessantly contravened the conditions of the allotment, made encroachment on the adjoining land of the RIICO, and also did not complete Phase I within the stipulated time of three years. But the RIICO did not cancel the allotment made to OKF until now.

It has also come on record that instead of cancelling the allotment made to the OKF, the RIICO vide office order dated 24.02.1998 again ordered allotment of an additional piece of land measuring 2828 sqm. to regularize

the unauthorized construction made during Phase I (Ex. 13 & 14 in Article-1 at page 312 & 316).

Nevertheless, Shri T.C. Kothari, Chief Trustee of Om Kothari Foundation made another application on 27.01.2001 (Ex.3) to the Chairman-cum-Managing Director, RIICO justifying certain contraventions committed in Phase I and requesting allotment of 20,000 Sq.m land reserved for Phase II. This application was also made on plain paper.

The agenda note No. 17 placed in the meeting dated 16.03.2001 (Ex. 11 & 4) speaks of request made by OKF for allotment of land and also recites the conditions of allotment made to OKF in Phase I. The agenda note No. 17 culminated in the order dated 30.03.2001 which refers to an application dated 27.01.2001. There is no other application dated 27.01.2001 on the record of the RIICO except the above application made by Shri T.C.Kothari, Chief Trustee of Om Kothari Foundation on 27.01.2001 (A.W.1, Para 2). As such there is no doubt that the above agenda note No. 17 was prepared only in pursuance of the aforesaid application dated 27.01.2001 submitted on behalf of OKF.

The aforesaid agenda note No. 17 was prepared by Shri Rajesh Verma, Executive Director, RIICO. Perusal of the agenda note No. 17 along with the aforesaid application dated 27.01.2001 shows that Shri Verma has not only made false statements in the agenda note but has also withheld material information. He has recited the conditions imposed on OKF in respect of the land allotted in Phase I but has conveniently withheld and suppressed the information available on record about the various contraventions made by OKF in respect of that allotment.

OKF had requested for allotment of 20,000 Sq.m. land reserved by the RIICO for Phase II and there is no reference in the application dated 27.01.2001 about the request of allotment of 40000 sqm. land and deposit of a token money of Rupees 21 lakh or other sum but Shri Verma has falsely mentioned in the agenda note that OKF has requested for allotment of 40000 sqm. land and has deposited a token money of Rupees 21 lakhs. RIICO had issued a circular No.IPI/P-3/24 (D)-12 dated 05.02.1997 (Ex.12) wherein it had been ordered that plots in Indraprastha Industrial Area, Kota shall be sold only through open auction and no new application for allotment of land shall be accepted and all pending applications shall be returned. As per this circular, the application dated 27.01.2001 could not have been entertained but not only was the application accepted and processed but Shri Verma had also withheld this information.

Thus, Shri Verma made every effort to see that a valuable piece of land, that could have fetched very high returns in auction, be allotted to OKF by preparing a convenient agenda note favourable to OKF hiding certain facts inconvenient to OKF. The aforesaid agenda note No. 17 was considered as Item No. 17 in the meeting dated 16th March, 2001 of the Infrastructure Development Committee (IDC) of the Board of the RIICO. It would be appropriate to quote the minutes relating to Item No. 17 (Ex. 10 Article-2 A to B) *ad verbatim* which is a telling piece of document. Minutes are as under:

> **“Item No. 17:**
> **Allotment of land to M/s Om Kothari Foundation, for existing MBA College at IPIA Kota.**
> The Committee discussed the position as brought out in the agenda note and approved the proposal contained therein. *The Committee after discussion decided to allot the land to M/s Om Metals and Minerals Ltd., a group company. The company shall be allowed to*

make use of the land for industrial and educational purpose. However, for use of residential purposes the company shall be paying twice the rate.

The following resolution was adopted:-
Resolved that approval be and is hereby accorded for modifying the decision taken vide item No. 30 in the meeting held on 15th November, 1996 for making allotment of vacant land measuring about 45,000 sqm at Indraprastha Indl. Area, Kota at a concessional rate of 60% of the prevailing rate of development charges (Rs. 210/- per sqm.) on undeveloped basis to M/s Om Metals & Minerals Ltd. for **industrial and educational** use. For such of the land, which the company intends to use for residential purpose, it will pay double the above rate. The land lying under 132KV Power Line measuring about 2700 sqm shall be allotted at 50% of the above said rate, i.e., Rs 105 per sqm. The land shall be allotted on "as is where is basis" and development work including flood protection work shall be undertaken by the company.

The approach road was supposed to cater to the requirement of the land locked area behind the existing land of Om Kothari Foundation. Since the entire area is being allotted to the company, RIICO is no more concerned with the construction of approach road etc."

(Italics and bold by me)

It will appear from the reading of application dated 27.01.2001, agenda note No. 17 and the order dated 04.12. 1996 (issued in pursuance of decision taken vide item No. 30 in the meeting held on 15th November, 1996) side by side that there is no mention of M/s Om Metals & Minerals Ltd. in either of the above documents. Even the heading of the Item No. 17 of the above minutes speaks about allotment of land to OKF for expansion of existing MBA College. From the perusal of the complete minutes of the aforesaid meeting dated 16th March, 2001, it would appear that under neither of the Items, except Item No. 17, any additional decision as italicized in the above minutes has been recorded. The application dated 27.01.2001 was about the allotment of 20000 sqm. land reserved to be allotted in Phase II for the

extension of MBA College vide order dated 04.12.1996 and the agenda No. 17 was also put for allotment of land for extension of MBA College whereas the italicized portion of the minutes says that the allotment was being made for industrial and educational purpose. Since there was no demand for allotment of land for residential purposes, there was no occasion to record in the minutes that "for use of residential purpose the company shall be paying twice the rate". The minutes show that it was a resolution to modify the decision taken vide item No. 30 in the meeting held on 15th November, 1996 for making allotment of vacant land measuring 45,000 sqm. It may be noted that there was no issue before the IDC for modifying the decision taken in the meeting dated 15th November, 1996 as it was neither requested in the application dated 27.01.2001 nor proposed in agenda note No. 17.

In the aforesaid meeting dated 15th November, 1996, only 40,000 Sq.m land was reserved to be allotted to OKF whereas the above minutes say that it was a decision to allot 45,000 Sq.m land. It may be mentioned that in pursuance of the decision taken in the meeting dated 15th November, 1996 land measuring 20,000 Sq.m. was allotted to OKF, a charitable trust, for educational purpose subject to a number of conditions, after judging the ability of the trust to carry out the project for which the land was allotted and an additional land measuring 20,000 Sq.m. was reserved for the same purpose, i.e., for extension of MBA College to be allotted for future extension.

Whereas, contrary to the application of OKF, the IDC resolved in its meeting dated 16th March, 2001 to allot a land measuring 42,453 Sq.m. including the above 20,000 Sq.m. land reserved for OKF to a company namely M/s Om Metals & Minerals Ltd. without there being any application. Agenda note No. 17 proposed to allot additional land measuring 42, 453 sqm. to OKF but the IDC resolved to make allotment to M/s Om

Metals & Minerals Ltd without there being any request from the company and without ascertaining the eligibility or capacity of the company for carrying out the purposes, particularly the educational purpose, for which the land was being allotted.

The whole decision taken in the meeting dated 16th March, 2001 was dubious, uncalled for, based totally on extraneous considerations and recorded in dubious language so that a private company may be able to manipulate the language and use the land for its commercial objects.

In pursuance of the above meeting dated 16th March, 2001, an Office Order No. IPI/P-6/IDC/2k-1/210 dated March 21, 2001(Ex. 5) was issued by Mr. S. A. Farooqui, Adviser (Infra), RIICO. The subject of the Order reads as follows:

"Sub: Allotment of land to M/s Om Kothari Foundation/Om Metals and Minerals Ltd., Kota".

It may be noted that above minutes of meeting dated 16th March, 2001 clearly says that allotment is being made to M/s Om Metals & Minerals Ltd. and Mr. Farooqui has also recorded same thing in the body of the Order. Then question arises why he mentioned Om Kothari Foundation in the subject of the order? Answer is obvious. He knew very well that allotment was requested by OKF and allotment made in the meeting dated 15th November, 1996 was also made to OKF and reference to that decision was made only to relieve, by implication, the OKF from its liabilities under the allotment made in the Phase I and real object of the decision taken in the meeting dated 16th March, 2001 was to allot the land measuring 42,453 sqm. to M/s Om Metals and Minerals Ltd at concessional rates under the cover of OKF which was a charitable trust.

In fact neither there was application from Om Metals and nor was its eligibility considered for the allotment. The IDC had acted totally upon extraneous considerations. However, he did not choose to refer the decision back to IDC; rather he chose to assist the company by camouflaging the decision in dubious language.

In pursuance of the aforesaid decision taken in the meeting dated 16th March, 2001 and the Office order dated 21st March, 2001, the Senior Regional Manager, RIICO, Kota issued an allotment letter No. U (16)-3/12295 dated 30.03.2001 (Ex.1). This order is also a telling document and therefore, it would be appropriate to quote its relevant portion *ad verbatim*. The relevant portion is as under:

"RAJASTHAN STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT &
INVESTMENT CORPORATION LIMITED
(A RAJASTHAN GOVERNMENT UNDERTAKING)
INDRAPARASTHA INDUSTRIAL AREA, KOTA- 324005
Phone No. 0744-422132, 427669

No.: U (16)-3 ( )/12295 Dated 30.03.2001

M/s. Om Metals & Minerals
Plot No. B- 117-118,
IPIA, Kota

Sub: Allotment of land for various activities at IPIA, Kota.

Dear Sir,

With reference to your application dated 27.1.2001, the Management of the Corporation has been pleased to give allotment of plot No. 1-B admeasuring 42,453 sqm. land at IPIA, Kota for setting up the following activities. The land has been allotted as under develop basis on concessional rates as mentioned below:

Area measuring 20000 sqm. for setting up a residential colony at a concessional rate of Rs. 420/- per sqm.		Rs. 84, 00, 000.00
Area measuring 19753 sqm. at a concessional rate of Rs. 210/- per sqm. for setting up of an Industrial Training Institute, MCA, BBA,		Rs. 41, 43, 130.00

PGDCA, other higher education & lab etc.		
Land under power line measuring 2700 sqm. has also been allotted at a further concessional rate of Rs. 105/- per sqm. to be left open in future.		Rs. 2,83,500.00
Total	:	Rs. 1,28,31,630.00

……………………*(Omitted as not relevant here)* ……………………..

Sd/- Sr. Regional Manager,
RIICO Ltd, Kota"

The order refers to an application dated 27.01.2001. Shri Gotam Chand Jain, Senior Regional Manager, RIICO, Kota (A.W.1) has admitted in his testimony that there is no other application dated 27.01.2001 on record except the application dated 27.01.2001 submitted by Shri T.C. Kothari, Chief Trustee, Om Kothari Foundation (Ex.3) and it is the only application which was sent to them through fax. Thus, it is an admitted fact that while issuing the order dated 30.03.2001, the Sr. Regional Manager was acting upon the said application but that application was not submitted by M/s Om Metals &Minerals Ltd. and therefore he had wrongly mentioned in the order that the order was "with reference to your (Om Metals) application".

The minutes of the meeting dated 16th March, 2001 show that the land was allotted for industrial and educational purpose. Though it was mentioned in the minutes that "for such of the land, which the company intends to use for residential purposes, it will pay double the above rate" yet there was no mention in either the agenda note No. 17 nor in the resolution of the IDC on Item No. 17 as to how much of the land the company intends to use for residential purpose and how much land is to be allotted for that purpose. There is nothing on the record which shows that the company had ever expressed its intention to use any particular area of land for residential purpose before the Sr. Regional Manager, RIICO, Kota issued the order dated 30.03.2001. But the order says that 20,000 sqm. land has been allotted for residential purposes. Again, the resolution of IDC says that land is being

allotted for 'industrial and educational' purpose however the order dated 30.03.2001 does not allot even an inch of land for any industrial purpose. It makes allotment only for residential and educational purpose.

Thus, the order is totally contrary to the resolution passed by the IDC. It appears that Sr. Regional Manager had been more anxious to facilitate the ulterior motives of the company instead of carrying out the trust of his office. He did not take care to bring on record any request from the company about its intent to use certain area of land for any specified purpose. He appears to be in a hurry to facilitate the allocation of land in the interests of the company.

If we recapitulate the whole story of actions, inactions and laxity on the part of the officers and servants of the RIICO from the date of application dated 27.01.2001, it would be apparent that from the agenda note No. 17 to the order dated 30.03.2001, i.e., over a period of only 2 months, every document has been manipulated step by step in the way that at any one stage the manipulation may not be prominent but the whole series of manipulations may culminate in the desired object of letting valuable government land slip away (which otherwise would have been invested for industrial development in the State) into the hands of a private company at throw away prices and virtually without regulation. The whole machinery of RIICO has acted like administering slow poison to the valuable public resource.

Some apt questions that may spring up in the common mind are that how and why these officials, who are generally depicted by the industrial world as clogging the wheels of industrial development in the State, acted in concert and in such a hurry in favour of Om Metals? Why did OKF not object to allotment of the land to Om Metals which was reserved for

extension of its MBA College and for which an application dated 27.01.2001 had already been moved? And why did OKF not make objection when its application was treated as an application of Om Metals? The answers to these questions are not far from comprehension. They are available in the composition of OKF, Om Metals and RIICO.

At the relevant time, Shri T.C Kothari was Chief Trustee of OKF and at the same time, he was director of M/s Om Metals & Minerals Ltd. and Shri C. P. Kothari son of Shri T.C. Kothari was the Managing Director of M/s Om Metals & Minerals Ltd.(Ex. 6 & 7) Director, RIICO, Ex.3 Chief Trustee OKF, Ex. 30 Chairman, OMM. Thus, both the institutions were family institutions of Kotharis. Shri C.P. Kothari got appointed to the Office of Director of RIICO with effect from 11.12.2000 (Ex.6) and he remained in the office until 30th November, 2002. Directors of RIICO are appointed by the State Government and they are not required to hold any share in the Corporation (See Paragraph 76 and 77 of the articles of association of RIICO), therefore we asked the Industries Department about rules and regulations relating to the eligibility criteria and procedure of selection and appointment to the office of Director of RIICO but they have denied existence of any such rules and regulation.

It is shocking that a company which gets 100% funding from the public exchequer is given into the hands of the persons for whom no eligibility criteria is laid down and who do not have a stake of even a single penny in the company. There is considerable scope for inclusion of vested interest and for arbitrary appointment in an office where no procedure for selection is prescribed. As the event took place in the case in hand, there can be no doubt that appointment of Shri C.P. Kothari as Director, RIICO was made only to serve his personal interest to the detriment of public good. Be that as it may, it appears that there was a preconceived plan in the hands of

Kotharis. They got an allotment of 20,000 sqm land in 1996 and also have had the privilege of reservation of another 20,000 sqm. land for future allotment and were also aware of availability of another adjoining land to the tune of about 20,000 sqm. Since this allotment was made in the name of a charitable trust namely OKF for establishment of an MBA College and they have violated the terms of allotment several times, as they visualised that they may lose the allotment for violations of terms and conditions.

Even if somehow they had been able to get the violations condoned, there was only a remote possibility of further allotment of land and even if they get further allotment, land being in the name of a charitable trust, they would not have been able to exploit it for their commercial objects. It appears that they did not want to apply even in the name of their commercial company, i.e., Om Metals, because in that case they would have to furnish all the information required under the RIICO Disposal of Land Rules, 1979 and would have to establish their eligibility for the project for which they would have requested the allotment and would also have to compete in open market as RIICO had already taken a decision vide their circular No.IPI/P-3/24 (D)-12 dated 05.02.1997 (Ex. 12) that land in IPIA, Kota shall be allotted only through open auction.

This plan is apparent from the fact that they started the plan by submitting the application dated 27.01.2001 on behalf of OKF and ultimately got allotment order in the name of Om Metals and Minerals Ltd. by manipulating the agenda note No. 17 submitted in the meeting of IDC dated 16th March, 2001, minutes of the IDC relating to that agenda and the allotment order dated 30th March, 2001. In this background the Kotharis planned to get into the administration of RIICO and manipulate the system to shift the land from the hands of RIICO to their commercial company through a trick route chalked out by them.

Getting appointment as Director of RIICO was the first step in this direction and therefore it is most important to find out that the circumstances in which Shri C.P. Kothari was appointed as Director of RIICO. As it has been mentioned earlier, the Industries Department has denied any information other than the appointment orders of Shri C.P. Kothari, therefore, we are unable to investigate the aforesaid circumstances and may recommend investigation by an expert and independent agency like Central Bureau of Investigation. Nevertheless, after only 57 days of appointment of Shri C.P. Kothari as Director of RIICO, an application dated 27.01.2001 was filed by Shri T.C. Kothari, father of Shri C.P. Kothari, on behalf of Om Kothari Foundation for the allotment of 20,000 sqm. land reserved in 1996 for extension of MBA College. Thereafter how the whole machinery of RIICO from the Head Office, Jaipur to Regional Office, Kota acted in concert to implement the plan of Kotharis and ultimately shifted the land- a valuable public asset- into the hands of M/s Om Metals and Minerals Ltd. through an ambiguous order of allotment has been narrated above.

Having got the allotment of 42453 sqm. land under a dubious order, the Kotharis remained silent until 2005. Perhaps, they waited until a change takes place in the composition of IDC which ordered allotment of land so that they could use the ambiguous phraseology used in the agenda note No. 17 submitted in the meeting of IDC dated 16th March, 2001, minutes of the IDC relating to that agenda and the allotment order dated 30th March, 2001. In fact they did so. The letter No. OMIL/JPR/ 2009 dated 15th June, 2009 (Ex.31 in Article-7 at page 415-416) of M/s Om Metals and Minerals Ltd. vividly show how they made use of the ambiguous phraseology as a sword in the agenda note No. 17 submitted in the meeting of IDC dated 16th March, 2001, minutes of the IDC relating to that agenda and the allotment order

dated 30th March, 2001 and compelled the officers of RIICO, particularly the office bearers of IDC, to submit to their wishes.

Nonetheless, on 14.10.2005 they submitted building plan of flats and bungalows to be constructed on a part of the land allotted vide order dated 30th March, 2001 to the Unit Office of RIICO at Kota. (Ex. 41 in Article-9, Para 5 of agenda Note No. 20 submitted in meeting dated 15th September, 2009). We have been unable to find any provision regarding approval of the building plans of residential flat and bungalows in the RIICO Disposal of Land Rule, 1979, applicable at the relevant time. However, the Sr. Deputy Manager, RIICO, Kota, without questioning the proposed use, approved the building plan vide letter No. 11180 dated 3.02.2006 and on the same day also issued permission to M/s Om Metals and Minerals Ltd. for sale of flats constructed on the land vide letter No. 11179 dated 3.02. 2006.

It may be noted from the numbers of the above two letters that permission for sale of constructed flats had been issued even before the approval of building plan. It appears that M/s Om Metals and Minerals Ltd. had carried out construction on the land well before submitting the building plans and to clothe its unauthorized construction, it conspired with the Sr. Deputy Manager, RIICO, Kota and obtained aforesaid approval and permission. The perusal of rules of 1979, applicable at the relevant time, would show that there was no provision in the rules authorizing the Sr. Deputy Manager, RIICO, Kota to issue such permission. Thus, while issuing aforesaid two letters, the Sr. Deputy Manager, RIICO, Kota acted beyond the authority conferred upon him, breached the trust of his office and thereby cheated RIICO by creating false documents to extend undue benefit to a private company.

It was for the first time when Sr. Regional Manager, RIICO, Kota vide his letter No. U (16)-3(1-Spl B-I) 2001/840 dated 24.04.2007 (Ex.42 in Article-5 at page 152) raised the question of use of land responding perhaps on the building plans submitted by Om Metals on 16.02.2006 in respect of second stage of construction on the land allotted vide order dated 30th March, 2001. He noted in the letter that the land was allotted to Om Metals for their own use and not for constructing flats for sale. It appears from Para 138 to 212 of the Note sheet of the file relating to allotment of land to Om Metals (Ex. 32 in Article-5) that the Sr. Regional Manager, RIICO, Kota took up the issue of use /nature of allotment of land with the Head Office of RIICO but his honest attempt to save public property from the clutches of unscrupulous people had been foiled by the Advisor (Infra), RIICO with a guarded threat in the following words:

"It is decided that Unit head should proceed as per the allotment letter issued and lease deed executed at the time of allotment. Unit head is further directed not to refer the matter to Head Office unnecessarily."

(Para 213 of Article-5 file recorded on 01.09.2007) (Ex.-33). It is worthwhile to note that as has been detailed out earlier, the agenda note No. 17, minutes of IDC on that item and the allotment order dated 30th March, 2001 were full of ambiguities and discrepancies and the RIICO Land Disposal Rules, 1979, applicable at the relevant time, also did not provide for allotment of land purely for residential purposes.

Therefore, the queries raised by the Sr. Regional Manager, RIICO, Kota were well founded. Then, the right course for the Head Office, RIICO was to get the allotment reviewed by IDC and clarify the ambiguities. But alas! the Advisor (Infra) ill-advised the officer and also virtually threatened him

not to bring the issue to the surface in future. The conduct of Advisor, as evident from the above note, clearly reflects his intention and motive. He was committed to further augment the objects of Kothari's for reasons best known to him. Perhaps frightened by the Note dated 01.09.2007 of the Advisor (Infra), the Sr. Regional Manger, RIICO, Kota gave up his mission of rule of law and issued the letter No. 7176 dated 04.09.2007 approving the building plan submitted by M/s. Om Metals & Minerals Ltd. without ascertaining whether or not he has such powers.

In April, 2009 (Ex.34 in Article-8 notesheet para 21 to 32), suddenly the issue of allotment was re-visited from the very beginning, i.e., from 1996 at the Regional Office Kota. It was reiterated that the land in question was allotted for residential use for the Company and the Company was not permitted to construct flats for the general public. The Regional Manager, RIICO, Kota requested the Head Office to examine the matter and to take appropriate decision. The Sr. Regional Manager (R&D), RIICO proposed that "since the sale of constructed flats by the allottee is in violation of the terms and conditions of allotment letter, lease deed and RIICO rules, 1979 therefore, the Unit In-Charge may be directed to issue show cause notice to the allottee and take further necessary action as per rules." The Advisor (Infra), RIICO approved the above proposal in the following words:

"Issue show cause notice as above".

Thus, a notice No. U (16)-3(1-Spl. 1-B)//903-904 dated 08.05.2009 was ultimately issued to M/s Om Metals & Minerals Ltd. to show cause against cancellation of allotment, termination of lease deed and re-entering upon the demised premises.

Apparently it appears from the above action on the part of officers of RIICO that they had originally tried to bonafidely safeguard the interest of RIICO vigorously but the subsequent course of events suggests otherwise. In fact, this notice appears to be an invited one by the Kotharis so that they could prepare to shield themselves and plug the loopholes. No sooner had the notice reached M/s Om Metals and Minerals Ltd. that they arranged for an opinion from a former Chief Justice of India on the facts supplied by them. The facts supplied to the Hon'ble Judge were tailored in such a fashion that the desired opinion was easily obtained. Hon'ble Judge clearly mentioned in his opinion that the opinion was ex-parte on the facts supplied by the querist and was not to be cited in any court or tribunal. It meant that the opinion was a simple advice to the querist and not to be used to affect the decision of any decision making authority.

However, the querist (Om Metals) submitted the opinion to the Chairman, RIICO on 10th July, 2009. The opinion was examined at Para 53 to 63 of the file relating to allotment of land to Om Metals (Ex.35 in Article-8 Para 53 to 63) *inter alia* by the Deputy General Manager (Legal), RIICO and it was opined that the opinion of the Hon'ble the former Chief Justice was not based on complete facts and requires further examination by the Legal Cell of the Head Office. No further action appears to have been taken on the above opinion of the Deputy General Manager (Legal), RIICO. However, the Regional Office, Kota was communicated vide note 64 of the above note sheet (Ex.36 in Article-8) that IDC has taken a decision in the matter in its meeting dated 15th September, 2009 and it should take further action as per the decision.

An agenda Note No. 20 (Ex.16) was placed before the IDC in its meeting dated 15th September, 2009. The agenda note was prepared by the Advisor (Infra). A perusal of the agenda note would show that this agenda note was also prepared with the same object and on the same lines, along which the agenda note No. 17 placed in the meeting dated 16th March, 2001 was prepared. The events have been recited from the first allotment to OKF in 1996 to the notice dated 08.05.2009 issued to Om Metals, withholding all material information and making false statements and drawing misplaced presumption. The Agenda note speaks of various events relating to allotment but conveniently withholds various violations committed by the so called allottee. Agenda note also does not refer to various discrepancies in the earlier decision of the IDC and the allotment letter issued by the Regional Office. It also does not stress the fact that application was made by OKF, a charitable trust, and allotment was made to M/s Om Metals & Minerals Ltd., a private company.

It does refer to the opinion of legal cell which was the basis of the notice dated 08.05.2009 but conveniently withholds the opinion of the same about the opinion of Hon'ble the Former Chief Justice of India. The following statement in Para 24 of the agenda note that "the company's original application was for allotment of such land for residential facilities as part of the educational institution project" is patently false as there was no application on behalf of Om Metals in respect of any allotment of land. In the whole matter, two applications have been made for the allotment of land and both have been made on behalf of a charitable trust namely, OKF, and in neither of these applications land has been demanded for any residential purpose. The agenda note unnecessarily draws a sentimental presumption about the interest of some patently ignorant families who blindly purchased the illegally constructed flats. If the families purchasing flats would have

exercised the prudence of a common man, they could well have found out the correct position.

The agenda note apparently appears to espouse the cause of some families but the whole background of the matter makes it prominent that the real object was to persuade the authorities to regularize the land so that Om Metals could retain the land and avoid the wrath of the people who invested in purchasing the illegally constructed flats because they could have dragged them in courts to not only get their money back but would also have got them punished for cheating. Thus, this presumption was totally an eyewash and intended to assist in misappropriation of public property.

The above agenda note was considered by the IDC in its meeting dated 15th September, 2009 at Item No. 20. It would be appropriate to quote the minutes relating to Item No. 20 (Ex.41 in Article-9) *ad verbatim*. They are as under:

> "Item 20:
> Issue related to M/s Om Metals and Minerals Ltd. Plot No. SP-B-1 Indraprasth Industrial Area, Kota
>
> The Committee discussed the agenda. The Committee observed that area measuring 20,000 sqm. was allotted for setting up a residential colony without qualifying captive use or imposing any conditions. The unit head vide letter dated 3.2.06 has also conveyed that permission for sale of flats on payment of dues etc. can be given by RIICO. Maps of the building were approved by the unit office. A written opinion furnished by the allottee company from a former Chief Justice of India also opined that the allotment of land for residential purpose was not subject to the restriction that the flats/houses shall be used for captive purpose i.e. for housing employees/staff members of the institute. No such condition was attached to the allotment ab-initio and cannot be attached now. Therefore, in his opinion the show cause notice issued by RIICO is un-justified and legally un-tenable.

> In this background and looking to the interest of several families who have purchased flats, the Committee accorded approval for permitting transfer of bungalows/ flats constructed in the residential colony allotted, subject to payment of transfer fee as specified in rule 18 (b)."

The minutes show total recklessness on the part of the members of the Committee. The Committee did not take pains to ask under what provision unit head conveyed permission to sell the flats; under what provisions did they approve the maps. There was a clear case before the IDC in which it could have recommended action against the unit head for acting beyond his authority and assisting in land siphoning. The agenda note recited the whole story but they did not take pains to ask how the land got allotted to M/s Om Metals and Minerals Ltd. when there was no application from it. It was clearly mentioned in the agenda note that "neither on the date of allotment nor subsequently was there any rule under which land in an industrial area could be allotted for commercial residential purpose" but the Committee did not take pains to ask under what rules or law they were seeking regularization.

The Committee ignored everything and took shelter under a legal opinion the correctness of which was questioned by their own officers. A baseless sentimental plea skillfully grafted in the agenda note found favour with the IDC. To one's chagrin, the Committee was raising a sentimental plea at the cost of thousands of tax payers of the State, in favour of the families who did not take care to ascertain the legality or otherwise of property they were buying/investing in on apparently illegal properties.

Even a man of common prudence would have doubted the legality of residential flats in an industrial area. Despite this they invested in it without making any enquiry and the officers of RIICO rushed to bestow the boon of

regularization on them. The minutes speak for themselves. It appears that the Committee was committed to put the last nail in the coffin of the public property and to write an epilogue of the story which started with the entry of Om Metals into the system of RIICO who infact grabbed the land, developed it against the law and sold it out with gracious help of the officers of RIICO and ended up making millions of rupees out of public resources.

Question arises as to why the successive Committees of the Board and most of the officers of RIICO from the Regional Office, Kota to Head Office, Jaipur acted in concert and in utter disregard of the rules and regulation? Why did they breach the trust of their office? why did they suppress relevant information? why did they make false statements and create false documents? why did they assist in misappropriation of the public property? The only sensible reply to these questions can be that all of these officers were acting either for personal gain or for the fulfilment of some ulterior motives. They have totally failed to carry out the trust that was reposed in them by RIICO in particular and public of the State in general.

It is a prima facie case of conspiracy for land siphoning in which an interested person was appointed and retained on the Board of RIICO, Officers of RIICO and Kotharis acted hand in glove and at every stage intended errors and omissions were committed, rules and regulations were manipulated and violated, false statements were made and documents were fabricated. Officers of RIICO instead of carrying out the trust of their offices endeavoured to serve the interests of a land grabber therefore it is also a prima facie case of breach of trust and misappropriation of public property. In the facts and circumstances of the matter, there is also likelihood of commission of offences under the Prevention of Corruption Act and

therefore the matter requires criminal investigation to bring the offenders to book. Since influential people may be involved, from the appointment of Shri C.P. Kothari as Director of RIICO to regularization of land by the IDC on 15th September, 2009, proper investigation in the matter may be conducted only by an expert and independent agency.

Accordingly, it may be recommended under Section 12(1) of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973 to Hon'ble the Chief Minister, Rajasthan that an FIR may be lodged against all the public servants and officers connected with the appointment of Shri C.P. Kothari as the Director of RIICO and the public servants and officers of RIICO who dealt with the matter of allotment of land to M/s Om Metals & Minerals Ltd. at Indraprastha Industrial Area, Kota including the Directors of the RIICO holding office at the time of allotment and the investigation may be entrusted either to the State Anti Corruption Bureau or to the Central Bureau of Investigation.

Another aspect of the matter is that RIICO is a Company registered under the Companies Act, 1956 and is owned by the State Government. Its status is just like any other company. It can act only in terms of its articles of association. It cannot exercise any statutory powers unless such powers are expressly conferred on it, by any statute. The laws relating to land allotment by municipality and town planning apply to the company in the same manner as they apply to an individual.

The land allotted by RIICO to M/s Om Metals & Minerals Ltd. vide its order dated 30th March, 2001 is a part of the land which was set apart under section 92 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 for *Industrial purposes* by the Collector, Kota vide his Order No. F. 12(55) Rev/69/820-29 dated 18.2.1969 and was allotted to RIICO by the State Government vide its order No. F. 4 (37) Ind. (A) 69 dated 10.08.1970. (Ex.37 at page 463), *inter alia* on the following terms and conditions:-

(1) the Corporation may sub-lease the [illegible] area or part thereof for *Industrial purposes*. (Condition 5)

(2) The Corporation or any person to whom the land shall be sub-leased shall not utilize the land for the purpose other than that for which it is leased to it and if the Corporation or any of its sub-lessee does so, *the land shall revert back to the State Government free from all encumbrances.* (Condition 7)

(3) The State Government will be free to issue general directions to the Corporation in regard to the allotment of the land for *industrial purposes.* (Condition 8)

In pursuance of the aforesaid order dated 10.08.1970, a lease deed was executed by the State Government on 04.10.1978 in favour of RIICO wherein all the above conditions were included in substance. This lease deed was registered on 06.10.1978 in the office of the Sub-Registrar, Kota (Ex.38 at page 465).

From the above, it is clear that the land in question was set apart for industrial purposes and allotted to RIICO for the same purpose and the RIICO could allot this land only for industrial purpose. Even the State Government could give direction only for allotment of the land for industrial purpose. The condition No. 7 of the above order is self executing and in the

event of use of the land by RIICO or its sub-lessee for the purposes other than industrial purpose, it is to revert back to the State Government free from all encumbrances automatically.

Notwithstanding the intent or import of the allotment order dated 30th March, 2001, it is clear from the Letter No. OMIL/JPR/2009 dated 16th June, 2009 (Ex.43 in Article-7 at page 431 to 439) written on behalf of M/s Om Metals Infraprojects Ltd. to the Regional Manager, RIICO, Kota in response to the notice No. U(16)-3(Spl.1-B)/903 dated 08.05.2009 and the agenda note No. 20 submitted in IDC meeting dated 15th September, 2009 that the land allotted to M/s. Om Metals & Minerals Ltd. vide order dated 30th March, 2001 had been used by M/s Om Metals & Minerals Ltd. for the purpose other than the industrial purpose.

Therefore, by virtue of condition No. 7 of the aforesaid order dated 10.08.1970, the land has reverted back to and vested in the State Government free from all encumbrances and all the occupants of the land are unauthorized occupants and liable to be ejected and proceeded against by the officers of the revenue department under section 91 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 and the State Government is obliged to take the land back in its possession immediately. One of the covenants of the lease deed dated 04.10.1978 (Ex.38 at page 465) was as follows:

“that in carrying out the activities under this agreement the company, its sub-lessees, transferees and assignees shall obey the laws, rules and regulations for the time being in force and the direction of the Government to be made from time to time, notwithstanding anything to the contrary contained in or implied by this agreement.”

The land allotted vide order dated 30th March, 2001 is situated within the area of Urban Improvement Trust, Kota and is subject to the provisions of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959. There is nothing in the files provided to us by the RIICO which could show that necessary permissions required under the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 had been obtained for carrying out the development activities on the land. Thus, the construction carried out on the land in question is also in contravention of the provisions of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 and therefore, the UIT Kota is obliged to demolish the unauthorized construction and proceed against M/s. Om Metals and Infraprojects Ltd. as per the mandate of the law.

I would be lacking in my duties if I do not refer to the letter No. प/7.डीटीपी 364/2013/dated 09.09.2013 (Ex.39 at page 388) written by the Secretary, UIT Kota in response to our letter dated 14.08.2013 (Ex. 40 at page 325). By our letter dated 14.08.2013 we had asked the UIT Kota to provide the following information:

(i) Extracts of the Master Plans/Development Plans prevailing from 1996 onwards in the area comprising Plot No. SP-B-1 of Indraprastha Industrial Area, Kota showing land use;

(ii) Name, designation and permanent/ present address of office holder/ officers/ employees of the UIT Kota from 1996 onwards who were entrusted with the duty of implementing/enforcing Master Plan/ Development Plan in the area comprising Plot No. SP-B-1 of Indraprastha Industrial Area, Kota;

(iii) Whether any application was received for land use change or for permission of construction or for sanction of building plans with respect to Plot No. SP-B-1 of Indraprastha Industrial Area, Kota and whether any such change, permission or sanction was granted;

(iv) Whether any complaint was received with respect to Plot No. SP-B-1 of Indraprastha Industrial Area, Kota and whether any action was taken on such complaint and if not, reasons thereof; Copies of the complaint and the documents drawn/ created in connection with such complaint.

Instead of providing us with the above information, the Secretary, UIT, Kota vide his above letter dated 09.09.2013 informed us that ''उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र में अंकित क्षेत्र रीको, कोटा के क्षेत्राधिकार में आता है। अतः छाया प्रति संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।'' and enclosed back the copy of our above letter.

In this regard I would like to refer to the letter No. F. 7/DTP/2011/1089-90 dated 27.06.2011 (Ex. 44 page 302) and letter No. F-7/DTP/2011/1104-1105 dated 14-7-2011(Ex. 45 page 304) which were written by UIT, Kota to Managing Director, RIICO, Jaipur and Sr. Regional Manger, RIICO, Kota respectively. In this letter, it has been mentioned that Indraprastha Industrial Area falls within the Master Plan of Kota, 2005 as approved by the State Government and the area has been shown in the Master Plan as reserved for industrial purposes. The letter requests the RIICO to abide by the procedure laid down for land use change. Thus the letter clearly shows that the area in question is within the jurisdiction of UIT, Kota and UIT, Kota is well aware of the facts. Despite this, the Secretary, UIT, Kota has given a circumventing reply to our letter which means that the Secretary, UIT Kota has said that the area in question is not in their jurisdiction. This statement is patently false. As the above letter dated 27.06.2011 shows, most of the information asked by us were available with the UIT, Kota.

Thus, the Secretary, UIT Kota has dishonored our letter dated 14.08.2013 which was issued in exercise of the powers of section 11 (2)(b) & (d) of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973. As per section 11 (3) of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973, proceedings before the Lokayukta are judicial proceedings within the meaning of section 193 of the Indian Penal Code, 1860 and therefore, the Secretary, UIT Kota, who has made false statement as mentioned above, is liable to be punished under aforesaid section 193. The act of the Secretary, UIT Kota in not providing us with the crucial information available with him has caused interruption in conducting the present enquiry, therefore, he is also liable to be punished under section 16(1) of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973.

Hence, while sending a copy of the report vide letter No.F.19(4)LAS/2011/u/s12/23131 dated 1.1.2015, it was recommended under Section 12(1) of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973 to Hon'ble the Chief Minister, Rajasthan that –

(i) An FIR may be lodged against all the public servants and officers connected with the appointment of Shri C.P. Kothari as the Director of RIICO and the public servants and officers of RIICO who dealt with the matter of allotment of land to M/s Om Metals & Minerals Ltd. at Indraprastha Industrial Area, Kota including the Directors of the RIICO holding office at the time of allotment and the investigation may be entrusted either to the State Anti Corruption Bureau or to the Central Bureau of Investigation.

(ii) the State Government in the Revenue Department should take the land allotted vide order dated 30th March, 2001 in its possession immediately and direct the concerned revenue officers to proceed against the unauthorized

occupants of the land under section 91 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 and restore it to its original purpose for which it was set apart;

(iii) the State Government in Urban Development and Housing Department and the Local Self Government Department to direct the UIT, Kota to enforce the provisions of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 and to remove any unauthorized development found on the land allotted vide order dated 30th March, 2001 at the cost of the developer.

The action taken or proposed to be taken is awaited.

8. एफ.11(82)लोआस/2007

परिवादी चाननमल जींदगर, पुरानी अनाज मंडी, संगरिया, जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद इस सचिवालय को दिनांक 11.9.2007 को प्राप्त हुआ जिसके अनुसार परिवादी की पत्नी सुलोचना देवी व लक्ष्मणदास गर्ग द्वारा संयुक्त रूप से शनि मंदिर रोड़ पर भू-खण्ड सं.2 आवासीय क्षेत्र में क्रय किया गया था एवं इसी दर से स्टाम्प ड्यूटी की माँग पर राशि जमा करवायी गयी थी। लेकिन इसके पश्चात् संगरिया में कार्यरत श्री अशोक असीजा, तत्कालीन तहसीलदार ने परिवादी एवं भू-खण्ड के सह-क्रेता लक्ष्मणदास गर्ग से 50,000/-रू की रिश्वत की माँग की एवं कहा कि उक्त राशि न देने पर व्यावसायिक दर से मुद्रांक शुल्क वसूल किया जावेगा। परिवादी द्वारा रिश्वत की राशि देने से मना करने पर उप-पंजीयक ने मूल रजिस्ट्री क्रेतागण को लौटाने से इनकार कर दिया।

उक्त परिवाद पर महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान, अजमेर द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें विवादित भू-खण्ड के एक औद्योगिक भू-खण्ड का हिस्सा होने व अन्य व्यावसायिक स्थलों के समीप होने के कारण उप-पंजीयक द्वारा प्रकरण का रेफरेंस किया जाना उचित माना गया। रिपोर्ट के अनुसार उक्त भू-खण्ड रेलवे फाटक मस्जिद से भगत सिंह चौक जानेवाली रोड़ पर खुलता है, जो व्यावसायिक है।

इसी प्रकरण में जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गयी जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा परिपत्र सं.2/2004 जारी कर व्यावसायिक भूमि के मूल्यांकन हेतु बिन्दु निर्धारित किए गए हैं जिसमें उप पंजीयक को यह देखना होता है कि भूमि का उपयोग व्यावसायिक हो अथवा यदि भूमि दुकानों या व्यावसायिक क्षेत्र की पंक्ति में स्थित हो तो उसे व्यावसायिक भू-खण्ड माना जावेगा। रिपोर्ट के अनुसार भू-खण्ड सं.2 से लगी हुई हनुमानगढ़ संगरिया रोड़ पर चार दुकानें बनी हुई हैं। ऐसी स्थिति में उप-पंजीयक द्वारा किया गया रेफरेंस उचित माना गया एवं परिवादी की शिकायत को निराधार माना गया।

परिवादी ने तथ्यात्मक रिपोर्ट पर आक्षेप प्रस्तुत कर कथन किया कि भू-खण्ड 35X120 फीट क्षेत्रफल का है जो पूर्व व पश्चिम दोनों ओर से दो सड़कों पर खुलता है। मुख्य सड़क की ओर 20X35 फीट का व्यावसायिक भूखण्ड परिवादी की पत्नी द्वारा क्रय नहीं किया गया है बल्कि उसके पीछे की ओर 35X100 फीट का भू-खण्ड (जो कि शनि मंदिर रोड़ पर खुलता है) उसे क्रय किया गया है। परिवादी का यह भी कथन है कि श्री अशोक असीजा द्वारा इसी बड़े ओद्यौगिक भू-खण्ड में स्थित भू-खण्ड सं. 5 व 6 का पंजीयन बाद में आवासीय दर पर किया गया है। इन परिस्थितियों में प्रकरण में प्रारम्भिक जाँच का आदेश दिया गया।

प्रारम्भिक जाँच के दौरान आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि लोक-सेवक श्री अशोक असीजा, तत्कालीन तहसीलदार एवं उप-पंजीयक, संगरिया, जिला हनुमानगढ़ ने परिवादी को परेशान करने के लिए आवासीय भू-खण्ड का विक्रय-पत्र क्रेतागण को जानबूझकर नहीं लौटाया एवं मनमाने तरीके से विधि के प्रावधानों के विपरीत रेफर किया। कलेक्टर, मुद्रांक, हनुमानगढ़ द्वारा रेफरेंस खारिज करने के पश्चात् पुनः

मनमानी कार्यवाही करते हुए प्रकरण के संदर्भ में कर बोर्ड, अजमेर में निगरानी पेश की जो भी खारिज की गई। अतः दिनांक 03.03.14 को लोक सेवक श्री अशोक असीजा के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण प्रारम्भ करने का आदेश दिया गया।

अन्वेषण के दौरान लोक-सेवक श्री अशोक असीजा को नोटिस दिनांक 07.03.14 अपना जबाव/स्पष्टीकरण मय शपथ-पत्र एवं ऐसी दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया जिसे कि वह अपने बचाव में प्रस्तुत करना उचित समझे तथा उसकी एक प्रति उसके सक्षम प्राधिकारी-माननीय मंत्री महोदय, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित की गई। नोटिस के बाद कई अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी उक्त लोक सेवक द्वारा कोई लिखित प्रतिवेदन मय शपथ-पत्र पेश नहीं किया गया।

अन्वेषण के दौरान् आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से यह प्रकट हुआ कि तीनों भू-खण्ड एक ही बड़े ओद्यौगिक भू-खण्ड के भाग हैं एवं आस-पास में स्थित हैं लेकिन इसके बावजूद लोक सेवक श्री असीजा द्वारा अनुचित हेतुक से प्रेरित होकर विवादित विक्रय-पत्र का पंजीयन शुल्क आवासीय दर से लेने के पश्चात् विक्रय-पत्र नहीं लौटाया गया एवं व्यावसायिक दर से मुद्रांक शुल्क जमा कराने के लिए कहा एवं मामले को कलेक्टर (मुद्रांक), हनुमानगढ़ को रैफर कर दिया गया इसके विपरीत प्रदर्श-5 व 6 विक्रय-पत्र जिन भूखण्डों से सम्बन्धित हैं, उनके पास स्कूल, साइबर कैफे व दुकानें स्थित हैं एवं दोनों विक्रय-पत्र बाद में पंजीबद्ध किए गए।

इसी प्रकरण में उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, हनुमानगढ़ द्वारा भी जाँच की गयी। उक्त जाँच रिपोर्ट में भी निष्कर्ष के रूप में यह तथ्य

सामने आया कि विवादित भू-खण्ड की नाप 70X120 फीट है जिसके दो विक्रय-पत्र पंजीबद्ध किए गए एवं उक्त भू-खण्ड का 70X20 फीट भाग, जो मस्जिद से भगत सिंह चौक रेल्वे लाइन की ओर खुलता है, उसका बेचान नहीं किया गया। उक्त 20 फीट चौड़ा भू-खण्ड व्यावसायिक है तथा इसके पीछे स्थित 35X100 फीट के दो भू-खण्डों का बेचान किया गया है जो शनि मंदिर की गली में खुलते हैं एवं पूर्ण-रूपेण आवासीय हैं लेकिन अन्तिम रूप से जाँच रिपोर्ट में उप पंजीयक को दोषी नहीं माना गया एवं व्यक्तिगत रंजिश से शिकायत करना बताया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट है कि दिनांक 31.8.2007 को पंजीकृत किए गए विवादित विक्रय-पत्र प्रदर्श-1 के पश्चात् दिनांक 13.9.2007 को उसी दिन प्रदर्श-5 व 6 दो भू-खण्डों के विक्रय-पत्रों का पंजीयन तत्कालीन तहसीलदार एवं उप-पंजीयक श्री अशोक असीजा द्वारा आवासीय दर पर किया गया। इसके अतिरिक्त कलेक्टर, मुद्रांक के निर्णय दिनांक 17.1.2008 प्रदर्श-3, निर्णय दिनांक 30.9.11 राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर निगरानी सं.1004/2008 व उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक हनुमानगढ़ द्वारा पेश की गयी जाँच रिपोर्ट से भी यह तथ्य स्पष्ट है कि विवादित भू-खण्ड एक आवासीय भू-खण्ड था। उक्त भू-खण्ड के पंजीकरण से पूर्व व पश्चात् तत्कालीन तहसीलदार द्वारा आस-पास के भूखण्डों का पंजीकरण आवासीय दर पर किया गया।

इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी स्पष्ट है कि सम्पूर्ण भू-खण्ड 70X120 फीट को दो हिस्सों में बाँटकर पीछे के भू-खण्ड का बेचान किया गया। मस्जिद से भगत सिंह चौक व रेल्वे स्टेशन को जाने वाली सड़क पर खुलने वाले 20 फीट चौड़े भू-खण्ड का बेचान नहीं किया गया था, उक्त भू-खण्ड व्यावसायिक था। परिवादी का यह कथन है कि तत्कालीन तहसीलदार अशोक असीजा द्वारा 50,000/-रू रिश्वत की माँग की गयी लेकिन इस सन्दर्भ में कोई विश्वसनीय साक्ष्य परिवादी के मौखिक कथन के अतिरिक्त पत्रावली पर नहीं आ पायी है। सह-क्रेता लक्ष्मणदास को

बतौर गवाह पेश नहीं किया गया। सिर्फ परिवादी के कथन के आधार पर रिश्वत की माँग का तथ्य साबित नहीं माना जा सकता लेकिन एक जिम्मेदार लोक सेवक होने के नाते उप पंजीयक का यह दायित्व था कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करें एवं पद व विधिक प्रावधानों का दुरूपयोग कर आमजन को परेशान न करें।

श्री अशोक असीजा द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए परिवादी को परेशान करने के लिए रजिस्ट्री को नहीं लौटाया गया एवं बिना किसी आधार के विधिक प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए कलेक्टर मुद्रांक व कर बोर्ड को क्रमशः रेफरेंस व निगरानी की गयी। हालांकि प्रस्तुत साक्ष्य से इस कार्य के लिए श्री असीजा द्वारा 50,000/-रू माँगने का तथ्य सिर्फ परिवादी के कथन के आधार पर पूर्ण-रूपेण साबित नहीं माना जा सकता लेकिन श्री असीजा द्वारा अपने पद एवं विधि के प्रावधानों का दुरूपयोग कर परिवादी को परेशान किया गया। श्री असीजा को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया लेकिन उनकी ओर से सम्बन्धित प्रलेखों की नकल प्राप्त करने व लिखित में समय लेने के पश्चात् भी अपना पक्ष नहीं रखा गया और न ही कोई मौखिक या प्रलेखीय साक्ष्य पेश की गयी।

ऐसी स्थिति में परिवादी द्वारा पेश की गयी साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है। परिवादी के कथन की पुष्टि तत्कालीन उप पंजीयक विक्रम सिंह के मौखिक कथन एवं प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य से भी होती है। उप पंजीयक द्वारा पेश रंगीन नक्शा काफी महत्वपूर्ण है जिससे मस्जिद रोड़ व शनि मन्दिर रोड़ की स्थिति स्पष्ट होती है। शनि मन्दिर रोड़ पर खुलने वाला भाग आवासीय भाग है। यह तथ्य कलेक्टर मुद्रांक, हनुमानगढ़ व कर बोर्ड, अजमेर के निर्णय से भी साबित हो चुका है। नक्शे में पीले रंग से दिखाए गए भाग में प्रदर्श-5 व 6 रजिस्ट्रियां नौरंगराय व शिवभगवान के पक्ष में आवासीय दर पर पंजीकृत की गयीं जबकि उक्त भू-खण्ड के पास व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं। इससे

श्री असीजा द्वारा किया गया पद का दुरूपयोग एवं क्रेतागण को परेशान करने का तथ्य साबित होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रालेखीय साक्ष्य से तत्कालीन उप पंजीयक, सांगरिया श्री अशोक असीजा के विरूद्ध परिवादी एवं सहक्रेता लक्ष्मणदास से 50,000/-रू की रिश्वत माँगने का तथ्य साबित नहीं हो पाया है लेकिन प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट है कि श्री असीजा द्वारा अपने पद व विधि के प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए परिवादी को परेशान करने के लिए आवासीय भू-खण्ड का विक्रय-पत्र क्रेतागण को जानबूझकर नहीं लौटाया गया एवं प्रकरण को कलेक्टर मुद्रांक, हनुमानगढ़ के यहाँ बिना किसी आधार के मनमाने तरीके से विधि के प्रावधानों के विपरीत रेफर किया गया। कलेक्टर मुद्रांक, हनुमानगढ़ द्वारा रेफरेंस खारिज करने के पश्चात् पुनः मनमानी कार्यवाही करते हुए प्रकरण के सन्दर्भ में कर बोर्ड, अजमेर में निगरानी पेश की, जो भी खारिज की गयी।

इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र सं.2/2004 पेज 39-41/सी में व्यावसायिक भूमि के मूल्यांकन हेतु बिन्दु निर्धारित किए गए हैं जिसमें उप-पंजीयक को यह देखना होता है कि भूमि का उपयोग व्यावसायिक हो। भूमि दुकानों या व्यावसायिक क्षेत्र की पंक्ति में स्थित हो तो उसे व्यावसायिक भू-खण्ड माना जावेगा। उक्त परिपत्र के अनुसार भी विवादित भू-खण्ड प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर व्यासायिक नहीं था। इसके बावजूद भी श्री असीजा द्वारा मनमानी कार्यवाही करते हुए विक्रय अभिलेख नहीं लौटाया गया। इस प्रकार परिवादी द्वारा पेश किया गया परिवाद आंशिक रूप से साबित है कि श्री अशोक असीजा द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत अपने पद का दुरूपयोग परिवादी को परेशान करने के लिए किया गया एवं निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं किया गया।

अतः दिनांक 13.1.15 को राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अधीन लोक सेवक श्री अशोक असीजा, तत्कालीन तहसीलदार एवं उप-पंजीयक, संगरिया, जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध उसके सक्षम प्राधिकारी-माननीय मंत्री महोदय, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रतिवेदन प्रेषित कर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की सिफारिश की गई।

सिफारिश की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

9. एफ.3(148)लोआस/2013

यह प्रकरण श्री रामेश्वर सांसी पुत्र श्री गुमान सिंह, निवासी भीलवाड़ा, सेवानिवृत्त कांस्टेबल, जी.आर.पी. एवं सर्व श्री जगदीश, रतनलाल, भवानी शंकर एवं समस्त जी.आर.पी. लाइन स्टाफ, अजमेर की ओर प्राप्त शिकायत दिनांक 27.6.13 के आधार पर संस्थित किया गया। परिवाद में श्री वीरभान अजवानी आई.पी.एस., तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी. , अजमेर के विरूद्ध यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी., अजमेर के पद पर कार्यरत रहते हुए गत 4 वर्ष में भ्रष्टाचार किया तथा श्री भीमसेन अरोड़ा व श्री अशोक गर्ग, लिपिकों के गलत वेतन नियतन कर सरकार को लाखों रूपये का चूना लगाया।

यह तथ्य जाँच से प्रमाणित होने पर श्री भीमसेन व श्री अशोक गर्ग को तो राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत आरोप-पत्र दे दिया गया है परन्तु श्री वीरभान अजवानी के विरूद्ध राज्य सरकार में कार्यवाही लम्बित है। शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया कि श्री वीरभान अजवानी ने परिवादी श्री रामेश्वर सांसी, कांस्टेबल का स्थानान्तरण जी.आर.पी., डूंगरपुर से जी.आर. पी. लाइन, अजमेर कर दिया, फिर स्थानान्तरण निरस्त करने की एवज में श्री अजवानी ने श्री रामेश्वर सांसी के बच्चों से श्री अब्दुल मोईन,

ए.एस.आई. के जरिए 10 हजार रूपये ले लिये। इस शिकायत की जाँच वृत्ताधिकारी, जी.आर.पी. वृत्त उदयपुर द्वारा की गई थी जिसमें मामले को सही माना गया। इस पर पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री रामेश्वर सांसी को धमकी व दबाव देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रार्थना-पत्र लिखवाकर उसे जबरन सेवानिवृत्त कर दिया। इस आरोप की जाँच अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, रेलवे द्वारा की गई। जाँच में श्री वीरभान अजवानी के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित माना गया परन्तु राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया कि श्री अजवानी द्वारा श्री रघुनाथ गर्ग, वृत्ताधिकारी, जी.आर.पी., उदयपुर पर दवाब डालकर पुनः उसी से रिपोर्ट को अपने माफिक लिखवा लिया गया तथा श्री अब्दुल मोईन से यह लिखवा लिया गया कि पहले पैसे दिये थे जो अब वापिस लौटा दिये हैं।

श्री जगदीश रतनलाल आदि की शिकायत पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से विस्तृत जाँच करवाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए लिखा गया था। इस पर गृह विभाग द्वारा 3 सितम्बर, 2013 के पत्र द्वारा यह सूचना दी गई कि श्री वीरभान अजवानी के विरूद्ध आरोपों के सम्बन्ध में उपलब्ध अभिलेख एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर आरोप अप्रमाणित एवं आधारहीन पाये जाने पर उनके विरूद्ध प्रस्तावित विभागीय जाँच ड्रॉप करने का निर्णय लिया गया है। इस पत्र के साथ विभागीय निर्णय की प्रति भी प्रेषित की गई।

इस रिपोर्ट की एक प्रति परिवादी श्री रामेश्वर सांसी को प्रेषित कर उससे आपत्तियाँ आमंत्रित की गईं। परिवादी ने अपनी आपत्तियों में बताया कि उसके परिवाद में अंकित आरोप प्रमाणित पाये जाने पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, रेलवे, जयपुर ने दिनांक 04.06.12 को महानिदेशक

पुलिस, राजस्थान, जयपुर को रिपोर्ट प्रेषित कर श्री वीरभान अजवानी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की थी। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, रेलवे, राजस्थान, जयपुर की सिफारिश पर सतर्कता शाखा ने पुनः जाँच की तथा उसमें भी श्री वीरभान अजवानी के विरूद्ध प्रकरण अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह को प्रेषित किया गया।

परिवादी से प्राप्त आपत्तियों तथा गृह विभाग की रिपोर्ट व अन्य जाँच रिपोर्टो में भारी विरोधाभास होने पर दिनांक 21.10.13 को इस प्रकरण में प्रारम्भिक जाँच करने का आदेश दिया गया एवं इसे सम्पादित किये जाने हेतु संयुक्त सचिव-प्रथम को अधिकृत किया गया।

प्रारम्भिक जाँच के दौरान आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से यह स्थापित हुआ कि-

1. श्री वीरभान अजवानी ने परिवादी श्री रामेश्वर, तत्कालीन हैड कॉन्स्टेबल का स्थानान्तरण निरस्त करने की एवज में श्री अब्दुल मोइन खान, ए.एस.आई. के जरिये दस हजार रूपये रिश्वत ली।

2. श्री वीरभान अजवानी ने वृत्ताधिकारी श्री रघुनाथ गर्ग की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे अपने पास रख शिकायतकर्त्ता श्री रामेश्वर को बुलाकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रार्थना-पत्र देने को मजबूर किया। इसी दौरान श्री वीरभान अजवानी को श्री रघुनाथ गर्ग की जाँच रिपोर्ट दिनांक 02.03.12 को प्राप्त हो जाने पर परिवादी श्री रामेश्वर को पुनः अपने कार्यालय में बुलाकर बैक डेट में दूसरा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रार्थना-पत्र दबाव डालकर लिखवाया, जो दिनांक 01.04.12 से प्रभावी था।

4. श्री वीरभान अजवानी ने परिवादी श्री रामेश्वर से दबाव डालकर एक प्रार्थना–पत्र लिखवाया कि उसने स्थानान्तरण के पहले ही श्री अब्दुल मोईन खान को दस हजार रूपये पत्नी की बीमारी के लिए लिये थे, जो वापिस दिये। उसके पुत्र ने दस हजार रूपये श्री अब्दुल मोईन खान को नहीं दिये। साथ हीं उन्होंने श्री रामेश्वर को उसी दिन उदयपुर जाकर श्री रघुनाथ गर्ग को इसी आशय की साक्ष्य देने के लिए मजबूर किया व श्री रघुनाथ गर्ग पर भी दबाव डाला कि वह इस प्रार्थना पत्र की रोशनी में जाँच रिपोर्ट बदले।

5. श्री जी0एस0 संधू, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह ने प्रदर्श–44 टिप्पणी जानबूझकर तथ्यों की अनदेखी कर व श्री राजकुमार गुप्ता की जाँच रिपोर्ट को बिना देखे श्री वीरभान अजवानी को निर्दोष मानने की दोषपूर्ण व तथ्यों के विपरीत टिप्पणी लिखी है। उनकी इसी टिप्पणी के आधार पर तत्कालीन गृह राज्य मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री (गृह) ने इसे अनुमोदित किया।

6. अतिरिक्त महानिदेशक, रेलवे, राजस्थान, जयपुर ने श्री महाबीर सिंह, श्री वासुदेव शर्मा व श्री सौभाग सिंह की जाँच रिपोर्टो पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की जब कि इन रिपोर्टो के अनुसार श्री वीरभान अजवानी, श्री अशोक गर्ग व श्री भीमसेन अरोड़ा, लिपिकगण को वेतन निर्धारण के घोटाले में सहयोग किया था।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति में सक्षम प्राधिकारी–सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार को राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत प्रतिवेदन मय निष्कर्ष (पत्र क्रमांकः

एफ.3(148)लोआस/2013/ धारा12/24368 दिनांक 13.01.2015 के साथ) प्रेषित कर निम्न सिफारिश की गईः-

1. इस मामले में सक्षम स्तर पर यह निर्धारित करें कि तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह द्वारा लिखी गई प्रदर्श-44 टिप्पणी, जिसके आधार पर श्री वीरभान अजवानी, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी., अजमेर के विरूद्ध प्रस्तावित विभागीय जाँच को गलत तरीके से आरोप अप्रमाणित व आधारहीन मानते हुए ड्रॉप किया गया, के लिए एक माह में समुचित विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लें तथा

2. श्री वीरभान अजवानी, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी., अजमेर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही को ड्रॉप किये जाने का निर्णय, जो तथ्यों के विपरीत किया गया, उसका इस जाँच में आये समस्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में व श्री अजवानी के विरूद्ध की गई समस्त जाँचों के परिप्रेक्ष्य में पुनरावलोकन कर एक माह में निर्णय लेकर अवगत करावें।

अतिरिक्त महानिदेशक, रेलवे, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत प्रतिवेदन मय निष्कर्ष (पत्र क्रमांकः एफ.3(148)लोआस/2013/ धारा12/24369 दिनांक 13.01.2015 के साथ) प्रेषित कर निम्न सिफारिश की गईः-

श्री महावीर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री वासुदेव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा श्री सौभाग सिंह, डिप्टी कमाण्डेन्ट की जाँच रिपोर्टों पर कार्यवाही का निर्णय लेकर एक माह में सूचित करें।

उक्त सिफारिशों की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

अध्याय–4

कतिपय महत्वपूर्ण प्रकरण

एफ.3(421)लोआस/2013

श्री गोपाल प्रसाद तिवारी, निवासी बैरेर, तहसील रेणी, जिला अलवर द्वारा दिनांक 31.03.14 को प्रेषित परिवाद म. उसके द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण 398/2008, पुलिस थाना, राजगढ़ म. पूर्व विधायक श्री जौहरी लाल मीणा के हस्तक्षेप के कारण अभी तक आरोपिया. के विरूद्ध कार्यवाही नहीं होना अंकित किया है।

सचिवालय स्तर पर इस बारे म. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर व अतिरिक्त महानिदेशक, सी.आई.डी. (सी.बी.) से पत्राचार किये जाने के पश्चात् पुलिस अधीक्षक, प्रशासन एवं पी.आर.सी. अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 06.08.14 के द्वारा बतलाया गया कि प्रकरण म. शेष रहे 17 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चार्जशीट न्यायालय म. पेश करने हेतु पुलिस अधीक्षक अलवर को निर्देशित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, अलवर द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 29.12.14 के द्वारा सूचित किया गया कि अनुसंधान के बाद सभी 18 अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 427, 436, 457, 380, 109, भा.द.सं. का अपराध बनना पाये जाने पर चार्जशीट संख्या 294 दिनांक 06.12.14 को किता कर दिनांक 18.12.14 को न्यायालय म. पेश कर दी गई है।

सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के द्वारा सन् 2008 से लम्बित प्रकरण जिसमें राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण अनुसंधान अधिकारी बार–बार बदले जा रहे थे व प्रकरण को लम्बा किया जा रहा था, उसमें समय रहते अनुसंधान पूर्ण कर पूर्व विधायक श्री जौहरीलाल मीणा व अन्य

अभियुक्तगण को आरोपी मानते हुए चार्जशीट पेश कर दिया जाना इस सचिवालय की महत्ता को प्रकट करता है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पन्न हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 16.01.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया परन्तु आपराधिक प्रकरणा. म. बार-बार अनुसंधान परिर्वतन किये जाने के सम्बन्ध म. ध्यान आकृष्ट करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह राजस्थान, जयपुर को अ.शा.पत्र क्रमांकः एफ.3(421)लोआस/2013/25084 दिनांक 21.01.15 लिखा गया जो निम्नवत् है:-

R.K Bansal
Joint Secretary,

D.O Letter No. F.3(421)/LAS/2013/25084
Jaipur, dated :21.01.2015

Sub.: Regarding limiting the number of Investigating Officers in a given case.

Dear Shri Mukhopadhyaya,

As per directions given by Hon'ble Lokayukta, I am enclosing herewith a copy of report submitted by S.P.,Alwar to I.G.P., Jaipur Range, Jaipur dated 29.12.2014 for your kind perusal because this report is the basis of recommendations made in this case.

In this case of FIR No. 396/2008 under sections 147, 148, 427,436,457,380 IPC of PS, Rajgarh, District Alwar, it was alleged that a former MLA instigated ten thousand people assembled in a meeting to rob the people of other castes. After this meeting around 20 named people came and burnt down complainants shops and looted them.

In the period of December, 2008 to December, 2014 investigations were changed at least eight times in this case although in each and every investigation the offences were found to be proved. Hence, this case clearly highlighted the misuse of powers of transfer of investigations in criminal cases.

Therefore it is directed under section 12 of The Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayukta Act, 1973 that a case is be prepared and submitted to the Government, which shall take a decision within

two months to form a policy limiting the number of investigations in a given case.

You are, therefore, requested to submit the action taken by you in this regard for perusal of Hon'ble Lokayukta Sahib within two months.

Kindly treat it **MOST URGENT**.

Yours sincerely
Sd/-21.1.15
(R.K. Bansal)

Shri A. Mukhopadhyay,
Adl. Chief Secretary,
Home Department,
State Secretariat
Rajasthan, Jaipur.

उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य म. गृह (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक: प.23(60)गृह-5/2012 दिनांक फरवरी 27, 2015 जारी कर यह निर्देश दिया है कि आपराधिक प्रकरणा. के अनुसंधान म. अनुसंधान अधिकारी का परिवर्तन किसी भी सक्षम अधिकारी के स्तर से एक बार से अधिक नहीं हो। विशेष परिस्थितिया. म. राज्य सरकार के स्तर पर अधिकतम 2 बार अनुसंधान परिवर्तन किया जा सकता है। परिपत्र निम्नवत् है:-

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-5 विभाग)

क्रमांक प.23(60)गृह-5/2012 जयपुर, दिनांक फरवरी 27, 2015

परिपत्र

विषय:-आपराधिक प्रकरणा. म. अनुसंधान पत्रावलिया. के स्थानांतरण व अनुसंधान अधिकारी बदलने के सम्बन्ध म. नीति।

आपराधिक प्रकरणा. म. अनुसंधान के स्थानांतरण व अनुसंधान अधिकारी बदले जाने के सम्बन्ध म. विभागीय परिपत्र की समसंख्यांक दिनांक 3 अगस्त, 2012 को जारी किया गया था, जिसके अनुच्छेद संख्या 14 म.

यह प्रावधान हैं कि एक प्रकरण का अनुसंधान तीन से अधिक बार स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा।

अत: यह राज्य सरकार के ध्यान म. लाया गया है कि आपराधिक प्रकरणा. म. तीन बार से अधिक अनुसंधान अधिकारी बदले जा रहे हैं, जिससे अनुसंधान म. अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अत: राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आपराधिक प्रकरणा. के अनुसंधान म. अनुसंधान अधिकारी का परिवर्तन किसी भी सक्षम प्राधिकारी के स्तर से एक बार से अधिक नहीं हो। विशेष परिस्थितिया. म. राज्य सरकार के स्तर पर अधिकतम दो बार अनुसंधान परिवर्तन किया जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी आपराधिक प्रकरण म. अनुसंधान तीन बार से अधिक किसी भी स्थिति म. नहीं बदला जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
ह/-27.2.15(ए.मुखोपाध्याय)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

इस प्रकार आपराधिक प्रकरणा. म. राजनैतिक हस्तक्षेप व पुलिस अधिकारिया. द्वारा अपनी सुविधा अनुसार बार-बार अनुसंधान बदले जाने सम्बन्धी आम शिकायता. को देखते हुये सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के कारण राज्य सरकार द्वारा यह महत्त्वपूर्ण परिपत्र जारी किया गया है।

एफ.6(3)लोआस/2014

मीरा कुमार द्वारा दिनांक 16.5.14 को जरिए जी-मेल- सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा के दो कक्षा. म. प्रतिबन्ध के बावजूद जर्जर कक्षा. म. परीक्षा के शीर्षक से प्रकाशित समाचार की कटिंग प्रेषित की गई थी जिस पर इस सचिवालय स्तर पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर प्राचार्य, सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय

कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त भीलवाड़ा एवं सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को पत्र दिनांक 19.5.14 लिखा जाकर इनसे रिपोर्ट चाही गई।

प्राचार्य, सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 21.5.14 द्वारा अवगत करवाया कि परीक्षा हेतु कक्षा-कक्षा. का तत्कालिक उपयोग मजबूरी म. करना पड़ा तथा वर्तमान म. कक्षा-कक्षा. को खाली करवाकर बन्द करवा दिया गया हैं।

सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 30.5.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि कक्षा. के निर्माण म. रही कमिया. के लिए न्यास के श्री लक्ष्मण पंवार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता व श्री सतनाम सिंह गंभीर(सेवानिवृत्त), तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा उत्तरदायी हैं।

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त- भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 8.7.14 द्वारा अवगत करवाया कि छः वर्ष पूर्व हुए निर्माण की मरम्मत के सम्बन्ध म. निविदा आमंत्रित करने सम्बन्धी आदेश आचार संहिता समाप्त होने के बाद वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के पश्चात् की जा सकेगी। तत्पश्चात् सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के पत्र दिनांक 15.10.14 के अनुसार उक्त महाविद्यालय के सम्पूर्ण जर्जर कक्षा. की मरम्मत का कार्य पूर्ण करवा दिया गया है। नगर विकास न्यास द्वारा प्रेषित उक्त पालना रिपोर्ट की प्राचार्य, सेठ मुरलीधार मानसिंहका राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 28.11.14 द्वारा पुष्टि करते हुए अवगत करवाया गया कि दो जर्जर कक्षा-कक्षा. एवं स्टाफ रूम को मरम्मत एवं निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् महाविद्यालय को सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री लक्ष्मण पंवार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, भीलवाड़ा हाल अधिशाषी अभियन्ता, नगर परिषद्, जैसलमेर के सम्बन्ध म. आवश्यक जाँच कराकर यथोचित कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 22.9.14 लिखने के उपरान्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 30.3.15 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त महाविद्यालय म. दो कमरा. एवं बरामदे का निर्माण वर्ष 2007 म. श्री लक्ष्मण पंवार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा करवाया गया था यह कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं करवाये जाने के कारण अल्प अवधि म. ही गहरी दरारें आ जाने से उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दिनांक 26. 02.15 को आरोप-पत्र जारी कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

इस सचिवालय स्तर पर किए गए पत्राचार उपरान्त प्रश्नगत जर्जर कक्षा-कक्षा. एवं स्टाफ रूम की मरम्मत/निर्माण कार्य पूर्ण करवाकर कब्जा महाविद्यालय को संभला दिए जाने एवं इस सचिवालय स्तर पर अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण इस प्रकरण को दिनांक 19.12.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(25)लोआस/2014

दिनांक 03.06.14 के राजस्थान पत्रिका जयपुर संस्करण के पृष्ठ 4 पर "कबाड़ हो रही जनता की सीएफएल" शीर्षक से छपे समाचार के आधार पर दिनांक 16.06.14 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर शासन सचिव, उर्जा विभाग से परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 17.06.14 प्रेषित किया गया।

इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत् वितरण निगम लि., जयपुर के पत्र दिनांक 22.10.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि शेष बची हुई 5.43 लाख सीएफएल को कम्पनिया. द्वारा वापिस उठा लिया गया है। इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् 5.43 लाख सीएफएल कम्पनिया. द्वारा वापिस उठा लिये जाने के फलस्वरूप राजकोष म. 5 करोड़ 81 लाख 1 हजार रूपये की बचत हुई। उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सम्पन्न होने पर यह प्रकरण दिनांक 23.03.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.13(2)लोआस/2014

परिवादी श्री छोगा लाल बोहरा, प्रमुख निदेशक, श्री पिंजरापोल गौशाला, 63, धानमण्डी, जिला पाली द्वारा यह परिवाद जिला प्रशासन, पाली से राज्य सरकार के फरवरी, 2014 के निर्देशा. की पालना म. गौशाला हेतु अनुदान राशि दिलाये जाने के संदर्भ म. दिनांक 04.07.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर एवं जिला कलेक्टर, पाली को पत्र दिनांक 28.7.14 प्रेषित किया गया। इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर जिला कलेक्टर, पाली से पत्र दिनांक 09.12.14 तथा शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 16.01.15 को प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पिंजरापोल गौशाला, पाली को दिनांक 29.09.14 को कुल 88 दिन के अनुदान की राशि रूपये 52,63,844/- की भुगतान की स्वीकृति जारी कर दी गई है। परिवादी द्वारा भी पत्र दिनांक 18.2.15 के द्वारा सचिवालय को आभार सहित धन्यवाद् ज्ञापित किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 9 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 10.03.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.14(11)लोआस/2013

दिनांक 10 फरवरी 2014 के दैनिक भास्कर समाचार-पत्र के जयपुर संस्करण म. "चैक पोस्टा. पर इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिज हो तो लगे बंधी पर अंकुश'' शीर्षक से छपी खबर तथा "निजी गार्ड को 40 हजार की घूस लेते दबोचा'' शीर्षक से छपी खबर पर दिनांक 25.03.14 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।

इस प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग राजस्थान, जयपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर को पत्र दिनांक 18.02.14 प्रेषित कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन माँगा गया। मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर को भी पत्र दिनांक 18.2.14 द्वारा परिवहन विभाग के इलेक्ट्रोनिक वे-ब्रिज लगाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करवाने हेतु लिखा गया

इस सम्बन्ध म. उप-महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 13.3.14 द्वारा अखबार म. छपी खबर की पुष्टि करते हुए अवगत करवाया कि शाहपुरा चैक पोस्ट तैनात सिक्योरिटी गार्ड श्री ओमप्रकाश को ब्यूरो द्वारा रिश्वत माँगने की शिकायत के सत्यापन के बाद दिनांक 7.1.14 को 40,000 रूपये रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथा. गिरफ्तार किया गया था जिस पर उसके विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(1)(डी), 13(2) तथा भा.द.स.

की धारा 120बी के अधीन अपराध सं. 52/2014 दिनांक 11.02.14 को पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। ब्यूरो की टीम को सिक्योरिटी गार्ड के पास कमरे म. रखे गये 73,000 रूपये भी बरामद हुए जिनके बारे म. गार्ड द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिये जाने पर उक्त राशि को भी जब्त किया गया। आरोपी को विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोधक मामलात, जयपुर के समक्ष दिनांक 08.02.14 को पेश कर तीन दिन का पुलिस अभिरक्षा का रिमाण्ड प्राप्त किया जाकर पूछताछ की गई तथा दिनांक 10.02.14 को उसे न्यायिक हिरासत म. भिजवाया जा चुका है। अन्य आरोपिया. के सम्बन्ध म. आगामी अनुसंधान जारी है।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम), परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 10.06.14 द्वारा अन्य वाँछित सूचनाएं प्रेषित करने के साथ यह भी अवगत करवाया कि परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 26.06.10 को शाहजहांपुर स्थित चैक पोस्ट के पायलट प्रोजेक्ट के रूप म. कम्प्यूटरीकरण के प्रस्ताव तैयार कर पत्रावली वित्त विभाग को वित्तीय स्वीकृति हेतु भिजवाई गई थी जो वित्त विभाग द्वारा दिनांक 30.07.10 को वापस विभाग को लौटा दी गई। विभाग द्वारा वित्त विभाग को दिनांक 02.04.12 को पुनः प्रस्ताव भिजवाये जिस पर कोई निर्देश नहीं दिये गये। तदुपरान्त विभाग द्वारा दिनांक 22.04.14 को फिर से राज्य के 16 प्रमुख संग्रह केन्द्रा. के आधुनिकीकरण/कम्प्यूटरीकरण के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये जिन पर राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 14.05.14 को दे दी गई है।

उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि वाणिज्यिक कर संग्रह केन्द्रा. के सम्बन्ध में कम्प्यूटरीकरण के विभाग के पूर्व म. प्रेषित दो प्रस्तावा. पर राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से कार्यवाही किया जाना प्रकट नहीं होता है परन्तु इस सचिवालय द्वारा स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिये जाने के पश्चात्

विभाग एवं राज्य सरकार से पत्राचार करने के बाद कर संग्रह केन्द्रा. के आधुनिकीकरण/कम्प्यूटरीकरण के विभाग के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.05.14 को स्वीकृति जारी की गई है जो भ्रष्टाचार की रोकथाम एवं उन्मूलन के सम्बन्ध म. लोकायुक्त संस्था की महत्ता को दर्शित करता है।

इस प्रकार इस प्रकरण म. इस सचिवालय स्तर पर वाँछित कार्यवाही सम्पन्न हो जाने से यह परिवाद दिनांक 28.10.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(982)/लोआस/2011

यह प्रकरण मैसर्स आर.एफ. प्रोपर्टीज एण्ड ट्रेडिंग लिमिटेड, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर से सम्बन्धित है। प्रकरण म. बोर्ड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बी.डी.) द्वारा भू-आवंटन स्वीकृति एवं जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा भूमि आवंटन व लीज डीड जारी करने तथा भू-उपयोग परिवर्तन और भवन मानचित्र स्वीकृत करने की कार्यवाही की गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण की संस्था को भूमि-आवंटन एवं लीज डीड जारी करने की पत्रावली का परीक्षण इस सचिवालय द्वारा किये जाने पर यह तथ्य प्रकट हुआ कि संस्था द्वारा वर्ष 2009 से 2014 तक की बकाया लीज राशि जमा नहीं करवाई गई है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 23.01.14 के द्वारा आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त संस्था म. लीज डीड की बकाया राशि जमा करवाने के निर्देश दिये गये। निर्देश जारी किये जाने के बावजूद बकाया राशि जमा न होने पर इस सचिवालय के पत्र दिनांक 28.05.14 के द्वारा आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को संस्था से बकाया लीज

राशि की वसूली हेतु प्रकरण पीडीआर एक्ट के तहत तैयार कर जिला कलेक्टर, जयपुर को भेजा गया।

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा सहयोग नहीं करने की स्थिति म. व बकाया लीज राशि जमा नहीं करवाने की स्थिति म. आवंटन को निरस्त करने की चेतावनी देते हुए बकाया राशि जमा करने हेतु नोटिस जारी किये जाने बाबत लिखा गया। सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 24.06.14 के द्वारा अवगत करवाया कि संस्था द्वारा चैक दिनांक 15.07.14 से 1.35 करोड़ रूपये, चैक दिनांक 15.09.14 से 1.35 करोड़ रूपये, चैक दिनांक 15.11.14 से 1.35 करोड़ रूपये, चैक दिनांक 15.12.14 से 1.35 करोड़ रूपये, चैक दिनांक 15.01.15 से 1.35 करोड़ रूपये एवं चैक दिनांक 15.02.15 से 1.35 करोड़ रूपये कुल 8.10 करोड़ रूपये बकाया लीज राशि के पेटे जमा करवा दिये गये हैं। मैसर्स आर.एफ. प्रोपर्टीज एण्ड ट्रेडिंग लिमिटेड, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, जवाहर लाल नेहरू मार्ग द्वारा गत 5 वर्षो से बकाया लीज की बड़ी राशि जमा नहीं करवाई जा रही थी। इस सचिवालय द्वारा निर्देश दिये जाने के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने संस्था से बकाया लीज की राशि वसूल कर ली है इसलिये पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1212)/लोआस/2011
एफ.22(1214)/लोआस/2011

नगरपालिका मण्डल, खैरथल, जिला अलवर की उक्त पत्रावलिया. म. मैसर्स डीसीएम श्रीराम कन्सोलिडेटेड लि0 दिल्ली की खातेदारी कृषि भूमि के सम्बन्ध म. भू-उपयोग परिवर्तन एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी करने की कार्यवाही की गई है। इस पत्रावली व कतिपय अन्य पत्रावलिया. के परीक्षण से यह पाया गया है कि स्थानीय निकाय द्वारा कंपनिया/संस्थाआ. के पक्ष म. उक्त कार्यवाही किये जाने से पूर्व उनके वैधानिक दस्तावेज प्राप्त नहीं किये गये।

इस सचिवालय द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 20.01.14 के द्वारा उनके अधीनस्थ समस्त नगरपालिकाआ, नगरपरिषदा. व नगर निगमा. को भविष्य म. संस्थाआ. के पक्ष म. भू–रूपान्तरण आदि की कार्यवाही करने से पूर्व उनके समस्त वैधानिक दस्तावेज प्राप्त करना सुनिश्चित करने के सम्बन्ध म. निर्देश जारी करने के लिए लिखा गया। उक्त निर्देशा. की पालना म. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 07.01.15 को समस्त निकाया. को तत्सम्बन्धी निर्देश जारी कर प्रति इस सचिवालय को प्रेषित की। इस प्रकार स्थानीय निकाया. द्वारा सम्बन्धित संस्थाआ. के वैधानिक दस्तावेज प्राप्त किये बिना ही उनके पक्ष म. नियमन/भू–रूपान्तरण/भू–उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही थी जिससे कानूनी पेचीदगियां उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इस सचिवालय के निर्देश पर सभी स्थानीय निकाया. द्वारा संस्थाआ. के पक्ष म. कार्यवाही करने से पूर्व उनके वैधानिक दस्तावेज प्राप्त करने की सुनिश्चितता करने के लिए निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। वाँछित निर्देश जारी होने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(16)लोआस/2010

प्रकरण म. राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र म. दिनांक 15.02.11 को पृष्ठ 20 पर "11 करोड़ का कबाड़ा– कमीशनखोरी : जलदाय विभाग ने जरूरत से ज्यादा खरीदा सामान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर सचिवालय द्वारा दिनांक 15.02.11 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया। समाचार म. लिखा गया कि जलदाय विभाग के जयपुर शहर कार्यालय की ओर से पिछले तीन साला. म. की गई करीब 11.32 करोड़ रूपये की खरीद म. अधिकारिया. ने खूब कमीशन बटोरा। वित्त विभाग की

निरीक्षण शाखा द्वारा की गई विशेष जाँच रिपोर्ट म. इसका खुलासा किया गया है। जरूरत से अधिक पाइपा. की खरीद, स्टॉक पंजिका म. सामग्री के उपयोग का इन्द्राज नहीं होना, पाइप उपलब्ध होने के बावजूद नये की माँग व अनुपयोगी सामान का निस्तारण नहीं करना आदि बिन्दुआ. की जाँच म. दर्जनभर से अधिक अधिकारिया. व कर्मचारिया. को दोषी ठहराया गया है।

इस सम्बन्ध म. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी से पत्राचार करने पर पत्र दिनांक 06.07.11 से लेकर दिनांक 13.6.14 के पत्रा. द्वारा अवगत करवाया गया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीनस्थ 10 खण्डीय कार्यालया. म. खरीदे गये पाइप एवं अन्य भण्डार सामग्री के क्रय सम्बन्धी अभिलेखा. की वित्त विभाग द्वारा कराई गई विशेष जाँच के उपरान्त गम्भीर अनियमितताआ. के लिये दोषी पाये निम्नलिखित अभियन्तागण के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 की धारा 17/16 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही किया जाना प्रक्रियाधीन है:-

क्र.सं.	खण्ड का नाम	लोक सेवक का नाम	पद नाम
1	खण्ड बहरोड़	श्री एल.पी.बैरवा	अधि. अभियन्ता
2	खण्ड दौसा	श्री एस.एल.ओसवाल	अधि. अभियन्ता
3	खण्ड दौसा	श्री डी.सी.खण्डेलवाल	अधि. अभियन्ता
4	खण्ड दौसा	श्री आर.के.जाटव	सहा. अभियन्ता
5	खण्ड राजगढ़, अलवर	श्री पी.सी.शर्मा	अधि. अभियन्ता
6	खण्ड राजगढ़, अलवर	श्री लालसिंह मीणा	अधि. अभियन्ता
7	खण्ड राजगढ़, अलवर	श्री अनिल कच्छावा	अधि. अभियन्ता
8	खण्ड राजगढ़, अलवर	श्री राजेश कुमार मीणा	अधि. अभियन्ता
9	खण्ड (दक्षिण) जयपुर	श्री देवेन्द्र कोठारी	अधि. अभियन्ता

10	खण्ड (दक्षिण) जयपुर	श्री आर.सी.मिश्रा	अधि. अभियन्ता
11	खण्ड (दक्षिण) जयपुर	श्री आर.सी.मीणा	अधि. अभियन्ता
12	खण्ड (उत्तर) जयपुर	श्री देवराज सोलंकी	अधि. अभियन्ता
13	खण्ड (उत्तर) जयपुर	श्री दिनेश शर्मा	अधि. अभियन्ता
14	खण्ड (उत्तर) जयपुर	श्री वी.एस.महेचा	अधि. अभियन्ता
15	खण्ड (उत्तर) जयपुर	श्री अशोक कु. माथुर	अधि. अभियन्ता
16	खण्ड अजमेर	श्री सुधीर मिश्रा	अधि. अभियन्ता
17	खण्ड अजमेर	श्री देवराज सोलंकी	अधि. अभियन्ता
18	खण्ड अजमेर	श्री महेश चन्द गुप्ता	अधि. अभियन्ता
19	खण्ड अजमेर	श्री राजकुमार प्रीतवानी	सहा. अभियन्ता
20	खण्ड अजमेर	श्री ए.पी.तिवाड़ी	अधि. अभियन्ता
21	खण्ड झालावाड़	श्री अजमेरसिंह कुशवाह	अधि. अभियन्ता
22	ड्रिलिंग खण्ड, जयपुर	श्री यू.आर.लोहमरोड़	अधि. अभियन्ता
23	ड्रिलिंग खण्ड, जयपुर	श्री दिनेश शर्मा	अधि. अभियन्ता
24	ड्रिलिंग खण्ड, जयपुर	श्री अनुज कुमार गुप्ता	सहा. अभियन्ता
25	ड्रिलिंग खण्ड, जयपुर	श्री जुगल कशोर पंवार	वरिष्ठ लिपिक
26	ड्रिलिंग खण्ड, जयपुर	श्री अजमेरसिंह कुशवाह	अधि. अभियन्ता
27	ड्रिलिंग खण्ड, जयपुर	श्री रामलाल माथुर	अधि. अभियन्ता
28	खण्ड सलूम्बर, उदयपुर	श्री धीरजलाल कटारा	अधि. अभियन्ता
29	खण्ड सलूम्बर, उदयपुर	श्री राजाराम श्रीवास	अधि. अभियन्ता
30	खण्ड सलूम्बर, उदयपुर	श्री पी.एस.चौहान	अधि. अभियन्ता
31	खण्ड सलूम्बर, उदयपुर	श्री कुमुद माथुर	अधि. अभियन्ता

चूँकि विभागीय जाँच के पूर्ण होने म. समय लगने की सम्भावना है, इसलिये इस प्रकरण को दिनांक 21.08.14 को अस्थायी रूप से नस्तीबद्ध किया जाकर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट माँगी जा रही है।

अध्याय-5

विभागीय कार्यवाहिया. के अन्य प्रकरण

एफ.2(8)लोआस/2011

परिवादी श्री वैशाखीराम निवासी चिड़वई, तहसील रामगढ़, जिला अलवर ने दिनांक 02.09.11 को प्रस्तुत इस परिवाद म. श्री ईश्वरलाल यादव, उप निदेशक, कृषि विस्तार, जिला परिषद्, अलवर द्वारा अधिकांश व्यापारिया. के विरूद्ध की गई कार्यवाही म. पारदर्शिता न बरतने, समयबद्ध तरीके से कार्यवाही न करने एवं भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाते हुए जाँच कर दोषी को दण्डित करने की प्रार्थना की।

इस बारे म. सचिवालय स्तर पर निदेशक, कृषि विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व कार्मिक विभाग से समय-समय पर पत्राचार किये जाने के उपरान्त यह अवगत करवाया गया कि श्री ईश्वरलाल यादव, उप निदेशक, कृषि (विस्तार) व श्री राकेश कुमार यादव, सहायक कृषि अधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी किये जाकर विभागीय जाँच कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। पत्र दिनांक 27.8.13 एवं 18.6.14 के अनुसार उक्त विभागीय जाँचा. म. जाँच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है एवं विभागीय जाँच विचाराधीन है।

चूँकि विभागीय जाँचा. का निर्णय होने म. समय लगने की संभावना होती है, अतः इस प्रकरण को दिनांक 15.7.14 को अस्थायी रूप से नस्तीबद्ध कर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट मांगी जा रही है।

एफ.3(176)लोआस/2011

परिवादी श्री सूरज नारायण, निवासी कावाखेड़ा, भीलवाड़ा ने दिनांक 14.11.11 को प्रेषित परिवाद म. कथन किया कि उसने अपने घर म. दिनांक 23.08.11 को चोरी हो जाने के सम्बन्ध म. दिनांक 24.08.11 को पुलिस चौकी, शास्त्रीनगर, थाना कोतवाली, भीलवाड़ा पर रिपोर्ट पेश की थी जिसके सम्बन्ध म. पूछने पर अनुसंधान अधिकारी को नियुक्त करना बताया गया था लेकिन वास्तव म. एफ.आई.आर. दर्ज ही नहीं की गई। बाद म. न्यायालय के आदेश से एफ.आई.आर. संख्या 573/2011 दर्ज की गई।

इस बारे म. सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा, पुलिस महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर एवं पुलिस महानिदेशक, राजस्थान जयपुर से रिपोर्ट मांगे जाने पर पत्र दिनांक 11.02.14 एवं 21.11.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि शिकायत के बारे म. विभाग द्वारा करवाई गई जाँच म. परिवाद म. लगाये गये आरोप प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने पर लोक सेवकगण श्री राजाराम मीणा, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक एवं हाल आर.पी.एस., थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली, श्री हेमराज, तत्कालीन उप निरीक्षक प्रभारी पुलिस चौकी, शास्त्रीनगर, थाना कोतवाली एवं श्री इकबाल हुसैन, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना कोतवाली, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 26.02.14 को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये जाकर विभागीय जाँच की गई। विभागीय जाँच म. आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उक्त लोक सेवकगण को दण्डादेश दिनांक 26.7.14 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। यह भी अवगत करवाया कि परिवादी सूरज नारायण के घर म. हुई चोरी के सम्बन्ध म. बाद म. दर्ज किये गये प्रकरण म. तीन मुलजिमा. को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा से भी दण्डित किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवाद म. वाँछित कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 05.08.14 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.3(54)लोआस/2012

इस प्रकरण म. परिवादी श्री बलदेवराज पुत्र श्री सोहन लाल निवासी 141, 142, हाउसिंग बोर्ड, श्यामनगर, श्रीगंगानगर का कथन रहा है कि उसने अपने छोटे भाई सुन्दरलाल का शव दिनांक 17.11.11 को पदमपुर थाना क्षेत्र म. नहर म. मिलने पर पुलिस थाना, पदमपुर के थानाधिकारी श्री कान्ता सिंह को शिकायत दी थी। श्री कान्ता सिंह ने उसकी शिकायत पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया अपितु अभियुक्तगण की मदद की।

इस सम्बन्ध म. तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त विभागीय जाँच की पत्रावली तलब की गई जिसके अवलोकन से प्रकट हुआ कि लोक सेवक को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत की गई विभागीय जाँच म. जवाब को असंतोषप्रद मानते हुए आदेश क्रमांकः गंगा/अप0शा/डी0ई/14/68-71 दिनांक 6.1.14 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट हुआ कि लोक सेवक श्री कान्ता सिंह ने न केवल परिवादी से प्राप्त परिवादा. पर मुकदमा दर्ज नहीं करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया अपितु मर्ग जाँच म. हत्या का मामला होते हुए भी गहनता से जाँच नहीं करने का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसके उपरान्त भी पुलिस अधीक्षक, गंगानगर ने मामला दीर्घ शास्ति के लायक होते हुए भी नरमी का रूख अपनाते हुए लघु शास्ति से दण्डनीय नियम के अधीन जाँच कर लघु शास्ति 'परिनिन्दा' के दण्ड से दण्डित कर दिया। चूँकि इस मामले म. विभागीय जाँच की जाकर दण्डादेश दिया जा चुका है, इसलिये इस मामले म. दुबारा जाँच नहीं की

जा सकती। अतः इस प्रकरण म. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को मामले के तथ्या. से अवगत कराते हुए यह निर्देश दिया गया कि वे सभी अधीनस्थ पुलिस अधिकारिया. को आगाह करें कि वे अपने अधीनस्थ लोक सेवका. के कृत्य के अनुसार लघु शास्ति अथवा दीर्घ शास्ति के आरोप-पत्र दिये जाने तथा दोषी साबित हो जाने पर लघुत्तर दण्ड से दण्डित करने के लिए स्पष्ट कारण लेखबद्ध करें।

एफ.3(121)लोआस/2012

श्री नवीन जोशी, निवासी सब्जी मण्डी रोड़, गुर्जर मोहल्ला, भीलवाड़ा ने दिनांक 13.8.12 को प्रेषित इस परिवाद म. पुलिस अधीक्षक कार्यालय, भीलवाड़ा म. कार्यरत श्री जितेन्द्र चौधरी व राजेन्द्र मीणा के विरूद्ध अधिकारिया. से मिलकर परिवादी को परेशान करने के आरोप लगाये।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके प्रत्युत्तर म. पुलिस अधीक्षक ने उनके पत्र दिनांक 8.11.13, 10.4.14 एवं 8.5.14 द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण म. परिवादी के आरोपा. के बारे म. जाँच करवाये जाने पर श्री जितेन्द्र सिंह, कांस्टेबल 1365 के विरूद्ध आपराधिक गतिविधिया. म. लिप्त होने के आरोप के सम्बन्ध म. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जाँच की गई। विभागीय जाँच म. आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उसे दण्डादेश दिनांक 31.1.14 द्वारा एक साल की वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवाद म. वाँछित कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 19.5.14 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(183)लोआस/2012

परिवादी श्री सतीश कुमार शर्मा, निवासी मण्डरायल, जिला करौली ने दिनांक 30.11.12 को प्रेषित परिवाद में कथन किया कि उसकी बहन लाडो उर्फ कुसुम की ससुराल वाला. द्वारा हत्या कर शव को छत के पंखे से लटका दिया गया जिसकी सूचना थानाधिकारी, मण्डरायल को दिनांक 06.11.12 दी गई। परिवादी ने आरोप लगाया कि थानाधिकारी श्री विजयसिंह ने मुलजिमा. से लाखा. रूपये लेकर हत्या को आत्महत्या म. परिवर्तित कर दिया जिसकी जाँच करवाई जाकर दोषी को दण्डित किया जावे।

इस शिकायत के सम्बन्ध म. कार्यवाही करने पर पुलिस अधीक्षक, करौली के पत्र दिनांक 14.8.13 एवं 12.6.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध म. करवाई गई जाँच म. श्री विजयसिंह, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना, मण्डरायल द्वारा उसके समक्ष पेश रिपोर्ट के तथ्या. के आधार पर धारा 304बी भारतीय दण्ड संहिता म. एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कर मात्र 306 भारतीय दण्ड संहिता म. दर्ज करने व एफ.आई.आर. घटना के तीन दिन बाद दर्ज करने का प्रथमदृष्ट्या दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जाँच की गई। विभागीय जाँच के उपरान्त आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उसे दण्डादेश दिनांक 12.6.14 के द्वारा ''परिनिन्दा'' के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। इस प्रकार परिवाद म. वाँछित कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 30.6.14 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(196)लोआस/2012

श्री कमलेश बैरवा, निवासी रामनगर, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बूंदी द्वारा दिनांक 07.12.12 को पेश परिवाद म. कथन किया कि परिवादी ने पुलिस

थाना, इन्द्रगढ़ म. दिनांक 05.09.12 को सरपंच श्री नेनकराम मीणा के विरूद्ध धमकी देने एवं पंचायत कार्यवाही म. बाधा उत्पन्न करने के मामले म. लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जो पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ की वर्ष 2012 की परिवाद पंजिका म. क्रमांक 480 पर दर्ज है। उक्त परिवाद म. थानाधिकारी द्वारा बीट कांस्टेबल नं. 810 श्री राजेन्द्र कुमार को कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया गया था। परिवाद के सम्बन्ध म. की गई कार्यवाही के बारे म. पूछने पर श्री राजेन्द्र कुमार ने परिवादी को यह बताया कि उसके परिवाद म. दिनांक 13.09.12 को न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ म. इस्तगासा पेश कर दिया गया है। जब परिवादी ने उक्त न्यायालय से जानकारी प्राप्त की तो बताया गया कि ऐसा कोई इस्तगासा पेश नहीं किया गया है। परिवादी के अनुसार उक्त श्री राजेन्द्र कुमार ने श्रीमती शांति पत्नी श्री प्रभु द्वारा दिनांक 16.08.12 को प्रस्तुत शिकायत पर भी कोई मामला पंजीबद्ध नहीं किया। इसी प्रकार श्री नारायण द्वारा श्री नेनकराम मीणा के विरूद्ध दिनांक 28.08.12 को दी गई शिकायत पर भी बिना कोई कार्यवाही किये ही अपनी मर्जी से राजीनामा करना अंकित कर गुमराह किया।

इस सम्बन्ध म. पुलिस अधीक्षक, बूंदी से रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं तत्पश्चात् सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया गया। पुलिस अधीक्षक, बूंदी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 6.03.13 के अनुसार परिवादी की शिकायत पर बाद जाँच गैर सायल नेनकराम मीणा के विरूद्ध इस्तगासा धारा 107, 116(3) जाब्ता फौजदारी का मुर्तिब किया जाकर दिनांक 13.09.12 को तहसीलदार, इन्द्रगढ़ के समक्ष पेश किया जाकर पाबन्द करवाने की कार्यवाही की जा चुकी है। परिवादी द्वारा पुनः पेश परिवाद पर गैर सायल श्री नेनकराम मीणा को दिनांक 20.10.13 को धारा 107, 151 जाब्ता फौजदारी म. गिरफ्तार किया जाकर पाबन्द करवाया जा चुका है। पत्र दिनांक 31.05.14, 05.08.14 एवं 31.12.14 के अनुसार परिवादी श्री कमलेश बैरवा द्वारा दिनांक 05.09.12 को पेश की गई शिकायत पर कार्यवाही न करने एवं गलत खारजा लगाने के आरोप के सम्बन्ध म.

राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत की गई विभागीय जाँच म. आरोप प्रमाणित पाये जाने पर सम्बन्धित लोक सेवक श्री राजपाल चौपड़ा, कांस्टेबल नं. 277 को दण्डादेश दिनांक 14.08.14 द्वारा ''परिनिन्दा'' के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवाद म. वाँछित कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 23.01.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(78)लोआस/2013

श्री सुभाष चन्द, निवासी बोदला रोड़, शाहगंज, आगरा ने दिनांक 14.05.13 को प्रेषित परिवाद म. पुलिस थाना, अटलबन्द भरतपुर के सरकारी आवास संख्या 6 म. श्रीमती राजकुमारी द्वारा दिनांक 31.12.2004 से दिनांक 23.12.12 तक बिना आंवटन के निवास कर राज्य सरकार को रूपये 72,590/- की राजस्व हानि पहुंचाने का आरोप लगाया एवं जाँच कर दोषिया. को दण्डित करने व राजकीय आवास म. अवैध रूप से निवास करने की राशि वसूल करने की मांग की।

इस सम्बन्ध म. पुलिस अधीक्षक, भरतपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पुलिस अधीक्षक, भरतपुर ने अपने पत्र दिनांक 05.08.13, 10.04.14, 21.05.14, 10.07.14 एवं 17.11.14 द्वारा अवगत करवाया कि श्रीमती राजकुमारी पत्नी स्व.श्री मोहनसिंह, कांस्टेबल को अनुकम्पा के आधार पर आदेश दिनांक 11.12.13 द्वारा महिला कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। अवैध रूप से राजकीय आवास म. निवास करने की अवधि के किराये की राशि रूपये 72,590/- की वसूली उसके वेतन से की जा रही है। सभी सम्बन्धित अधिकारिया. को समय पर राजकीय आवास खाली न करवाने के सम्बन्ध म. भविष्य म. अधिक जिम्मेदारी से विभागीय नियमा. की पालना करने की चेतावनी के साथ प्रकरण को बन्द कर दिया

गया है। इस प्रकार परिवाद म. वाँछित कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 09.12.14 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.3(93)लोआस/2013

परिवादी श्री गोकुलराम शर्मा, निवासी राम नगर, अलवर द्वारा पेश परिवाद दिनांक 22.05.13 म. उसके प्रकरण संख्या 172/2012 व 173/2012 पुलिस थाना, कठूमर म. थानाधिकारी श्री रामनिवास यादव व हैड़ कानि0 श्री श्याम लाल द्वारा अनुसंधान के दौरान मुलजिमा. को लाभ पहुंचाने के सम्बन्ध म. आरोप लगाये गये। परिवादी ने यह भी कथन किया कि उक्त दोना. लोक सेवका. के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय पर भी शिकायत की गई थी। इन आरोपा. के सम्बन्ध म. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो म. पूर्व म. दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 348/2012 म. श्री मन्नोराम मीणा तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक, लक्ष्मणगढ़ के विरूद्ध अनुसंधान के बाद चार्जशीट पेश की गई थी व श्री रामनिवास यादव व श्री श्यामलाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की अनुशंषा की गई थी।

इस सम्बन्ध म. सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही म. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सतर्कता, राजस्थान, जयपुर से रिपोर्ट मंगवाये जाने पर पत्र दिनांक 15.01.14, 19.05.14, 01.08.14, 08.10.14 एवं 27.10.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री रामनिवास यादव, पुलिस निरीक्षक, हाल आर.पी.एस. सहायक कमाण्डेन्ट, 6 बटालियन आर.ए.सी., धौलपुर व श्री श्याम लाल, हैड कानि. 1191, पुलिस थाना, कठूमर द्वारा अभियोग संख्या 172/2012 व 173/2012 म. अनुसंधान के दौरान बरती गई लापरवाही एवं अनियमितता के आरोपा. के सम्बन्ध म. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत की गई विभागीय जाँच म. आरोप प्रमाणित पाये जाने पर सम्बन्धित लोक सेवकगण सर्व श्री रामनिवास यादव, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना, कठूमर एवं श्री श्यामलाल, हैड

कानि.1191, पुलिस थाना, कठूमर को दण्डादेश दिनांक 08.10.14 द्वारा ''परिनिन्दा'' के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। इस प्रकार परिवाद म. वाँछित कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 13.11.14 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(327)लोआस/2013

श्री अनारसिंह, निवासी बोचवा निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द द्वारा दिनांक 15.01.14 को प्रेषित परिवाद म. पुलिस थाना, नाथद्वारा के ए.एस.आई. श्री पेशावर खान के विरूद्ध मुलजिमा. से मिली-भगत कर, उसके द्वारा दिनांक 17.09.13 को पेश परिवाद को दर्ज नहीं किये जाने का आरोप लगाया एवं उसके विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग की है।

इस सम्बन्ध म. पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 11.06.14, 19.07.14 एवं 12.09.14 के अनुसार परिवादी श्री अनारसिंह द्वारा दिनांक 17.09.13 को पेश परिवाद पर दिनांक 08.01.14 तक कोई जाँच नहीं कर अपने पास पेण्डिंग रखने के आरोप म. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत की गई विभागीय जाँच म. आरोप प्रमाणित पाये जाने पर सम्बन्धित लोक सेवक श्री पेशावर खां सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना, नाथद्वारा को दण्डादेश दिनांक 19.08.14 द्वारा ''भविष्य म. ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी'' के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। इस प्रकार परिवाद म. वाँछित कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 10.11.14 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(414)लोआस/2013

श्री कानाराम, निवासी थोलाई, जमवारामगढ़, जिला जयपुर द्वारा दिनांक

31.03.14 को प्रेषित परिवाद म. पुलिस थाना, प्रतापगढ़ पर दर्ज प्रकरण संख्या 38/2012 म. श्री रामकरण, हैड कांस्टेबल नं. 438 व श्री लीलाराम जाट, कांस्टेबल द्वारा मुलजिमा. की मदद करने के सम्बन्ध म. लगाये गये आरोपा. के बारे म. उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत चल रही जाँच म. उस पर राजीनामा करने के लिये दबाव डालने के आरोप लगाये जिसके सम्बन्ध म. कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस शिकायत के सम्बन्ध म. पुलिस अधीक्षक, अलवर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 06.05.14 एवं 17.10.14 के अनुसार परिवादी द्वारा लगाये गये आरोपा. के सम्बन्ध म. लोक सेवक श्री रामकरण, हैड कांस्टेबल नं. 438, पुलिस थाना, प्रतापगढ़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत की गई विभागीय जाँच म. झगड़े की सूचना मिलने पर रोजनामचा आम म. अंकित नहीं करने व बाद कार्यवाही आने पर भी रिपोर्ट अंकित नहीं करने के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उसे दण्डादेश दिनांक 16.07.12 द्वारा ‘‘परिनिन्दा’’ के दण्ड से दण्डित कर दिया है। परिवादी द्वारा लगाये गये अन्य आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये।

इस प्रकार परिवाद म. वाँछित कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 23.01.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(90)लोआस/2014

श्री कानाराम गुर्जर, निवासी टोकरा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा ने दिनांक 09.06.14 को प्रेषित परिवाद म. कहा है कि उसे अपने पिताजी से विरासत म. लगभग 12 बीघा जमीन दिनांक 06.05.1993 को मिली थी जिसे उसने पैसा. की जरूरत होने से बेच दिया। इस बात पर लोगा. के बहकावे म. आकर उसकी बहन श्रीमती सायरी पत्नी श्री औंकार गुर्जर

ने उसके विरूद्ध पुलिस थाना, करेड़ा म. एफ.आई.आर. 12/2014 दर्ज करवा दी। उक्त मुकदमें म. बाद अनुसंधान एफ.आर. अदमबकू झूठ म. दी गई।

परिवादी ने आरोप लगाया कि वर्तमान थानाधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश यादव ने श्री भैंरू गुर्जर से मिलकर परिवादी से पैसे ऐंठने के लिए इसी मामले को राठौड़ी म. पुनः खोल दिया और कार्यवाही रोकने के नाम पर उससे रिश्वत की मांग करने लगा और बार-बार थाने बुलाने लगा जिससे परेशान होकर उसने बताये अनुसार रूपये 15,000/- शंकर आचार्य को जमा करा दिये। इसके बावजूद भी दलाल शंकर आचार्य बाकी 8,000/- लेने के लिये परेशान करने लग गया। इसके बाद थानाधिकारी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो म. शिकायत करने का शक हो जाने पर उसे रूपये 15,000/- वापस भेज दिये। इस प्रकार परिवादी ने दोषिया. के विरूद्ध कार्यवाही कर दण्डित करने की प्रार्थना की है।

सचिवालय स्तर पर कार्यवाही करते हुये पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा से इस बारे म. रिपोर्ट मांगी गई जो उनके पत्र दिनांक 15.07.14 एवं 07.10.14 द्वारा प्रेषित की गई। रिपोर्ट के अनुसार शिकायत के सम्बन्ध में करवाई गई जाँच के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि परिवादी कानाराम के विरूद्ध उसकी बहन सायरी देवी द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 12/2014 म. राजीनामा हो जाने पर राजीनामे के अनुसार सायरी देवी को रूपये 50,000/- कानाराम से प्राप्त होने थे। कानाराम द्वारा रूपये नहीं देने पर सायरी देवी ने थानाधिकारी चन्द्रप्रकाश यादव की मदद से रूपये वसूल करने के प्रयास किये। वृत्ताधिकारी, आसीन्द की जाँच रिपोर्ट के अनुसार श्री चन्द्रप्रकाश यादव, थानाधिकारी व श्री प्रेम शंकर, ए.एस.आई. द्वारा बिना किसी परिवाद व रिपोर्ट के सायरी देवी के पूर्व मुकदमे के राजीनामे म. तयशुदा रूपये 50,000/- दिलवाने के लिये दबाव डालने का प्रथमदृष्ट्या दोषी पाया गया।

अतः उक्त दोना. लोक सेवकगण के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की गई। विभागीय कार्यवाही म. आरोप प्रमाणित पाये जाने पर श्री चन्द्र प्रकाश यादव, उप निरीक्षक, पुलिस थाना, करेड़ा को दण्डादेश दिनांक 31.7.14 द्वारा 2 वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी जाने व श्री प्रेम शंकर, ए.एस.आई. को ''परिनिन्दा'' के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवाद म. वाँछित कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 10.11.14 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.5(59)लोआस/2009

यह परिवाद श्री रामावतार यादव द्वारा अलवर जिला देहात युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की हैसियत से दिनांक 30.11.2009 को पेश किया गया था जिसमें श्री सर्वेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम, अलवर के विरूद्ध गबन, अनियमितताएं एवं जाली/फर्जी हस्ताक्षर कर स्थानान्तरण आदेश प्रस्तुत करने के गंभीर आक्षेप लगाए गए हैं।

इस सम्बन्ध म. इस सचिवालय स्तर से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से निरन्तर पत्राचार किए जाने के उपरान्त अन्ततः उनके द्वारा पत्र दिनांक 28.06.14 के द्वारा अवगत कराया गया कि दोषी लोकसेवक श्री सर्वेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध जाली स्थानान्तरण आदेश, 18275/- का गबन करने के सम्बन्ध म. विभागीय स्तर पर राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दिनांक 09.11.10 को ज्ञापन, आरोप पत्रादि जारी किए गए तथा इसी क्रम म. जाँच प्रतिवेदन, सुनवाई म. प्रस्तुत तथ्या. व पत्रावली के गहन अध्ययन, अवलोकन एवं विश्लेषणोपरान्त

आदेश दिनांक 11.09.13 द्वारा श्री सर्वेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक पर लगाए आरोप प्रमाणित पाए जाने पर श्री सर्वेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, राजकीय यशवन्त उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर की दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार सचिवालय स्तर पर किए गए हस्तक्षेप के उपरान्त विभागीय स्तर पर दोषी लोकसेवक श्री सर्वेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्यवाही किए जाने के उपरान्त यह प्रकरण दिनांक 03.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(7)लोआस/2012

श्री विद्याधर सैनी पुत्र श्री रामूराम सैनी निवासी वार्ड नं. 23, पिलानी रोड़, चिड़ावा, जिला झुन्झुनूं की शिकायत दिनांक 18.04.12 पर कार्यवाही करने पर जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं ने अपने पत्र दिनांक 27.08.13 तथा 31.03.14 के द्वारा अवगत करवाया कि कस्बा चिड़ावा की भूमि खसरा नं.735/2 गैर मुमकिन जोहड़ म. 0.05 हैक्टेयर पर पुख्ता निर्माण कर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी लोकसेवक श्री मीरसिंह, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, प्रतापपुरा, जिला झुन्झुनूं के विरूद्ध पुलिस थाना, चिड़ावा म. प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.151/14 अन्तर्गत धारा 91(6), राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 दर्ज करा दी गई है। इसके अतिरिक्त राजकीय कर्मचारी होते हुए भी अतिक्रमण का कृत्य करने पर उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र दिया जाकर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

एफ.5(13)लोआस/2012

इस प्रकरण म. श्रीमती भावना शर्मा, निवासी मोदिया. की जांव, वार्ड नंबर 24, झुन्झुनूं ने शपथ पत्र के साथ दिनांक 07.05.12 को प्रेषित परिवाद म. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं के कार्यालय म. कार्यरत श्री हरिसिंह, कैशियर के विरूद्ध यह आक्षेप लगाया कि श्री हरिसिंह, लिपिक, जो कैशियर कम स्टोर कीपर है, ने गंभीर वित्तीय अनियमितताएं की हैं। लेखा शाखा के किसी भी व्यक्ति को समिति का सदस्य बनाए बिना ही टेण्डर आमंत्रित किए तथा जिला परिषद् के वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा हरिसिंह के विरूद्ध कालातीत बिला. के मामले म. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की गई थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई आदि।

इस परिवाद के संदर्भ म. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन पत्र दिनांक 08.04.13 से मांगे जाने पर उनकी ओर से अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा पत्र दिनांक 30.8.13 के साथ जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए अवगत करवाया गया कि जाँच म. कोई अनियमितता नहीं पाई गई। लेकिन जाँच प्रतिवेदन म. यह तथ्य आया कि श्री हरिसिंह का कार्य व्यवहार ठीक नहीं है और हरिसिंह व तत्कालीन बी.ई.ई.ओ. की मिलीभगत रही है।

इन तथ्या. के परिप्रेक्ष्य म. परिवादिया से आक्षेप आमंत्रित किये गये तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाकर पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के विश्लेषणोपरान्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुन्झुनूं की जाँच रिपोर्ट दिनांक 08.07.13 की प्रति प्रेषित करते हुए उन्हें इस जाँच रिपोर्ट पर लिए गए अन्तिम निर्णय से अवगत कराने हेतु पत्र लिखा गया । प्रत्युत्तर म. उनके द्वारा पत्र दिनांक 29.12.14 म. प्रकरण की विषयवस्तु से सम्बन्धित तथ्या.

का उल्लेख करते हुए मुख्य रूप से यह अवगत कराया गया कि श्री सुभाष चन्द्र ढाका तत्कालीन बी.ई.ई.ओ. के द्वारा किसी प्रकार की अनियमितताएं नहीं करना पाया गया लेकिन लोक सेवक श्री हरिसिंह, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 म. पंचायती राज मद के अध्यापका. के विभिन्न प्रकार के एरियर, उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान आदि के बिला. का वरीयता रजिस्टर का संधारण नहीं कर अपने कार्य म. अनियमितता बरतने के आरोपा. के सम्बन्ध म. की गई विभागीय जाँच म. आरोप प्रमाणित होने पर आदेश दिनांक 17.11.14 के तहत ''परिनिन्दा'' के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

अतः सचिवालय स्तर पर अन्य कोई कार्यवाही वांछनीय नहीं रहने के कारण तथा परिवादिया को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 13.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(51)लोआस/2012

परिवादी श्री दिनेश चन्द भारद्वाज, विद्यार्थी मित्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मरौना, जिला करौली द्वारा दिनांक 31.01.13 को प्रस्तुत किये गये परिवाद को परिवाद की विषयवस्तु को दृष्टिगत रखते हुए सचिवालय स्तर पर दिनांक 05.07.13 को नस्तीबद्ध कर दिया गया था। तत्पश्चात् कैम्प करौली के दौरान परिवादी ने परिवाद मय शपथ पत्र दिनांक 12.05.14 को मुख्य रूप से इस आशय का प्रस्तुत किया कि बी.ई.ई.ओ., सपोटरा एवं डी.ई.ओ., प्रारम्भिक शिक्षा, करौली के द्वारा 48 माह का मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस पर परिवाद एवं प्रलेखा. के परीक्षणोपरान्त परिवाद को पुनः खोला जाकर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से पत्र दिनांक

29.5.14 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया जिस पर उनकी ओर से जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ने पत्र दिनांक 11.11.14 के द्वारा अवगत करवाया कि श्री दिनेश चन्द भारद्वाज ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मरौना, पंचायत समिति, सपोटरा म. दिनांक 11.12.2006 से 14.12.2007 तक विद्यार्थी मित्र के रूप म. संविदा पर कार्य किया था, उक्त अवधि का भुगतान परिवादी को कर दिया गया था।

तत्पश्चात् श्री भारद्वाज ने सतत् शिक्षा के अन्तर्गत नोडल प्रेरक के रूप म. ग्राम पंचायत, मण्डरायल म. दिनांक 27.5.2008 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय म. कार्य किया। ऐसी स्थिति म. श्री दिनेश चन्द्र भारद्वाज द्वारा निरन्तर विद्यार्थी मित्र के रूप म. कार्य सम्पादित नहीं किया गया जबकि विद्यार्थी मित्रा. के सम्बन्ध म. माननीय न्यायालय द्वारा अनेका. निर्णया. म. यह अवधारित किया गया है कि निरन्तर कार्यरत विद्यार्थी मित्रा. को ही विद्यार्थी मित्र के रूप म. कार्यरत रखा जाये। यह भी अवगत करवाया गया कि श्री भारद्वाज द्वारा गत सत्र म. कार्य नहीं किया गया परन्तु तत्कालीन अध्यापक द्वारा उसकी उपस्थिति प्रमाणित करने का कार्य किया गया जो नियमानुसार सही नहीं है।

अत: गलत रूप से प्रमाणित उपस्थिति अवधि का वेतन रूपये 33,054/- का भुगतान उक्त प्रधानाध्यापक के वेतन से काटकर परिवादी श्री भारद्वाज को दिनांक 14.8.14 को किया जा चुका है तथा इस कृत्य के लिए उत्तरदायी लोक सेवक श्री नत्थूलाल जाटव, अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मरोना के विरूद्ध दिनांक 28.10.14 को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत् आरोप पत्र जारी किया जाकर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सम्पन्न हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 25.11.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(54)लोआस/2013

इस प्रकरण म. परिवादी श्री अशोक कुमार, वार्ड नंबर 8, शिव मंदिर वाली गली, श्रीगंगानगर से सशपथ परिवाद इस आशय का प्राप्त हुआ कि श्रीमती ज्योति दुआ, द्वितीय श्रेणी अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आमद रकबा गुमजाल, श्रीगंगानगर के विरूद्ध हत्या का आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने एवं अन्य वास्तविक तथ्या. को छुपाते हुए उसके द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापिका की राजकीय नौकरी दिनांक 21.9.2005 को प्राप्त की गई, जिसकी जाँच की जावे।

परिवाद प्राप्त होने पर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन हेतु दिनांक 06.11.13 से निरन्तर पत्राचार किये जाने के उपरान्त विभाग द्वारा पत्र दिनांक 15.05.14 के द्वारा यह अवगत कराया कि श्रीमती ज्योति दुआ द्वारा उनके विरूद्ध दर्ज आपराधिक मुकदमे का तथ्य छुपाकर गलत तरीके से अध्यापिका की नियुक्ति प्राप्त की गई। इस अनुक्रम म. श्रीमती ज्योति दुआ द्वारा तथ्य छुपाकर प्राप्त की गई अध्यापिका की नौकरी के सम्बन्ध म. विभागीय स्तर पर की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु पत्र दिनांक 30.5.14 लिखा गया।

इस संदर्भ म. अन्ततः निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 02.02.15 के द्वारा यह अवगत कराया कि श्रीमती ज्योति दुआ द्वारा झूठे दस्तावेज के आधार पर हत्या के आपराधिक मुकदमे के सम्बन्ध म. वास्तविक तथ्य को छुपाकर तृतीय श्रेणी अध्यापिका की नौकरी राज्य सरकार को धोखा देकर प्राप्त करने के अनुक्रम म. श्रीमती दुआ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्रादि दिनांक 15.09.14 को जारी किए जा चुके हैं और कार्यालय आदेश दिनांक 03.01.15 के तहत विभागीय कार्यवाही करने हेतु श्री शंकरलाल, बी.ई.ई.ओ., अनूपगढ़ को

जाँच अधिकारी तथा श्री कश्मीरी लाल, ए.बी.ई.ई.ओ., अनूपगढ़ को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया जाकर, जाँच प्रक्रियाधीन है।

इस प्रकार सचिवालय स्तर पर हस्तक्षेप किए जाने के उपरान्त दोषी लोक सेवक श्रीमती ज्योति दुआ, द्वितीय श्रेणी अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आमद रकबा गुमजाल, श्रीगंगानगर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने एवं इस कार्यवाही में समय लगने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को पत्र दिनांक 18.03.15 के द्वारा उक्त दोषी अध्यापिका के विरूद्ध विभागीय स्तर पर की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही की त्रै-मासिक रिपोर्ट भिजवाते रहने के लिए लिखते हुए, यह प्रकरण दिनांक 12.03.15 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(75)लोआस/2013

परिवादी श्री राजेन्द्र सैनी, जिलाध्यक्ष, राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानवाधिकार रक्षा संस्थान, शिवाजी मार्केट पुराना स्टेशन रोड़, अलवर ने यह परिवाद दिनांक 10.10.13 को इस आशय का पेश किया कि श्री नेमीचन्द गर्ग, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम, अलवर के द्वारा विभिन्न अध्यापक/कर्मचारी के विरूद्ध लंबित राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 की जाँच पत्रावलिया. म. जालसाजी/फर्जी कार्यवाही कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध म. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र दिनांक 03.12.13 लिखा गया जिस पर उनके द्वारा पत्र दिनांक 02.09.14 के साथ जाँच रिपोर्ट मय सुसंगत प्रालेख संलग्न करते हुए अवगत करवाया गया कि उपस्थापक अधिकारी की बहस या सहमति के बिना ही

विभागीय जाँच की पत्रावलिया. म. श्री नेमीचन्द गर्ग द्वारा जाँच रिपोर्ट लिखने, पत्रावली से छेड़छाड़ कर साक्ष्य नष्ट करने, लम्बे समय तक पत्रा. को छिपाए रखने व अधिकारिया. के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाने के आरोप प्रथमदृष्ट्या सही पाये जाने पर उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत दिनांक 02.09.14 को आरोप पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है तथा आदेश दिनांक 08.02.15 द्वारा जाँच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है।

परिवाद म. इस सचिवालय स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही सम्पन्न हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 27.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(91)लोआस/2013

यह प्रकरण परिवादी श्री रामप्रसाद यादव, निवासी एस-18, कृष्ण मार्ग, बापूनगर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर दिनांक 18.11.13 को दर्ज किया गया जिसमें श्री जयराम मीणा, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, लाखन कोटड़ी, अजमेर के विरूद्ध बिना अनुमति के राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ, अजमेर में महासचिव के पद पर कार्य करने, चन्दा प्राप्त करने तथा तृतीय सन्तान के तथ्य को छुपाकर वेतन वृद्धि व पदोन्नति प्राप्त कर लेने के आक्षेप लगाए गए हैं।

इस सम्बन्ध म. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 12.05.14, 25.06.14 एवं 11.08.14 के द्वारा अवगत कराया कि श्री जयराम मीणा को दिए गए ए.सी.पी. का परिलाभ एवं इनकी विभागीय पदोन्नति प्रत्याहृत कर ली गई है तथा बिना विभाग की अनुमति के राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ, अजमेर संस्था म. कार्य करने व चन्दा लेने के आरोप के सम्बन्ध म. श्री जयराम मीणा, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, लाखन कोटड़ी, अजमेर के विरूद्ध विभागीय

अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर दिनांक 29.05.14 को आरोप पत्रादि जारी किए जा चुके हैं और जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इस प्रकार सचिवालय स्तर पर हस्तक्षेप किए जाने के उपरान्त दोषी लोकसेवक श्री जयराम मीणा के विरूद्ध विभाग स्तर पर समुचित कार्यवाही किए जाने से, यह प्रकरण दिनांक 06.02.15 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(31)लोआस/2009

परिवादी श्री बाबू लाल पुत्र श्री सोनपाल जाति जोगी निवासी ग्राम निठार, तहसील वैर, जिला भरतपुर द्वारा यह परिवाद उसके कृषि कनेक्शन की पत्रावली म. फर्जीवाड़ा करने के संदर्भ म. दिनांक 03.02.10 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 24.05.10 प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई एवं इसके पश्चात् निरन्तर किये गये पत्राचार के उपरान्त प्रतिवेदनाधीन अवधि म. पत्र दिनांक 22.01.15 द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री एम.एम. भण्डारी, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, वैर के विरूद्ध जयपुर डिस्कॉम कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1962 के विनियम 7 के अधीन की गई विभागीय जाँच म. उसे विद्युत् खाता सं. 2145-0151 के कृषि कनेक्शन को बिना आदेश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत् लाइन खींच कर श्री विजयराम-बाबूलाल के स्वामित्व वाले खेत म. शिफ्ट करने तथा विद्युत् कनेक्शन चालू करने का दोषी पाये जाने पर दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकी जाने एवं अन्य लोक सेवक श्री शिवलाल धाकड़, लेखाकार (सेवानिवृत्त) से शास्ति के रूप म. 10 हजार रूपये वसूल किये जाने के दण्डादेश से दण्डित किया गया।

इस प्रकार दोषी लोकसेवका. को दण्डित किये जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 03.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(142)/लोआस/2010

परिवादी रामनारायण पुत्र बैजनाथ, निवासी ग्राम पगारा, तहसील हिण्डौली, जिला बूंदी द्वारा दिनांक 18.10.10 को प्रस्तुत इस परिवाद म. उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1472/1, 1448/1 एवं 1499 के सम्बन्ध म. उपखण्ड अधिकारी, जिला कलेक्टर व मुख्यमंत्री के आदेशा. के बावजूद तरमीम नहीं किये जाने एवं तरमीम के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी द्वारा रिश्वत की राशि लिये जाने की शिकायत की गई है। इस सचिवालय के पत्र दिनांक 22.11.10 के द्वारा जिला कलेक्टर, बूंदी से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.05.11 के द्वारा परिवादी को कोई आवंटन नहीं होना तथा उसके पक्ष में सीधे ही खातेदारी का नामान्तरकरण फर्जी तरीके से खोल दिये जाने का उल्लेख किया। इस सचिवालय के पत्र दिनांक 24.06.11 के द्वारा उक्त अनियमितता के सम्बन्ध म. दोषी लोकसेवका. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने, पुलिस थाना म. प्राथमिकी दर्ज करवाने व विवादित खातेदारी को समाप्त करने के लिए रेफरेन्स दर्ज करवाने के निर्देश जिला कलक्टर, बूंदी को दिये गये। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 24.11.11 के द्वारा अवगत कराया कि प्रश्नगत खातेदारी को समाप्त करवाने के लिए रेफरेन्स संबंधित न्यायालय म. दर्ज करवा दिया गया है।

प्रतिवेदनाधीन अवधि म. पत्र दिनांक 14.05.14 द्वारा प्रकरण म. दोषी लोकसेवका. के विरूद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया कि श्री रामनारायण मीणा, तत्कालीन पटवारी, पगारा को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत आरोप-पत्र जारी किये जाकर जाँच म. दोषी पाये जाने पर आगामी दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। श्री नरेन्द्र सिंह चौहान, तत्कालीन नायब तहसीलदार हाल आर.ए.एस, तहसील हिण्डौली के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत आरोप-पत्र जारी कर दिये

गये हैं। श्री बृजमोहन सेन, तत्कालीन पटवारी, पगारा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर इनके सेवानिवृत्त हो जाने से दण्डादेश के प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के अनुमोदनार्थ पेश किये गये हैं। श्री शिवजीराम मीणा, तत्कालीन भू–अभिलेख निरीक्षक, तहसील हिण्डौली के विरूद्ध नियम 16 के तहत कार्यवाही की जाकर तहसीलदार के पद पर पदोन्नति रोके जाने के वृहद दण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रकरण म. पुलिस थाना, हिण्डौली म. प्राथमिकी सं. 381/11 दर्ज करवाई गई जिसमें बाद अनुसंधान पत्रावली एफ.आर. स्वीकृति हेतु न्यायालय म. विचाराधीन है। इस सचिवालय द्वारा की गई जाँच एवं दिये गये निर्देशा. के पश्चात् प्रकरण म. दोषी लोकसेवका. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दिये जाने, पुलिस थाना म. प्राथमिकी दर्ज हो जाने व प्रश्नगत खातेदारी को निरस्त करवाने के लिए सक्षम न्यायालय म. रेफरेन्स प्रस्तुत हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया जाकर लम्बित कार्यवाहिया. की प्रगति रिपोर्ट ली जा रही है।

एफ.11(202)/लोआस/2011

परिवादी श्री धरमाराम पुत्र श्री घीसाराम, जाति भांबी, निवासी ग्राम, मोकलपुर, तहसील, मेड़ता, जिला नागौर द्वारा दिनांक 18.10.11 को प्रस्तुत इस परिवाद म. उनकी खातेदारी भूमि के पुराने खसरा नम्बर 5 के रकबे को सेटलमेंट के दौरान कम कर दिये जाने की शिकायत की गई है। इस सचिवालय के पत्र दिनांक 01.11.11 के द्वारा जिला कलेक्टर, नागौर से परिवाद पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 24.02.12 म. उल्लेख किया कि परिवादी के गत मूल खसरा नम्बर का रकबा बिना किसी आधार के नियम विरूद्ध रिकॉर्ड म. कम कर दिया गया था। पत्र दिनांक 28.04.14 से यह भी अवगत कराया कि भूमि के

सम्बन्ध म. वाद संख्या 226/2012 उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के न्यायालय म. विचाराधीन है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 10.02.14 के द्वारा भू-प्रबंध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में दोषी कार्मिका. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 16.09.14 के द्वारा यह अवगत कराया कि प्रकरण म. श्री तुलछाराम सोलंकी, भू-मापक, तहसील, मेड़ता, जिला नागौर को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण, अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत मेमोरेण्डम मय आरोप व आरोप विवरण-पत्र दिनांक 16.09.14 को जारी किये जा चुके हैं। प्रकरण म. जाँच अधिकारी भू-प्रबंध अधिकारी, जोधपुर को एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, सहायक भू-प्रबंध अधिकारी, जोधपुर को नियुक्त किया गया है। उन्होंने जारी किये गये आरोप-पत्र व आरोप विवरण-पत्र की प्रतियां भी प्रेषित की। प्रकरण म. इस सचिवालय द्वारा जाँच करने एवं अनियमितताआ. बाबत कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाने से आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। पत्रावली म. विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के न्यायालय म. धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण संख्या 226/2012 की प्रगति रिपोर्ट ली जा रही है।

एफ.11(251)लोआस/2011

परिवादी श्री राजूराम पुत्र श्री इशराराम निवासी ग्राम परावा तहसील सांचोर, जिला जालौर ने दिनांक 19.12.11 को इस सचिवालय म. परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके खातेदारी के ग्राम पंचायत परावा तहसील सांचौर म. खाता संख्या 163 कुल खसरे 26 रकबा 31.67 हैक्टेयर आये हुये है। उपरोक्त खेता. की सह-खातेदार पेंपी बेवा हीरा लाल ने 2.6391 हैक्टेयर भूमि का बेचान रामेश्वरी पत्नि सदराम जाति

विश्नोई निवासी अरणाय हाल अरावा, तहसील सांचोर को दिनांक 12.11.2009 को कर दिया। पटवारी ने जानबूझकर बिना किसी आधार के 1/8 हिस्से का नामान्तरण गलत तरीके से रामेश्वरी के नाम कर दिया जब कि उसका उतना हिस्सा खरीद के बाद भी नहीं बनता था। उसके बाद रामेश्वरी ने बैंक से ऋण भी ले लिया। परिवादी ने पुलिस थाने म. रिपोर्ट दर्ज करवायी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई जिला कलेक्टर, जालौर एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा भी प्रकरण म. कोई कार्यवाही नहीं की गई। अत: निवेदन है कि प्रकरण म. उक्त पटवारी के विरूद्ध उचित कार्यवाही करावे।

परिवाद इस सचिवालय म. प्रस्तुत होने पर इस सचिवालय के पत्र दिनांक 27.02.12 द्वारा परिवाद की प्रति जिला कलेक्टर, जालौर को प्रेषित कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन तलब किया गया। जिला कलेक्टर, जालौर ने अपने पत्र दिनांक 18.07.13, 29.04.14 एवं 26.09.14 के द्वारा अवगत कराया है कि उक्त पटवारी द्वारा नामान्तरण संख्या 421 म. रामेश्वरी का हिस्सा 1/8 दर्ज किया गया था जबकि बेचान के अनुसार उक्त हिस्सा 1/12 ही बनता था। रिकॉर्ड म. उक्त भूमि को जरिये शुद्धि पत्र संख्या 6 दिनांक 16.03.12 से शुद्ध किया जाकर रामेश्वरी का हिस्सा 1/8 के बजाय 1/12 किया गया। पटवारी द्वारा किये गये नामान्तरण से परिवादी राजूराम का कोई हक व हित प्रभावित नहीं हुआ है।

श्री भूपेश कुमार, पटवारी, हल्का परावा द्वारा गलत गणना कर नामान्तरण भरने के कारण उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने व दोषी लोक सेवक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दिये जाने पर इस परिवाद को इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 10.11.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(257)लोआस/2011

परिवादी श्री पांचूराम यादव पुत्र श्री गणेश राम यादव, निवासी मुण्डक रोड, हरदरामपुरा - खेजरोली, तहसील चौमूं ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि श्री जयवीर सिंह कालेर, तहसीलदार, चौमू एवं श्री सागरमल, हल्का पटवारी खेजरोली ने राज्य सरकार द्वारा मांगी गई सूखाग्रस्त की सूचना म. अपने चहेता. को भारी लाभ पहुंचाया है। जिन लोगा. के नाम राजस्व रेकार्ड म. जमीन ही नहीं है उनके नाम जमीन दर्शा कर सूची म. नाम जोड़कर अनुदान दिलाया। कुछ लोगा. को दो तीन जगह नाम लिखकर एवं कुछ को पंचायत समिति बदलकर दूसरी पंचायत म. नाम लिखवाकर भुगतान दिलवाया। अतः इस प्रकरण म. जाँच की जाकर दोषी तहसीलदार एवं पटवारी के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

प्रकरण म. जिला कलेक्टर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई जिन्होंने तथ्यात्मक रिपोर्ट म. यह अवगत कराया कि प्रकरण म. उपखण्ड अधिकारी, चौमूं द्वारा की गई जाँच म. पटवारी खेजरोली द्वारा तैयार सर्वे सूची म. अंकित रकबा जमाबंदी म. दर्ज रकबे से अधिक पाया गया है। इस तरह सर्वे सूची गलत तैयार कर तहसीलदार, चौमूं के माध्यम से प्रेषित कर गलत सूची जारी करायी जाकर भुगतान किया गया है।

प्रकरण म. आरोपी श्री सागरमल, पटवारी, हल्का खेजरोली, तहसील चौमूं के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रांरभ की गई है जिसे आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किये जा चुके है। प्रकरण अभी विचाराधीन है।

एफ.11(304)लोआस/2011

परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद मित्तल पुत्र श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जाति वैश्य निवासी नवाब गली, मथुरागेट, भरतपुर ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह दिनांक 20.4.11 को सुबह लगभग 6.30 ए. एम. पर सब्जी मण्डी, डीग कुम्हेर रोड़, भरतपुर म. सब्जी वगैरह खरीदने गया था उस समय श्री दाताराम, तत्कालीन एस.डी.एम ने उसे पकड़ लिया तथा उसकी साइकिल डायरी व दो मोबाइल जबरन छीन लिये और कहा कि तुम्हें दुकानदारा. के विरूद्ध गवाही देनी है। गवाही देने के बाद ही साइकिल व मोबाइल देंगे। एस.डी.एम. ने कोई फर्द जब्ती नहीं बनाई। इस प्रकार की कार्यवाही करने का एस.डी.एम. को कोई अधिकार नहीं था। परिवादी की साइकिल आज भी एस.डी.एम. आफिस के बगल म. पड़ी हुई है। परिवादी ने निवेदन किया कि उसकी साइकिल, डायरी व 2 मोबाइल उसे वापस दिलवाये जाये तथा श्री दाताराम, तत्कालीन एस.डी. एम. के भ्रष्ट आचरण की जाँच कराकर दण्डित किया जाये।

प्रकरण म. जिला कलेक्टर, भरतपुर से पत्र दिनांक 20.4.12 से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 11.09.12, 03.01.14, 07.07.14 एवं 07.01.15 द्वारा अवगत कराया कि जाँच म. श्री दाताराम, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा जप्ती की कार्यवाही किया जाना पाया गया किन्तु कार्यवाही म. औपचारिक दस्तावेज तैयार नहीं किये गये तथा ना ही जप्ती के बाद आरोपिया. के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की गई। इस प्रकार श्री दाताराम ने लापरवाही बरती, जिसके सम्बन्ध म. उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 05.01.15 को भिजवाया जा चुका है।

एफ.11(34)लोआस/2012

परिवादी श्री जगदीश चन्द्र पाराशर निवासी भालोटा की खेडी हाल मुकाम तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 28.3.12 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री धनसिंह राठौड़, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, राशमी ने अपने पदस्थापन अवधि म. पंचायत समिति के आवास संख्या 4 का उपयोग किया किन्तु मकान किराया नियमानुसार राजकोष म. जमा नहीं करवाया। परिवादी द्वारा शिकायत किये जाने पर श्री राठौड़ द्वारा 14 माह की कुल किराया राशि एकमुश्त जमा करायी गई जबकि यह राशि ब्याज सहित जमा होनी चाहिए थी। पंचायत समिति विकास अधिकारी ने भी इनके उक्त कृत्य म. इनका साथ दिया है। अत: उक्त दोना. अधिकारिया. के विरूद्ध जाँच की जाये।

परिवाद पर जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाने पर उन्होनें अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.10.13 द्वारा अवगत कराया कि श्री धनसिंह राठौड़ तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, राशमी द्वारा माह जुलाई 2010 से अगस्त 2011 तक पंचायत समिति आवास म. निवास किया था उसका एकमुश्त किराया जरिये चैक जमा कराया है एवं एकमुश्त राशि जमा होने से राजकोष को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है।

तत्कालीन विकास अधिकारी श्री कृष्णकान्त गुप्ता व उपखण्ड अधिकारी श्री धनसिंह राठौड़ का कृत्य लापरवाही व सरकारी सम्पत्ति के दुरूपयोग से संबंधित होने के कारण इस सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 04.12.13 से श्री कृष्णकांत गुप्ता तत्कालीन विकास अधिकारी, राशमी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, चित्तौड़गढ़ तथा श्री धनसिंह राठौड़ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु संभागीय आयुक्त, उदयपुर को लिखा गया।

ग्रामीण विकास विभाग, राज0 जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 08.07.14 द्वारा सूचित किया कि श्री कृष्णकान्त गुप्ता, विकास अधिकारी, राशमी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही की गई तथा उनकी बदनीयती प्रतीत नहीं होने के कारण भविष्य म. सतर्कतापूर्वक कार्य करने की मौखित हिदायत देते हुए प्रकरण समाप्त कर दिया गया।

आरोपी अधिकारी श्री धनसिंह राठौड़, उपखण्ड अधिकारी, राशमी को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत आरोप पत्र जारी किये गये किन्तु सेवानिवृत्त होने के कारण कार्मिक विभाग द्वारा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ से चाहे जा रहे हैं।

एफ.11(32)/लोआस/2012

परिवादी श्री मूलाराम पुत्र देवाराम, जाति बलाई, निवासी ग्राम दुजोद, तहसील व जिला सीकर द्वारा दिनांक 03.05.12 को प्रस्तुत इस परिवाद म. परिवादी की ग्राम दुजोद स्थित खसरा नं. 386 की भूमि के सम्बन्ध म. भू-माफिया व बदमाश लोगा. से मिलकर पटवारी हल्का द्वारा फर्जी तरीके से विक्रय पत्र तैयार कर जमीन को हड़प लेने की शिकायत की गई ।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 29.04.13 के द्वारा जिला कलक्टर, सीकर से परिवाद के सम्बन्ध म. तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 22.10.13 के द्वारा भूमि के सम्बन्ध म. रहनमुक्ति के नामान्तरकरण एवं विक्रय के नामान्तरकरण के सम्बन्ध म. तत्कालीन पटवारी हल्का दुजोद, श्री शीशराम द्वारा अनियमितता किये जाने का उल्लेख किया। इस सचिवालय के पत्र दिनांक 13.11.13 से उक्त

अनिमितता के सम्बन्ध म. पटवारी श्री शीशराम के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश जिला कलेक्टर, सीकर को दिये गये।

उन्होंने पत्र दिनांक 22.04.14 से अवगत कराया कि अनियमितता के लिए श्री शीशराम, तत्कालीन पटवारी, दुजोद के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत आरोप-पत्र व आरोप विवरण-पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। उन्होंने आरोप-पत्र व आरोप विवरण पत्र की प्रतियां भी साथ म. प्रेषित की। अनुशासनात्मक कार्यवाही के निस्तारण के सम्बन्ध म. उन्होंने अपने पत्र दिनांक 11.03.15 से उल्लेख किया कि उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही म. दिनांक 10.03.15 को निर्णय लेकर कार्मिक को एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

इस सचिवालय के निर्देशा. पर प्रकरण म. की गई अनियमितता के सम्बन्ध म. दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर उसका निस्तारण कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(88)लोआस/2012

परिवादी श्री गंगा सहाय माली निवासी समूची तहसील कठूमर ने एक परिवाद दिनांक 15.06.12 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि राजस्व मण्डल, अजमेर के स्थगन आदेश दिनांक 11.06.12 के बावजूद दिनांक 12.06.12 को चन्दरवती पत्नी मोतीलाल जाति माली निवासी अजयपुरा तहसील कुम्हेर के हक म. इन्तकाल संख्या 2308 ग्राम समूची तहसील कठूमर गैर कानूनी तरीके से तस्दीक किया गया है जबकि पटवारी श्री शिवराम शर्मा एवं भू-अभिलेख निरीक्षक श्री प्रकाश मीणा को उक्त स्टे आदेश की जानकारी थी। अत: विवादित इन्तकाल की जाँच कराकर भ्रष्ट कर्मचारी के विरुद्व जाँच कर कार्यवाही करायी जाये।

प्रकरण म. जिला कलेक्टर, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई जिन्होनें अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट म. अवगत कराया कि ग्राम समूची के आराजी खसरा नं. 493 का इन्तकाल नं. 2308 पटवारी हल्का समूची एवं भू-अभिलेख निरीक्षक सोंखर द्वारा दिनांक 04.06.12 को दर्ज कर जाँच की गयी है तथा ग्राम पंचायत समूची द्वारा दिनांक 12.06.12 को फैसला किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 12.06.12 की मीटिंग म. पटवारी हल्का को रेकार्ड व इन्तकाल सहित उपस्थित होने सम्बन्धित जो पत्र जारी किया गया वह बिना डिस्पेच नंबर के जारी किया गया है एवं उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण म. भी काट-छांट की गई है। दिनांक 04.06.12 को राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय, अलवर द्वारा स्थगन आदेश भी प्रभावी था एवं स्थगन आदेश की जानकारी होते हुए भी इसका अंकन नामान्तरकरण म. नहीं किया गया। अतः पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त इन्तकाल की कार्यवाही, स्थगन होने के बावजूद भी की गई, जिसके लिए वे दोषी हैं।

इस सम्बन्ध म. श्री शिवराम शर्मा, तत्कालीन पटवारी, हल्का समूची, तहसील, कठूमर एवं श्री प्रकाश मीणा, तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक, सौखर हाल नायब तहसीलदार के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16/18 के तहत संयुक्त विभागीय जाँच प्रारम्भ करते हुए दिनांक 04.07.14 को राजस्व मण्डल, अजमेर को आरोप विवरण पत्र प्रेषित किये गये हैं। श्री शिवराम शर्मा के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके विरूद्ध पेंशन नियमा. के तहत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा राज्य सरकार को लिखा गया है।

एफ.11(106)लोआस/2012

परिवादी श्री महावीर प्रसाद व अन्य निवासी भाजा की ढाणी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा क्रयशुदा जमीन खसरा नं. 101, 102, 122 व 123 रकबा 2.89 हैक्टेयर का नामान्तरकरण संख्या 368 पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा तस्दीक किया जाकर पंचायत की मीटिंग दिनांक 21.12.11 म. स्वीकृत करने हेतु प्रेषित किया गया किन्तु सरपंच द्वारा इसे स्वीकृत नहीं किया गया। 45 दिन बीत जाने पर नियमानुसार उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार, दांतारामगढ के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था किन्तु पटवारी ने द्वेषतावश ऐसा नहीं किया। परिवादी द्वारा आवेदन करने पर एवं उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ द्वारा तहसीलदार को आदेशित किये जाने के बावजूद भी उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया जिसके सम्बन्ध म. उचित कार्यवाही की जावे।

प्रकरण म. जिला कलेक्टर, सीकर से पत्र दिनांक 31.07.13 के माध्यम से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई जिन्होंने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट म. अवगत कराया कि प्रकरण की जाँच म. श्री भगवानाराम, सरपंच, ग्राम पंचायत, रुपगढ़ को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38(1)(क) के तहत कर्त्तव्य के निर्वहन म. अवचार के लिये तथा श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, रुपगढ़ को सरपंच का सहयोग करने का दोषी पाये जाने पर श्री भगवानाराम, सरपंच ग्राम पंचायत, रुपगढ़ के विरुद्व राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के तहत कार्यवाही करने के लिए निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को लिखा गया है तथा ग्राम सेवक श्री लक्ष्मीनारायण मीणा के विरुद्व राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दिनांक 21.11.14 को आरोप पत्र जारी किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

एफ.11(222)लोआस/2012

परिवादी श्री विजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री शिशुपाल सैनी जाति माली निवासी माताजी की ढाणी तन ढाणियां पंचायत नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि ढाणी के निवासी रामनिवास सैनी पुत्र भागीरथमल सैनी ने नाजायज रूप से 1 बीघा राजकीय गोचर भूमि खसरा नं. 77 म. अतिक्रमण कर, दो मंजिला पक्का निर्माण एवं दीवार बना रखी है। पटवारी ने प्रकरण म. सही जाँच नहीं कर कोई अतिक्रमण नहीं बताया है। अतिक्रमी को विद्युत् कनेक्शन भी दिया हुआ है। अत: जाँच करवाकर अतिक्रमी के खिलाफ उचित कार्यवाही अमल म. लायी जाये।

प्रकरण म. जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं से पत्र दिनांक 30.07.13 से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई जिसके प्रत्युत्तर म. उन्होंने अपने पत्र दिनांक 30.04.14 एवं 06.12.14 द्वारा अवगत कराया कि उक्त भूमि खसरा नं. 77 की पूरी नाप कराकर अतिक्रमण की जाँच करवायी गई। रामनिवास पुत्र भागीरथ सैनी द्वारा 70×50 फीट जमीन पर पक्का निर्माण कराये जाने के कारण उसके विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-91 के तहत बेदखली की कार्यवाही किये जाने के बाद प्रकरण ईजराय म. चल रहा है। उक्त खसरा नम्बर म. कुल 15 व्यक्तिया. का अतिक्रमण पाया गया है जिनके विरूद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जा रही है। यह भी अवगत करवाया कि उक्त खसरा म. पाये गये अतिक्रमणा. पर बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद तहसीलदार, नवलगढ़ द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। इस सचिवालय स्तर पर प्रकरण अभी विचाराधीन है।

एफ.11(126)लोआस/2013

परिवादिया श्रीमती ग्यारसी बाई व अन्य निवासी मोटर मार्केट, बारां ने दिनांक 29.07.13 को प्रस्तुत इस शिकायत म. आरोप लगाया कि ग्राम नलका के पुराने खसरा नंबर 336 की 1 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नं. 358 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा गैर मुमकिन तलाई का आवंटन श्री बिरधीलाल निवासी नलका, तहसील बारां के नाम दिनांक 09.05.1981 को किया गया कृषि भूमि का आवंटन भू-माफियाआ. से मिलकर नियम विरूद्ध तरीके से किया गया है। परिवादिया का कथन है कि खसरा नं. 336 की 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि बारां से कोटा जाने वाली मुख्य सड़क की दायीं ओर एन.एच. 76 के भाग के रूप म. काम आती रही है। उक्त भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की गई है व कभी भी आवंटी के कब्जे म. नहीं रही है।

उक्त भूमि का वर्तमान खसरा नं. 374 है जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते म. गैर मुमकिन सड़क दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी, बारां ने दिनांक 30.06.2009 को राजस्थान सरकार के विरूद्ध गलत निर्णय किया जिसका लाभ उठाते हुए दिनांक 14.09.12 को श्री बिरधीलाल के नाम इन्तकाल तहसीलदार द्वारा खोला गया। श्री बिरधीलाल ने उक्त भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को बेचान कर दिया। जब भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम थी तो कैसे इस भूमि की रजिस्ट्री विष्णु नाम के व्यक्ति को कर दी गई इसकी जाँच करायी जाकर दोषी अधिकारिया/कर्मचारिया. के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। इस परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, बारां एवं अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड बारां को पत्र दिनांक 26.8.13 लिखा जाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

जिला कलेक्टर, बांरा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.10.13 एवं 03.07.14 से अवगत कराया है कि मुताबिक राजस्व रेकार्ड ग्राम नलका की खसरा नं.

336 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नं. 358 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि श्री बिरधीलाल पुत्र किशोर जाति बलाई साकिन नलका को आवंटित हुई थी। उक्त आवंटन कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 नियम 4 म. प्रतिबंधित होने से विधि विरूद्ध किया गया था। खसरा नं. 336 (नया खसरा नम्बर 374) किस्म गैर मुमकिन सड़क होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग की खातेदारी म. है। उपखण्ड अधिकारी न्यायालय ने इसे आवंटी के खाते म. दर्ज करने के आदेश दे दिये, जिसकी अपील तत्कालीन तहसीलदार एवं अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को करनी थी, जो उन्होंने नहीं की।

तहसीलदार ने प्रकरण म. नामान्तरकरण दर्ज कर दिया। प्रकरण म. तत्कालीन तहसीलदार, बारां श्री ओमप्रकाश तिवाडी, जिन्होंने नामान्तकरण तस्दीक किया था एवं समय पर अपील नहीं की, के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16/18 के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र राजस्व मंडल म. प्रेषित कर दिया गया है। राजस्व मण्डल, अजमेर के पत्र दिनांक 28.10.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त लोक सेवक श्री ओम प्रकाश तिवाड़ी, तत्कालीन तहसीलदार, बारां के विरूद्ध विभागीय जाँच प्रकरण म. मण्डल के आदेश दिनांक 05.05.14 द्वारा जाँच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील दिनांक 18.10.13 को कर दी गई है। इस प्रकार परिवाद म. इस सचिवालय स्तर पर वाँछित कार्यवाही सम्पन्न हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 27.10.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(128)लोआस/2013

परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह तँवर पुत्र स्व. श्री भंवरसिंह तंवर, नरसिंह कालोनी नरसिंह मंदिर के पास, सागर रोड़, आमेर जिला जयपुर ने यह

परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नं. 28 रकबा 12.3 हैक्टेयर गैर मुमकिन चारागाह ग्राम मावण्डा कलां, तहसील नीमकाथाना, सीकर म. करीब 2 बीघा जमीन पर खेतराम पुत्र झाबा कुम्हार ने अतिक्रमण कर रखा है जिसकी शिकायत ग्रामवासियों द्वारा तहसीलदार, नीमकाथाना को की गई किन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः उक्त अतिक्रमण की जाँच कराकर चारागाह भूमि का सीमाज्ञान कराकर अतिक्रमण हटवाया जाये।

प्रकरण म. जिला कलेक्टर, सीकर से पत्र दिनांक 12.08.13 से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई जिसके प्रत्युत्तर म. उन्होंने अपने पत्र दिनांक 25.10.13, 08.08.14, 28.11.14 एवं 20.03.15 द्वारा अवगत करवाया कि ग्राम मावण्डा कलां की भूमि ख.नं. 28 रकबा 12.13 हैक्टेयर किस्म गैर-मुमकिन चारागाह म. अतिक्रमण के सम्बन्ध म. पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार ख.नं. 28 म. रकबा 0.16 हैक्टेयर पर खेता पिता झाबर कौम कुम्हार निवासी मावण्डा कलां द्वारा कच्चा मकान बना कर अतिक्रमण किया जाना पाया गया।

प्रकरण म. स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण प्रश्नगत अतिक्रमण अभी तक नहीं हटाया जा सका है। स्थगन आदेश प्रभावी होने से पूर्व अतिक्रमण हटाने म. लापरवाही बरतने पर श्रीवर्धन शर्मा, तत्कालीन भू अभिलेख निरीक्षक, श्री रामसिंह मीणा, पटवारी एवं श्री अजीत सिंह, पटवारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किये जाकर विभागीय कार्यवाही की गई। विभागीय जाँच के बाद लोक सेवकगण श्री रामसिंह मीणा, पटवारी एवं श्री अजीत सिंह, पटवारी की एक-एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

अन्य लोकसेवक श्रीवर्धन शर्मा, तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध म. अपने स्तर पर समुचित कार्यवाही करने तथा समय पर पुलिस इमदाद उपलब्ध नहीं होने के कारण अतिक्रमण नहीं हटा पाने के सम्बन्ध म. उसे दोषी नहीं माना जाकर भविष्य म. सतर्क रहकर कार्य करने की हिदायत दी गई है। प्रकरण म. वर्तमान म. स्थगन आदेश की प्रास्थिति से अवगत करवाने हेतु लिखा गया है।

एफ.11(142)लोआस/2013

परिवादी श्री जगदीश प्रसाद, अध्यक्ष, श्री कृष्ण विद्या मंदिर शिक्षा समिति, निवाणा देवथला, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ने दिनांक 13.08.13 को यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि श्री ओम प्रकाश, पटवारी पटवार हल्का, निवाना, तहसील चौमू ने मांगी गई रिश्वत राशि नहीं देने पर बदनियतिपूर्वक विक्रय-पत्र के आधार पर नामान्तरकरण करने म. लगातार अनावश्यक अड़चन डालकर करीब 8 वर्षो तक पक्षकारा. को परेशान किया। उसके बाद विक्रय-पत्र के विपरीत नामान्तरकरण दर्ज कर रिकार्ड म. हेरा-फेरी की। परिवादी द्वारा विभिन्न स्तरा. पर शिकायते किये जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। श्री अशोक कुमार, उपखण्ड अधिकारी, चौमूं के द्वारा भी पटवारी का रिश्तेदार होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः उक्त पटवारी के खिलाफ एवं दोषी को बचाने वाले उपखण्ड अधिकारी, चौमूं के विरूद्ध भी विभागीय जाँच कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

प्रकरण म. संभागीय आयुक्त, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 31.07.14 द्वारा अवगत कराया कि प्रशासन गांवा. के संग अभियान 2013 म. उपखण्ड अधिकारी, चौमूं के आदेश दिनांक 11.01.13 के क्रम म. तहसीलदार, चौमूं द्वारा जारी आदेश दिनांक 11.01.13 से संस्था श्री कृष्ण विद्या मंदिर शिक्षा समिति, निवाणा (देवथला) के नाम से नामान्तरकरण सं. 829 दिनांक 11.01.13 को

स्वीकृत हो चुका है। प्रकरण की जाँच म. श्री ओम प्रकाश चौधरी, पटवारी हल्का निवाना, तहसील चौमूं को नामान्तरकरण खोलने के सम्बन्ध म. उच्चाधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये आदेशा. की अवहेलना का दोषी पाये जाने पर दिनांक 31.10.14 को उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जाँच की गई। विभागीय जाँच म. उक्त आरोपी लोक सेवक को आदेश दिनांक 02.02.15 द्वारा भविष्य म. सतर्कतापूर्वक कार्य करने की चेतावनी दे दी गई है।

उक्त पटवारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही तत्समय नहीं किये जाने के सम्बन्ध म. तत्कालीन तहसीलदार श्री जयवीर सिंह कालेर तथा श्री रतन लाल योगी को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है जिसकी वर्तमान प्रास्थिति से अवगत कराने हेतु लिखा जा रहा है।

एफ.11(145)लोआस/2013

परिवादी श्री कैलाश चन्द्र खटीक पुत्र श्री बख्तावर खटीक, बीगोद, तहसील, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम केरपुरा, पटवार हल्का जालिया के तत्कालीन पटवारी श्री भोलेनाथ जोगी एवं चपरासी श्री रामकिशन सुथार निवासी केरपुरा की मिलीभगत द्वारा आराजी नं. 507/10 की जगह से नक्शे म. काट-छांट कर आराजी नं. 507/10 की जगह आराजी नं. 520/10 रकबा 3 बीघा खातेदार श्री भैरूलाल पुत्र श्री छोटू लाल खाती निवासी केरपुरा का दर्शाया गया है जबकि रेकार्ड एवं मौके पर वर्षो से मेन रोड़ से लगभग यह 500 मीटर दूरी पर स्थित है। इस पर कुँआ भी खुदा हुआ है एवं रहन भी है। पटवारी श्री भोलेनाथ एवं चपरासी की मिलीभगत से आराजी 520/10 रकबा 3 बीघा का बेचान उच्च दाम म. किसी शोपुरा निवासी राजपूत को किया गया है। परिवादी ने आरोप लगाया कि इन लोगा. ने रात म. भूमि की नाप कर जेसीबी से बन्दा लगा दिया है।

इसकी विभिन्न स्तरा. पर शिकायत भी की गई है किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अतः जाँच कराकर उक्त लोकसेवका. के विरूद्ध कार्यवाही की जाये एवं ग्राम केरपुरा के आराजी खसरा नं. 10 एवं 11 के खातेदारा. की कब्जानुसार तरमीम करवायी जाये।

प्रकरण म. पत्र दिनांक 25.10.13 से जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई जिन्होंने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 10.01.14, 05.06.14, 09.09.14 व 24.02.15 द्वारा अवगत कराया कि ग्राम केरपुरा के नक्शे म. किसी प्रकार की कांट छांट नहीं है। नक्शा फटा हुआ है। खसरा नं. 520/10 की तरमीम नक्शे म. नहीं है और ना ही रेकार्ड म. किसी प्रकार की हेरा-फेरी की गई है किन्तु श्री भोलेनाथ योगी, पटवारी जालिया द्वारा आराजी ख.नं. 507/10 की तरमीम बिना किसी की अनुमति के की गई है जिसके लिए वह जिम्मेदार है। उक्त दोषी पटवारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही की जा रही है। आरोपी पटवारी को दिनांक 19.12.14 को आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किये जा चुके हैं। प्रकरण म. विभागीय कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है।

एफ.11(154)लोआस/2013

परिवादी श्री रामहेत पुत्र श्री शिब्बुराम जाति जाटव निवासी सिरसौंदा, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसकी और उसके परिजना. की ग्राम रूपवास म. स्थित खसरा नं. 443 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि है। अप्रार्थी डम्बर सिंह ने राजस्व कर्मचारिया/अधिकारिया. से मिलीभगत कर षड्यंत्रपूर्वक उक्त जमीन म. से 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि कटवाकर अपने नाम अवैध रूप से गैर-खातेदारी दर्ज करवा ली। उसके द्वारा शिकायत करने पर जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा निर्देशित करने के बावजूद भी श्री बालकृष्ण

तिवाड़ी, तहसीलदार एवं श्री महाराज सिंह बडेश्वर, पटवारी, रूपवास ने लगभग 2 वर्ष 4 माह तक कोई कार्यवाही नहीं की। अतः उक्त भूमि को पुनः परिवादी के नाम दर्ज करवाया जावे और आदेशा. की अवहेलना करने वाले अधिकारिया/कर्मचारिया. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

प्रकरण म. पत्र दिनांक 08.10.13 से संभागीय आयुक्त, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिन्होंने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 07.03.14, 11.7.14 एवं 16.01.15 द्वारा अवगत करवाया कि राजस्व ग्राम रूपवास के अन्तर्गत परिवादी रामहेत एवं उसके परिजना. की खातेदारी भूमि खसरा नं. 433 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा म. से अवैध रूप से काटी गई 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि को पुनः परिवादी के नाम दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार, रूपवास द्वारा पत्र क्रमांक 649 दिनांक 04.03.14 द्वारा रेफरेन्स तैयार कर न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, भरतपुर म. पेश कर दिया गया है जो विचाराधीन है।श्री महाराज सिंह बडेश्वर, पटवारी की दिनांक 15.06.14 को मृत्यु हो चुकी है।

श्री बालकृष्ण तिवारी, तत्कालीन तहसीलदार, रूपवास के विरूद्ध परिवादी रामहेत की खसरा नं. 443 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा म. से 1.12 बीघा भूमि बिना नामान्तरकरण के श्यामा, वदना, शिब्बो के स्थान पर सवर्ण जाति के डम्बर सिंह के नाम दर्ज करने पर रेफरेन्स प्रस्तुत नहीं कर राजकार्य म. लापरवाही बरतने के आरोप म. अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव दिनांक 05.11.14 को राजस्व मण्डल को भिजवा दिये गये हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही अभी विचाराधीन है। वर्तमान म. उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं रेफरेन्स की वर्तमान प्रास्थिति से अवगत कराने हेतु लिखा जा रहा है।

एफ.11(158)लोआस/2013

परिवादिया श्रीमती कमोद देवी सांसी निवासी पोल्याड़ा, तहसील देवली, जिला टोंक ने दिनांक 29.08.13 को यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नं. 858 की भूमि बैंक म. गिरवी होने व इस पर स्थगन होने के बावजूद भी हल्का पटवारी द्वारा बैक डेट म. नामान्तरकरण खोला है जिसकी जाँच करवाकर पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे। प्रकरण म. जिला कलेक्टर, टोंक से पत्र दिनांक 18.11.13 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.03.14, 04.06.14, 05.08.14, 09.01.14 एवं 03.11.14 से अवगत कराया कि जाँच म. पाया गया कि खसरा नं. 858 ग्राम पोल्याड़ा की भूमि पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा 27.08.13 को स्थगन दिया गया था जिसकी जानकारी तत्कालीन तहसीलदार को भी दे दी गई थी लेकिन इसके बावजूद भी हल्का पटवारी व तहसीलदार द्वारा मिलीभगत से दिनांक 27.08.13 को ही (अर्थात् एक ही दिन में) विवादित भूमि को रहनमुक्त करते हुए क्रेता के पक्ष म. नामान्तरकरण खोल दिया गया जिस हेतु श्री रामकिशन मीणा, तत्कालीन तहसीलदार देवली, श्री रामअवतार गुप्ता, तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक चाँदली तथा श्री सीताराम राणा, तत्कालीन हल्का पटवारी, पोल्याड़ा को दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम -16/18 के तहत संयुक्त जाँच प्रारम्भ करते हुए उन्हें सक्षम स्तर से आरोप-पत्र जारी किये जा चुके हैं। वर्तमान म. उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की वर्तमान प्रास्थिति से अवगत कराने हेतु लिखा जा रहा है।

एफ.11(196)लोआस/2013

परिवादी श्री विजय सिंह पुत्र जब्बर सिंह मुकाम पोस्ट डाबरा तहसील बावडी जिला जोधपुर ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत डाबरा के खसरा 471, 485, 1157, 1178, 1172, एवं 1180 सरकारी भूमि पर सरपंच पति शांति लाल महाजन, उसके चाचा

एवं अन्य भू–माफिया तिलाराम पुत्र मूलाराम मेघवाल वगै0 द्वारा नाजायज अतिक्रमण किया हुआ है। पूर्व पटवारी श्री मोहनलाल द्वारा सरकारी खसरा. पर अतिक्रमण म. सरपंच व अन्य भूमाफियाआ. का सहयोग किया गया। पटवारी ने अपने रिश्तेदारा. से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करवाया तथा झूठी मौका फर्द बनाकर उच्चाधिकारिया. को अंधेरे म. रखा। अतः उक्त लोगा. के विरूद्ध जाँच करवाकर मौके पर नाप करवाई जावे तथा पत्थरगढ़ी करवाकर सरकारी जमीना. को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाये।

प्रकरण म. जिला कलेक्टर, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई जिन्होंने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट द्वारा अवगत कराया कि उक्त खसरा नम्बरान की नाप टीम गठित कर करवायी गई। प्रकरण म. अतिक्रमण की पुष्टि होने पर दिनांक 06.06.14 को बेदखली के आदेश जारी किये गये व दिनांक 28.08.14 को भौतिक रूप से अतिक्रमिया. की बेदखली की गई। श्री मोहन लाल, तत्कालीन पटवारी, डाबरा द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने, अतिक्रमिया. को प्रोत्साहन देने एवं कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के सम्बन्ध म. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत आरोप–पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रांरभ कर दी गई है। वर्तमान म. उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की वर्तमान प्रास्थिति से अवगत कराने हेतु लिखा जा रहा है।

एफ.11(223)/लोआस/2013

परिवादी श्री श्रीनिवास शर्मा पुत्र रामदास शर्मा, निवासी रानीगाँव, तहसील मकराना, जिला नागौर द्वारा दिनांक 22.10.13 को प्रस्तुत इस परिवाद म. रानीगाँव से नून्दड़ा जाने वाले कटाणी रास्ते के सम्बन्ध म. तहसीलदार द्वारा रिश्वत खाकर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शिकायत की गई है। इस सचिवालय के पत्र दिनांक 20.11.13 के द्वारा जिला कलेक्टर, नागौर से परिवाद के सम्बन्ध म. तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 31.03.14 से अवगत कराया कि रास्ते की भूमि पर खातेदारा.

द्वारा निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है जिससे रास्ता अवरूद्ध है। भूमि के सम्बन्ध म. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मकराना म. वाद विचाराधीन है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 21.05.14 के द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण होने के सम्बन्ध म. जिम्मेदार लोकसेवका. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये एवं सिविल न्यायालय, मकराना म. चल रहे वाद की प्रास्थिति रिपोर्ट चाही गई। जिला कलेक्टर, नागौर ने अपने पत्र दिनांक 24.09.14 के द्वारा अवगत कराया कि श्री मंगलचंद, तत्कालीन पटवारी, तहसील मकराना के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण, अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत प्रारम्भ कर दी गई है। प्रकरण म. इस सचिवालय के निर्देश पर दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। पत्रावली म. विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं विचाराधीन न्यायालय प्रकरण की प्रगति रिपोर्ट ली जा रही है।

एफ.11(250)लोआस/2013

परिवादी श्री घनश्याम भार्गव एवं ग्रामवासीयान निपानियां तहसील छबड़ा जिला बारां ने यह शिकायत इस आशय की प्रस्तुत की है कि लोक सेवक भगवान लाल मीणा, पटवारी, हरिसिंह मीणा एवं रामस्वरुप मीणा, पूर्व सरपंच के द्वारा चरागाह भूमि की झूठी रिपोर्ट कर, बिना सर्वेक्षण के ही चारागाह बताकर नोटिस जारी करके एवं सरपंच पुत्रा. की भूमि का सर्वेक्षण नहीं करके अनियमितताएं की हैं अतः चारागाह भूमि की पुनः पैमाईश कराकर सही सर्वे करवाया जाये।

प्रकरण म. जिला कलेक्टर, बारां से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई जिन्होंने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट म. अवगत कराया कि जाँच में ग्राम निपानियां म. खसरा नं. 1121, 1109 व 1135 की कुल 59 बीघा चारागाह भूमि म.

पटवारी द्वारा अतिक्रमण की गलत रिपोर्ट किया जाना पाया गया। फसल रबी सम्वत् 2070 म. चारागाह भूमि पर जिन-जिन व्यक्तिया. द्वारा अतिक्रमण कर फसल काश्त की गई थी उन समस्त अतिक्रमिया. को मौके से भौतिक रुप से बेदखल कर दिया गया है।

उक्त भूमि के अतिरिक्त गैर मुमकिन रास्ता एवं तलाई की कुल 9.05 बीघा भूमि पर तथा ग्राम निपानियां की वर्तमान सरपंच श्रीमती झड़िया बाई के पुत्र का खसरा नं. 1149 की 1.10 एवं खसरा नं. 1135 की 1.10 भूमि पर फसल रबी काश्त होना पाये जाने से अतिक्रमी को आराजी से बेदखल कर दिया गया है। श्री भगवान लाल मीणा, पटवारी, हल्का निपानियां द्वारा गलत मौका रिपोर्ट देने के कारण उसे दोषी मानते हुए उसके विरुद्व राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी किये जा चुके हैं। वर्तमान म. उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की वर्तमान प्रास्थिति से अवगत कराने हेतु लिखा जा रहा है।

एफ.11(268)लोआस/2013 एवं एफ.11(367)लोआस/2013

परिवादी श्री भगवान सहाय पुत्र श्री लीलाराम जाति हरिजन ग्राम दान्तला तहसील मुण्डावर जिला अलवर ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि तहसीलदार मुण्डावर श्री रामसिंह सैनी द्वारा कस्टोडियन भूमि आराजी खसरा नं. 221 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम दांतला तहसील मुण्डावर के आधे भाग का सनद पट्टा गलत तौर पर मनोहर लाल के पक्ष म. दिनांक 1.3.12 को जारी कर दिया तथा उसी दिन उक्त भूमि को गैर खातेदारी म. दर्ज कर दिया। बाद म. मनोहरलाल व उसके पिता से रिश्वत लेकर अलॉटमेन्ट के 9 दिन बाद ही दूसरा नामान्तरकरण संख्या 1452 खातेदारी खोल दिया जबकि नियमानुसार गैर खातेदारी से

खातेदारी का इन्द्राज 9 दिन की समयावधि म. नहीं किया जा सकता था। अत: तहसीलदार के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

परिवाद के सम्बन्ध म. पत्र दिनांक 22.4.14 से जिला कलेक्टर, अलवर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया जिसके प्रत्युत्तर म. पत्र दिनांक 17.6.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि यह प्रकरण जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक दिनांक 23.5.12 म. रखा गया जिसमें इस मामले म. श्री रामसिंह सैनी, तत्कालीन तहसीलदार, मुण्डावर को श्री मनोहर लाल को पट्टा जारी करते समय आवश्यक दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं कराये जाने तथा सम्बन्धित न्यायालय म. विचाराधीन निगरानी को ध्यान म. नहीं रखे जाने का दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्व राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया जिसके तहत आरोप पत्रादि तैयार कर राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित किये जा चुके हैं। वर्तमान म. उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की वर्तमान प्रास्थिति से अवगत कराने हेतु लिखा जा रहा है।

एफ.11(281)लोआस/2013

परिवादी भगवान सिंह ने दिनांक 19.12.13 को इस सचिवालय म. परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी पैतृक सम्पत्ति ग्राम अजीतपुरा, तहसील एवं जिला सीकर म. स्थित है जिसका खसरा नम्बर 395, 410 व 537/540 कुल रकबा 4.01 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 563/537, 564/537 रकबा 2.63 हैक्टेयर है जो उसके नाम दर्ज थी। परिवादी का आरोप है कि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सीकर द्वारा मिलीभगत कर परिवादी के पक्ष म. खोले गये नामान्तरकरण के विरूद्ध दो अपीलें 22/2011 एवं 33/2011 दिनांक 26.07.11 को दर्ज कर इसी दिन फैसल कर परिवादी के नामान्तकरण को निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णया. के विरूद्ध परिवादी ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर म. अपील की

जिसमें दिये गये निर्णय दिनांक 12.01.12 म. उपखण्ड अधिकारी के उक्त दोना. निर्णया. को निरस्त कर दिया गया किन्तु इससे पूर्व ही तहसीलदार ने प्रतिपक्षिया. के नाम खातेदारी दर्ज कर दी जो कि मिलीभगत का द्योतक है। परिवादी ने यह भी कथन किया कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्णय के विरूद्ध प्रतिपक्षी प्यारे लाल ने राजस्व मण्डल म. निगरानी दायर की जिसके निर्णय म. प्रतिपक्षी को सहायक कलेक्टर न्यायालय, सीकर म. वाद दायर करने का आदेश दिया गया। प्रतिपक्षी प्यारे लाल ने उक्त निर्णय के अनुसार न्यायालय सहायक कलेक्टर, सीकर म. वाद दायर किया जिसमें परिवादी भगवान सिंह को ही पाबंद कर दिया। ये पाबंदी की कार्यवाही भी मिलीभगत से की गई है। अतः प्रकरण की जाँच की जाकर उक्त भ्रष्टाचार एवं आपराधिक कृत्या. के लिए जिम्मेदार लोगा. के विरूद्ध कठोर कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

परिवाद प्रस्तुत होने पर जिला कलेक्टर, सीकर को पत्र दिनांक 8.01.14 प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर, सीकर ने अपने पत्र दिनांक 10.06.14, 15.07.14, 21.07.14, 26.07.14, 18.09.14 एवं 31.10.14 द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण म. विभिन्न स्तरा. पर करवायी गई जाँच के उपरान्त श्री जयसिंह, तत्कालीन तहसीलदार, सीकर, श्री नवरंगलाल बरवड़, तत्कालीन पटवारी, कूदन, तहसील सीकर, श्री विष्णुदत्त शर्मा, वरिष्ठ लिपिक (रीडर) एवं श्री संजयसिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (तामील कुनिन्दा) को विभिन्न आरोपा. के सम्बन्ध म. दोषी पाया गया।

अतः श्री जयसिंह शेखावत, तत्कालीन तहसीलदार सीकर हाल सहायक निदेशक, लोक सेवाएं एवं प्रशासनिक सुधार समन्वयक विभाग, सीकर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम, 16 के अधीन कार्यवाही हेतु प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भिजवाने हेतु राजस्व विभाग को भिजवाये गये। श्री नवरंगलाल बरवड़ एवं श्री संजय सिंह को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं

अपील) नियम, 1958 के नियम, 17 के अधीन आरोप पत्र जारी किये जाकर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। श्री विष्णुदत्त शर्मा, रीडर जनवरी, 2012 म. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो म. ट्रेप हो जाने के बाद निलम्बित हो गये एवं दिनांक 31.3.12 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के कारण सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

श्री संजय सिंह को विभागीय जाँच म. नोटिसा. की तामील नियमानुसार नहीं करवाने का आरोप प्रमाणित होने पर आदेश दिनांक 19.8.14 के द्वारा ''परिनिन्दा'' के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। इसी प्रकार श्री नवरंगलाल बरवड़, तत्कालीन पटवारी, कूदन को ग्राम पंचायत से वारिस प्रमाण पत्र लाने म. की गई लापरवाही का दोषी पाते हुए आदेश दिनांक 27.10.14 द्वारा अलिखित चेतावनी के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। श्री जयसिंह शेखावत आर.ए.एस., तत्कालीन तहसीलदार, सीकर के विरूद्ध न्यायालय के निर्णय की अवहेलना किये जाने का आरोप बनना नहीं पाये जाने पर प्रस्तावित विभागीय जाँच कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार परिवाद म. इस सचिवालय स्तर से वाँछित कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर इसे दिनांक 25.11.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(284)लोआस/2013

परिवादी श्री रामविलास मीणा पुत्र स्व0 श्री गंगाबिशन मीणा ग्राम टोकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि तहसीलदार इन्द्रगढ श्री सत्यप्रकाश बसवाल ने चारागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध म. हल्का पटवारी द्वारा जाँच रिपोर्ट दिनांक 19.07.13 को प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी अतिक्रमिया. की मिलीभगत से कोई कार्यवाही नहीं की।

प्रकरण म. जिला कलेक्टर, बून्दी से पत्र दिनांक 23.01.14 से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई जिन्होंने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट म. अवगत कराया कि

उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी (बून्दी) ने ग्राम टोकसपुरा की 10, दौलतपुरा की एक एवं हीरापुरा की दो अतिक्रमण संबंधी पत्रावलिया. म. अतिक्रमिया. को दिनांक 11.02.14 को तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किये गये जिन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 91 (3) के तहत उक्त प्रकरणा. म. तीन माह के सिविल कारावास एवं लगान का 50 गुना शास्ति कायम कर फसल जब्त सरकार करने का निर्णय किया। गिरफ्तारी का वांरट दिनांक 28.02.14 को थानाधिकारी इन्द्रगढ़ को जारी किया गया। सभी अतिक्रमिया. को हाजिर अदालत रहने के जमानत मुचलके भरवाये गये जिनको कि तहसीलदार द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया जो गंभीर अनियमितता है।

जाँच म. तहसीलदार द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमिया. के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही का अभाव पाया जाने पर श्री सत्यनारायण बसवाल, तहसीलदार, इन्द्रगढ़ के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु दिनांक 12.5.15 को आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र, निबंधक, राजस्व मडंल अजमेर को प्रेषित किये गये है।

एफ.11(335)लोआस/2013

परिवादी श्री ललित कुमार सिंह पुत्र श्री आनन्द सिंह दत्तक पुत्र श्री हरनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हिम्मतपुरा, जयपुर ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-प्रथम श्रीमती अल्का विश्नोई के न्यायालय म. परिवादी का एक वाद संख्या 93/2013 एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 84/2013 दिनांक 26.07.13 से विचाराधीन चला आ रहा था। दिनांक 26.07.13 को ही प्रकरण म. अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी गई थी। अस्थायी निषेधाज्ञा म. आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.02.14 होने के बाद परिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 व धारा 151 सी.पी.

सी. प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी श्रीमती अल्का विश्नोई ने अपने हाथा. से ''बहस हेतु दिनांक 21.10.14 को पेश हो'' लिखा था किन्तु नियत तिथि से पूर्व ही परिवादी के पक्ष म. जारी स्टे आर्डर को दिनांक 18.02.14 को ही खारिज कर दिया गया तथा स्वंय की मार्किंग पर व्हाईटनर लगाकर हटाने का प्रयास किया गया। अतः प्रकरण की जाँच करवाकर उक्त अधिकारी को अपदस्थ कर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

प्रकरण म. जिला कलेक्टर, जयपुर से पत्र दिनांक 11.07.14 से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई जिन्होंने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट म. अवगत कराया कि जाँच में श्रीमती अल्का विश्नोई, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-प्रथम को दोषी पाया जाने पर उनके विरुद्व राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र तैयार कर सम्बन्धित अभिलेख उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-2) विभाग तथा उप शासन सचिव, कार्मिक(क-3/जॉच) विभाग, जयपुर को दिनांक 16.7.14 को भिजवाये गये हैं।

एफ.11(366)लोआस/2013

परिवादी श्री भंवर लाल सोनी पुत्र श्री रामरख सोनी ग्राम तबीजी जिला अजमेर ने यह परिवाद दिनांक 28.03.14 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम तबीजी की सरकारी भूमि को गांव के सरपंच के भाई नवरत्नमल सांगेला ने गांव के लोगा. को प्लाट काटकर बेच दिया है तथा उक्त भूमि पर अवैध निर्माण चल रहा है। जबकि यू.आई.टी अजमेर ने पहले काम रोका तथा वहां यू.आई.टी का बोर्ड लगा है। तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं जिला कलेक्टर द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और ना ही खरीदने और बेचने वाला. पर

कानूनी कार्यवाही की गई है। अत: सरपंच, उप संरपच को पद से हटाया जाये।

प्रकरण म. जिला कलेक्टर, अजमेर से पत्र दिनांक 16.04.14 से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिन्होंने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट म. बताया कि उक्त भूमि सिवायचक थी जो नगर सुधार न्यास, अजमेर को हस्तान्तरित कर दी गई थी। विवादित खसरे म. मौके पर पाये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। अत: उक्त भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही म. लापरवाही बरतने के कारण श्री मुकेश कुमार ककांणी, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, तबीजी को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किये गये हैं।

एफ.11(6)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती सरिता शर्मा, तत्कालीन पटवारी भू-अभिलेख अनुभाग हाल पी0जी0 सैल जिला झालावाड़ ने दिनांक 10.04.14 को यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय, झालावाड़ म. कार्यरत श्री शिवराज सिंह, कानूनगो एवं श्री बलराम, कनिष्ठ लिपिक द्वारा परेशान करने एवं यौन उत्पीड़न करने की शिकायत किये जाने के उपरान्त भी उक्त लोक सेवकगण के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिला कलेक्टर एवं विशाखा प्रकरण म. उसके द्वारा परिवेदना दिये जाने पर परिवेदना समिति द्वारा दोना. कार्मिका. को दोषी मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा कलेक्टर, झालावाड़ को की गई किन्तु उनके द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

प्रकरण म. जिला कलेक्टर, झालावाड़ से पत्र दिनांक 28.04.14 से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई जिन्होंने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 24.06.14 द्वारा अवगत कराया कि जाँच समिति द्वारा की गई अनुशंसा

के क्रम म. श्री शिवराज सिंह, कार्यवाहक सदर कानूनगो एवं श्री बलराम, कनिष्ठ लिपिक, जिला कलेक्टर कार्यालय, झालावाड़ के विरुद्व राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत आरोप-पत्र दिये जाकर जाँच कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

एफ.11(209)लोआस/2014

परिवादी मथराराम पुत्र जुगताराम जाति भील निवासी गेहूं हाल-खिलजी एस.टी.डी.नेहरू बाजार बाड़मेर द्वारा यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसने ग्राम मौजा महाबार पीथल म. खसरा नं. 801 म. कुल रकबा 25 बीघा 13 बिस्वा म. से 13 बीघा 13 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्ट्री बेचान दिनांक 10.03.13 को आम्बाराम पुत्र सालुराम भील से खरीदी थी। उसने बेचान के आधार पर जमाबंदी म. नाम शामिल कराने हेतु रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति हल्का पटवारी को दी व नामान्तकरण भरने का निवेदन किया। हल्का पटवारी ने बताया कि विक्रेता आम्बाराम के पास शेष भूमि 11 बीघा 3 बिस्वा है तथा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि अधिक बेचान कर दी है। नामान्तकरण नहीं भरने के कारण उसने दिनांक 27.08.2004 को रेखाराम पुत्र हेमाराम निवासी सांसियों. का ताला को पुनः भूमि का बेचान कर दिया। परिवादी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर से इस सम्बन्ध म. स्थगन प्राप्त किया गया किन्तु पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक ने दूसरे फर्जी बेचान के आधार पर रेखाराम के नाम नामान्तकरण भर दिया। इसके बाद उक्त भूमि को तत्कालीन तहसीलदार ने आवासीय में परिवर्तित कर सवर्ण जाति के व्यक्तिया. को बेचान करा दिया। इस प्रकार कोर्ट स्टे होने के बावजूद भी भूमि का बेचान एवं हस्तान्तरण होता रहा। अतः फर्जीवाड़ा करने वाले एवं न्यायालय आदेश की पालना नहीं करने वाले अधिकारिया/कर्मचारिया. की जाँच कर कार्यवाही की जावे।

प्रकरण म. जिला कलेक्टर, बाड़मेर से पत्र दिनांक 11.09.14 से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई जिन्होंने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 31.03.15 द्वारा यह अवगत कराया कि जाँच म. यह पाया गया कि प्रकरण म. खातेदारी म. अंकित भूमि से अधिक भूमि का बेचान कर दिया गया है जिसका अभिलेख म. अमलदरामद न होने की वजह से वाद न्यायालय म. प्रस्तुत किया गया। विक्रेता खातेदार ने इसका फायदा उठाते हुए भूमि को बार-बार कई व्यक्तिया. को बेचान कर दिया व भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवा लिया। इस अनियमित कार्यवाही म. लोक सेवका. का भी सहयोग रहा। स्थगन आदेश के बावजूद भी भूमि का सम्परिवर्तन एवं हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध म. श्री गोरधन सिंह भाटी, तत्कालीन तहसीलदार, बाड़मेर, श्री कंवर राज सिंह, तत्कालीन पटवारी, महाबार तथा श्री श्रीपाल, पटवारी को दोषी पाया गया है। इनमें से श्री गोरधन सिंह भाटी की मृत्यु होने तथा श्री कंवर राज सिंह के सेवानिवृत्त होने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। दोषी लोक सेवक श्री श्रीपाल, पटवारी, हल्का महाबार के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर आरोप पत्रादि जारी किये जा चुके हैं।

एफ.11(274)लोआस/2014

परिवादी श्री विजय कुमार पुत्र श्री किशन लाल जाति सैनी निवासी काली मोरी हीरा बास, जिला अलवर ने यह परिवाद दिनांक 05.09.14 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि श्री मनीष मीणा, पटवारी, हल्का देवखेड़ा, अलवर द्वारा श्रीमती मन्नी के स्वर्गवास के बाद वारिसान की जाँच किये बिना ही विरासत का इन्तकाल दर्ज कर दिया गया था जिसके विरूद्ध उसने उपखण्ड अधिकारी, अलवर के न्यायालय म. वाद दर्ज कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। स्थगन के बावजूद भी भूमि की रजिस्ट्री

कर दी गई है। परिवादी ने उक्त रजिस्ट्री को निरस्त कराकर श्री मनीष मीणा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाने का निवेदन किया।

प्रकरण म. जिला कलेक्टर, अलवर से पत्र दिनांक 02.10.14 से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई जिन्होंने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 22.01.15 द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण म. श्री मनीष मीणा, पटवारी द्वारा प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 21/1.40 पर तत्काल स्थगन का पेन्सिली नोट नहीं लगाया गया तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर के स्थगन आदेश प्रभावी होने के बाद भी विक्रय के नामान्तकरण दर्ज कर दिये गये जो कि नियम विरूद्ध है तथा यह पटवारी की बदनियती को दर्शाता है। अतः उक्त श्री मनीष मीणा, पटवारी, हल्का देवखेड़ा, अलवर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। जिला कलेक्टर, अलवर ने अपने पत्र दिनांक 22.05.15 द्वारा अवगत कराया है कि उक्त पटवारी को दिनांक 15.04.15 को आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी कर दिये गये हैं।

एफ.12(40)लोआस/2006

परिवादी श्री बद्रीप्रसाद पुत्र माधोलाल कुमावत निवासी ग्राम लदाना तहसील फागी, जिला जयपुर ने दिनांक 06.06.2007 को यह परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम लदाना पँचायत मुख्यालय पर पँचायत द्वारा नाली निर्माण का कार्य करवाया गया था। इस निर्माण म. परिवादी ने 6 दिवस ही मजदूरी की थी। उस समय उसकी मजदूरी 120/- रूपये प्रतिदिन थी। उसका भुगतान 20 किलोग्राम गेहूं 4.60/- रूपये के हिसाब से तथा बाकी 28 रूपये नगद प्रतिदिन देने थे। जब परिवादी ने अपने 168/- रूपये व 120 किलोग्राम गेहूं मांगा तो श्री जुगल किशोर, पटवारी ने कहा कि उसकी मजदूरी 6 के बजाय 8 दिन की है। जब परिवादी ने 6 दिन ही कार्य किया था तो ऐसी स्थिति म. परिवादी ने मजदूरी लेने से

इन्कार कर दिया और कहा कि उसे तो केवल 6 दिन की ही मजदूरी चाहिए। परिवादी ने आरोप लगाया कि इस कारण उक्त पटवारी व सरपंच श्री जयदीप सिंह ने मिलकर काफी प्रताड़ित किया। परिवादी ने उक्त पटवारी एवं सरपंच के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने व उसे 6 दिन की मजदूरी दिलाये जाने की प्रार्थना की।

परिवाद इस सचिवालय म. प्रस्तुत होने पर इस सचिवालय के पत्र दिनांक 25.8.07 के साथ परिवाद की प्रति जिला कलेक्टर, जयपुर को प्रेषित कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन तलब किया गया। जिला कलेक्टर, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 08.01.2008 के द्वारा यह अवगत कराया है कि शिकायतकर्त्ता को राहत कार्यो के पेटे 114 किलोग्राम गेहूँ और नकद 176.40 रूपये का भुगतान दर्ज है। शिकायतकर्ता को भुगतान लेने हेतु तहसीलदार, फागी द्वारा लिखा गया किन्तु श्री कुमावत ने भुगतान लेने से मना कर दिया। कार्य अनुसार मैजरमेंट किया जाकर भुगतान पारित किया गया। इस पर परिवादी से पत्र दिनांक 12.02.2008 से आपत्तियां मांगी गई जो उसके द्वारा नहीं दिये जाने पर यह परिवाद दिनांक 09.05.2008 को नस्तीबद्ध किया गया। परिवादी ने दिनांक 02.04.13 को पुनः पत्र लिखकर अपनी उक्त मजदूरी का भुगतान दिलाये जाने की प्रार्थना की जिस पर उसे इस सचिवालय के पत्र दिनांक 13.05.13 के साथ जिला कलेक्टर, जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 08.01.2008 आदि प्रेषित कर पुनः कोई आपत्तियां हो तो प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। आयुक्त, नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर एवं जिला कलेक्टर, जयपुर को पत्र दिनांक 17.06.13 भिजवाया जाकर पुनः तथ्यात्मक प्रतिवेदन मँगवाया गया।

इस अनुक्रम म. जिला कलेक्टर, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 29.12.14 एवं उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 20.01.15 द्वारा अवगत कराया कि श्री जुगल किशोर शेखावत, तत्कालीन पटवारी हल्का लदाना हाल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त हरसूलिया एवं श्री कालूराम चौधरी, तत्कालीन ग्राम सेवक व पदेन सचिव, ग्राम पंचायत,

लदाना, पंचायत समिति, फागी को दिनांक 24.12.14 को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत् आरोप पत्र जारी कर विभागीय जाँच प्रारम्भ कर दी गई है तथा श्री नवरतन पुत्र लालचन्द कुमावत, तत्कालीन मेट, निवासी लदाना के विरूद्ध पुलिस थाना, फागी म. विकास अधिकारी पँचायत समिति, फागी द्वारा परिवादी की 6 हाजिरी के बजाय 8 हाजिरी दर्ज करने के सम्बन्ध म. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 33 दिनांक 19.01.15 द्वारा दर्ज करवा दी गई है। यह भी सूचित किया गया कि परिवादी को उक्त आरोप पत्रा. की प्रतियां दिलाई जाकर भुगतान राशि लेने हेतु पटवारी को भेजा गया जिस पर उसने यह लिखकर भुगतान प्राप्त करने से इन्कार कर दिया कि वह जाँच हो जाने के बाद ही भुगतान प्राप्त करेगा।

चूँकि विभागीय कार्यवाही म. समय लगना स्वाभाविक है, अतः इस प्रकरण म. दोषी पाये गये कार्मिका. के विरुद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट जिला कलेक्टर, जयपुर से लिया जाना तय कर इस परिवाद को दिनांक 04.02.15 को इस सचिवालय म. नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(27)लोआस/2011

परिवादी श्री शिवलाल डांगी, निवासी-सतखण्डा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा यह परिवाद दिनांक 19.05.11 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया कि चरनोट भूमि आराजी संख्या 920 म. 3 से 5 फीट तक के गड्डे खोद कर बेशकीमती लाखा. ट्रिप मिट्टी अवैध रूप से खनन करवायी जा रही है, 20 से 25 बीघा भूमि पर कोयले की चूरी डालकर भूमि को बंजर किया जा रहा है, सरपंच द्वारा करोड़ा. की भूमि अवैध रूप से कोड़िया. के भाव म. ठेके पर दी जा रही है व ग्राम पंचायत को लाखा. के राजस्व की हानि पहुँचायी जा रही है।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सन्दर्भ म. कार्यवाही कर तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ को पत्र दिनांक 19.07.11 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 07.11.13, 18.12.14 एवं 11.3.15 द्वारा अवगत करवाया कि ग्राम सतखण्डा की आ.सं.920/1565 रकबा 20 बीघा आबादी भूमि का आवंटन वर्ष 2001-02 म. हुआ था। श्री रतनलाल सोनी, तत्कालीन पटवारी, हल्का सतखण्डा द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार से पुख्ता तरमीम के आदेश प्राप्त करने चाहिए थे किन्तु उसके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके कारण खनन प्रयोजनार्थ अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी हो गया। अतः लोक सेवक श्री रतनलाल सोनी, तत्कालीन पटवारी, हल्का सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा हाल ऑफिस कानूनगो, तहसील कार्यालय, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ को दिनांक 12.02.15 को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। प्रकरण अभी सचिवालय स्तर पर विचाराधीन है।

एफ.12(31)लोआस/2011

परिवादी श्री शंकर सिंह पुत्र श्री अमर सिंह निवासी गोविन्दपुरा, तहसील पिड़ावा ने दिनांक 01.06.11 को इस सचिवालय म. परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पँचायत समिति, पिड़ावा की ग्राम पँचायत, गोविन्दपुरा म. लाखा. रुपये के किये गये भ्रष्टाचार म. श्री सौदान सिंह, पूर्व सरपंच को दोषी पाये जाने पर भी आदिनांक तक कोई भी कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की गई है। परिवादी ने इसकी जाँच करवाकर नियमानुसार कार्यवाही करवाने का निवेदन किया है।

चूँकि सरपंच इस सचिवालय के क्षेत्राधिकार म. नहीं आते हैं, अतः इस परिवाद को नस्तीबद्ध कर इसकी एक प्रति इस सचिवालय के पत्र दिनांक

04.08.11 द्वारा जिला कलेक्टर, झालावाड़ को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित की गई थी। इस पर जिला कलेक्टर, झालावाड़ ने अपने पत्र दिनांक 20.12.11 के द्वारा यह अवगत कराया कि ग्राम पंचायत, गोविन्दपुरा म. वर्ष 2007-09 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत स्वीकृत कार्यो के सम्पादन म. अनियमितताएँ पाये जाने पर सम्बन्धित श्री सौदान सिंह एवं श्री राजीव सिंह हाड़ा, तत्कालीन सरपंच, श्री भैंरूलाल मीणा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक एवं श्री निशान्त यादव, कनिष्ठ तकनीकी सहायक के विरुद्ध राशि रूपये 4,44,717/- रुपये की वसूली करने हेतु विकास अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है।

इस पर जिला कलेक्टर, झालावाड़ को पत्र दिनांक 03.02.12 भिजवाया जाकर विकास अधिकारी द्वारा राशि रुपये 4,44,717/- की वसूली करने एवं दोषी लोक सेवका. के विरुद्ध की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट मंगवाई गई। इस पर पत्र दिनांक 29.05.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री निशान्त यादव, तत्कालीन वरिष्ठ तकनीकी सहायक को आदेश दिनांक 15.5.14 द्वारा संविदा सेवा से पृथक कर दिया गया है। श्री भैंरूलाल मीणा, तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति, पिडावा, मुख्यालय सुनेल, जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ अभियन्ता, सुनेल सार्वजनिक निर्माण विभाग, झालावाड़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिनांक 13.05.14 को लिखा जा चुका है। प्रकरण म. वर्तमान म. उक्त राशि रुपये 4,44,717/- की वसूली तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट मांगी जा रही है।

एफ.12(45)लोआस/2011

परिवादी श्री मफाराम पुत्र हिमताराम, जाति मेघवाल, निवासी माण्डवला, जिला जालौर ने दिनांक 14.07.14 को परिवाद प्रस्तुत कर यह निवेदन

किया कि ग्राम पंचायत, माण्डवला, पंचायत समिति, सायला, जिला जालोर द्वारा वर्ष 2008 व 2009 म. मनरेगा के अधीन स्वीकृत कार्य पूर्ण नहीं करवाकर इस सम्बन्ध म. स्वीकृत बजट की राशि गलत व फर्जी तौर से उठाते हुए सरकारी राशि का दुरूपयोग किया। इस सम्बन्ध म. दो वार्ड पंच ग्राम पंचायत मुख्यालय पर धरने पर भी बैठे लेकिन विकास अधिकारी ने मौखिक आश्वासन देकर उन्हें उठा दिया तथा इस सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर के यहाँ 7-8 बार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही कोई कार्य प्रारम्भ किया गया है।

इस परिवाद पर शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 05.10.11 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन तलब किया गया जिस पर उन्होंने अपने पत्र दिनांक 25.10.11, दिनांक 31.07.12 एवं अन्य अंतरिम उत्तरा. के बाद पत्र दिनांक 13.10.14 द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत, माण्डवला म. नरेगा के वर्ष 2008 व 2009 म. स्वीकृति कार्य आदिनांक पूर्ण नहीं करवाये गये, कार्य हेतु जारी बजट की राशि पंचायत द्वारा गलत व फर्जी तथ्य बताकर उठाई जाकर दुर्विियोजन किया गया, ग्राम पंचायत के रास्ते म. छीणा. के टुकड़े पिछले डेढ़ वर्ष से डाले हुए हैं किन्तु पंचायत द्वारा इस कार्य के प्रति उदासीनता बरती जा रही है। इस सम्बन्ध म. दोषी पाये गये लोक सेवक श्री बहादुर सिंह, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत, माण्डवला के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये जाकर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है तथा जाँच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। श्री वल्लभचंद जैन, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत, माण्डवला के विरूद्ध की गई जाँच म. आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आदेश दिनांक 21.02.14 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 व 39 म. वर्णित प्रावधाना. के

अन्तर्गत आगामी पांच वर्षों म. होने वाले पंचायती राज संस्थाआ. के किसी भी चुनाव को लड़ने हेतु अपात्र घोषित कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर वाँछित कार्यवाही सम्पन्न हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 29.01.15 को अस्थायी रूप से नस्तीबद्ध किया जाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जालौर से आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक जाँच कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट त्रैमासिक रूप से मँगवाई जा रही है।

एफ.12(75)लोआस/2011

परिवादी श्री रामचरन, निवासी जारगा, तहसील बसेड़ी, जिला धौलपुर द्वारा यह परिवाद दिनांक 08.09.11 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया कि परिवादी वर्ष 1997 की बी.पी.एल. सूची म. चयनित है। सरपंच, सचिव, विकास अधिकारी व अन्य लोक सेवकगण द्वारा फर्जी एस.बी.पी.एल. व्यक्तिया. से साजिश कर उसके स्थान पर अपात्र व्यक्तिया. के राशनकार्ड बनाकर 2010 से अवैधानिक तरीके से राशन सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है। परिवादी द्वारा दोषी लोक सेवकगण के विरूद्ध कार्यवाही करने व उसका नाम एस.बी.पी.एल. सूची म. जोड़कर उसके नाम राशनकार्ड जारी करने का निवेदन किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सन्दर्भ म. कार्यवाही कर तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 11.10.11 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 10.04.12 के अनुसार ग्राम पंचायत, जारगा म. स्टेट बीपीएल सूची तैयार करने म. फर्जीवाड़ा किया गया है तथा फर्जीवाड़े के कारण पात्र लाभार्थिया. को लाभ नहीं मिल पा रहा है

जिसके लिए तत्कालीन सरपंच श्री आदिराम शर्मा एवं तत्कालीन सचिव श्री रामचरण लाल (सेवानिवृत्त) ग्राम पंचायत जारगा स्पष्टतया दोषी हैं एवं रिपोर्ट दिनांक 03.12.13 के अनुसार तत्कालीन सरपंच श्री आदिराम शर्मा व सचिव श्री रामचरण लाल के विरूद्ध थाना बसेड़ी म. एफआईआर संख्या 317/2012 दिनांक 11.09.12 को अन्तर्गत धारा 167 व 420 भारतीय दण्ड़ संहिता म. दर्ज करवायी गयी जिसकी जाँच जारी है। तत्कालीन सरपंच की मृत्यु हो चुकी है एवं रामचरन लाल सचिव सेवानिवृत्त हो चुका है। जिन पात्र अभ्यर्थिया. को लाभ नहीं मिला था, उनमें से 12 अभ्यर्थिया. की सूची जारी कर राशनकार्ड जारी करने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति बसेडी को ऑन-लाइन सूचना भेज दी गई है तथा राशनकार्ड जारी किये गये हैं व गलत राशनकार्डो को निरस्त कर दिया गया है एवं शेष रहे व्यक्तिया. के सम्बन्ध म. पात्र लाभार्थिया. को लाभ दिलाये जाने हेतु जाँच जारी है।

शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 22.05.14 के अनुसार श्री रामचरन लाल, तत्कालीन सेवानिवृत्त ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, धौलपुर के पत्र दिनांक 25.06.14 के अनुसार उक्त श्री रामचरन लाल के विरूद्ध दो वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं करने के लिए जिम्मेदार विकास अधिकारीगण श्री राजेश लवानियां, श्री गिर्राज किशोर वर्मा व श्रीमती नसीम खान के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, धौलपुर के पत्र दिनांक 04.08.14 के अनुसार श्री राजेश लवानियां द्वारा तत्कालीन सचिव श्री रामचरन लाल के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन जारी आरोप पत्र म.

उसके जबाब को सन्तोषजनक मानते हुए क्षेत्राधिकार न होते हुए भी, उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने के कारण उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन एवं पत्र दिनांक 16.02.15 के अनुसार श्रीमती नसीम खान व श्री गिर्राज किशोर वर्मा द्वारा रामचरनलाल के विरूद्ध की जा रही राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत जारी आरोप पत्र म. कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण, उनके विरूद्ध भी राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर दोषी लोक सेवक श्री रामचरन लाल, तत्कालीन पदेन सचिव, ग्राम पंचायत जारगा के विरूद्ध उक्त नियमों के नियम 16 के अन्तर्गत व विकास अधिकारी श्री राजेश लवानियां, श्रीमती नसीम खान व श्री गिर्राज किशोर वर्मा के विरूद्ध नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। प्रकरण अभी सचिवालय स्तर पर विचाराधीन है।

एफ.12(97)लोआस/2011

परिवादी श्री नेनूराम कुमावत, निवासी सेलागुढा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द द्वारा यह परिवाद ग्राम पंचायत सेलागुडा, पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द के पूर्व सरपंच रामचन्द्र कुमावत एवं तत्कालीन सचिव रामसिंह द्वारा अन्य कर्मचारिया. के साथ मिलकर फर्जी मेटेरियल सप्लायर्स यानि ठेकेदारा. से मिलकर फर्जी चैक उठाने या हस्ताक्षर करने, बकरिया, बिस्तरों, बर्तना. आदि म. भ्रष्टाचार एवं नरेगा म. फर्जी मेट मिस्त्री बनाने के सन्दर्भ म. दिनांक 10.09.12 को पेश किया गया। इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजसमन्द द्वारा भी इस सम्बन्ध

म. जाँच होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी एवं एफ.आई. आर. तक दर्ज नहीं करायी गयी है।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सन्दर्भ म. कार्यवाही कर तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर को पत्र दिनांक 21.12.13 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजसमन्द को पत्र दिनांक 18.02.14 प्रेषित किया गया तथा सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, झालावाड़ से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 10.06.14 के अनुसार मूल्यांकन से अधिक व्यय राशि रूपये 72,372/-, गबन योग्य राशि रूपये 9250/- बिना मूल्यांकन के भुगतान की गयी राशि रूपये 1,62,163/- कुल वसूली योग्य राशि रूपये 2,43,785/- पायी गयी। इसके अतिरिक्त एमबी म. उपलब्ध नाप से मौके पर नाप कम पाया गया जो रूपये 1,19,687/- को अनियमित भुगतान मानते हुए, वसूली की सिफारिश की गयी। सार्वजनिक कुई से देवनारायण मंदिर तक सीसी सड़क कार्य पर रूपये 44,600/- अधिक व्यय किए गए। इस प्रकार कुल रूपये 4,08,072/- की राशि तत्कालीन सरपंच/सचिव से वसूल करने की अनुशंषा की गयी है।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति आमेट के पत्र दिनांक 07.01.15 के अनुसार श्री रामचन्द्र कुमावत, तत्कालीन सरपंच से रूपये 2,41,036/- की राशि एवं पत्र दिनांक 15.12.14 के अनुसार इस प्रकरण म. श्री रामसिंह तत्कालीन ग्राम सेवक व पदेन सचिव से रूपये 2,04,036/- की राशि वसूल कर ली गयी है। सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र दिनांक 13.5.15 के अनुसार तत्कालीन सरपंच श्री रामचन्द्र कुमावत एवं सचिव श्री रामसिंह से पूरी राशि वसूल हो जाने से वसूली प्रकरण समाप्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त श्री रामसिंह तत्कालीन पदेन सचिव व ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत, सेलागुड़ा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कार्यवाही की गयी तथा श्री रामचन्द्र, तत्कालीन सरपंच के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 म. कार्यवाही करने हेतु आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण पत्र भिजवाए गए।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर दोषी लोक-सेवक श्री रामचन्द्र कुमावत, सरपंच से इस प्रकरण म. रूपये 2,41,036/- की गबन व अधिक/अनियमित भुगतान की राशि वसूल की गयी है तथा उसके विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 के अधीन कार्यवाही की जा रही है एवं श्री रामसिंह तत्कालीन पदेन सचिव एवं ग्राम सेवक से इस प्रकरण म. रूपये 2,04,036/- की गबन व अधिक/अनियमित भुगतान की राशि वसूल की गयी है एवं उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है। प्रकरण अभी सचिवालय स्तर पर विचाराधीन है।

एफ.12(142)लोआस/2011

परिवादी श्री श्रवण व अन्य, निवासीगण ढाणी चनेजा की तन आगर, तहसील थानागाजी, जिला अलवर द्वारा यह परिवाद दिनांक 21.12.11 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया कि ग्राम पंचायत आगर पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर के सरपंच द्वारा नरेगा योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो को जे.सी.बी. से कराया गया है जो नरेगा नियमा. के विरूद्ध है तथा सरपंच ने गलत ढंग से सरकारी राशि का दुरूपयोग कर राशि हड़प ली है। इसके अतिरिक्त सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत आगर म. बनवायी गयी टंकिया. म. घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया व टंकिया. पर छत नहीं डाली गयी। ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य म. सरपंच

द्वारा कार्य शुरू होने से पहले ही मस्टररोल जारी करवा कर भुगतान उठा लिया गया है। ग्राम पंचायत आगर म. महिला सरपंच है जिसके पुत्र दीपानन्द रोजगार सहायक से मिलकर मस्टररोल पर अपनी माता के हस्ताक्षर कर उनका भुगतान उठा लेता है। जेहाडिया. म. पिचिंग व साईड दीवार के कार्य म. माल मेटेरियल आदि कार्य बिना टेण्डर सरपंच और ग्राम रोजगार सहायक व दीपानन्द द्वारा मिलकर करवाए जा रहे हैं।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सन्दर्भ म. कार्यवाही कर तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 12.01.12 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर सम्भागीय आयुक्त, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 10.02.14 के अनुसार श्रीमती ललिता शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत आगर, पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर को दोषी पाया गया है। सरपंच के साथ साथ अन्य दोषी लोक सेवकगण के नाम व पदनाम की जानकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम, अलवर से प्राप्त की जा रही है एवं उनके पत्र दिनांक 11.06.14 के अनुसार श्रीमती ललिता शर्मा, सरपंच को पद से निलम्बित कर दिया गया है।

शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 23.07.14 के अनुसार श्री के.के.जैमन, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, थानागाजी, जिला अलवर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आरोप-पत्र व आरोप विवरण जारी किये गये हैं। सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के पत्र दिनांक 22.08.14 के अनुसार श्रीमती ललिता शर्मा, (निलम्बित) सरपंच ग्राम पंचायत आगर पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर को सरपंच पद से अयोग्य घोषित करने हेतु पत्र दिनांक 22.08.14 द्वारा पंचायती राज विभाग म. अनुशंषा प्रेषित की गयी है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर दोषी लोक सेवक श्रीमती ललिता शर्मा, सरपंच को निलम्बित किया जाकर उसे अयोग्य घोषित करने हेतु लिखा गया है एवं श्री के.के.जैमन तत्कालीन विकास अधिकारी के विरूद्ध उक्त नियमों के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है। प्रकरण अभी सचिवालय स्तर पर विचाराधीन है।

एफ.12(144)लोआस/2011

परिवादी श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता, निवासी महाजन टैन्ट हाऊस, छत्री चौक, सुनेल, जिला झालावाड़ द्वारा यह परिवाद दिनांक 21.12.11 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया कि पंचायत समिति सुनेल द्वारा टेंट, कुर्सियां, माईक आदि की निविदा दिनांक 25.03.11 को आमंत्रित की गयी जो परिवादी के नाम से खोली गई एवं जिसके लिए परिवादी द्वारा जरिए रसीद संख्या 194/028 दिनांक 25.03.11 से अमानत राशि रूपये 1000/- जमा करा दी गयी एवं परिवादी द्वारा दी गयी सामाना. की दरें समस्त निविदा शर्तो के साथ स्वीकार की गयी। परिवादी को किए गए कार्य का तीन बार उसी दर के आधार पर भुगतान भी किया गया लेकिन पंचायत समिति, सुनेल म. माननीय मंत्री महोदय के दौरे के समय बीपीएल आवास योजना के उद्घाटन के दिन मंगाए गए सामाना. के बिला. कुल रूपये 46,657/-रू का भुगतान नहीं किया जा रहा है। भुगतान की एवज म. 40 प्रतिशत राशि रिश्वत के रूप म. मांगी जा रही है। रिश्वत राशि नहीं देने पर विकास अधिकारी द्वारा बिला. म. काट-छांट कर दो चैका. द्वारा कुल रूपये 32,447/- की राशि भिजवायी गयी जिसे परिवादी द्वारा लेने से इन्कार कर दिया गया। परिवादी द्वारा बिला. का भुगतान करवाने व विकास अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सन्दर्भ म. कार्यवाही कर तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 27.02.12 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 14.11.13 के अनुसार प्रकरण म. लेखाधिकारी, जिला परिषद्, झालावाड़ से जाँच कराने पर, उनके द्वारा श्री कन्हैयालाल रैगर विकास अधिकारी एवं जुगल किशोर पाटीदार, लेखाकार पंचायत समिति, सुनेल को अधिक भुगतान के लिए दोषी माना गया है जिनके विरूद्ध सामान्य वित्तीय लेखा नियम के पार्ट 1 रूल्स 20 एवं 22(1) परिशिष्ट 3 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं अधिक भुगतान की गयी राशि वसूल कर राजकोष म. जमा करवाने हेतु लिखा गया है। तत्कालीन विकास अधिकारी एवं लेखाकार के विरूद्ध नोटिस जारी कर दिए गए हैं एवं परिवादी की फर्म को चैक संख्या 302872 दिनांक 27.01.14 राशि 30,702/- एवं चैक संख्या 315344 दिनांक 27.01.14 राशि 2670/- का भुगतान कर दिया गया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, झालावाड़ के पत्र दिनांक 22.07.14 एवं शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 05.11.14 के अनुसार श्री कन्हैयालाल रैगर तत्कालीन विकास अधिकारी एवं श्री जुगल किशोर पाटीदार, लेखाकार, पंचायत समिति, सुनेल के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर ज्ञापन जारी कर दिये गये हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर दोषी लोक सेवक श्री कन्हैयालाल रैगर, तत्कालीन विकास अधिकारी एवं श्री जुगल किशोर पाटीदार, तत्कालीन लेखाकार, ग्राम पंचायत सुनेल, जिला झालावाड़ के विरूद्ध उक्त नियमों के नियम 17 के अन्तर्गत

अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है। प्रकरण अभी सचिवालय स्तर पर विचाराधीन है।

एफ.12(123)लोआस/2012

परिवादी श्री महेन्द्र कुमार जोशी व अन्य निवासी मुकाम पोस्ट रोहिड़ा बस स्टेण्ड, तहसील पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही ने दिनांक 26.10.12 को प्रस्तुत परिवाद म. ग्राम पंचायत, रोहिड़ा द्वारा मनरेगा कार्यो म. हुए भ्रष्टाचार, रिकॉर्ड म. की गई हेरा-फेरी एवं कूटरचित दस्तावेजा. के आधार पर किये गये गबन की जाँच करवाने की प्रार्थना की है।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 07.05.13 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन आहूत किया गया तथा इस सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 13.09.13 से यह अवगत कराया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यो म. मूल्यांकन से रूपये 2,31,000/- अधिक व्यय करना एवं दो मस्टररोल म. रूपये 4,888/- का दोहरा भुगतान करना पाया गया है जिस हेतु ग्राम पंचायत, रोहिड़ा की पूर्व सरपंच, श्रीमती गंगा देवी, वर्तमान सरपंच, श्री राजेन्द्र कुमार रोहिन एवं ग्राम सेवक, श्री जसवन्त सिंह को उत्तरदायी ठहराया गया है। तत्पश्चात् सचिवालय स्तर पर अग्रिम कार्यवाही करने पर ग्राम पंचायत, रोहिड़ा, तहसील पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही के ग्राम सेवक श्री जसवन्त सिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ कर उसकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई जब कि दोषी सरपंच श्री राजेन्द्र कुमार रोहिन को पद से हटाकर, उसे व पूर्व सरपंच, श्रीमती गंगा देवी को आगामी पाँच वर्षो म. पंचायती राज संस्थाआ. के होने वाले किसी भी चुनाव को लड़ने से अपात्र घोषित किया गया। साथ ही प्रकरण म. अधिक व्यय की गई

राशि को आरोपीगण ग्राम सेवक श्री जसवन्त सिंह, पूर्व सरपंच श्रीमती गंगा देवी व वर्तमान सरपंच श्री राजेन्द्र रोहिन से क्रमशः रूपये 78,629/-, रूपये 78,629/- व रूपये 78,628/- (कुल रूपये 2,35,887/-) वसूल कर पंचायत कोष म. जमा किये गये।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के बाद परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 29.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(12)लोआस/2013

परिवादी श्री असलम खान, वार्ड पंच, ग्राम पंचायत, बिलोंद व अन्य द्वारा यह परिवाद इस सन्दर्भ म. पेश किया गया है कि ग्राम पंचायत विलोंद के सरपंच द्वारा मार्च 2010 से मार्च 2013 तक स्वीकृत हुए विकास कार्यो को पूरा नहीं किया गया है। सरकार द्वारा जनहित म. चलाई जा रही योजनाआ. के फर्जी मस्ट्रोल को भरकर पैसा. का गबन किया जा रहा है जिसमें सरपंच और तत्कालीन सचिवा. के साथ पंचायत समिति कामां के सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सन्दर्भ म. कार्यवाही कर तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर को पत्र दिनांक 24.10.13 प्रेषित किया गया एवं सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 23.04.13 के अनुसार सरपंच व सचिव को परिवाद के मद संख्या 7 में गांव वाला. से 2-2 हजार रूपए लेकर निजी मकाना. के अन्दर लगवाए गए, मद संख्या 10 में इन्दिरा आवास योजना व मुख्य मंत्री बीपीएल आवास योजना एवं अन्य स्कीमा. म. करीब 100 मकान स्वीकृत हुए जिनमें सरपंच द्वारा 10,000/- तो मकान बनाने वाला. से एवं जिनके द्वारा मकान नहीं बनाए गए, उनसे 15,000/- लिए गए तथा मद संख्या 11 में जिन चयनित परिवार वाला.

ने सरपंच को 10,000/- नहीं दिये तो उनके सन् 2010 म. सरकार द्वारा कराये गये सर्वे सूची के क्रमानुसार पहले नम्बर होने पर भी उनसे पंजाब नेशनल बैंक म. खाता खुलवाने आदि सभी प्रक्रिया पूरी कराने के बाद भी उनका भुगतान आज तक नहीं होने दिया, बाबत् लगाये गये आरोपों इसके लिए आंशिक रूप से दोषी होना पाया गया एवं दोषी लोक सेवकगण के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है।

सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर के पत्र दिनांक 05.11.14 के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भरतपुर द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 38(ख) के अन्तर्गत श्रीमती रामकली, सरपंच, ग्राम पंचायत विलोंद, पंचायत समिति-कामां के विरूद्ध आरोप-पत्र व आरोप विवरण-पत्र तथा सम्बन्धित श्री इन्दर सिंह, सचिव व श्री संतराम, सचिव, ग्राम पंचायत, विलोंद के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र व आरोप विवरण-पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर दोषी लोक सेवकगण श्रीमती रामकली, सरपंच, ग्राम पंचायत बिलोंद, पंचायत समिति-कामां के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 38(ख) के अन्तर्गत आरोप-पत्र व आरोप विवरण-पत्र तथा सम्बन्धित सचिव श्री इन्दर सिंह व श्री संतराम के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र व आरोप विवरण जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। प्रकरण दिनांक 11.11.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(16)लोआस/2013

परिवादी श्री मोहनलाल, निवासी-मुकाम पोस्ट सींगडी, जिला-झुन्झुनूं द्वारा यह परिवाद दिनांक 02.05.13 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया है कि श्रीमती सुशीला देवी, प्रधान, पंचायत समिति, झुन्झुनूं एवं श्रीमती शुभिता देवी, सरपंच, ग्राम पंचायत, सींगडा द्वारा गरीब ग्रामीण जनता के लिए राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा देय राशि का गबन व मिलीभगत से फर्जी विकास कार्य अंकित कर सरकारी धनराशि का दुरूपयोग किया गया।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सन्दर्भ म. कार्यवाही कर तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, झुन्झुनूं को पत्र दिनांक 20.10.13 प्रेषित किया गया एवं सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, झुन्झुनूं की ओर से प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 26.12.13 एवं सम्भागीय आयुक्त के पत्र दिनांक 04.12.13, 15.10.13, 11.02.14 एवं 11.07.14 के अनुसार प्रकरण की जाँच म. पाया गया कि कराये गये कार्य मौका स्थिति पर कायम हैं एवं उनका सार्वजनिक उपयोग हो रहा है। कार्यो पर किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, गबन होने के लिए सरपंच एवं अन्य दोषी नहीं हैं। मूल्यांकन से अधिक व्यय राशि की वसूली माप एवं मूल्यांकन के समय ही पंचायत कोष म. जमा करवायी जा चुकी है। कार्यो पर स्वीकृत राशि एवं मूल्यांकन से अधिक व्यय नहीं किया गया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, झुन्झुनूं के पत्र दिनांक 25.11.14 के अनुसार श्रीमती सविता सींगडा वर्तमान सरपंच एवं पूर्व सरपंच श्री कुरड़ाराम, ग्राम पंचायत, सींगडा, पंचायत समिति, झुन्झुनूं से वसूली योग्य राशि जमा करवाने बाबत विकास अधिकारी, पंचायत समिति, झुन्झुनूं को निर्देशित किया गया है। प्रकरण म. दोषी पाये गये लोक सेवक श्री राजेश कुमार रणवां, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत, सींगडा के विरूद्ध राजस्थान

सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी कर दिए गए हैं।

इस प्रकार सचिवालय स्तर की कार्यवाही सम्पन्न हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 21.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(46)लोआस/2013

परिवादी श्री ओमविष्णु निवासी सतजण्डा, पंचायत समिति, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा यह परिवाद दिनांक 06.05.13 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया है कि ग्राम पंचायत, सतजण्डा के सचिव श्री नवरतन बघेला द्वारा श्रीमती अखी देवी पत्नी गोपीराम को आर्थिक लालच के कारण गलत तरीके से इन्दिरा आवास योजना म. लाभान्वित किया गया। सचिव द्वारा अखी देवी को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत जारी भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र म. आहाता संख्या 75 तादादी 35 ग 40 अखीदेवी का होना बताया गया है जबकि आज दिनांक तक आहाता संख्या 75 म. कोई पक्का निर्माण नहीं है।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. सचिवालय द्वारा कार्यवाही की जाकर शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 15.07.13 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन आहूत किया गया तथा इस सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 31.12.13 के अनुसार सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा स्वामित्त्व प्रमाण-पत्र जारी करने म. लापरवाही बरती गयी जिसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन कार्यवाही की जा रही है एवं रिपोर्ट दिनांक 18.12.14 के अनुसार श्री नवरतन सिंह बघेला, सचिव के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन

आरोप-पत्र जारी किया गया तथा रिपोर्ट दिनांक 28.01.15 के अनुसार श्री नवरतन सिंह बघेला, सचिव, ग्राम पंचायत, सतजण्डा को दोषी पाए जाने पर दो वेतन वृद्धि के परिलाभ असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अतः परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 23.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(60)लोआस/2013

परिवादी श्री जगदीश चन्द्र त्रिवेदी द्वारा यह परिवाद दिनांक 08.07.13 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया कि ग्राम गुड़ा प्रेमसिंह, पंचायत राड़ावास तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली म. स्थित भू-खण्ड क्षेत्रफल 735 वर्गगज पट्टा क्रमांक 27/1988-89 दिनांक 01.05.1988 को रेवाशंकर पुत्र भोलाराम के नाम से जारी किया गया। श्री नारायण सिंह, पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, धनला व श्री दीवान सिंह, पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, राड़ावास व श्री सुरेन्द्र सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत, राड़ावास द्वारा अनुचित रुप से पद का दुरूपयोग कर पुनः पट्टा जारी कर दिया गया। श्री नारायण सिंह, पदेन सचिव के विरूद्ध धारा 420 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में चालान प्रस्तुत किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सन्दर्भ म. कार्यवाही कर तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर को पत्र दिनांक 31.10.13 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 31.7.14, 15.09.14 एवं 28.10.14 के अनुसार प्रकरण की जाँच म. पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही को गलत पाया गया जिसके सम्बन्ध म. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली के न्यायालय म. निगरानी संख्या 20/2013 विचाराधीन है। प्रकरण म. फर्जी पट्टा जारी करने के लिए श्री सुरेन्द्रसिंह,

तत्कालीन सरपंच एवं श्री नारायण सिंह, पदेन सचिव व श्री दीवान सिंह, पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, राड़ावास को दोषी पाया गया है। श्री सुरेन्द्र सिंह, तत्कालीन सरपंच की मृत्यु दिनांक 05.02.12 को हो चुकी है। अन्य लोक सेवक श्री दीवान सिंह एवं श्री नारायण सिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। प्रकरण अभी सचिवालय स्तर पर विचाराधीन है।

एफ.12(109)लोआस/2013

परिवादी श्री राजेश बोराणा, निवासी-नृसिंह दड़ा, नाजर जी की बावड़ी के सामने, जालोरी बारी के अन्दर, जोधपुर द्वारा यह परिवाद इस सन्दर्भ म. पेश किया गया है कि ग्राम सेवक विरेन्द्र सिंह व सरपंच, ग्राम पंचायत, लूणी का पुत्र श्री विष्णु प्रजापत, जो कि जमीना. का धन्धा करते हैं, उनकी जमीन को विवादित कर खरीदने के लिए दबाव बनाये हुए हैं एवं इनकार करने पर दोना. व्यक्ति जमीन के पट्टे से सम्बन्धित रिकॉर्ड की कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं तथा यह लिखकर देते हैं कि चार्ज लिस्ट म. नहीं है। यह भी आरोप लगाया कि सरपंच एवं ग्राम सेवक के इशारे पर उनके घर के रास्ते रूकवा दिये गये हैं जिसके सन्दर्भ म. एडीएम प्रथम, जोधपुर के यहां केस दर्ज है।

शिकायत के सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जोधपुर से पत्र दिनांक 20.11.13 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 30.01.14 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध म. ग्राम सेवक श्री विरेन्द्र सिंह ने पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 321 के अधीन सम्बन्धित रिकार्ड की तलाशी कर उपलब्ध रिकार्ड की नकलें निर्धारित

फीस लेकर जारी कर दी हैं। शेष नकलें रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

जाँच उपरान्त यह पाया गया कि वाँछित नकला. से सम्बन्धित रिकार्ड श्री विरेन्द्र सिंह, ग्राम सेवक के चार्ज म. नहीं था परन्तु उसके द्वारा पूर्व ग्राम सेवक से ऐसा रिकार्ड प्राप्त करने का कोई प्रयास न करने, इस तथ्य को अधिकारिया. के समक्ष नहीं लाने तथा रिकार्ड गुम होने की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाने म. बरती गयी लापरवाही के लिए पत्र दिनांक 11.3.14 के अनुसार उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया। लोक सेवक के दोष को देखते हुए नियम 16 के बजाय नियम 17 म. ही कार्यवाही करने की मंशा को देखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जोधपुर को पत्र दिनांक 27.3.14 के द्वारा लोक सेवक के विरूद्ध नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया। इसके प्रत्युत्तर म. जिला परिषद्, जोधपुर के पत्र दिनांक 28.4.14 के द्वारा सूचित किया गया कि उक्त दोषी लोक सेवक श्री विरेन्द्र सिंह, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत, लूणी के विरूद्ध दिनांक 25.4.14 को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है एवं रिकॉर्ड गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना लूणी म. क्रम संख्या 31 दिनांक 28.4.14 को दर्ज करायी गयी।

जाँच म. यह पाया गया कि उक्त रिकॉर्ड श्री अणदाराम शर्मा, ग्राम सेवक के कार्यकाल म. सृजित/संधारित होना प्रतीत होता है एवं उसके बाद श्री शेषनारायण शर्मा, श्री गोपाल राम, श्री सवाई राम व श्री जोराराम को यह रिकॉर्ड चार्ज म. नहीं मिला है एवं अभिलेख किस स्तर पर गायब हुआ, इसकी कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है। अतः उक्त समस्त ग्राम सेवक राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 78(2)(क) तथा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 331(7) के उल्लंघन के

दोषी हैं। श्री विरेन्द्र सिंह सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं करवाने तथा उच्चाधिकारिया. के आदेश के बावजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाने के दोषी हैं। परिवादी ने सरपंच लूणी के खिलाफ जो आरोप लगाये हैं, उनके समर्थन म. कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। अतः सर्व श्री शेषनारायण शर्मा, गोपालराम, जोराराम, सवाईराम देवासी व अणदाराम को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी किये गये हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही सम्पन्न हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 19.12.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(120)लोआस/2013

परिवादी श्री मूलाराम चौधरी पुत्र श्री सादुलाराम निवासी खारिया पोस्ट श्रीबालाजी, तहसील व जिला नागौर ने दिनांक 22.10.13 को इस सचिवालय म. परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पिछले करीब 15 वर्षो से एक ही ग्राम पंचायत, श्री बालाजी म. पदस्थापित भ्रष्टतम ग्राम सेवक श्री रामनिवास विश्नोई को यहां से हटाया जावे, उसके द्वारा किये गये सम्पूर्ण भ्रष्टाचार की जाँच करवाकर दण्डित किया जावे व इसके द्वारा स्थानान्तरण के खिलाफ लाया गया स्थगन आदेश निरस्त करवाया जावे।

परिवाद इस सचिवालय म. प्रस्तुत होने पर इस सचिवालय के पत्र दिनांक 18.11.13 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर से तथा पत्र दिनांक 22.5.14 द्वारा शासन सचिव, एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन तलब किया गया। इस सम्बन्ध म. अतिरिक्त आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अपने पत्र दिनांक 15.12.14 के द्वारा यह अवगत कराया है कि श्री

रामनिवास विश्नोई, ग्राम सेवक द्वारा अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका सं. 494/2013 को निर्णय दिनांक 08.10.14 द्वारा 5000/- की शास्ति सहित खारिज कर दिये जाने के कारण ग्राम पँचायत, श्री बालाजी से ग्राम पँचायत, चाँवडिया म. स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा श्री रामनिवास विश्नोई, तत्कालीन ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत, श्री बालाजी के विरुद्व राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।

चूंकि विभागीय कार्यवाही म. समय लगना स्वाभाविक है। अतः इस प्रकरण म. दोषी पाये गये कार्मिक श्री रामनिवास विश्नोई, ग्राम सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर से लिया जाना तय कर इस परिवाद को दिनांक 03.02.15 को इस सचिवालय म. नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(121)लोआस/2013

परिवादी श्री घासीराम, निवासी-तंवरा, तहसील-जायल, जिला-नागौर द्वारा यह परिवाद दिनांक 21.10.13 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया कि ग्राम पंचायत तंवरा के पूर्व सरपंच के कार्यकाल का सामग्री सप्लाई ठेकेदारा. का भुगतान नहीं किया गया है। ग्राम सेवक, तंवरा द्वारा दिनांक 05.03.12 को तीन चैक जारी किये गये जो अवधि पार हो चुके थे लेकिन ठेकेदारा. को चैक नहीं दिए गए। दिनांक 27.05.13 को विकास अधिकारी पंचायत समिति जायल व ग्राम सेवक, तंवरा के संयुक्त हस्ताक्षर से तीन चैक जारी किये गये लेकिन ठेकेदारा. को नहीं दिए गए व पुनः अवधिपार हो चुके हैं। जिला कलेक्टर, नागौर के आदेश दिनांक 01.08.13 के अनुसार मैसर्स रामदीन/हेमाराम तंवरा के बकाया बिला. की राशि रूपये 4,74,734/- व मैसर्स जसनाथ कन्सट्रक्शन कम्पनी, तंवरा के

बकाया बिला. की राशि रूपये 20,15,148/- की भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सन्दर्भ म. कार्यवाही कर तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सम्भागीय आयुक्त, अजमेर को पत्र दिनांक 22.11.13 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर सम्भागीय आयुक्त, अजमेर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 3.3.14 के अनुसार सरपंच श्रीमती पतासी देवी, ग्राम पंचायत तंवरा के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 की धारा 2(3) के अन्तर्गत जाँच की गयी। पत्र दिनांक 12.09.14 के अनुसार जाँच म. मनरेगा योजना अन्तर्गत निवर्तमान सरपंच श्री घासीराम ढाका के कार्यकाल म. निर्माण कार्य हेतु आपूर्ति की गई निर्माण सामग्री के लम्बित बिला. का भुगतान जानबूझकर नहीं किये जाने का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आदेश दिनांक 26.08.14 के अनुसार श्रीमती पतासी देवी, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत, तंवरा, पंचायत समिति, जायल जिला नागौर को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38(1) के अधीन पद के अयोग्य घोषित करते हुए पद रिक्त करने की अभिशंसा कर दी गई है। पत्र दिनांक 27.03.15 के अनुसार ग्राम पंचायत तंवरा के ठेकेदारा. के बकाया भुगतान की राशि रूपये 22,98,950/- के एफ.टी.ओ. जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत जोचिणा के ठेकेदारा. के बकाया भुगतान की राशि रूपये 16,52,805/- के एफ.टी.ओ. जारी किये गये व शेष राशि रूपये 6,74,907/- के सम्बन्ध म. राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर की रिपोर्ट दिनांक 25.08.14 के अनुसार प्रकरण म. अन्य दोषी पाये गये लोक सेवकगण सर्व श्री हरफूल सिंह विकास अधिकारी व श्री करण सिंह जोधा ग्राम सेवक के विरूद्ध भी राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी

गई है एवं जाँच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। प्रकरण अभी सचिवालय स्तर पर विचाराधीन है।

एफ.12(151)लोआस/2013

परिवादी श्री मुकेश कुमार, निवासी गाँव लिसाड़िया, पंचायत समिति, बारां, जिला बारां ने दिनांक 13.01.14 को परिवाद प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि ग्राम लिसाड़िया म. रामचरण मीणा के मकान से मोतीलाल मीणा के मकान तक 450 फीट खरन्जे का निर्माण हुआ, जो 5 दिन के भीतर ही जगह-जगह से दरक गया जिस पर उसके व ग्रामवासिया. द्वारा घटिया खरन्जा निर्माण को लेकर पंचायत समिति, बारां के पंचायत प्रसार अधिकारी श्री अतुल कुमार जैन की मौजूदगी म. सम्बन्धित ठेकेदार को कहा तो कोई कार्यवाही नहीं हुई बल्कि ठेकेदार ने उन्हें यह जवाब दिया कि तुम्हारे मन म. हो, वहाँ शिकायत कर दो, खरन्जा तो ऐसा ही बनेगा। वह ऐसे 35 खरन्जा. का निर्माण करवा रहा है। अतः इस खरन्जे व अन्य 35 खरन्जा. की गुणवत्ता की जाँच करवाकर दोषी अधिकारी व ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

इस परिवाद पर जिला कलेक्टर, बारां से पत्र दिनांक 28.01.14 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन तलब किया गया जिस पर उन्होंने अपने पत्र दिनांक 11.04.14 से यह अवगत कराया कि ग्राम पंचायत, लिसाड़िया म. रामचरण मीणा के मकान से मोतीलाल के मकान तक कोई खरन्जा निर्माण नहीं हुआ। यहाँ मुख्य रोड़ से हरि रामजी के स्थान तक खरन्जा निर्माण करवाया गया जो करीब 450 फीट लम्बा व 12 फीट चौड़ा है जो निर्माण के पाँच दिन बाद ही दरक गया यानी जाँच म. शिकायत सही पाई गई। इसी क्रम म. जिला परिषद्, बारां के तकनीकी अधिकारी (अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई) श्री देवराज शर्मा ने मौके पर जाकर जाँच की तो यह पाया कि खरन्जा का मूल्यांकन पंचायत समिति, बारां के सहायक अभियन्ता श्री योगेन्द्र वर्मा द्वारा करवाया गया जिसमें सामग्री मद

म. रूपये 76,352/- का अधिक व्यय होने से सम्बन्धित ग्राम पंचायत को उपर्युक्त राशि जमा करवाने हेतु विकास अधिकारी की ओर से नोटिस दिया गया तथा निर्माण कार्य के निरीक्षण म. पाई गई कमिया. के सम्बन्ध म. सम्बन्धित संस्था व तकनीकी अधिकारिया. को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा 35 खरन्जा. के निर्माण बाबत स्थान एवं कार्यो के नामा. का उल्लेख शिकायत म. न होने से इनकी जाँच किया जाना सम्भव नहीं होना बताया। तत्पश्चात् जिला कलेक्टर, बारां से प्रकरण म. की जा रही कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट तलब की गई जिस पर उन्होंने अपने पत्र दिनांक 13.06.14 एवं 23.08.14 से यह सूचित किया कि उक्त अधिक व्यय की गई राशि रुपये 76,352/- वसूल कर ली गई है। यह भी प्रकट किया गया कि खरन्जा निर्माण म. पर्यवेक्षणीय उपेक्षा एवं उसके फलस्वरूप रुपये 76,458 /- की वित्तीय अनियमितता होने से श्रीमती कृष्णा पाठक, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, बारां के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत जाँच प्रारम्भ कर ज्ञापन, आरोप व आरोप-पत्र जारी कर दिये गये हैं तथा वर्तमान म. उक्त आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित है।

इस प्रकार सचिवालय स्तर से अपेक्षित कार्यवाही सम्पन्न हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 10.12.14 को अस्थायी रूप से नस्तीबद्ध किया जाकर जिला कलेक्टर, बारां से आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक जाँच कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट त्रैमासिक रूप से मँगवाई जा रही है।

एफ.12(194)लोआस/2013

परिवादी श्री भैरूंलाल जाट, निवासी टाण्डीखेड़ा, पोस्ट-धनेता, वाया-मण्डफिया, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा यह परिवाद दिनांक 11.03.14 को इस सन्दर्भ म. प्रस्तुत किया गया कि ग्राम धनेता म. सीसी रोड़ पर दुबारा

सीसी रोड़ बनाया गया एवं स्वीकृति निकालकर सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया। परिवादी के अनुसार ग्राम पंचायत, पोटलकला के ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव श्री मदनलाल धाकड़ द्वारा एक माह म. कार्य का अग्रिम भुगतान किया गया एवं सौर ऊर्जा के बिल फर्जी हैं। परिवादी ने सचिव, मदनलाल धाकड़ द्वारा ग्राम पोटलकलां म. पदस्थापन के दौरान किये गये कार्यो की जाँच की प्रार्थना की।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद पर कार्यवाही कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, चित्तौड़गढ़ से पत्र दिनांक 09.04.14 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन आहूत किया गया एवं इसके पश्चात् सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 23.06.14 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर से स्वीकृत कार्यो पर राजकीय राशि का नियमानुसार व्यय किया गया तथा ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गयी सोलर लाईट आई.एस. आई. मार्क होकर वर्तमान म. उपयोग म. ली जा रही हैं किन्तु सोलर लाईट डी.जी.एस.एण्डडी. दर पर अनुमोदित फर्म से क्रय नहीं किये जाने के कारण सम्बन्धित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव श्री मदनलाल धाकड़ के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भदेसर को निर्देशित किया जा रहा है।

इसके पश्चात् रिपोर्ट दिनांक 21.01.15 से यह अवगत कराया कि आरोपी लोकसेवक श्री मदनलाल धाकड़, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत, पोटलकला को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत की गई विभागीय जाँच म. राजकीय राशि का अनियमित व्यय किया जाकर राजकोष को हानि पहुंचाने एवं जी.एफ. एण्ड ए.आर. नियमा. की अवहेलना करने का दोषी पाये जाने पर आदेश दिनांक 21.01.15 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से एक वर्ष के लिये रोककर उसे दण्डित किया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के बाद दोषी लोकसेवक श्री मदनलाल धाकड़ के विरूद्ध कार्यवाही कर लिये जाने के बाद यह परिवाद दिनांक 04.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(48)लोआस/2014

परिवादी श्री दानूराम, निवासी-मूलराज लोहावट विश्नावास, पंचायत समिति फलौदी, जोधपुर द्वारा यह परिवाद दिनांक 30.05.14 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया कि ग्राम पंचायत, लोहावट विश्नावास, जोधपुर के पूर्व सरपंच श्री सत्यनारायण विश्नोई एवं ग्राम सेवक मानाराम द्वारा पशु चिकित्सालय, गोचर, वन विभाग, श्मशान, झील, नाला, पायतन, अगौर व सड़क सीमा की भूमि म. अपने रिश्तेदारा. व मिलने वाला. के नाम नियम विरूद्ध 352 पट्टे डीएलसी दर रूपये 42/- होने के बावजूद रूपये 33/- की दर से जारी कर ग्राम पंचायत को लाखा. रूपया. का नुकसान पहुँचाया।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सन्दर्भ म. कार्यवाही कर तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर को पत्र दिनांक 16.06.14 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 10.12.14 के अनुसार श्री सत्यनारायण विश्नोई, सरपंच एवं श्री मानाराम, सचिव को पशु चिकित्सालय, गोचर, वन विभाग, श्मशान, झील, नाला, पायतन, अगौर व सड़क सीमा की भूमि म. नियम विरूद्ध पट्टे जारी करने का दोषी पाया गया एवं पंचायत की उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने का दोषी पाया जाकर श्री सत्यनारायण विश्नोई, सरपंच के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 22(3) के अन्तर्गत जाँच प्रारम्भ कर जाँच अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त श्री मानाराम विश्नोई, सचिव के विरूद्ध भी राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 300 सपठित राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। प्रकरण अभी सचिवालय स्तर पर विचाराधीन है।

एफ.12(59)लोआस/2014

परिवादी श्री किशनगोपाल जाट, निवासी बासखेड़िया, तहसील दूनी, जिला टोंक द्वारा यह परिवाद दिनांक 12.06.14 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया कि परिवादी के पिता भूरा को ग्राम पंचायत दूनी, पंचायत समिति, देवली द्वारा एक प्लाट बालाजी के मंदिर के पीछे, सदर बाजार, दूनी म. दिनांक 21.02.1980 को आवंटित किया गया था। तत्पश्चात् परिवादी के पिता द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा कर कब्जा प्राप्त कर विद्युत् कनेक्शन लेकर तीन दुकाना. का निर्माण किया गया। परिवादी का आरोप है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद दिनांक 20.05.2009 को हंसराज नाम के व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत, दूनी के तत्कालीन सरपंच व सचिव के साथ मिलीभगत कर व अन्य वार्ड मेम्बरा. के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी के पिता को बेचान किया गया भू-खण्ड फर्जी तरीके से व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपने हक म. बेचान करवा लिया एवं उप पंजीयक, दूनी के यहाँ पट्टे का पंजीयन करवा लिया जिसकी जाँच की जाकर दोषिया. को दण्डित करवाया जावे।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सन्दर्भ म. कार्यवाही कर तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु जिला कलेक्टर, टोंक को पत्र दिनांक 13.8.14 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर जिला कलेक्टर, टोंक से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 24.12.14 के अनुसार पट्टा 28.5×24.5 फीट का ही जारी किया जाना था जबकि सरपंच/सचिव द्वारा अपनी मर्जी से 33.5×24.5 फीट का पट्टा श्री हंसराज पुत्र

चन्द्रप्रकाश को अनुचित लाभ पहुँचाने की नीयत से बना दिया। जिला कलेक्टर, टोंक के पत्र दिनांक 03.02.15 एवं संभागीय आयुक्त, अजमेर के पत्र दिनांक 27.03.15 के अनुसार प्रकरण म. दोषी पायी गई श्रीमती गोकली देवी, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत दूनी, पंचायत समिति देवली के विरूद्ध आरोप–पत्र जारी कर दिया गया है एवं पट्टा निरस्त करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, टोंक को लिखा गया है। प्रकरण अभी सचिवालय स्तर पर विचाराधीन है।

एफ.12(147)लोआस/2014

परिवादी श्री लाल सिंह चौहान, निवासी–करणीनगर, उदयपुर रोड़, जानावारी, ग्राम पंचायत, सेवना, पंचायत समिति, बांसवाड़ा द्वारा यह परिवाद दिनांक 23.7.14 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया कि ग्राम पंचायत, सेवना द्वारा आबादी भूमि पर अतिक्रमण करवाकर घनश्याम पुत्र उदयसिंह के नाम पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत फर्जी पट्टा जारी किया गया जो नियम 145 से 149 म. निर्धारित पट्टा जारी करने की प्रक्रिया के विरूद्ध जारी किया गया है जिसे निरस्त कर उक्त जमीन को सार्वजनिक/राजकीय उपयोगार्थ आरक्षित किया जावे।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सन्दर्भ म. कार्यवाही कर तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर को पत्र दिनांक 26.8.14 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 02.12.14 एवं मुख्य कार्यकारी, अधिकारी, जिला परिषद्, बांसवाड़ा के पत्र दिनांक 24.02.15 के अनुसार प्रकरण म. जाँच के उपरान्त श्री मणीलाल, सरपंच एवं श्री विजय त्रिवेदी, तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत सेवना द्वारा अनियमित रूप से पट्टे जारी करना पाया गया ।

इस पर श्री मणीलाल, सरपंच, ग्राम पंचायत, सेवना, पंचायत समिति, बांसवाड़ा के विरूद्ध धारा 38 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है तथा श्री विजय त्रिवेदी, सचिव के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दिनांक 08.01.15 को आरोप पत्र जारी किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। पट्टा. को निरस्त करने के निर्देश दे दिये गये हैं। प्रकरण अभी सचिवालय स्तर पर विचाराधीन है।

एफ.12(226)लोआस/2014

परिवादी श्री दीपाराम कुमावत, सेवानिवृत्त गिरदावर, निवासी-ग्राम मीठड़िया, तहसील, कोलायत, जिला बीकानेर द्वारा यह परिवाद दिनांक 27.8.14 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया कि सरपंच ग्राम पंचायत मिठड़िया व उसके कार्मिका. के द्वारा मनरेगा कार्यों म. गबन कर राजस्व हानि पहुँचायी गयी। इसके सम्बन्ध म. उनके विरूद्ध पुलिस म. प्राथमिकी दर्ज करवाने हेतु विकास अधिकारी, कोलायत को दिनांक 20.6.14 को लिखा गया किन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित कार्मिका. के विरूद्ध दर्ज नहीं करवायी गई है ।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सन्दर्भ म. कार्यवाही कर तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर को पत्र दिनांक 23.09.14 प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बीकानेर द्वारा संभागीय आयुक्त, बीकानेर को सम्बोधित पत्र दिनांक 27.03.15 की इस सचिवालय को पृष्ठांकित प्रति के अनुसार प्रकरण की जाँच के उपरान्त पंचायत के रिकॉर्ड म. पायी गयी कमिया. के लिए श्री सुरताराम, ग्राम सेवक मिठड़िया के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत एवं श्री मूलाराम, सरपंच, ग्राम पंचायत मीठड़िया के विरूद्ध धारा 38 राजस्थान

पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन आरोप-पत्र जारी कर जाँच की जा रही है। प्रकरण अभी सचिवालय स्तर पर विचाराधीन है।

एफ.15(2)लोआस/2011

परिवादी श्री खुशीराम मीणा निवासी ग्राम अलेई, तहसील राजगढ़, जिला अलवर ने दिनांक 13.04.11 को प्रस्तुत परिवाद म. यह आरोप लगाया कि श्री किशनलाल मीणा, वनकर्मी की मृत्यु राज्य सेवा म. रहते दिनांक 18.09.1981 को हो गई थी। उसकी पत्नी श्रीमती प्रेमदेवी ने श्री किशनलाल मीणा की मृत्यु के उपरान्त अपने देवर श्री रमेशचन्द्र उर्फ छुट्टन से पुनर्विवाह कर लिया। उक्त पुनर्विवाह से श्रीमती प्रेमदेवी के बाबूलाल उर्फ रामखिलाड़ी मीणा का दिनांक 20.04.1985 को जन्म हुआ। इसके उपरान्त एक पुत्री रूपा उर्फ मिश्रो का दिनांक 20.07.89 को जन्म हुआ। परिवादी के अनुसार श्रीमती प्रेमदेवी ने उक्त रामखिलाड़ी मीणा को स्वर्गीय किशनलाल मीणा का गर्भस्थ पुत्र बताकर एवं उसकी जन्म तिथि 12.03.82 करवाकर उसकी वन विभाग म. वनपाल के पद पर अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति करवा ली।

परिवादी का यह भी आरोप है कि श्रीमती प्रेमदेवी पुनर्विवाह के उपरान्त भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही है, जो गलत है। इस राशि की वसूली की जावे। परिवाद म. यह भी अंकित किया गया है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के आदेश से शिकायत की जाँच तत्कालीन वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना, मुख्यालय, अलवर द्वारा की गई थी जिन्होंने अपनी जाँच रिपोर्ट दिनांक 12.10.10 को मुख्यालय को भेज दी। जाँच अधिकारी ने अपनी जाँच रिपोर्ट म. उक्त आरोपा. को सही पाया। परिवादी के अनुसार उक्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर वन विभाग मुख्यालय की ओर से रामखिलाड़ी मीणा द्वारा धोखा देकर फर्जी तरीके से अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त करने के कारण प्रथम

सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के निर्देश दिये गये परन्तु उनकी पालना अभी तक नहीं की गई है।

इस परिवाद के संदर्भ म. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर एवं राज्य सरकार से लम्बा पत्राचार करने के उपरान्त शासन उप सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 29.06.13 द्वारा प्रकरण म. श्री पी.कथिरवेल, उप वन संरक्षक, अलवर द्वारा की गई जाँच की रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर भिजवाई जिसमें परिवादी द्वारा लगाये गये आरोपा. की पुष्टि की गई एवं अवगत करवाया गया कि श्री रामखिलाड़ी मीणा को निलम्बित कर दिया गया है एवं दिनांक 26.12.12. को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 की धारा 16 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी प्रकट हुआ कि प्रकरण म. विभाग द्वारा थानाधिकारी, अरावली विहार थाना, अलवर को पत्र दिनांक 21.08.12 लिखे जाने के बावजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी जिस पर पुलिस अधीक्षक, अलवर को पत्र दिनांक 07.10.13 द्वारा ऐसे गंभीर आपराधिक मामले म. प्रकरण दर्ज न करने के कारणा. से अवगत कराने हेतु लिखा गया। इस सम्बन्ध म. पुलिस अधीक्षक, अलवर ने अपने पत्र दिनांक 30.10.13 द्वारा अवगत करवाया कि इस प्रकरण म. अभियोग सं.521/13 धारा 420, 406, 467, 468, 471 आई.पी.सी. थाना अरावली विहार म. दर्ज होकर अनुसंधान किया जा रहा है।

मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 25.11.13 द्वारा पुलिस अधीक्षक, अलवर द्वारा दी गई उक्त सूचना की पुष्टि करते हुए यह भी अवगत करवाया कि श्री रामखिलाड़ी मीणा, वनपाल को दिनांक 18.11.13 को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,

नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 की धारा 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी कर जाँच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। जाँच परिणाम आना शेष है। पत्रावली म. प्राप्त अंतिम पत्र दिनांक 22.7.14 के अनुसार उक्त अभियोग सं.521/13 म. धारा 323, 341, 324, 447 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर चार्जशीट सं.532 दिनांक 30.11.13 कता कर चालान दिनांक 09.01.14 को न्यायालय म. पेश किया जा चुका है।

उपर्युक्त विवेचन से प्रकट है कि इस प्रकरण म. इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर ही विभाग द्वारा वाँछित कार्यवाही की गई है जो इस सचिवालय की महत्ता को प्रकट करती है। चूँकि विभागीय जाँच के पूर्ण होने म. समय लगने की सम्भावना है, इसलिये इस प्रकरण को दिनांक 27.10.14 को अस्थायी रूप से नस्तीबद्ध किया जाकर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट मांगी जा रही है।

एफ.15(10)लोआस/2011

परिवादी श्री सायर सिंह, सेवानिवृत्त वनपाल, निवासी गांव सेवाड़ी, तहसील बाली, जिला पाली द्वारा यह परिवाद दिनांक 16.09.11 को इस आशय का पेश किया गया कि परिवादी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर आदेश दिनांक 30.11.10 की पालना म. दिनांक 28.02.11 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हुआ था। सेवानिवृत्ति के उक्त आदेश की पालना म. उसने कार्यालय म. उपस्थित होकर दिनांक 20.12.10 को पेंशन कुलक अन्य दस्तावेजा. के साथ पेश कर दिये थे। श्री मालाराम, कार्यालय सहायक, कार्यालय उपवन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर ने पेंशन की कार्यवाही शीघ्र करवाने हेतु परिवादी से 6000 रूपये की मांग की। परिवादी ने मिठाई के रूप म. 500 रूपये दे दिये। शेष के लिए मना कर दिया जिसका परिणाम यह रहा कि श्री मालाराम ने परिवादी को पेंशन व जी.पी.एफ.

के लिए दर-दर ठोकरे खाने के लिए मजबूर कर दिया। परिवादी ने उक्त लोक सेवक के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग की।

परिवाद के सम्बन्ध म. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 25.11.11 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। तदुपरान्त अन्य पत्र लिखे जाने के बाद अपने पत्र दिनांक 29.6.12 व 27.01.14 द्वारा अवगत करवाया कि परिवाद की जाँच उप मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उदयपुर से करवाने पर श्री मालाराम मेघवाल, कार्यालय सहायक के विरूद्ध अनधिकृत रूप से राशि मांगने का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है परन्तु परिवादी के पेंशन प्रकरण को विलम्ब से भिजवाने हेतु श्री मालाराम मेघवाल एवं श्रीमती इन्द्रा पुरोहित, कनिष्ठ लिपिक को दोषी पाया गया है जिनके विरूद्ध दिनांक 20.12.13 को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये जाकर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

तदुपरान्त पत्र दिनांक 04.04.14, 20.05.14 एवं 18.06.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त विभागीय जाँच म. परिवादी का पेंशन प्रकरण 20 दिन विलम्ब से भिजवाने का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर श्री मालाराम मेघवाल, कार्यालय सहायक, उपवन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर को आदेश दिनांक 15.05.14 से एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। श्रीमती इन्द्रा पुरोहित, कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध आरोप प्रमाणित न होने के कारण उसे आदेश दिनांक 15.05.14 द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही सम्पन्न हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 25.06.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.15(24)लोआस/2011

परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह जादोन पुत्र श्री उदयभान सिंह निवासी सिंधावली कलां, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर ने यह परिवाद दिनांक 04.03.12 को पेश किया कि श्री महावीरपाल, तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी, राजाखेड़ा ने दो बजरी के ट्रेक्टरा. को छोड़ने बाबत ली गई जुर्माना राशि को राजकोष म. देरी से जमा कराया एवं तीन बजरी के ट्रेक्टरा. से रूपये 30,000/- प्रति ट्रेक्टर के बजाय रूपये 15000/- प्रति ट्रेक्टर लेकर राजकोष को रूपये 45,000 की आर्थिक हानि पहुंचाई। अतः उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर को पत्र दिनांक 06.05.13 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर से प्राप्त विभागीय जाँच प्रतिवेदन दिनांक 15.01.14, 26.03.14 एवं 14.11.14 द्वारा अवगत करवाया कि जाँच म. उक्त लोक सेवक श्री महावीरपाल के विरूद्ध परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप प्रथमदृष्टया सही पाये गये। इसी बीच लोक सेवक सेवानिवृत्त हो गया। इस सम्बन्ध म. माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा दिनांक 07.01.14 द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त श्री महावीरपाल, तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी, राजाखेड़ा (हाल सेवानिवृत्त) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जाकर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है एवं जाँच अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है।

चूँकि विभागीय जाँच के पूर्ण होने म. समय लगने की सम्भावना है, इसलिये इस प्रकरण को दिनांक 18.11.14 को अस्थायी रूप से नस्तीबद्ध किया जाकर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट मांगी जा रही है।

एफ.16(141)लोआस/2008

परिवादी श्री सुबोध कुमार शर्मा पुत्र श्री कैलाश चंद शर्मा, डीग रोड़, कुम्हेर, जिला भरतपुर ने यह परिवाद दिनांक 25.03.09 को श्री नत्थीलाल द्वारा निर्माण स्वीकृति चाहे जाने पर बिना नाप-जोख किये ही तथा परिवादी की आपत्तिया. को दरकिनार करते हुए प्रार्थी नत्थीलाल को परिवादी सुबोध कुमार के स्वामित्व की भूमि म. निर्माण स्वीकृति जारी कर, अपने पद का दुरूपयोग करने के सम्बन्ध म. पेश किया और दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 01.04.09 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर उनके कार्यालय के पत्र दिनांक 09.10.09 के द्वारा परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप को सही बताते हुए दोषी लोक सेवका. के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रतिबद्धता प्रकट की गई। प्रकरण के न्यायालय म. विचाराधीन होने बाबत भी सूचित किया गया।

तदुपरान्त इस सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 25.05.10 एवं 09.08.11 के द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री नत्थीलाल को बिना नाप-जोख किये ही तथा परिवादी की आपत्तिया. को दरकिनार करते हुए परिवादी सुबोध कुमार के स्वामित्व की भूमि म. निर्माण स्वीकृति जारी करने के आरोप के सम्बन्ध म. लोक सेवक श्री झब्बूलाल मीणा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जाँच की गई। जाँच म. आरोप प्रमाणित पाये जाने पर श्री मीणा को विभागीय आदेश क्रमांक: 2117 दिनांक 15.7.11 के द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

इसके पश्चात् पत्र दिनांक 10.06.14 एवं 07.01.15 के द्वारा इसी प्रकरण म. यह भी अवगत करवाया गया कि श्री राजेन्द्र प्रसाद, वरिष्ठ लिपिक को श्री नत्थीलाल के नाम पूर्व म. जारी भवन निर्माण स्वीकृति दिनांक 06.10.08 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भरतपुर के निर्णय दिनांक 28.07.10 द्वारा अपास्त कर पुनः विवादित भूखण्ड बाबत उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए स्वामित्व के सम्बन्ध म. गहन परीक्षण कर आपत्तियां एवं सिविल न्यायालय म. प्रकरणा. के परिप्रेक्ष्य म. पुनः उचित निर्णय पारित करने के आदेश की पूर्ण पालना नहीं करवाने तथा निर्माण स्वीकृति से पूर्व सम्पत्ति के स्वामित्व के दस्तावेजात नहीं लिये जाने और न ही रूपान्तरण शुल्क वसूल किये जाने के आरोपा. के सम्बन्ध म. उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 अन्तर्गत विभागीय जाँच की गई।

जाँच म. आरोप प्रमाणित पाये जाने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद, वरिष्ठ लिपिक को आदेश दिनांक 06.01.15 के द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। इस प्रकार परिवाद म. वाँछित कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 15.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(113)लोआस/2009

परिवादी श्री धर्मेन्द्र भार्गव एवं अन्य, निवासी मण्डोला वार्ड, जिला बारां ने यह परिवाद दिनांक 19.12.09 को पेश कर आरोप लगाया कि कुछ माह पूर्व नगरपालिका, बारां द्वारा श्रीजी भगवान के मंदिर से गुर्जरों के मंदिर, मण्डोला वार्ड तक बनाई गई रोड़ म. निर्धारित मापदण्डा. का पालन नहीं किया गया एवं घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है जिसके कारण रोड़ उखड़ना भी प्रारम्भ हो गई है। इसके बावजूद भी

नगरपालिका म. तैनात सहायक अभियन्ता श्री दाधीच ने ठेकेदार से रिश्वत लेकर भुगतान करवा दिया है।

शिकायत के समर्थन म. कोई शपथ-पत्र पेश नहीं किया गया परन्तु मामला जनहित से जुड़ा होने के कारण स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 20.01.10 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग ने कई अंतरिम उत्तरा. के बाद अपने पत्र दिनांक 13.08.10, दिनांक 23.02.11, 18.10.13 एवं 27.01.15 के द्वारा अवगत करवाया कि शिकायत की जाँच उप निदेशक क्षेत्रीय से करवाने पर श्री रामचन्द्र धारीवाल, सहायक अभियन्ता एवं श्री राजेन्द्र प्रकाश दाधीच, कनिष्ठ अभियन्ता को दोषी बताये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जाँच की गई। विभागीय जाँच म. श्री रामचन्द्र धारीवाल, सहायक अभियन्ता के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने पर आदेश दिनांक 09.07.13 से जाँच समाप्त की गई तथा श्री राजेन्द्र प्रकाश दाधीच, कनिष्ठ अभियन्ता के विरूद्ध प्रश्नगत सड़क के निर्माण म. गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने का दोष पाये जाने पर आदेश दिनांक 23.01.15 के द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किए जाने के बाद दोषी लोक सेवक को विभागीय जाँच म. दोषी पाया जाकर दण्डित कर दिये जाने पर यह परिवाद दिनांक 03.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(148)लोआस/2009

परिवादी गयूर हुसैन इमाम, निवासी दीदारबक्स मस्जिद, मौहल्ला-डीडू सिपाहीयान, सोनगिरी कुआं, जिला-बीकानेर द्वारा यह परिवाद दिनांक

23.03.10 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया कि दीदार बक्स मस्जिद के पीछे आम गली जो 13 फीट चौड़ी है, पर गोपालदास द्वारा 10 फीट रास्ता रोक कर कब्जा कर लिया गया है।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सन्दर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु जिला कलेक्टर, बीकानेर को पत्र दिनांक 09.04.10 प्रेषित किया गया जिसके उत्तर म. जिला कलेक्टर, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 29.06.10 द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण म. सिविल न्यायाधीश (क0ख0) प्रथम वर्ग, बीकानेर द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। तत्पश्चात् निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 03.04.12, 07.06.12, 13.07.13 एवं 09.04.14 के द्वारा अवगत करवाया कि-

1. श्री मौलाबक्श, तत्कालीन आयुक्त, पश्चिम, नगर निगम, बीकानेर को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत की गई विभागीय जाँच म. प्रश्नगत अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध म. श्री राजाराम विश्नोई, राजस्व अधिकारी को दिये गये आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने म. लापरवाही का दोषी मानते हुए दण्डादेश दिनांक 14.02.12 के द्वारा लिखित चेतावनी दे दी गई है।
2. श्री राजाराम विश्नोई, तत्कालीन राजस्व अधिकारी, नगर निगम, बीकानेर को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत की गई विभागीय जाँच म. प्रश्नगत अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध म. लापरवाही का दोषी मानते हुए दण्डादेश दिनांक 18.06.12 के द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।
3. श्री प्रभातकुमार गर्ग, राजस्व निरीक्षक को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत की गई विभागीय जाँच म. प्रश्नगत

अतिक्रमण के सम्बन्ध म. दोषी नहीं पाये जाने पर जाँच कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया है।

4. अतिक्रमण के सम्बन्ध म. न्यायिक वाद सं. 43/2010 न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग संख्या 3 म. विचाराधीन है।

इस प्रकार परिवाद म. वाँछित कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 01.05.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(34)लोआस/2011

परिवादी श्री जगदीश कुमार सैन, पार्षद, नगरपालिका, सिरोही द्वारा यह परिवाद अध्यक्षा, अधिशासी अधिकारी, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, लिपिक द्वारा निर्माण कार्य, सामान की खरीद इत्यादि म. किये गये नियम विरूद्ध कार्यो व वित्तीय अनियमितताओं के सन्दर्भ म. दिनांक 30.05.11 को पेश किया गया।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सन्दर्भ म. निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 23.08.13 के अनुसार तत्कालीन अधिशासी अधिकारी ललित सिंह देथा, वरिष्ठ लिपिक फकीर चंद बाघेला, श्री इन्द्र कुमार रावल लाईट निरीक्षक को नोटिस जारी किये गये एवं इनमें से अधिशासी अधिकारी के अतिरिक्त शेष तीना. कर्मचारिया. का जबाव सन्तोषजनक पाया गया।

तत्कालीन अधिशासी अधिकारी ललित सिंह देथा को समस्त प्रशासनिक कार्यो व नियमा. के पालन म. हुई प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए दोषी माना गया एवं पत्र दिनांक 26.08.13 के अनुसार श्री ललित सिंह देथा को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन चार्जशीट दी गयी तथा पत्र दिनांक 10.07.14 के

अनुसार श्री ललित सिंह देथा तत्कालीन अधिशासी अधिकारी को प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए दोषी माना जाकर एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवाद म. वाँछित कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 25.11.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(130)लोआस/2011

परिवादी श्री महेन्द्र सिंह, निवासी-वार्ड नम्बर 19, नजदीक चौधरी नर्सिंग होम, रामपुरा रोड़, रावतसर, जिला हनुमानगढ़ द्वारा यह परिवाद वार्ड नम्बर-15 नगरपालिका, रावतसर की करोड़ा. रूपए की भूमि पर प्रेमचंद द्वारा किए गए अतिक्रमण के सन्दर्भ म. न्यायालय के आदेश के बावजूद अधिशासी अधिकारी कृष्णगोपाल स्वामी एवं अध्यक्ष, नगरपालिका, रावतसर द्वारा कब्जा न हटाने के सन्दर्भ म. दिनांक 05.09.11 को पेश किया गया तथा दिनांक 28.11.11 को परिवाद के समर्थन म. तस्दीकशुदा शपथ-पत्र पेश किया गया।

इस परिवाद के सन्दर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को पत्र दिनांक 08.12.11 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर उनकी ओर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 12.03.12 व 03.03.14 म. बताया गया कि प्रकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नोहर के यहाँ विचाराधीन होने के कारण अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका।

परिवादी द्वारा एक शपथ-पत्र दिनांक 19.03.14 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया कि वह प्रकरण म. कोई कार्यवाही नहीं चाहता किन्तु उसके कार्यवाही न चाहने मात्र से प्रेमचंद का अतिक्रमण नियमित नहीं हो जाता।

अतः अतिक्रमण के लिए दोषी लोक सेवका. के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के सन्दर्भ म. सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 31.03.14 लिखा गया।

तदुपरान्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 15.10.14 एवं 05.01.15 द्वारा अवगत करवाया कि श्री कृष्णगोपाल स्वामी, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, रावतसर को अतिक्रमी श्री प्रेमकुमार, महावीर प्रसाद लुहार वार्ड नं. 15, नगरपालिका, रावतसर को 24.07.2009 को नोटिस जारी करने के पश्चात् समय रहते नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही न करने के आरोप म. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी कर विभागीय जाँच की गई। विभागीय जाँच म. यह तथ्य प्रकट होने पर कि तत्समय न्यायालय का यथास्थिति का आदेश प्रभावी होने व दिनांक 07.09.11 को लोक सेवक का स्थानान्तरण हो जाने के कारण प्रश्नगत अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका, इसलिये लोक सेवक श्री कृष्णगोपाल स्वामी, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, रावतसर को आदेश दिनांक 17.11.14 द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया। चूँकि अतिक्रमण के सम्बन्ध म. मामला न्यायालय म. विचाराधीन है, इसलिये इस प्रकरण को दिनांक 11.02.15 को अस्थाई रूप से नस्तीबद्ध किया गया है।

एफ.16(217)लोआस/2011

परिवादी श्री हरीश चण्डक, आर.टी.आई कार्यकर्ता, कल्याणपुरा मार्ग नं.5, बाड़मेर ने यह परिवाद दिनांक 04.01.12 को इस सचिवालय म. इस आशय का पेश किया कि नगरपालिका, बाड़मेर के स्वामित्व की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई अशोका ग्रांट होटल को ध्वस्त/सीज कर पालिका के कब्जे म. लेकर आवश्यक कार्यवाही की जावे एवं दोषी लोक सेवका. के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

इस परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु पत्र दिनांक 20.03.12 प्रेषित किया एवं उसके बाद निरंतर कार्यवाही करने के उपरांत निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.12.13, 24.04.14, 07.05.14, 21.05.14 एवं 24.11.14 द्वारा अवगत करवाया कि श्री अशोक कुमार पुत्र रामेश्वर लाल अग्रवाल व श्रीमती तुलसी देवी पत्नी अशोक कुमार की पट्टाशुदा भूमि पर नियमविरूद्ध तरीके से बिना एफ.ए.आर., सैटबैक, पार्किंग व भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के निर्माणाज्ञा प्रदान करने के आरोपा. के सम्बन्ध म. लोक सेवकगण श्री शंकर लाल गहलोत, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, श्री अशोक कुमार शर्मा, सहायक राजस्व निरीक्षक, श्री भगवाना राम प्रजापत, कनिष्ठ लिपिक एवं श्री जोगाराम, फायरमैन (कैशियर) के विरूद्व राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जाँच संस्थित की जाकर दिनांक 22.10.13 को आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं एवं जाँच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। अशोक ग्रान्ट होटल को सीज करने की कार्यवाही करने हेतु कमेटी का गठन किया गया। इसी दौरान होटल निर्माता द्वारा सिविल न्यायाधीश (क. ख.), बाड़मेर के समक्ष प्रकरण सं.39/14 दर्ज करा यथास्थिति हेतु निवेदन किये जाने पर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.5.14 द्वारा यथास्थिति के आदेश जारी किये गये हैं। परिवाद म. अभी तक कार्यवाही जारी है।

एफ.16(107)लोआस/2012

परिवादी अभिषेक शर्मा पुत्र श्री सत्यप्रकाश शर्मा, पता–उम्मेद बाग, मालपुरा गेट, पुरानी टोंक ने यह परिवाद दिनांक 30.08.12 को इस आशय का पेश किया कि नगरपरिषद्, टोंक के क्षेत्र म. स्थित वार्ड नं. 6 म. मालपुरा गेट के बाहर जाने वाले रास्ते की खसरा नं. 1057 की भूमि म. सार्वजनिक नाले का निर्माण नगर परिषद् द्वारा करवाया जा रहा है। उक्त खसरा की भूमि पर कुछ व्यक्तिया. ने अतिक्रमण कर रखा है। नगर परिषद् के अधिकारीगण राजनीतिक दबाव के चलते उक्त अतिक्रमण

को न हटा कर नाले को घुमाव देकर बना रहे हैं जिनके विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

दिनांक 01.05.12 से 24.03.13 तक लोकायुक्त का पद रिक्त रहा। इसके बाद पत्र दिनांक 31.5.13 के द्वारा निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर से इस परिवाद के सम्बन्ध म. तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके संदर्भ म. उनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 06.02.14, 08.07.14, 17.07.14, 10.11.14, 09.12.14 एवं 11.02.15 के द्वारा अवगत करवाया गया कि नगरपरिषद्, टोंक की खसरा नं. 1057 की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया है, अतिक्रमण के कारण बनाये गये टेड़े-मेढ़े नाले की दीवार को तोड़ कर सीधा करवा दिया गया है एवं उक्त नाला निर्माण की पत्रावली को गुम करने के जिम्मेदार सम्बन्धित कर्मचारी श्री सत्येन्द्र कुमार लोदी, कनिष्ठ लिपिक को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर दिया गया है। अतः परिवादी की समस्या का पूर्ण समाधान हो गया है।

इस प्रकार परिवाद म. वाँछित कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 05.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(158)लोआस/2012

परिवादी सुनील कुमार बंदवाल, निवासी द्वारकेश कॉम्प्लेक्स, आरटीओ ऑफिस के पास, शोभागपुरा, उदयपुर द्वारा यह परिवाद दिनांक 13.12.12 को पेश किया गया तथा शपथ-पत्र दिनांक 05.09.13 को पेश किया गया। परिवाद म. यह कथन किया गया कि नगरपालिका फतहनगर-सनवाड़, जिला उदयपुर के अध्यक्ष श्री गोकुलचन्द भील, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी श्री नानालाल रैगर एवं कनिष्ठ लिपिक श्री महावीर पाराशर द्वारा राजस्व ग्राम सनवाड़ के आराजी नम्बर 2921/1,

2922, 2923, 2929 व 2930 कुल किता 5 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि की 90-बी की कार्यवाही कर दिनांक 08.02.11 को 1 से 45 भू-खण्डा. के आवंटन पत्र जारी किये गये। पट्टेदार सूरजमल यादव व सत्यनारायण यादव ने परिवादी व उसके परिवारजना. के पक्ष म. उक्त 45 भू-खण्डा. का दिनांक 02.03.11 को विक्रय इकरार कर कब्जा सुपुर्द किया। बाद म. सूरजमल व सत्यनारायण यादव द्वारा नगरपालिका फतहनगर-सनवाड़ के उक्त लोक सेवका. को लाखा. रूपए की रिश्वत देकर दिनांक 13.06.11 के पट्टा विलेख को पुरानी दिनांक 07.06.11 को गुम होने का प्रार्थना-पत्र नगरपालिका म. पेश किया गया, जब कि उक्त भू-खण्डा. की लीज राशि, नियमन राशि व अन्य सभी शुल्क दिनांक 10.06.11 को नगरपालिका कोष म. जरिये रसीद संख्या 2026 जमा हो चुके थे।

इस परिवाद के सन्दर्भ म. इस सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही करने पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग ने अपने पत्र दिनांक 05.05.14, 18.06.14, 08.08.14 एवं 28.08.14 के द्वारा अवगत करवाया कि यही प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो म. जैरकार है। श्री नानालाल रैगर, सेवानिवृत्त अधिशाषी अधिकारी एवं श्री गोकुलचन्द भील, अध्यक्ष के विरूद्ध दिनांक 13.06.14 को अभियोजन स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा आदेश क्रमांक:एफ.2(च)जाँच/डीएलबी/14/2873 दिनांक 26.08.14 के द्वारा श्री गोकुलचन्द भील को अध्यक्ष, नगरपालिका, फतेहनगर एवं सदस्य पद से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। लोक सेवकगण के विरूद्ध उक्त कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु यह पत्रावली दिनांक 28.10.14 को अस्थायी रूप से नस्तीबद्ध की गयी।

एफ.16(453)लोआस/2013

परिवादी श्री प्रहलादराय स्वामी द्वारा यह परिवाद दिनांक 31.03.14 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया कि नगर परिषद्, झुंझुनूं द्वारा परिषद् के स्वामित्त्व की खसरा सं. 2749 की 800 वर्गगज बेशकीमती भूमि पर बिना नियमन किये श्रीमती अनिता अग्रवाल व श्रीमती मनीषा केजड़ीवाल के नाम से B+G+3 की निर्माण स्वीकृति दी गयी व परिषद को 2.00 करोड़ का नुकसान पहुँचाया गया, जिसकी जाँच की जाकर दोषिया. को दण्डित किया जावे।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सन्दर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को पत्र दिनांक 23.04.14 को प्रेषित किया गया एवं इसके बाद सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 16.06.14 द्वारा अवगत करवाया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 2749 नगर परिषद् के स्वामित्त्व की भूमि है जिस पर तत्कालीन सहायक अभियन्ता व लिपिक द्वारा गलत तरीके से निर्माण स्वीकृति जारी की गयी थी। इस सन्दर्भ म. श्रीमती अनिता अग्रवाल व श्रीमती मनीषा केजड़ीवाल द्वारा दीवानी वाद पेश किया जा चुका है जिसमें भी यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है।

उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 12.09.14 के अनुसार नगर परिषद्, झुन्झुनूं की श्रीमती अनिता खींचर, तत्कालीन आयुक्त, संजय माथुर, कनिष्ठ अभियन्ता व मोहन लाल खारिया, कनिष्ठ लिपिक को इस प्रकरण म. दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप पत्र दिये जा चुके हैं। इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर दोषी लोक सेवका. के विरूद्ध

अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है। यह प्रकरण अभी सचिवालय म. विचाराधीन है।

एफ.21(4)लोआस/2011

परिवादी श्री इन्द्रजीत पुत्र श्री मन्ना लाल निवासी ग्राम गुडागोपाल, ग्राम पोस्ट जेतपुर, उप तहसील देई, तहसील नैनवां, जिला बून्दी द्वारा यह परिवाद दिनांक 05.09.11 को इस आशय का पेश किया गया कि लोक सेवक डॉ. तेजेन्द्र सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, देई जिला बूंदी ने परिवादी की गाय का बीमा कामधेनु योजना म. किया जाकर टैग नं.91262 लगाया परन्तु न तो गाय का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया और न ही प्राप्त बीमा राशि रूपये 400/- संयुक्त निदेशक कार्यालय म. जमा कराई जाकर बीमा पॉलिसी जारी कराई। इस प्रकार उक्त बीमा राशि रूपये 400/- का गबन कर लिया। दिनांक 13.06.11 को उक्त गाय के मर जाने पर उसका पोस्टमार्टम भी नहीं किया।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. कार्यवाही करने पर निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 17.05.13 एवं 04.10.13 द्वारा अवगत करवाया कि लोक-सेवक डॉ. तेजेन्द्र सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी, तत्कालीन प्रभारी, पशु चिकित्सालय, देई, जिला बूंदी को उक्त शिकायत म. दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध दिनांक 25.09.13 को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जाकर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। पत्र दिनांक 13.06.14 एवं 25.07.14 के अनुसार आदेश दिनांक 05.06.14 द्वारा उक्त विभागीय जाँच म. जाँच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। चूँकि विभागीय जाँच के पूर्ण होने म. समय लगने की सम्भावना है, इसलिये इस प्रकरण को दिनांक 27.08.14 को

अस्थायी रूप से नस्तीबद्ध किया जाकर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट मांगी जा रही है।

एफ.22(335)लोआस/2011

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की इस पत्रावली म. ग्राम भाँकरोटा, नरोत्तमपुरा व जयसिंहपुरा बास तहसील, सांगानेर के विभिन्न खसरा नम्बरा. की 64.97 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध म. धारा 90(बी) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भूमि पुर्नग्रहण की कार्यवाही की गई है। इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि पत्रावली के पैरा 36/एन म. अंकित टिप्पणी म. कई स्थाना. पर ओवरराईटिंग एवं काट-छांट की जाकर अर्थ परिवर्तन किया गया है। यह कार्यवाही 90(बी) का निर्णय होने के बाद की गई है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 15.07.14 के द्वारा आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध म. दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 27.01.15 से यह अवगत कराया कि प्रकरण म. श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन अमीन, जोन-11 को दोषी पाये जाने से उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर आरोप पत्रादि दिनांक 15.01.15 को जारी कर दिये गये हैं। इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशा. की पालना म. दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया जाकर कार्यवाही की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट ली जा रही है।

एफ.22(1196)लोआस/2011

नगरपालिका, कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा की पत्रावली संख्या 14/2007-08 से संबंधित इस प्रकरण म. ग्राम भण्डारिया की आराजी सं. 23 में से 1452 वर्गगज भूमि का कृषि से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी किया गया है। पत्रावली का परीक्षण इस सचिवालय द्वारा किया गया जिसमें पाया कि प्रकरण की भूमि का भू-उपयोग कस्बा कुशलगढ़ के मास्टर प्लान म. आवासीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व ऐतिहासिक के रूप म. दर्शाया हुआ है जबकि नगरपालिका ने पट्टा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ जारी किया है। बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाये पट्टा जारी किया जाने की इस अनियमित कार्यवाही के सम्बन्ध म. संबंधित लोकसेवका. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश इस सचिवालय के पत्र दिनांक 11.12.13 के द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिये गये।

उन्होंने अपने पत्र दिनांक 14.10.14 के द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण म. दोषी पाये गये श्री संजय फिलिप, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका, कुशलगढ़ के विरूद्ध राजस्थान, सिविल सेवा (नियन्त्रण, वर्गीकरण व अपील) नियम, 1958 के नियम 17 तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। प्रकरण म. नगरपालिका, कुशलगढ़ द्वारा मास्टर प्लान की अनदेखी करते हुए वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख अनियमित रूप से जारी कर दिया गया। इस सचिवालय के द्वारा दिये गये निर्देशा. के क्रम म. इस हेतु उत्तरदायी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है। प्रकरण म. अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट ली जा रही है।

एफ.22(1396)लोआस/2011

यह प्रकरण नगरपालिका मण्डल, फुलेरा, जिला जयपुर की पत्रावली सं. 55/07-08 से संबंधित है। पत्रावली म. खातेदारान शंकरलाल व अन्य के आवेदन पर उनकी ग्राम फुलेरा स्थित खसरा नम्बर 1016/1/2 की 07 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण/नियमन किया गया है। खातेदारा. द्वारा इस भूमि पर श्यामविहार के नाम से आवासीय योजना सृजित की गई है। नगरपालिका ने भूमि के सम्बन्ध म. योजना मानचित्र स्वीकृत किया है। इस सचिवालय द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि उक्त भूमि के सम्बन्ध म. योजना मानचित्र अनुमोदन करने से पूर्व नगरपालिका द्वारा नगर नियोजन विभाग से तकनीकी स्वीकृति/राय प्राप्त नहीं की गई है।

नियमानुसार योजना मानचित्र स्वीकृत करने से पूर्व नगर नियोजन विभाग की राय लिया जाना अपेक्षित था। इस अनियमित कार्यवाही के सम्बन्ध म. तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फुलेरा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश इस सचिवालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.01.14 के द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिये गये। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.11.14 के द्वारा यह उल्लेख किया कि प्रकरण म. की गई अनियमितता बाबत राजस्थान, सिविल सेवा (नियन्त्रण, वर्गीकरण व अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत उत्तरदायी तत्कालीन, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फुलेरा, श्री किशनलाल कुमावत के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर उन्हें आरोप-पत्र व आरोप विवरण-पत्र जारी कर दिये गये हैं। आरोप-पत्र व आरोप विवरण-पत्र की प्रतियां भी उनके द्वारा सचिवालय को प्रेषित की गई। प्रकरण म. निर्धारित नियमा. की अवहेलना म. नगरपालिका मण्डल, फुलेरा, जिला जयपुर द्वारा नगर नियोजन विभाग की तकनीकी स्वीकृति लिये बिना ही अपने स्तर पर भूमि पर योजना मानचित्र स्वीकृत कर दिया गया ।

इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशा. की पालना म. अनियमितता हेतु उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। प्रकरण म. योजना मानचित्र पर नगर नियोजन विभाग की तकनीकी स्वीकृति लिये जाने के सम्बन्ध म. कार्यवाही जारी है।

एफ.22(1398)लोआस/2011

नगरपालिका मण्डल, फुलेरा, जिला जयपुर की इस पत्रावली म. राजस्व ग्राम, फुलेरा स्थित खसरा नं. 19, 20 व 25/02 की 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि का कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण/नियमन किया जाकर भूखण्डा. के पट्टा विलेख जारी किये गये हैं। इस भूमि पर गायत्री नगर एक्सटेंशन के नाम से आवासीय योजना सृजित की गई है। इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रकरण म. योजना मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध म. नगर नियोजन विभाग से तकनीकी राय/स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।

नगरपालिका मण्डल, फुलेरा द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना अपने स्तर पर भूमि का योजना मानचित्र स्वीकृत कर पट्टे जारी कर दिये गये। प्रचलित नियमा. के तहत आवासीय योजना के मानचित्र अनुमोदन के लिए नगर नियोजन विभाग से तकनीकी स्वीकृति/राय लिया जाना अपेक्षित था। इस अनियमितता के सम्बन्ध म. तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, फुलेरा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के निर्देश इस सचिवालय के पत्र दिनांक 02.01.14 के द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिये गये।

उन्होंने अपने पत्र दिनांक 24.11.14 के द्वारा अवगत कराया कि अनियमितता के सम्बन्ध म. श्री किशनलाल कुमावत, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फुलेरा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ

(नियन्त्रण, वर्गीकरण व अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर आरोप-पत्र व आरोप विवरण-पत्र जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने आरोपी लोकसेवक को जारी किये गये आरोप-पत्र व आरोप विवरण-पत्र की प्रतियां भी साथ म. प्रेषित की। प्रकरण म. नगरपालिका मण्डल, फुलेरा द्वारा नगर नियोजन विभाग से आवासीय योजना के सम्बन्ध म. तकनीकी राय प्राप्त किये बिना ही अनियमित रूप से योजना मानचित्र अनुमोदन कर भूखण्डा. के पट्टा विलेख जारी कर दिये गये। इस सचिवालय के निर्देशा. पर उक्त अनियमितता के सम्बन्ध म. आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। पत्रावली म. योजना मानचित्र के नगर नियोजन विभाग से तकनीकी अनुमोदन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

एफ.22(1403)लोआस/2011

नगरपालिका मण्डल, फुलेरा, जिला जयपुर की पत्रावली सं. 100/07-08 से संबंधित इस प्रकरण म. ग्राम फुलेरा के खसरा नम्बर 339/1 की 13 बीघा 1 बिस्वा भूमि को खातेदारा. के आवेदन पर कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित किया गया है। भूमि पर गोविन्दधाम के नाम से योजना सृजित की हुई है। नगरपालिका ने भूमि के रूपान्तरण के पश्चात् इस पर योजना मानचित्र भी स्वीकृत किया है। प्रकरण की जाँच इस सचिवालय द्वारा की गई। जाँच म. यह पाया गया कि भूमि पर आवासीय योजना मानचित्र स्वीकृत करने से पूर्व नगरपालिका ने नगर नियोजन विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की। नगर नियोजन विभाग की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना नियमानुसार वांछनीय था।

इस अनियमित कृत्य के सम्बन्ध म. उत्तरदायी तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, फुलेरा, जिला जयपुर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश इस सचिवालय के पत्र

दिनांक 02.01.14 के द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को जारी किये गये। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 19.12.14 के द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण म. दोषी अधिकारी को दिये गये नोटिस के क्रम म. प्राप्त स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं मानते हुए उत्तरदायी अधिकारी, श्री किशनलाल कुमावत के विरूद्ध राजस्थान, सिविल सेवा (नियन्त्रण, वर्गीकरण व अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही किये जाने का निर्णय लेकर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। प्रकरण म. नगर नियोजन विभाग से अपेक्षित तकनीकी स्वीकृति लिये बिना ही योजना मानचित्र नगरपालिका द्वारा अपने स्तर पर ही स्वीकृत करने की अनियमित कार्यवाही के सम्बन्ध म. इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशा. की पालना म. उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। योजना मानचित्र पर नगर नियोजन विभाग का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है।

एफ.22(1480)लोआस/2011

नगर परिषद्, सीकर की इस पत्रावली म. तह. सीकर के वार्ड नं. 31 से 45 तक 171 खसरा नम्बरान की खातेदारी भूमि के सम्बन्ध म. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(बी) के अन्तर्गत पुनर्ग्रहण की कार्यवाही की गई है। पत्रावली का परीक्षण इस सचिवालय द्वारा किये जाने पर यह तथ्य सामने आया कि प्रकरण म. धारा 90(बी) के सम्बन्ध म. सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन अखबार के माध्यम से करने का उल्लेख पत्रावली म. किया गया है किन्तु संबंधित अखबार की प्रति पत्रावली म. संलग्न नहीं है।

इस अनियमितता के बाबत संबंधित कार्मिक का दायित्व निर्धारित कर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश इस सचिवालय के द्वारा दिनांक 15.07.14 को जिला कलेक्टर, सीकर को दिये जाने पर उन्होंने पत्र दिनांक 09.02.15 से अवगत कराया कि अनियमितता के

सम्बन्ध म. श्री मोहम्मद अयूब, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर हाल वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर उसे लिखित चेतावनी के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है तथा इसका उनकी सेवापुस्तिका म. लाल स्याही से अंकन कर दिया गया है। प्रकरण म. दोषी लोकसेवक के विरूद्ध इस सचिवालय के निर्देशा. पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1597)लोआस/2011

परिवादी श्री सुशील कुमार, आगरा लाईन के पास बांदीकुई (दौसा) द्वारा दिनांक 15.06.09 को प्रस्तुत इस परिवाद म. नगरपालिका, बांदीकुई द्वारा 50 लाख रूपये की वाणिज्यिक उपयोग की जमीन को खाँचा भूमि के रूप म. कोड़िया. के दाम बेचने के सम्बन्ध म. शिकायत की गई। परिवाद म. यह भी उल्लेख किया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड की नाप 100 वर्गगज से अधिक होने से यह स्ट्रिप ऑफ लैण्ड की परिभाषा म. नहीं आती है। उक्त मामले की जाँच इस सचिवालय के दिनांक 03.10.13 के निर्देशा. पर क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर द्वारा किये जाने पर शिकायत सही पाई गई।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये जाने पर दोषी लोकसेवका. श्री गोविन्द लाल माली तत्कालीन, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बांदीकुई, श्री ओमसिंह शेखावत, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका, बांदीकुई व श्री पूरण मल शर्मा, वरिष्ठ लिपिक, नगरपालिका, बांदीकुई के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर आरोप–पत्र जारी किये गये व प्रश्नगत आवंटन को निरस्त करने के सम्बन्ध म. कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इस सचिवालय के

निर्देश पर दोषी लोकसेवका. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही व भूखण्ड विक्रय को निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया जाकर कार्यवाही की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट ली जा रही है।

एफ.22(1600)लोआस/2011

श्री लंकेश अग्रवाल, राजीव गांधी कॉलोनी, पोस्ट सुजानगढ़, जिला चुरू द्वारा दिनांक 11.06.2009 को प्रस्तुत इस परिवाद म. कस्बा सुजानगढ़ के खसरा नम्बर 209 व 210 की भूमि का नियमन धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अवहेलना म. किया जाना अंकित किया गया है। इस सचिवालय के पत्र दिनांक 22.10.13 के द्वारा आयुक्त, नगर परिषद्, सुजानगढ़ से प्रकरण की मूल पत्रावली एवं परिवाद के सम्बन्ध म. तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 19.11.13 के द्वारा भूमि नियमन की पत्रावलियां कार्यालय म. उपलब्ध नहीं होने बाबत अवगत कराया। इस सचिवालय के पत्र दिनांक 24.01.14 के द्वारा पत्रावली गुम होने के सम्बन्ध म. एफ.आई.आर. दर्ज करवाने व इस हेतु उत्तरदायी लोकसेवका. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिये गये।

जिला कलेक्टर, चूरू ने अपने पत्र दिनांक 27.08.14 के द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण की कृषि भूमि रूपान्तरण की पत्रावलियां गुम होने के सम्बन्ध म. श्री धनराज (क.लि.) को प्रथमदृष्ट्या दोषी माना जाकर उसके विरूद्ध राजस्थान, सिविल सेवा (नियन्त्रण, वर्गीकरण व अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर ज्ञापन, आरोप-पत्र व दोषारोपण-पत्र दिनांक 09.07.14 को जारी किये जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक, जिला चुरू ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 01.10.14 के द्वारा अवगत कराया कि पत्रावलियां गुम होने के सम्बन्ध म. पुलिस

थाना, सुजानगढ़ म. मुकदमा नम्बर 251/2014 धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता म. दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।

प्रकरण म. भूमि रूपान्तरण की मूल पत्रावली गुम हो जाने के सम्बन्ध म. इस सचिवालय के द्वारा दिये गये निर्देशा. की पालना म. संबंधित थाने म. प्राथमिकी दर्ज करवाई जाकर उत्तरदायी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गई है। पत्रावली का नवसृजन कर गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करवाया जाकर रिपोर्ट निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर से ली जा रही है।

एफ.23(17)लोआस/2008

परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह भसीन निवासी 14ए, न्यू कॉलोनी, गुमानपुरा, जिला कोटा द्वारा यह परिवाद श्री वी.एस.सागर, अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बून्दी के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराने के संदर्भ म. दिनांक 26.03.2009 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. निरन्तर कार्यवाही करने पर इस प्रतिवेदनाधीन अवधि म. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र दिनांक 20.8.14 के द्वारा अवगत करवाया कि श्री वीरेन्द्र सिंह सागर, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, बांई मुख्य नहर खण्ड, बूंदी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत की गई जाँच म. दिनांक 04.11.2008 को नियमा. के विरूद्ध गलत अभिशंसा करके क्षेत्रीय विकास आयुक्त से आदेश दिनांक 04.11.2008 द्वारा 30 लाख से अधिक के कार्य के बिल अधीक्षण अभियन्ता के (स्वयं के) माध्यम से भिजवाने, वर्ष 2007-2008 से वर्ष 2008-2009 तक कार्य की जारी की गई निविदाआ.

के भुगतान आदि से सम्बन्धित अभिलेख सही तरीके से संधारण नहीं करने, ऊंची दरा. पर निविदाएं स्वीकृत करने एवं मरम्मत के समय तकनीकी ज्ञान का उपयोग न कर बीप हॉल्स बंद करके अबेटमेंट पर अनावश्यक दबाव बढ़ाने से अबेटमेंट टूटने के आरोप प्रमाणित होने पर आदेश दिनांक 09.08.14 द्वारा दो वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवाद म. इस सचिवालय स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही सम्पन्न हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 01.09.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.32(4)लोआस/2013

परिवादी श्री राजेश कुमार बैरवा पुत्र श्री घासीराम निवासी पोस्ट न्यारा वाया बांदनवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर द्वारा यह परिवाद उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृत कर बिल नम्बर 571 से आहरित कर अपने पास रखने तथा छात्रवृत्ति दिलाये जाने के संदर्भ म. दिनांक 08.05.13 को पेश किया गया।

इस सम्बन्ध म. कार्यवाही करने पर आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 12.03.14 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी की छात्रवृत्ति की राशि रूपये 24,224/- बिल सं. 571 दिनांक 28.03.12 से कोषालय से आहरित कर छात्र के नाम का चैक सं.773398 दिनांक 04.03.13 काटा जाकर उसके शिक्षण संस्थान प्राचार्य, ब्राईट फ्यूचर टी.टी. कालेज, निर्माण नगर, जयपुर को जिला कार्यालय जयपुर शहर के पत्र दिनांक 16.05.13 के द्वारा भिजवा

दिया गया है। परिवादी ने अपने पत्र दिनांक 21.05.14 द्वारा उक्त राशि प्राप्त हो जाने की पुष्टि की।

आयुक्त को पत्र दिनांक 07.07.14 से यह पूछे जाने पर कि छात्रवृत्ति की राशि आहरित करने और चैक काटे जाने के बीच हुए एक वर्ष के विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है, इसके जवाब म. उन्होंने अपने पत्र दिनांक 12.08.14 द्वारा अवगत करवाया कि उक्त राशि को एक वर्ष तक अपने पास रखे रखने के लिए दोषी पाये गये लोक सेवक श्री पवन पूनिया, तत्कालीन उप निदेशक, जयपुर शहर हाल जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, नागौर को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दिनांक 11.8.14 को आरोप पत्र दिया जाकर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। पश्चात्वर्ती प्राप्त पत्र दिनांक 27.01.15 के अनुसार उक्त विभागीय जाँच म. जाँच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। चूँकि विभागीय जाँच के पूर्ण होने म. समय लगने की सम्भावना है, इसलिये इस प्रकरण को दिनांक 20.03.15 को अस्थायी रूप से नस्तीबद्ध किया जाकर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट मांगी जा रही है।

एफ.32(22)लोआस/2013

परिवादी श्री सुनील कुमार बैरागी पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार बैरागी, निवासी रा0उ0मा0वि0 के सामने, पुराना बस स्टेण्ड, अकलेरा, जिला झालावाड़ द्वारा यह परिवाद उसे समाज कल्याण विभाग झालावाड़ के कर्मचारी की लापरवाही के कारण 60 हजार रूपये के स्थान पर केवल 8 हजार रूपये की छात्रवृत्ति प्राप्त होने एवं शेष 52 हजार रूपये छात्रवृत्ति के दिलाये जाने के संदर्भ म. दिनांक 12.11.13 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर को पत्र दिनांक 18.11.13 प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध म. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 01.05.14 के अनुसार परिवादी को बी.एस.सी. नर्सिंग कोर्स प्रथम वर्ष हेतु सत्र 2012-13 की छात्रवृत्ति म. फीस राशि 60 हजार रूपये के स्थान पर 7 हजार अंकित कर दिये जाने की लापरवाही एवं उदासीनता के लिये शाखा प्रभारी श्री तूफान सिंह, वरिष्ठ लिपिक को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। परिवादी श्री सुनील बैरागी की बकाया छात्रवृत्ति की राशि रूपये 53,000 स्वीकृत कर ऑन लाईन छात्र के बैंक खाते म. जमा करा दी गई है। इस प्रकार परिवाद म. इस सचिवालय स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही सम्पन्न हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 16.05.14 को अस्थायी रूप से नस्तीबद्ध कर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट मांगी जा रही है।

एफ.35(98)लोआस/2010

परिवादिया श्रीमती रामपति मीणा, निवासी मान्यापुरा, तहसील महवा, जिला दौसा ने दिनांक 16.08.10 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मान्यापुर, तहसील महवा, जिला दौसा म. विधवा व बी0पी0एल0 महिला की रिहायशी पाटोर पोश मकान को जबरदस्ती पटवारी हल्का घोलखेड़ा, एस0डी0एम0, महवा व दो पुलिस कर्मी थाना, मण्डावर ने मिलकर जबरदस्ती तोड़ दिया है जिसकी जाँच की जाकर दोषिया. को दण्डित किया जावे।

परिवाद इस सचिवालय म. प्रस्तुत होने पर इस सचिवालय के पत्र दिनांक 27.10.10 द्वारा परिवाद की प्रति जिला कलेक्टर, दौसा एवं पुलिस

अधीक्षक, दौसा को प्रेषित कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन तलब किया गया। अंतरिम उत्तरा. के बाद अंततः प्रतिवेदनाधीन अवधि म. जिला कलेक्टर, दौसा ने अपने पत्र दिनांक 11.07.14 के द्वारा यह अवगत कराया है कि ग्राम मान्यापुरा, तहसील महवा स्थित खसरा नम्बर 195/368 किस्म चारागाह म. अतिक्रमी श्रीमती रामपति पत्नी मरदाना जाति मीना द्वारा निर्माण करने एवं पाटोरपोश का निर्माण करवाने पर तत्समय अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही न करने के आरोपा. के सम्बन्ध म. श्री रामफूल मीणा, पटवारी, तहसील महवा एवं श्री ओम प्रकाश शर्मा, पटवारी, तहसील महवा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की गई। विभागीय कार्यवाही म. आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उक्त दोना. लोक-सेवकगण को कार्यालय आदेश दिनांक 20.05.13 के द्वारा ''परिनिन्दा'' के दण्ड से दण्डित कर दिया है। यह भी अवगत करवाया कि आदेश क्रमांक आर 11 ए(1)2014/3060 दिनांक 07.07.14 द्वारा ग्राम मान्यापुरा के चारागाह की उक्त खसरा नम्बर 195/368 म. आबादी हेतु भूमि आरक्षित/सैट अपार्ट की जा चुकी है। परिवाद म. उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सम्पन्न हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 20.08.14 को नस्तीबद्ध किया गया है।

एफ.41(6)लोआस/2013

परिवादी श्री संजीव कुमार, जिलाध्यक्ष, राजस्थान आयुर्वेद राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ मकान नं. 357, महिला पार्क के पास, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर द्वारा यह परिवाद डॉ.कुलदीप सिंह, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद औषधालय, गडडा, जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध लम्बे समय तक कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने के आरोप प्रमाणित होने के बावजूद भी उसके विरूद्ध आरोप तय नहीं किये जाकर पदस्थापन करने के संदर्भ म. दिनांक 07.10.13 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. निरन्तर कार्यवाही करने पर निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 08.05.14 द्वारा अवगत करवाया कि डॉ.कुलदीप सिंह, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत की गई जाँच म. अपने पदस्थापन स्थान के मुख्यालय पर निवास नहीं कर जिला मुख्यालय श्री गंगानगर म. क्षारपाणी नामक निजी चिकित्सालय पर अर्श भगंदर रोगिया. की निजी चिकित्सा करने का आरोप प्रमाणित होने पर निदेशालय के आदेश दिनांक 08.05.14 के द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार परिवाद म. इस सचिवालय स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही सम्पन्न हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 16.06.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.44(5)लोआस/2013

परिवादी श्री आशीष अग्रवाल, प्रोपराइटर, जयश्री कल्याण ट्रेडर्स केली, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा यह परिवाद श्री प्रभुलाल मीणा, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, चित्तौड़गढ़ एवं अन्य विभागीय अधिकारिया. द्वारा अनावश्यक एवं अवैध तरीका. से बिना सक्षम स्तर पर पूर्वानुमति के व्यवसाय स्थल एवं घर की तलाशी लेकर प्रार्थी व उसके परिवार को परेशान करने के संदर्भ म. दिनांक 03.06.13 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 15.07.13 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) मुख्यालय, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर ने पत्र दिनांक 28.05.14 द्वारा अवगत करवाया कि श्री प्रभुलाल मीणा, तत्कालीन सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त, चित्तौड़गढ़ एवं श्री हेमन्त, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत की गई विभागीय जाँच म. बिना सक्षम स्तर पर पूर्वानुमति के परिवादी के व्यवसाय स्थल एवं घर की तलाशी लेने के आरोप प्रमाणित होने पर आदेश दिनांक 28.05.14 द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवाद म. इस सचिवालय स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही सम्पन्न हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 16.06.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.46(5)लोआस/2013

परिवादी श्री सत्यनारायण जांगिड़ पुत्र श्री सीताराम जांगिड़ निवासी चारभुजा मन्दिर के पास, गांव-पोस्ट गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ने यह परिवाद दिनांक 05.07.13 को इस आशय का पेश किया कि उसने श्री रामावतार शर्मा, अध्यापक, राजकीय संस्कृत प्रवेशिका विद्यालय, तीतरिया द्वारा तीन संतान होते हुए भी गलत शपथ-पत्र देकर 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ उठा लेने, सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना व्यक्तिगत सूचना बताकर उपलब्ध न कराने तथा छात्रा. के जीवन को जोखिम म. डालकर अपने व्यक्तिगत मकान के जर्जर कमरा. म. विद्यालय का संचालन करने की शिकायत विभाग को की थी परन्तु

इसके बावजूद उक्त लोक सेवक के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अत: इस सम्बन्ध म. आवश्यक कार्यवाही की जावे।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को पत्र दिनांक 14.08.13 लिखा जाकर तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। इसके अनुक्रम म. पत्राचार करने पर अंतत: प्रतिवेदनाधीन अवधि म. पत्र दिनांक 04.04.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि लोक सेवक श्री रामावतार शर्मा, अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, तीतरिया (जयपुर) को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत की गई विभागीय जाँच म. लगाये गये आरोपा. म. से तीसरी संतान होते हुए गलत घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति से दण्डित कर दिया गया है तथा चयनित वेतनमान के आदेश को निरस्त करते हुए लोक सेवक द्वारा प्राप्त की गई परिलाभ की राशि रूपये 34,887/- दिनांक 23.03.11 को वापिस राजकोष म. जमा करवाली गई हैं। इस प्रकार परिवाद म. इस सचिवालय स्तर पर वाँछित कार्यवाही सम्पन्न हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 08.05.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

अध्याय-6

अनुतोष के प्रकरण

एफ.2(6)लोआस/2014

परिवादी श्री आर.सी.गुप्ता, निवासी आनासागर सरक्यूलर रोड़, वैशाली नगर, अजमेर द्वारा कृषि भूमि पर निजी टयूबवैल पर 80 प्रतिशत सब्सिडी के साथ सोलर ट्यूबवैल लगाने सम्बन्धी सरकारी योजना म. कम्पनी तथा सरकारी अधिकारिया. की मिलीभगत होने सम्बन्धी यह शिकायत दिनांक 27.06.14 को प्रेषित की गई थी तथा यह कथन किया गया कि टाटा सोलर पावर से अधिकृत फर्म विनायक स्टोर एण्ड एग्रो सेन्टर, आगरा गेट, अजमेर द्वारा राज्य सरकार के कार्यादेश दिनांक 31.03.14 के बावजूद भी दिनांक 20.06.14 तक कार्य पूरा नहीं किया गया जबकि इस बाबत सम्बन्धित अधिकारिया. को पत्र भी लिखे गये। अधिकारिया. द्वारा फर्म को केवल चेतावनी दी गई तथा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई।

इस शिकायत के सम्बन्ध म. निदेशक, उद्यान, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 12.09.14 एवं 28.11.14 के अनुसार परिवादी ने अपने लेटर पैड पर दिनांक 09.08.14 को लिखकर दिया है कि उसकी कृषि भूमि पर माह जुलाई म. सोलर पम्प संयंत्र लग चुका है और वह सही कार्य कर रहा है जिसकी पुष्टि अतिरिक्त निदेशक, उद्यान द्वारा स्वयं दिनांक 29.08.14 को मौके पर जाकर जाँच कर की गई। परिवादी ने दिनांक 29.08.14 को यह लिखकर प्रमाणित किया कि वह संतुष्ट है और उसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जाँच म. यह भी पाया गया कि दिशा-निर्देश के अनुसार 75 मीटर हैड तक पम्प लगाया जाना था लेकिन कृषक एवं कम्पनी दोना. ने यह तथ्य छिपाया

कि बोरवैल की गहराई 75 मीटर से (अब 110 मीटर) ज्यादा है। इसी कारण पम्प का सही उपयोग नहीं होना स्वाभाविक है। पम्प क्षमता निश्चित गहराई तक ही होने के कारण पम्प मात्र 2 घण्टे ही चलता है। रिपोर्ट म. यह भी बताया गया कि आम चुनाव के कारण फर्म समय पर पम्प सप्लाई नहीं कर पायी थी जिसके लिए फर्म द्वारा खेद भी प्रकट किया गया है। परियोजना के दिशा–निर्देशा. के अनुसार प्रश्नगत पम्प नहीं लगाने के कारण सोलर पम्प पर अनुदान दिया जाना राज्य हित म. नहीं माना गया।

इस प्रकार परिवादी को समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने एवं परिवाद म. किसी भी लोक सेवक के विरूद्ध अन्वेषण के कोई आधार विनिर्मित न होने के कारण यह परिवाद दिनांक 04.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.2(13)लोआस/2014

श्री गोपाल मलूका, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद्, अजमेर ने दिनांक 16.10.14 को प्रस्तुत इस परिवाद म. उसके द्वारा उक्त कार्यालय म. जून, 2014 से जुलाई, 2014 तक कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप म. किये कार्य के बकाया मानदेय रूपये 7250/- का भुगतान करवाये जाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. सहायक निदेशक (विस्तार), जिला परिषद्, अजमेर से पत्र दिनांक 12.11.14 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई जिसके प्रत्युत्तर म. उनके पत्र दिनांक 12.12.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी को जून, 2014 से जुलाई, 2014 के मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। पत्र के साथ परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई प्राप्ति रसीद भी संलग्न कर प्रेषित की गई है जिसमें उसने उक्त बकाया भुगतान प्राप्त हो जाने की पुष्टि की है।

इस प्रकार परिवादी को चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 23.03.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(25)लोआस/2012

इस प्रकरण के संक्षेप म. तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री जीतराम निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ने दिनांक 03.05.12 को प्रस्तुत परिवाद म. बताया कि पुलिस थाना, पीलीबंगा म. दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 138/2009 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत गणेश कुमार, महावीर व पुलिस ने मिलकर परिवादी के भतीजे प्रेम कुमार को झूठा फंसाया व मुलजिम बना दिया। उसने इनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 200/2009 दर्ज करवाई परन्तु उसमें भी एफ.आर. लगा दी गई किन्तु परिवादी के द्वारा न्यायालय म. एतराज करने पर दोबारा जाँच कर अब पुरानी प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.138/2009 म. मेडिकल दुकान के संचालक गणेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है जिससे स्पष्ट है कि पूर्व म. गणेश व महावीर से मिलकर उसके भतीजे को, जो मेडिकल दुकान पर नौकर था, झूठा फंसाया गया। अतः दोना. पत्रावलिया. की जाँच निष्पक्ष व ईमानदार अधिकारी से करवाई जावे या सी.आई.डी. से करवाई जावे।

इस सम्बन्ध म. पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 25.09.13 म. यह बताया गया कि मुकदमा सं. 138/2009 म. गलत तफ्तीश के आधार पर प्रेम कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था तथा थानाधिकारी श्री गोविन्दराम की मुलजिम गणेश व महावीर के साथ मिलीभगत थी। अब गणेश कुमार के विरुद्ध चालान न्यायालय म. पेश किया जा चुका है। यह भी बताया कि मुकदमा सं. 200/2009 म. सबूत नहीं मिलने के कारण अदम वकु झूठ म. अंतिम रिपोर्ट दिनांक 22.03.13 को न्यायालय म. पेश की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त होने पर यह परिवाद इस सचिवालय स्तर पर आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित न रहने के कारण दिनांक 09.04.14 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(373)लोआस/2013

सुश्री शरीफा, निवासी सोमलपुर, वाया एच.एम.टी. फैक्ट्री, अजमेर ने दिनांक 06.02.14 को प्रस्तुत परिवाद म. कथन किया कि उसके साथ दिनांक 16.12.13 को 2-3 व्यक्तिया. द्वारा अपहरण कर बलात्कार कारित किया गया था जिसके सम्बन्ध म. पुलिस थाना, रामगंज, अजमेर म. प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 378/2013 दर्ज करवाई गई थी। परिवादिया का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया और अभियुक्त उसे उठा ले जाने की बराबर धमकियां दे रहे हैं।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. पुलिस अधीक्षक, अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 06.08.14 के अनुसार परिवादिया के प्रकरण संख्या 378/2013, पुलिस थाना, रामगंज म. अनुसंधान के बाद आरोपी जर्मन व जरीना के विरूद्ध धारा 366, 376, भा.द.सं. व धारा 4, 8, 12, पोक्सो एक्ट का अपराध बनना पाये जाने पर उनको गिरफ्तार कर चार्जशीट पेश कर दी गई है। शेरू, पोलू, व जरीना के विरूद्ध धारा 107, 116, द.प्र.सं. म. इस्तगासा भी पेश कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादिया को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 27.01.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(411)लोआस/2013

श्री चन्दगीराम, निवासी किरचुनी, तहसील तिजारा, जिला अलवर ने दिनांक 31.03.14 को प्रेषित परिवाद व एफ.आई.आर. संख्या 105/2014, पुलिस

थाना टपुकड़ा की प्रति भिजवाते हुये आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग पुत्री रिंकी के अपहरण के सम्बन्ध म. दर्ज करवाये गये प्रकरण म. पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है और आरोपिया. द्वारा जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं जिसके सम्बन्ध म. कार्यवाही की जावे।

इस सम्बन्ध म. पुलिस अधीक्षक, अलवर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 02.01.15 के अनुसार प्रकरण म. अनुसंधान के बाद मुलजिम नरेश, इन्द्राज, सतवीर, बालकिशन, श्रीमती सुनिता, हमीद व अब्दुल सत्तार के विरूद्ध धारा 366, 376, 120बी, भा.द.सं. का अपराध बनना पाये जाने पर दिनांक 21.11.14 को न्यायालय म. चार्जशीट पेश कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 03.02.14 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(434)लोआस/2013

श्री जगमाल सिंह, निवासी हमीदपुर, तहसील बहरोड़, जिला अलवर द्वारा दिनांक 31.03.14 को प्रेषित परिवाद म. सरकारी चारागाह भूमि खसरा नं0 642, 643, ग्राम पंचायत हमीदपुर म. 11 लोगा. को साज-बाज कर पट्टे जारी कर दिये जाने तथा प्रशासन गाँव के संग अभियान म. पुराने कब्जे के आधार पर किये गये विनियमितीकरण के सम्बन्ध म. पुलिस थाना, बहरोड़ म. दर्ज करवाई गई एफ.आई.आर. संख्या 302/2014 म. अनुसंधान अधिकारी श्री श्यामसिंह, उप निरीक्षक द्वारा मुलजिमा. से साज-बाज कर एफ.आर. दे दिये जाने के आरोप लगाये गये।

इस सचिवालय द्वारा इस बारे म. पुलिस अधीक्षक, अलवर व जिला परिषद्, अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 15.07.14 के अनुसार परिवादी द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण सं.

302/2014 म. एफ.आर. अदम वकु झूठ म. दी गई है। जिला परिषद्, अलवर द्वारा दिनाक 21.07.14 को प्रेषित रिपोर्ट म. चारागाह भूमि खसरा नं. 642, 643, म. ग्राम पंचायत हमीदपुर द्वारा जारी किये गये पट्टा. को निरस्त करवाने हेतु विकास अधिकारी, बहरोड़ को लिखा जाना अंकित किया है। इस बारे म. विकास अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर, अलवर के समक्ष रिविजन पेश कर दिया जाना बतलाया है।

इस प्रकार परिवादी द्वारा ग्राम पंचायत हमीदपुर द्वारा दिये गये अवैध पट्टा. के सम्बन्ध म. सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के आधार पर विकास अधिकारी, बहरोड़ द्वारा उक्त पट्टा. को निरस्त करने हेतु जिला कलेक्टर, अलवर के समक्ष रिविजन पेश कर दी गई है।

अतः इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण दिनांक 25.02.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(48)लोआस/2014

परिवादी डॉ.समरसिंह यादव, वी.पी.ओ. तसींग, तहसील बहरोड़, जिला अलवर ने दिनांक 19.05.14 को पेश परिवाद म. आरोप लगाया कि उसने परिवाद सं. 19 दिनांक 12.02.09 को एवं परिवाद सं. 21 दिनांक 19.02.09 को पुलिस थाना, बहरोड़ म. दर्ज करवाया था परन्तु उसके द्वारा पेश किये गये परिवाद मय जाँच रिपोर्ट गायब कर दिये गये। इस सम्बन्ध म. उच्चाधिकारिया. को शिकायत करने पर पुलिस उप अधीक्षक, बहरोड़ द्वारा की गई जाँच म. श्री विक्रमसिंह, हैड कांस्टेबल सं. 1426, श्री सोहन लाल, हैड कांस्टेबल सं. 1252 को दोषी पाया गया। जाँच रिपोर्ट दिनांक 21.01.13 को पुलिस अधीक्षक, अलवर को प्रेषित की गई लेकिन आज तक दोषिया. के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। परिवादी ने इस सम्बन्ध म. आवश्यक कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. पुलिस अधीक्षक अलवर से रिपोर्ट मांगी गई। उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 31.08.14 के अनुसार प्रकरण म. की गई जाँच म. श्री सोहनलाल, हैड कांस्टेबल 1252, पुलिस थाना, बहरोड़ को दोषी पाये जाने पर उसे भविष्य म. सजगता एवं सर्तकता से कार्य करने की लिखित चेतावनी दे दी गई है। श्री विक्रम सिंह, हैड कांस्टेबल को दोषी नहीं पाया गया।

इस प्रकार परिवादी द्वारा वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण दिनांक 05.01.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(123)लोआस/2014

कुमारी सीमा जाटव, निवासी पुराने बीज गोदाम के पीछे, पंचवटी सेती, चित्तौडगढ़ ने दिनांक 25.06.14 को पेश परिवाद म. लिखा है कि उसकी शादी दिनांक 12.05.13 को ग्राम खेड़ली, तहसील कठूमर, जिला अलवर म. हुई थी। शादी के बाद से ही उसके पति, सास, ससुर व ननद ने दहेज के लिये परेशान करना शुरू कर दिया। इस बारे म. उसने महिला पुलिस थाना, चित्तौड़गढ़ म. एफ.आई.आर. संख्या 6/2014 दर्ज करवाई थी परन्तु पुलिस द्वारा मुलजिमा. को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और उसका स्त्रीधन भी बरामद नहीं किया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध म. उचित कार्यवाही की जावे।

इस शिकायत के सम्बन्ध म. पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ से पत्र दिनांक 17.07.14 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई जिसके प्रत्युत्तर म. उन्होंने अपने पत्र दिनांक 07.10.14 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादिया के प्रकरण संख्या 6/2014 म. अनुसंधान के बाद मुलजिम देवेन्द्र के विरूद्ध धारा 498ए, 406, भा.द.सं. का अपराध बनना पाये जाने पर आरोप पत्र सं. 16 दिनांक 26.09.14 को तैयार किया।

इस प्रकार परिवादिया को वाँछित अनुतोष लगभग दो माह म. प्राप्त हो जाने पर प्रकरण दिनांक 07.11.14 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(207)लोआस/2014

श्री लोकेन्द्र सिंह, निवासी मेवड़ा, थाना धम्बोला, जिला डूंगरपुर ने दिनांक 04.08.14 को प्रस्तुत परिवाद म. कथन किया कि उसके भाई हरेन्द्र सिंह की हत्या के सम्बन्ध म. पुलिस थाना गढ़ी, बांसवाड़ा म. एफ.आई.आर. संख्या 162/2014 अन्तर्गत धारा 302 दर्ज करवाई गई थी परन्तु पुलिस द्वारा नामजद आरोपी को 32 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया गया है जिसके सम्बन्ध म. उचित कार्यवाही की जावे।

इस सम्बन्ध म. पत्र दिनांक 22.08.14 द्वारा पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने पर उनके पत्र दिनांक 15.09.14 एवं 15.12.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त प्रकरण म. मुलजिम हर्षवर्धन व हरिशचन्द्र के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 306, 392, 34, भा.द.सं. का बनना पाये जाने पर चार्जशीट न्यायालय म. पेश कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण दिनांक 13.01.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.3(213)लोआस/2014

परिवादी श्री इन्द्रवदन जैन, निवासी ओसवालवाड़ा, बांसवाड़ा ने दिनांक 04.08.14 को पेश परिवाद म. कथन किया कि उसके स्वामित्व व आधिपत्य के भू-खण्ड सं. 20 व 26 खसरा नं. 318/3/2 वाके भुवानपुरा सेक्टर 8 खांदु कॉलोनी, बांसवाड़ा म. बनाई गई चार दिवारी को इन्द्रजीत द्वारा तोड़ दिये जाने पर उसे पुनः बनवाते समय चौकी

प्रभारी, पुलिस थाना, कोतवाली, बांसवाड़ा श्री भानुप्रताप द्वारा उसे दिनांक 07.06.14 को जाँच करने तक रूकवा दिया जो आज भी बंद पड़ी है जबकि भूमाफिया इन्द्रजीत सिंह द्वारा उसके भूखण्डा. पर अनधिकृत रूप से ट्रेक्टर से पत्थर डाले जा रहे हैं। अतः उसके भूखण्डा. पर पत्थर डालने से रूकवाया जावे तथा पुलिस चौकी प्रभारी को उसकी चारदीवारी का कार्य पूरा करने की अनुमति देने हेतु निर्देशित किया जावे।

इस सम्बन्ध म. कार्यवाही करने पर पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा ने अपने पत्र दिनांक 09.10.14 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी को उसका प्लाट मिल गया है और वह अब इस परिवाद म. कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 20.11.14 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(292)लोआस/2014

श्री जितेन्द्र श्रीमाली, निवासी सोनगिरी स्कूल के पीछे की गली, बीकानेर ने दिनांक 28.08.14 को पेश परिवाद म. कथन किया कि उसके पुत्र यश दवे को स्कूल पिकनिक के बहाने ले जाकर मार-पीट कर नहर म. धकेल देने व बाहर निकलने पर उसकी हत्या कर देने बाबत दर्ज करवाये गये प्रकरण म. पुलिस द्वारा 17 महीने निकल जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः इस सम्बन्ध म. शीघ्र कार्यवाही करवाकर दोषिया. को दण्डित करवाया जावे।

इस सम्बन्ध म. पत्र दिनांक 22.09.14 से पुलिस अधीक्षक, बीकानेर से रिपोर्ट मांगी गई जिसके प्रत्युत्तर म. पुलिस अधीक्षक, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 14.01.15 म. बतलाया कि परिवादी के प्रकरण संख्या 271/2013 म. अनुसंधान के बाद मुलजिम अध्यापकगण श्रीमती अल्का डोली, श्रीमती

सुनीता गुर्जर व बजरंग व्यास के विरूद्ध धारा 304ए, 336 भा.द.सं. का अपराध बनना पाये जाने पर दिनांक 13.01.15 को उनके विरूद्ध न्यायालय म. चार्जशीट पेश कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद दिनांक 03.02.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(303)लोआस/2014

श्री गोविन्द प्रसाद सैनी, निवासी कॉजीपुरा, अजयसर रोड़, फाईसागर, अजमेर, हाल 16–जोशी कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, जयपुर द्वारा दिनांक 01.09.14 को प्रेषित परिवाद म. भू माफिया गोविन्द दायमा द्वारा परिवादी के ईंट–भट्टे पर कब्जा करने के प्रयास करने व इस बारे म. दिनांक 04.07.2007 को पुलिस द्वारा पाबन्द करवाने पर भी धमकी दिये जाने तथा दिनांक 18.8.14 को पुलिस अधीक्षक, अजमेर के समक्ष परिवाद पेश किये जाने पर भी दिनांक 20.8.14 को गोविन्द दायमा वगैरह द्वारा उसका कमरा तोड़ दिये जाने व उसमें रखे सामान को ले जाने के आरोप लगाये गये एवं कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई।

इस सम्बन्ध म. पत्र दिनांक 17.11.14 से पुलिस अधीक्षक, अजमेर से रिपोर्ट मांगी गई जिसके प्रत्युत्तर म. उनके पत्र दिनांक 09.12.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी के प्रकरण संख्या 152/2014 पुलिस थाना गंज, अजमेर म. अनुसंधान के बाद मुलजिम राजाराम, तारीफखान, भगवानसिंह व गोविन्दसिंह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 427, 447, 448, 453, 120बी भा.द.सं. का अपराध बनना पाये जाने पर चार्जशीट न्यायालय म. पेश कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण दिनांक 11.02.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(322)लोआस/2014

श्री इरफान मोहम्मद शेख, निवासी भवानी नगर, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 11.09.14 को प्रेषित परिवाद म. उसके प्रकरण संख्या 268/2014 पुलिस थाना, भीमगंज म. पुलिस द्वारा आरोपिया. के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने के आरोप लगाये गये हैं।

इस बारे म. पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 07.11.14 के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी के प्रकरण संख्या 268/2014 म. अनुसंधान के बाद मुंशी खां उर्फ गुलशेर के विरूद्ध धारा 451, 323, 354ए, 354डी, भा.द. सं. के अपराध प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट आरोप पत्र तैयार किया गया।

इस प्रकार सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के द्वारा परिवादी को चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण दिनांक 06.01.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(324)लोआस/2014

श्रीमती जुबेदाबानो, निवासी भवानी नगर, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 11.09.14 को प्रेषित परिवाद म. उसके द्वारा मुलजिम प्रहलाद वैष्णव के विरूद्ध दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 245/2014 पुलिस थाना, भीमगंज म. मुलजिम को गिरफ्तार करने व उसे सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध म. पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा से पत्र दिनांक 26.09.14 से रिपोर्ट मंगवाये जाने पर उनके पत्र दिनांक 10.11.14 एवं 01.01.15 द्वारा

अवगत करवाया गया कि उक्त प्रकरण म. मुलजिम प्रहलाद को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध धारा 376 भा.द.सं. का अपराध बनना पाये जाने पर दिनांक 15.12.14 को न्यायालय म. चार्जशीट पेश कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादिया को चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 13.02.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ3(335)लोआस/2014

परिवादी श्री बुद्धिराम जाटव, निवासी वैर, जिला भरतपुर द्वारा दिनांक 12.09.14 को पेश परिवाद म. कथन किया कि उसकी पुत्री विमलेश को ससुराल वाला. द्वारा परेशान करने पर पुलिस थाना, वैर म. एफ.आई.आर. संख्या 154/2014 दर्ज करवाई गई थी परन्तु उसमें पुलिस द्वारा मुलजिमा. से मिली-भगत की जा रही है। अतः इस सम्बन्ध उचित कार्यवाही की जावे।

परिवादी द्वारा शिकायत के समर्थन म. शपथ-पत्र पेश नहीं करने पर परिवाद को दिनांक 19.11.14 को नस्तीबद्ध कर परिवाद की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक भरतपुर को भिजवाये जाने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 07.12.14 म. बतलाया गया कि परिवादी के प्रकरण संख्या 154/2014 म. मुलजिम सोनू पुत्र मुरारी से स्त्री धन बरामद कर उसके विरूद्ध धारा 498ए, 406, भा.द.सं. म. दिनांक 11.11.14 को न्यायालय म. चार्जशीट पेश कर दी गई है।

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये जाने पर विभाग द्वारा कार्यवाही कर लिया जाना इस सचिवालय की महत्ता को प्रदर्शित करता है।

एफ.3(388)लोआस/2014

श्रीमती तारा बोथरा, निवासी बक्शीजी की कोठी, पट्टीकटला, अजमेर द्वारा दिनांक 26.09.14 को प्रेषित परिवाद म. उसके द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 83/2014 पुलिस थाना, गंज म. निष्पक्ष जाँच नहीं करने तथा उसका कीमती कण्ठा बरामद नहीं करने के आरोप लगाते हुए उचित कार्यवाही की प्रार्थना की गई।

शिकायत के समर्थन म. शपथ-पत्र प्राप्त होने पर पत्र दिनांक 09.12.14 से पुलिस अधीक्षक, अजमेर से रिपोर्ट मंगवाई गई जिसके प्रत्युत्तर म. उनके पत्र दिनांक 14.01.15 द्वारा अवगत करवाया गया कि इस प्रकरण संख्या 83/2014 म. आरोपी राजकुमार उर्फ राजू बोथरा को गिरफ्तार कर पुलिस रिमाण्ड मांगे जाने के दौरान परिवादिया द्वारा राजीनामा लिखकर दिया गया एवं चोरी किया गया कण्ठा अपने परिचित के पास पहुँच जाना बतलाया गया परन्तु प्रकरण म. सम्पूर्ण अनुसंधान, बयान परिवादिया व गवाहान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्या. के आधार पर मुलजिम राजकुमार उर्फ राजू बोथरा के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 342, 454, 380 भा.द.स. बखूबी प्रमाणित पाया जाने पर प्रकरण म. कानूनी राय प्राप्त कर मुलजिम राजू बोथरा के विरूद्ध अनुसंधान के बाद चार्जशीट धारा 342, 454, 380, भा.द.सं. म. पेश कर दी गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर वाँछित कार्यवाही के उपरान्त यह परिवाद दिनांक 25.02.14 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(500)लोआस/2014

श्रीमती कमलादेवी, निवासी गोविन्द नगर, कृषि मण्डी के पास, दौसा द्वारा दिनांक 25.11.14 को प्रेषित परिवाद म. कथन किया कि उसके पति स्वर्गीय कमलेश कुमार, हैड कांस्टेबल नं.1719, जिला जयपुर की मृत्यु

कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान दिनांक 20.01.1984 को हो गई थी। परिवादिया का आरोप है कि उसकी पेंशन नियमानुसार निर्धारित किये जाने के लिये निदेशक, पेंशन को कई बार लिखे जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः इस सम्बन्ध म. उचित कार्यवाही शीघ्र करवाई जावे।

शिकायत के समर्थन म. परिवादिया को लिखे जाने के बावजूद भी शपथ-पत्र पेश नही करने पर परिवाद को सचिवालय स्तर पर दिनांक 27.01.14 को नस्तीबद्ध कर इसकी एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशक पेंशन विभाग को प्रेषित की गई जिसके प्रत्युत्तर म. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 20.02.15 प्रेषित कर अवगत करवाया कि मृतक हैड कांस्टेबल के आश्रित द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान 1986 व 1988 के प्रावधानानुसार संशोधित अवार्ड पेंशन स्वीकृत कर पुनः पीपीओ जारी करवाने की प्रार्थना की गई जिस पर पेंशन विभाग द्वारा प्रकरण का निस्तारण कर संशोधित अधिकार पत्र सं. 22896 (आर) दिनांक 12.07.10 को जारी किया गया। उक्त सूचना परिवादिया को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 2531 दिनांक 14.08.14 द्वारा भी उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

एफ.5(16)लोआस/2013

परिवादिया श्रीमती हेमलता पंवार सेवानिवृत्त प्राचार्य, निवासी 315/30, छावनी, कोटा ने यह परिवाद दिनांक 18.04.13 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन हेतु उसने स्वयं के स्तर पर 5000 रूपए दिए थे लेकिन प्राचार्या, राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, मनोहरथाना, जिला झालावाड़ को निवेदन किए जाने के बावजूद भी इस राशि का उसे पुनर्भरण नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध म. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 28.06.14 प्रेषित कर अवगत कराया कि परिवादिया द्वारा की गई शिकायत झूठी व निराधार है। इस पर परिवादिया से आपत्ति पत्र मय प्रालेखा. दिनांक 05.08.14 प्राप्त होने पर पुनः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से रिपोर्ट चाही गई जिस पर उनके द्वारा रिपोर्ट दिनांक 25.01.14 के द्वारा अवगत करवाया गया कि नवीनतम सूचना के अनुसार श्रीमती अंसारी, अध्यापिका द्वारा खेलकूद एवं पूर्व प्रशिक्षण शिविर हेतु व्यय बिल की राशि रूपए 3939.20 का वाऊचर दिनांक 10.10.14 को प्रस्तुत किया गया जिसका भुगतान विद्यालय द्वारा श्रीमती अंसारी को कर दिया गया था। अब अवशेष राशि रूपये 1060.80 श्रीमती अंसारी द्वारा नकद मिलाई जाकर कुल राशि 5000 रूपए परिवादिया हेमलता पंवार के बैंक खाता संख्या 3062974458 बैंक शाखा एस.बी.आई., गोरधनपुरा कोटा म. जमा करवा दी गई है।

अतः सचिवालय स्तर पर सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न होने तथा वाँछित अनुतोष प्रदान किया जाना मानते हुए प्रकरण को दिनांक 16.12.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(82)लोआस/2013

परिवादी श्री अजय शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा, निवासी घोरपुरा मौहल्ला, भगवती लॉज के पीछे, बस स्टैण्ड, झालावाड़ ने कैम्प झालावाड़ के दौरान दिनांक 31.10.13 को इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया कि उसके बेटे श्रीयांश शर्मा का निःशुल्क शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि श्री बलराम शर्मा द्वारा लॉटरी निकालकर रूपनगर पब्लिक स्कूल म. चयन किया गया था लेकिन उक्त स्कूल प्रशासन द्वारा यह कहकर फीस जमा कराने हेतु कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा बच्चे की पुनर्भरण राशि जमा नहीं कराई जा रही है।

इस संदर्भ म. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर उनके पत्र दिनांक 11.03.14 के द्वारा अवगत करवाया गया कि रूपनगर पब्लिक स्कूल ग्राम रायपुरा, ग्राम पंचायत सलोतिया की परिसीमा (केचमेंट एरिया) म. स्थित है जब कि परिवादी नगरीय क्षेत्र झालावाड़ का निवासी है इसलिए दिया गया प्रवेश निःशुल्क प्रवेश के अन्तर्गत पुनर्भरण योग्य नहीं है।

उक्त रिपोर्ट पर परिवादी से आपत्ति पत्र प्राप्त होने तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के विश्लेषणोपरान्त पत्र दिनांक 17.10.14 के द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को लिखा गया कि श्रीयांश शर्मा का आर.टी.ई. के तहत निःशुल्क शिक्षा हेतु चयन शिक्षा विभाग/सरकारी प्रतिनिधि के द्वारा किया गया था। ऐसी स्थिति म. गलत चयन के लिए सम्बन्धित स्कूल अथवा शिक्षा विभाग/सरकारी प्रतिनिधि का उत्तरदायित्त्व निर्धारण कर अवगत करावें। इसके प्रत्युत्तर म. उनके पत्र दिनांक 11.12.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि निःशुल्क शिक्षा हेतु चयन म. लापरवाही उक्त विद्यालय स्तर पर हुई, इसमें कोई विभागीय अधिकारी दोषी नहीं है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 12(6)शिक्षा-5/2014 दिनांक 03.02.14 के बिन्दु संख्या 6.2, सहपठित राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.9(1)शिक्षा-5/2014 दिनांक 17.07.14 के अनुक्रम म. बालक श्रीयांश शर्मा को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराए जाने तथा निरन्तर अध्ययनरत होने के सम्बन्ध म. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झालावाड़ को निर्देशित किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर किए गए पत्राचार के फलस्वरूप सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात् परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर, इस प्रकरण को दिनांक 05.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(134)लोआस/2013

परिवादिया श्रीमती प्रियंका माथुर, निवासी 537, हरिभाऊ विस्तार, अजमेर ने कैम्प अजमेर के दौरान दिनांक 28.03.14 को परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पति अमित माथुर की तृतीय श्रेणी के शिक्षक के पद पर रहते हुए दिनांक 31.07.11 को मृत्यु हो जाने के उपरान्त भी अभी तक उसे अनुकम्पात्मक नियुक्ति नहीं दी गई है।

इस सम्बन्ध म. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से पत्र दिनांक 24.04.14 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर उनके पत्र दिनांक 23.7.14 के द्वारा अवगत करवाया गया कि पंचायत राज एक्ट में दिनांक 28.02.2004 के संशोधन के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग के चयनोपरान्त तृतीय श्रेणी अध्यापक 2005 से नियुक्ति प्रकरणों म. अनुकम्पात्मक नियुक्ति जिला परिषद् के द्वारा की जावेगी। परिवादिया द्वारा बी.एड. की अंकतालिका भी प्रस्तुत की गई थी किन्तु वह टेट उत्तीर्ण नहीं है तथा कनिष्ठ लिपिक के पद पर वरीयता के अनुसार नियुक्ति आदेश जिला परिषद्, अजमेर के स्तर पर जारी किए जाने हैं।

परिवादिया को उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट पर यदि कोई आपत्ति हो तो प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया था किन्तु परिवादिया द्वारा कोई आपत्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सचिवालय द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर को परिवादिया श्रीमती प्रियंका माथुर को कनिष्ठ लिपिक के पद नियुक्ति दे दी गई अथवा नहीं, के सम्बन्ध म. लिखे गए पत्र दिनांक 17.11.14 के अनुक्रम म. उनके द्वारा पत्र दिनांक 09.01.15 के द्वारा अवगत करवाया गया कि स्व.श्री अमित माथुर, अध्यापक की मृतक आश्रिता श्रीमती प्रियंका माथुर (परिवादिया) को कार्यालय आदेश क्रमांक: एफ()जिपअ/संस्थापन/-2013/14154 दिनांक 16.10.14 से कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनुम्पात्मक नियुक्ति दी जा चुकी है।

अतः सचिवालय स्तर पर अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित न होने तथा परिवादिया को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 27.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(63)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती महेन्द्रदेवी सेवानिवृत्त अध्यापिका, निवासी मुकाम पोस्ट नांगलखोडिया, तहसील बहरोड़, जिला अलवर ने कैम्प बहरोड़ के दौरान ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, बहरोड़ के विरूद्ध दिनांक 11.08.14 को इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया कि 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 30.12.10 को स्वीकृत हो जाने के उपरान्त भी चयनित वेतनमान एवं डी.ए. ऐरियर का भुगतान उसे आज तक नहीं किया गया। इसलिए शीघ्र भुगतान करवाए जाने का निवेदन किया।

इस सम्बन्ध म. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर उनके पत्र दिनांक 02.02.15 के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादिया श्रीमती महेन्द्रदेवी सेवानिवृत्त अध्यापिका को 27 वर्षीय एसीपी एवं सेवानिवृत्त उपार्जित अवकाश के एरियर राशि रूपये 63,436/- का भुगतान चैक नंबर 054345 दिनांक 28.01.15 के द्वारा किया जा चुका है और अब इनका कोई भुगतान सम्बन्धी प्रकरण लंबित नहीं है।

अतः प्रकरण म. परिवादिया को वाँछित पूर्ण अनुतोष प्रदान हो जाने पर, यह प्रकरण दिनांक 19.03.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(81)लोआस/2014

इस प्रकरण म. परिवादिया श्रीमती कान्ता मोदी, वरिष्ठ अध्यापिका, निवासी पुरानी गिन्नणी, सागर जिम के पास, बीकानेर के द्वारा कैम्प बीकानेर के दौरान दिनांक 26.08.14 को मुख्य रूप से इस आशय का परिवाद प्रस्तुत

किया गया कि निरन्तर सेवाए दिए जाने के उपरान्त भी उसे शिक्षा विभाग के द्वारा अकारण नवम्बर, 2013 से वेतन नहीं दिया जा रहा है।

इस संदर्भ म. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन पत्र दिनांक 22.09.14 से मांगे जाने पर उनकी ओर से अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ने पत्र दिनांक 10.12.14 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादिया श्रीमती कान्ता मोदी के बकाया वेतन की व्यवस्था उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर मण्डल के आदेश दिनांक 27.11.14 से स्थानीय स्तर पर की जा चुकी है । श्रीमती मोदी का स्थानीय समायोजन कर, वेतन व्यवस्था का स्थाई समाधान कर दिया गया है।

सचिवालय स्तर पर आपत्ति पत्र प्रस्तुत करने हेतु परिवादिया को लिखे गए पत्र दिनांक 15.01.15 के संदर्भ म. उसके द्वारा पत्र दिनांक 05.02.15 के द्वारा यह अवगत कराया कि विभाग स्तर पर उसके परिवाद का निस्तारण कर बकाया वेतन की व्यवस्था कर दी गई है।

अतः प्रकरण म. परिवादिया को वाँछित पूर्ण अनुतोष प्रदान हो जाने पर, यह प्रकरण दिनांक 26.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(84)लोआस/2014

सुश्री रूकैया बानो पुत्री शब्बीर मोहम्मद, निवासी नाड़ी मोहल्ला, मोदी पैलेस के पास, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा ने यह परिवाद कैम्प गुलाबपुरा म. दिनांक 10.09.14 को इन तथ्या. का प्रस्तुत किया कि उसने प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय भुगतान पर उर्दू शिक्षा सहयोगी का दिनांक 12.09.13 को पदभार ग्रहण किया था लेकिन उसे आदिनांक तक राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। अतः मानदेय का भुगतान करवाया जावे।

इस सम्बन्ध म. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर से पत्र दिनांक 09.10.14 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर उनके पत्र दिनांक 17.10.14 के द्वारा अवगत करवाया गया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, भीलवाड़ा को छठे चरण म. कुल चयनित उर्दू शिक्षा सहयोगिया. की सूची मय सीडी भिजवाने हेतु लिखा गया जो प्राप्त होने पर शिक्षा सहयोगिया. को मानदेय दे दिया जावेगा। इसी क्रम म. इस सचिवालय स्तर पर सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर से और पत्राचार किए जाने के उपरान्त उनके द्वारा अन्ततः मानदेय से सम्बन्धित कार्यालय आदेश की प्रति पत्र दिनांक 27.01.15 के साथ संलग्न करते हुए अवगत कराया गया कि परिवादिया सुश्री रूकैया बानो को माह सितम्बर, 2013 से अक्टूबर, 2014 तक के मानदेय का भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादिया को वाँछित पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण, यह प्रकरण इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 05.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(93)लोआस/2014

परिवादी श्री जसवन्त सिंह यादव सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक, निवासी गांव पोस्ट शेरपुर, तहसील बहरोड़, अलवर ने यह परिवाद दिनांक 11.08.14 को कैम्प बहरोड़ के दौरान इस आशय का प्रस्तुत किया था कि श्री वेदपाल यादव, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माँचल उसके पेंशन प्रकरण का निस्तारण नहीं कर रहे हैं।

इस अनुक्रम म. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को दिनांक 28.10.14 को परिवाद पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवाने हेतु लिखा गया। निदेशक द्वारा पत्र दिनांक 15.12.15 म. प्रकरण की विषयवस्तु के तथ्या. का उल्लेख करते हुए अवगत करवाया गया कि परिवादी का पेंशन

प्रकरण दिनांक 26.11.14 को पेंशन विभाग, जयपुर को प्रेषित किया गया था जिस पर निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर वेलफेयर विभाग, जयपुर के स्तर पर परिवादी श्री जसवन्त सिंह यादव सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक के पेंशन प्रकरण का निस्तारण किया जाकर दिनांक 02.12.14 को जी.पी.ओ., पी.पी.ओ. जारी कर दिए गए हैं।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने के पश्चात् यह प्रकरण इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 16.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.7(6)लोआस/2012

परिवादी श्री चेतन सुमन पुत्र श्री देवलाल सुमन, निवासी पुरानी धानमण्डी के पास, अटरू, जिला बारां द्वारा दिनांक 02.05.12 को ग्राम पंचायत अटरू के वार्ड नंबर 14 व 15 म. उचित मूल्य की दुकान आवंटन करने म. चयन समिति एवं जिला कलेक्टर, बारां द्वारा भ्रष्टाचार/नियमा. के विपरीत श्री कौशल किशोर का चयन किए जाने के सम्बन्ध में परिवाद पेश किया गया था और यह भी अभिलिखित किया गया था कि श्री कौशल ग्राम पंचायत अटरू का निवासी तक नहीं था।

इस सम्बन्ध म. सम्भागीय आयुक्त, कोटा को पत्र दिनांक 24.05.13 द्वारा परिवाद पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवाने हेतु लिखा गया जिस पर उन्होंने पत्र दिनांक 11.12.13 से अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा गठित उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशा. के परिप्रेक्ष्य म. श्री कौशल किशोर का किया गया चयन सही है।

इस रिपोर्ट पर परिवादी से प्राप्त आपत्ति पत्र मय सुसंगत प्रालेखा. पर सम्भागीय आयुक्त, कोटा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 13.06.14 के अनुसार

श्री कौशल किशोर के पिता श्री हेमन्त के नाम से जारी राशन कार्ड संख्या 41 व 1640, श्रीमती चन्द्रेश शर्मा पत्नी श्री हेमन्त शर्मा तथा कौशल किशोर शर्मा के मूल निवास प्रमाण पत्र एवं वार्ड संख्या 14 व 15 के लिए श्री कौशल किशोर को आवंटित राशन वितरण अनुज्ञा पत्र को निरस्त किये जाने हेतु जिला कलेक्टर, बारां को निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात् इसी क्रम म. सचिवालय स्तर पर लिखे गये पत्र दिनांक 14.07.14 के प्रत्युत्तर म. सम्भागीय आयुक्त, कोटा द्वारा पत्र दिनांक 09.09.14 के द्वारा अवगत कराया गया कि श्री कौशल किशोर के पिता श्री हेमन्त शर्मा के नाम ग्राम अटरू म. जारी राशन कार्ड संख्या 41 व 1640 को विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अटरू के पत्र क्रमांक 2681-86 दिनांक 19.08.14 से व श्री कौशल किशोर शर्मा की माता श्रीमती चन्द्रेश एवं श्री कौशल किशोर को जारी मूल निवास प्रमाण पत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अटरू के आदेश क्रमांक 555-567 दिनांक 07.08.14 से तथा वार्ड नम्बर 14 व 15 के लिए श्री कौशल किशोर शर्मा को आवंटित राशन वितरण अनुज्ञा पत्र को न्यायालय- जिला कलेक्टर, बारां के प्रकरण संख्या 14/2013 म. पारित निर्णय दिनांक 07.07.14 से निरस्त किए जाने के आदेश की अनुपालना म. जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा आदेश क्रमांक 1889-1901 दिनांक 08.08.14 से निरस्त किये जा चुके हैं। सलाहकार समिति के सदस्या. द्वारा कोई अनियमितता नहीं किए जाने का उल्लेख भी रिपोर्ट म. किया गया।

इस प्रकार सचिवालय स्तर पर किए गए पत्राचार उपरान्त प्रश्नगत जारी राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं राशन वितरण अनुज्ञा पत्र को निरस्त किए जाने एवं अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहने के कारण वाँछित अनुतोष प्रदान किया जाना मानते हुए प्रकरण को दिनांक 13.10.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.7(24)लोआस/2013

परिवादी श्री बिजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सुरेशचन्द शर्मा, निवासी गांव पोस्ट सिरयानी, तहसील बहरोड़, जिला अलवर द्वारा यह परिवाद कैम्प अलवर के दौरान दिनांक 21.03.14 को ग्राम सिरयानी, तहसील बहरोड़, जिला अलवर के राशन डीलर श्री दयानन्द यादव द्वारा राशन सामग्री के वितरण म. की जा रही अनियमितताआ. के सम्बन्ध म. जिला रसद अधिकारी, अलवर के स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के क्रम म. प्रस्तुत किया गया था।

इस सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, अलवर को पत्र दिनांक 16.04.14 द्वारा परिवाद पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवाने हेतु लिखा गया जिस पर उनके द्वारा पत्र दिनांक 26.05.14 के द्वारा अवगत कराया गया कि श्री दयानन्द यादव अधिकृत राशन डीलर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के तहत प्रकरण संख्या 211/2014 दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तत्पश्चात् इसी अनुक्रम म. जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 02.01.15 के साथ प्रकरण संख्या 211/2014 म. दिनांक 09.12.14 को जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय की प्रति संलग्न करते हुए अवगत कराया गया कि श्री दयानन्द यादव, राशन डीलर की जमा प्रतिभूति राशि 1000 रूपए जप्त सरकार कर प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है।

अतः परिवादी को उक्त निर्णय दिनांक 09.12.14 की छाया प्रति सूचनार्थ भिजवाते हुए प्रकरण में अनुतोष प्रदान किया जाना मानते हुए दिनांक 27.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.7(4)लोआस/2014

परिवादी श्री मोहर सिंह पुत्र श्री भोमा राम भास्कर, निवासी गांव ठिमाऊ बड़ी, पोस्ट ऑफिस नोरंगपुरा वाया साखूं फोर्ट, तहसील राजगढ़, जिला चूरू ने दिनांक 29.04.14 को परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया था कि श्री रामस्वरूप, राशन डीलर द्वारा राशन सामग्री म. की जा रही अनियमितताआ. एवं कालाबाजारी के कारण उसका लाईसेन्स निरस्त किया गया था किन्तु अब मिलीभगत से जिला रसद अधिकारी, चूरू द्वारा पुनः उसके लाईसेन्स को बहाल किया जा रहा है।

इस संदर्भ म. जिला कलेक्टर, चूरू से पत्र दिनांक 27.06.14 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया जिस पर उनके द्वारा पत्र दिनांक 03.09.14 से अवगत करवाया गया कि श्री रामस्वरूप, राशन डीलर द्वारा की गई कथित अनियमितताआ. के कारण उसका प्राधिकार पत्र आगामी आदेश तक निलम्बित किया जाकर उसके विरूद्ध विभागीय स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन है। तत्पश्चात् इसी अनुक्रम म. जिला रसद अधिकारी, चूरू ने पत्र दिनांक 20.11.14 के द्वारा यह अवगत करवाया कि निर्णय दिनांक 10.11.14 के तहत श्री रामस्वरूप, राशन डीलर की जमाशुदा प्रतिभूति 1000/-रुपये बहक सरकार जप्त की जाकर उसका प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से खारिज कर दिया गया है। पत्र दिनांक 19.11.14 लिखे जाने के उपरान्त भी परिवादी ने कोई आपत्ति पत्र पेश नहीं किया।

अतः वाँछित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 19.12.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(28)लोआस/2012

परिवादी श्री डॉ.राधेश्याम गोयल, सेवानिवृत्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, निवासी पवन कुन्ज, कामां, भरतपुर द्वारा यह परिवाद

सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेन्शन स्वीकृत कराने के संदर्भ म. दिनांक 30.11.12 को पेश किया गया। परिवादी ने कथन किया कि वह दिनांक 31.8.12 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हुआ था, परन्तु उसे अभी तक पेंशन एवं परिलाभा. का भुगतान नहीं किया गया है। इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा निदेशक(राजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाय, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 06.09.13 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 10.09.14 के अनुसार परिवादी श्री डॉ.राधेश्याम गोयल, सेवानिवृत्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पी.पी.ओ. नं. 200142 (आर) दिनांक 21.02.13 द्वारा प्रोवीजनल पेन्शन स्वीकृत कर दी गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 17.09.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(43)लोआस/2013

परिवादिया डॉ. श्रीमती पुष्पलता कोठारी, सेवानिवृत्त वरिष्ठ विशेषज्ञ, स्त्री रोग, निवासी 355 अम्बामाता स्कीम, उदयपुर ने यह परिवाद दिनांक 13.09.13 को पेश कर कथन किया कि उसकी प्रथम नियुक्ति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग म. दिनांक 01.01.1975 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई थी तथा दिनांक 31.12.2007 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हुई थी। सेवापुस्तिका म. उसकी जन्म तिथि 20.12.1947 अंकित है जो सक्षम अधिकारी तत्कालीन संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उदयपुर द्वारा सत्यापित हुई है। उसके प्रथम नियुक्ति पत्र म. क्रम सं. 36 पर जन्म तिथि 26.12.1947 अंकित है। वरिष्ठता सूची दिनांक 17.01.1990 म. क्रम संख्या 29 पर उसकी जन्म तिथि 20.12.1947 अंकित है। परिवादिया का

कथन है कि उसकी सही जन्म तिथि भी 20.12.1947 ही है परन्तु रिकार्ड म. उक्तानुसार भिन्न-भिन्न जन्म तिथि अंकित करने के कारण अभी तक उसे पेंशन एवं अन्य परिलाभा. का भुगतान नहीं किया जा रहा है जो शीघ्र करवाया जावे।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु इस सचिवालय द्वारा संयुक्त निदेशक पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर को पत्र दिनांक 03.10.13 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर संयुक्त निदेशक पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर ने अपने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 03.03.14 एवं 22.04.14 द्वारा अवगत करवाया कि वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. सं. 101400469 दिनांक 12.02.14 द्वारा परिवादिया की जन्म तिथि 20.12.1947 मानी जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। तदुपरान्त परिवादिया को पी.पी.ओ. सं. 583026 तथा जी.पी.ओ. 667661 (आर) दिनांक 22.04.14 को जारी कर दिये गये हैं।

इस प्रकार परिवादिया डॉ. श्रीमती पुष्पलता कोठारी, सेवानिवृत्त वरिष्ठ विशेषज्ञ, स्त्री रोग के लगभग 7 वर्ष से लम्बित पेंशन प्रकरण का निपटारा इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर लगभग 6 माह म. कर दिये जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 28.04.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(49)लोआस/2013

परिवादी श्री रविन्द्र कुमार चतुर्वेदी पुत्र श्री परमानन्द चतुर्वेदी, निवासी चमेली का देवरा, चौमूं का बाजार, बूंदी द्वारा यह परिवाद श्रम विभाग म. विभिन्न पदा. पर कार्यरत सभी निविदा एवं संविदा कर्मिया. को अनुमोदित दरा. पर भुगतान करवाये जाने के संदर्भ म. दिनांक 21.10.13 को पेश किया गया। इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय

द्वारा जिला कलेक्टर, बून्दी को पत्र दिनांक 12.11.13 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर जिला कलेक्टर, बून्दी से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 03.03.14 के अनुसार जिला अस्पताल, बून्दी म. कार्यरत संविदाकर्मिया. को श्रम विभाग के आदेशानुसार दिनांक 01.02.14 से मासिक मानदेय दिया जाना स्वीकृत कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 6 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 28.04.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(65)लोआस/2013

परिवादिया श्रीमती प्रेम शर्मा पत्नी वैद्य घनश्याम गौतम, सेवानिवृत्त ए.एन. एम., ग्राम पोस्ट करकेड़ी, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर द्वारा यह परिवाद बोनस राशि तथा सितम्बर, 1990 से दिसम्बर, 1996 तक की वेतन अन्तर राशि दिलवाये जाने के संदर्भ म. दिनांक 20.01.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, दौसा को पत्र दिनांक 06.02.14 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर उपनिदेशक, नर्सिंग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाय, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 19.12.14 के अनुसार परिवादिया श्रीमती प्रेम शर्मा पत्नी वैद्य घनश्याम गौतम, सेवानिवृत्त ए.एन.एम. का बोनस एवं वेतन एरियर अन्तर राशि रूपये 9,737/- व रूपये 28,654/- कर्मचारी के खाता सं. 51063550746 म. दिनांक 30.10.14 को जमा करवा दी गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 10 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 23.03.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(70)लोआस/2013

परिवादी श्री देवी सहाय पाठक पुत्र सुन्दर लाल पाठक सेवानिवृत्त वैक्सीनेटर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार निवासी बनापुरिया मोहल्ला, वार्ड नं. 17 बांदीकुई, तहसील बसवा, जिला दौसा द्वारा यह परिवाद चयनित वेतनमान की बकाया राशि तथा वेतन वृद्धि राशि एवं यात्रा भत्ते की बकाया राशि दिलवाये जाने के संदर्भ म. दिनांक 11.03.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा अतिरिक्त निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाय, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 26.03.14 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर उनसे प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 26.06.14 के अनुसार आदेश दिनांक 13.06.14 के द्वारा परिवादी श्री देवी सहाय पाठक पुत्र सुन्दर लाल पाठक सेवानिवृत्त वैक्सीनेटर को चयनित वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 3 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 11.09.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(72)लोआस/2014

परिवादी श्री देवकीनन्दन गोल्यान पुत्र श्री लीलाधर गोल्यान द्वारा श्री गंगानगर कोल्ड स्टोरेज प्रा0 लिमिटेड, सूरतगढ़ रोड़, नजदीक शिव चौक, श्रीगंगानगर द्वारा यह परिवाद श्री गोविन्द नारायण गोयल, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज प्रकरण सं.375/2010 म. अभियोजन स्वीकृति दिलाये जाने के संदर्भ म. दिनांक 29.09.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को पत्र दिनांक 02.02.15 प्रेषित किया गया जिसके प्रत्युत्तर म. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 11.03.15 के अनुसार विभाग के आदेश दिनांक 02.10.14 के द्वारा श्री गोविन्द नारायण गोयल, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज प्रकरण सं.375/2010 म. अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 1 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 19.03.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.9(12)लोआस/2014

परिवादी श्री राजू पुत्र श्री मांगी लाल गर्ग, निवासी माकड़िया, पोस्ट महेन्द्रगढ़, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा द्वारा यह परिवाद बैरवा

मोहल्ले म. स्वीकृत पेवर ब्लॉक सड़क के अधूरे रहे कार्य को पूर्ण करवाने के संदर्भ म. दिनांक 11.09.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को पत्र दिनांक 15.10.14 प्रेषित किया जाकर तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया जिसके प्रत्युत्तर म. रिपोर्ट दिनांक 11.12.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभाग द्वारा संवेदक को पाबन्द किये जाने पर उन्होंने सामग्री सप्लाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा उखड़ी हुई सड़क को दुरूस्त करने का कार्य प्रगति पर है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 13 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 12.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(55)लोआस/2011

परिवादी श्री जगदीश पुत्र श्री ग्यारसी लाल धाकड़, ग्राम चोरू, तहसील उनियारा, जिला टोंक द्वारा यह परिवाद श्री मथुरा लाल मीणा, सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड, उनियारा टोंक द्वारा मीटर बदलने के नाम पर रिश्वत की मांग करने के संदर्भ म. दिनांक 06.03.12 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 19.07.13 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर अधीक्षण अभियन्ता (पावर)जयपुर, डिस्कॉम, टोंक ने प्रकरण की जाँच

के उपरान्त अपने पत्र दिनांक 17.02.14 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी श्री जगदीश पुत्र श्री ग्यारसी लाल धाकड़, ग्राम चोरू, तहसील उनियारा, जिला टोंक द्वारा जमा करवाई गई गलत सतर्कता जाँच प्रतिवेदन राशि रूपये 12,000 जो कि अनुचित थी को दिनांक 06.03.14 को समायोजित कर लिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 16.06.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(38)लोआस/2012

परिवादी श्री बलवन्तसिंह पुत्र श्री जीताराम निवासी मुकुन्दगढ़ जिला झुन्झुनूं द्वारा यह परिवाद विद्युत् मीटर पठन शून्य होने के बावजूद भी श्री बी.एल. जांगिड़, सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड, मुकुन्दगढ़ द्वारा गलत बिल तादादी रूपये 7,122 का दिये जाने के संदर्भ म. दिनांक 05.11.12 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 09.07.13 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 15.05.14 के अनुसार परिवादी का कृषि कनेक्शन के सम्बन्ध म. बिलिंग एजेंसी द्वारा माह जुलाई, 2012 से नवम्बर, 2012 तक क्रमशः 3684, 3644 एवं 3687 यूनिट के जारी किये गये विपत्रा. को संशोधित कर अधिक चार्ज की गई राशि मय एल.पी.एस. परिवादी के खाते म. दिनांक 10.9.13 से नवम्बर,

2013 के विद्युत बिल म. से कम कर परिवादी की शिकायत का निराकरण कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 1 वर्ष 7 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 16.06.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(18)लोआस/2013

परिवादिया श्रीमती सुखीदेवी पत्नी श्री गुलाब राम, निवासी भटवाड़ा, बेडल रोड़ फालना, तहसील बाली, जिला पाली द्वारा यह परिवाद पारिवारिक पेन्शन प्रकरण का निस्तारण कराये जाने के संदर्भ म. दिनांक 09.07.13 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 29.07.13 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर उप सचिव (पेन्शन) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लि. जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 09.05.14 के अनुसार श्रीमती सुखी देवी पत्नी श्री गुलाबराम की पारिवारिक पेन्शन प्रकरण को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत किया जाकर वरिष्ठ लेखाधिकारी (पेन्शन) को भिजवाया गया एवं पारिवारिक पेन्शन प्रकरण स्वीकृत कर भुगतान आदेश जारी किया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादिया को लगभग 11 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 17.06.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(42)लोआस/2013

परिवादी श्री भगवान सहाय शर्मा व अन्य, निवासी ढाणी पुराना कुआं, गांव अणी-अचरोल, जयपुर द्वारा यह परिवाद गांव म. दो माह से बिजली नहीं आने एवं नई डीपी रखवाने के संदर्भ म. दिनांक 28.01.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 17.02.14 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 28.03.14 एवं 21.05.14 के अनुसार 16 के.वी.ए. ट्रांसफार्मर की तंत्र सुधार योजना के अन्तर्गत 5 के.वी.ए. के 3 ट्रांसफार्मर रखवाकर दिनांक 07.04.14 को उपभोक्ताआ. की सप्लाई चालू करवायी जा चुकी है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 7 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 16.06.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(46)लोआस/2013

परिवादी श्री रूपराम यादव पुत्र श्री रामचन्द्र यादव, प्रोपराइटर विल इण्डस्ट्रीज, एच-1/46, औद्योगिक क्षेत्र, थानागाजी, अलवर ने दिनांक 09.03.12 को विद्युत् कनेक्शन दिलाये जाने के लिए जयपुर डिस्कॉम म. प्रस्तुत किये गये आवेदन के क्रम म. यह परिवाद दिनांक 27.03.14 को पेश किया ।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 26.06.14 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत् वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 09.10.14 के अनुसार परिवादी का विद्युत् कनेक्शन आदेश सं. 23554/49 दिनांक 19.06.14 को जारी कर दिनांक 05.07.14 को विद्युत् कनेक्शन चालू कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 9 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 02.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(10)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती मल्लादेवी पत्नी श्री शिवचरण माली ग्राम डफलपुर, पोस्ट जहांगीरपुर, जिला करौली द्वारा यह परिवाद ट्रांसफार्मर लगवाकर घरेलू कनेक्शन चालू कराने के संदर्भ म. दिनांक 14.05.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 21.05.14 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत् वितरण निगम लि. जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 22.09.14 के अनुसार परिवादिया को घरेलू कनेक्शन दिनांक 14.07.14 को 5 केवीए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगाकर इसमें विद्युत् सप्लाई सुचारू कर दी गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 7 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 31.12.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(11)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती गुण्टेरी देवी, निवासी ग्राम हरीपुरा, पोस्ट ससेडी, करौली द्वारा यह परिवाद गांव म. 60 घरा. की बस्ती के लिये बिजली विभाग म. पत्रावलियां प्रस्तुत कर डिमाण्ड नोटिस की राशि दिनांक 23.10.13 को जमा करवाने के पश्चात् भी विद्युत् कनेक्शन नहीं दिये जाने के संदर्भ म. दिनांक 14.05.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 21.05.14 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत् वितरण निगम लि, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 22.09.14 के अनुसार ट्रांसफार्मर लगाकर परिवादिया श्रीमती गुन्टेरी की विद्युत् सप्लाई सुचारू कर दी गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादिया को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 29.12.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(15)लोआस/2014

परिवादी श्री कृष्ण गोपाल पुत्र रामसहाय, निवासी जनवार पाड़ा, बेवाली गली, जिला करौली द्वारा यह परिवाद रीडिंग के आधार पर बिल जारी

करने व पैनल्टी माफ/निरस्त करने के संदर्भ म. दिनांक 19.05.14 को पेश किया गया। इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 28.05.14 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर सचिव (प्रशासन), जयपुर डिस्कॉम से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 22.09.14 के अनुसार परिवादी से अधिक चार्ज की गई राशि का समायोजन कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 8 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 08.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(69)लोआस/2014

परिवादी श्री भगवान सहाय सैनी पुत्र श्री प्रभात्या, निवासी ग्राम-पोस्ट अरनियां (ढाणी झाड़ला) तहसील बसवा, जिला दौसा द्वारा यह परिवाद विद्युत् कनेक्शन चालू करवाने के संदर्भ म. दिनांक 09.09.14 को पेश किया गया। इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 15.10.14 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 02.12.14 के अनुसार परिवादी द्वारा दिनांक 30.09.14 को बकाया राशि जमा कराने पर दिनांक 20.10.14 को ट्रांसफार्मर स्थापित कर विद्युत् कनेक्शन चालू किया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 6 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 24.03.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(72)लोआस/2014

परिवादी श्री मोती लाल बैरवा पुत्र श्री जयकिशन बैरवा, निवासी डगरिया कपूर, तहसील बसवा, जिला दौसा द्वारा यह परिवाद डी.पी. जारी करने के संदर्भ म. दिनांक 09.09.14 को पेश किया गया। इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु इस सचिवालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 15.10.14 प्रेषित किया गया जिसके प्रत्युत्तर म. पत्र दिनांक 02.12.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि बैरवाआ. की ढाणी म. नये 5 के.वी.ए ट्रांसफार्मर की स्वीकृति दिनांक 24.11.14 को मिलने के पश्चात सिंगल फेस ट्रांसफार्मर लगाकर उपभोक्ताआ. की विद्युत् सप्लाई चालू कर दी गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 6 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 20.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(118)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री देवीशरण शर्मा, निवासी मकान नं. 207, सुभाष कॉलोनी, मोहन नगर, हिण्डौन सिटी, जिला करौली द्वारा यह परिवाद गलत रूप से भरी गई वी.सी.आर. के प्रकरण की सुनवाई

करने एवं न्याय दिलाने के संदर्भ म. दिनांक 27.11.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु इस सचिवालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 24.12.14 प्रेषित किया गया जिसके प्रत्युत्तर म. पत्र दिनांक 12.03.15 द्वारा अवगत करवाया गया कि विवादित वी.सी.आर. प्रकरण की राशि रूपये 99,480 निरस्त कर दी गई है एवं परिवादिया द्वारा जमा करवाई गई राशि को उसके चालू खाते म. समायोजित करने एवं वी.सी.आर. की राशि पर लगी हुई एल.पी.एस को भी समायोजित करने का निर्णय लिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादिया को लगभग 4 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 24.03.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(231)लोआस/2010

परिवादी श्री हरिकिशन पुत्र श्री पन्नालाल कोली निवासी ग्राम बोसरिया तहसील अलीगढ़, टोंक ने दिनांक 14.02.11 को इस सचिवालय म. परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बोसरिया म. कुल 62 खसरा नम्बरा. म. 46.77 हैक्टेयर भूमि चारागाह स्थित है जिसमें हल्का पटवारी बोसरिया, हल्का गिरदावर व नायब तहसीलदार एवं भूतपूर्व सरंपच ने मिलीभगत कर अतिक्रमण करवाकर बाड़े व मकान बनवा दिये। अधिकारिया. द्वारा इस सम्बन्ध म. कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः प्रकरण म. जाँच करवाकर अतिक्रमण को हटाया जाये और दोषी लोक सेवका. के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

परिवाद इस सचिवालय म. प्रस्तुत होने पर इस सचिवालय के पत्र दिनांक 31.03.11 द्वारा परिवाद की प्रति प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर को प्रेषित कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन तलब किया गया। प्रमुख शासन सचिव, राजस्व(ग्रुप-1) विभाग, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 05.09.11 के द्वारा एवं जिला कलेक्टर, टोंक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.4.12 द्वारा अवगत करवाया कि उपखण्ड अधिकारी, उनियारा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी द्वारा अंकित खसरा नं. 71, 1243/490, 586, 931, 987, 991, 995, 1017, 1024, 1052, 1056, एवं 1138/1062 के अतिक्रमिया. के विरूद्ध नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर 50 गुणा शास्ति के दण्ड से दण्डित कर मौके से बेदखल कर दिया गया है। चूँकि यह प्रकरण पूर्व म. प्रतिवेदन म. सम्मिलित होने से रह गया था, इसलिये इसे इस प्रतिवेदन म. सम्मिलित किया गया है।

एफ.11(246)लोआस/2011

परिवादी श्री नारायण सिंह पुत्र श्री रिजू सिंह, निवासी बांकलसरा कॉलोनी, ग्राम चौहटन, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर ने दिनांक 04.01.12 को इस सचिवालय म. परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनका परिवार पाक विस्थापित परिवार है उनके पिताजी को राज्य सरकार की ओर से कृषि भूमि का आवंटन हुआ था लेकिन गलत खसरा नम्बर लिख दिये जाने की वजह से आज तक भूमि नहीं मिली जिसकी शिकायत उपखण्ड अधिकारी, चौहटन को किये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई बल्कि उसके साथ बदसलूकी की गई। प्रार्थी बीपीएल परिवार के अन्तर्गत आता है और उसके पास एक इंच भी भूमि नहीं है। अतः परिवादी को कृषि भूमि का नया आवंटन करवाया जाये।

परिवाद इस सचिवालय म. प्रस्तुत होने पर इस सचिवालय के पत्र दिनांक 31.01.12 द्वारा परिवाद की प्रति जिला कलेक्टर, बाड़मेर को प्रेषित

कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन तलब किया गया। जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने अपने पत्र दिनांक 12.9.12, 17.12.13 एवं 27.5.14 द्वारा अवगत कराया है कि राजस्व (ग्रुप-4) विभाग राजस्थान, जयपुर से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार प्रार्थी श्री रिजू पुत्र श्री सीताराम जाति रावणा राजूपत, निवासी चौहटन को ग्राम रमजान की गफन (नवीन राजस्व ग्राम भभूते की ढाणी) के खसरा नं. 237 म. से 37.2 बीघा भूमि आवंटित करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। प्रार्थी को आंवटित भूमि का भौतिक कब्जा दिनांक 14.07.14 को सुपुर्द कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद को इस सचिवालय म. दिनांक 04.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(52)लोआस/2012

परिवादी श्री विनोद कुमार द्वारा राजस्व ग्राम वैरूण्डात तहसील सपोटरा, जिला करौली ने एक परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 15.05.12 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी कृषि भूमि पर लगे ट्रांसफार्मर के दिनांक 08.08.12 को जल जाने पर विद्युत् विभाग द्वारा जले ट्रांसफार्मर को पावर हाउस म. जमा कराने के निर्देश दिये लेकिन खेत पर आने वाले 8 फुट के रास्ते को पड़ौसी रूपनारायण पुत्र श्योरतन ने ईंधन लकड़ी डालकर अवरूद्ध कर दिया जो कि सरकारी जमीन है। तहसीलदार सपोटरा, उप जिला कलेक्टर, सपोटरा, जिला कलेक्टर, करौली एवं मुख्य सचिव तक को शिकायत करने के बाद भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ट्रांसफार्मर खराब हो जाने से प्रार्थी की फसल सूख गई है एवं पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। अतः मामले की जाँच करवायी जाकर उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कराव।

परिवाद इस सचिवालय म. प्रस्तुत होने पर इस सचिवालय के पत्र दिनांक 31.06.13 द्वारा जिला कलेक्टर, करौली को परिवाद की प्रति प्रेषित कर

तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर, करौली ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.10.13 द्वारा अवगत कराया कि खसरा नं 422 पर रूपनारायण तथा लोकपत सिंह द्वारा मकान बनाये हुए हैं एवं मकान की बाउण्ड्री करा रखी है। उक्त भूमि वन विभाग की है। वन विभाग द्वारा ही उक्त व्यक्तिया. के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। इस पर इस सचिवालय द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर को वन विभाग की भूमि पर किये गये अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु दिनांक 03.03.14 को लिखा गया। इस सम्बन्ध म. प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने अपने पत्र दिनांक 17.09.14 द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थी श्री विनोद कुमार की ट्रांसफार्मर हटाकर आवाजाही सुगम किये जाने की मूल समस्या का समाधान किया जा चुका है। अतिक्रमिया. के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही अलग से की जा रही है।

इस प्रकार प्रकरण म. नियमानुसार कार्यवाही हो जाने एवं इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशा. की पालना हो जाने पर परिवाद को दिनांक 28.10.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(115)लोआस/2012

परिवादी श्री सुमेर लाल पुत्र श्री रामलाल शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम पंचायत, सिरणी जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर ने दिनांक 27.07.12 को परिवाद इस सचिवालय म. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत, सिरणी जागीर म. डार्क जोन म. ईटं भट्टा चलाकर जल का दोहन किया जा रहा है। ईटं भट्टे को प्रशासन द्वारा बन्द भी कराया गया है परन्तु उसे वापस शुरू कर दिया गया है। ईटं भट्टा चलाने वाले गोचर भूमि म. स्थित सेवाली नाड़ी एवं मोतिरा नाड़ी की पाल को तोड़कर पूर्ण रूप से खुदाई कर ईटं बनाकर बेच रहे हैं। तहसीलदार, पचपदरा द्वारा प्रकरण म. कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः इस अवैध ईटं भट्टे

को जल्द बन्द करवाया जाये एवं तहसीलदार, पचपदरा की भूमिका की जाँच करायी जाकर कड़ी कार्यवाही की जाये तथा अवैध खनन माफियाआ. से नियमानुसार जुर्माना वसूल किया जाये।

परिवाद इस सचिवालय म. प्राप्त होने पर इस सचिवालय के पत्र दिनांक 07.07.13 द्वारा प्रकरण म. जिला कलेक्टर, बाड़मेर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने अपने पत्र दिनांक 21.01.14, 22.05.14 एवं 15.10.14 द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम सिरणी जागीर म. खसरा नं. 311/134, 129 एवं 130 म. वर्ष 2006 व इसके पूर्व से ही लेकर आदिनांक तक दो बार क्रमशः दिनांक 01.11.2006 एवं 22.02.12 को अवैध ईंट भट्टा संचालित होने पर मौके पर बन्द कराया गया। इसी प्रक्रिया म. खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बाड़मेर द्वारा अवैध खनन के सम्बन्ध म. रसीद संख्या 024822/19 दिनाक 27.11.12 से रूपये 77,000/- व रसीद संख्या 024822/166 दिनांक 03.01.12 से रूपये 1,00,000/- की राशि ईटं भटटा संचालक से वसूल की गई है। उक्त खसरा की भूमि का दिनांक 13.03.13 को नियमानुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन किया जा चुका है। मौका जाँच रिपोर्ट अनुसार वर्तमान म. किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने एवं कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने के कारण परिवाद को दिनांक 04.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(148)लोआस/2012

परिवादिया श्रीमति शान्तिदेवी बैरवा एवं अन्य निवासी ग्राम अणतपुरा (रावरा) ग्राम पंचायत गोठडा, तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर ने दिनांक 08.08.12 को इस सचिवालय म. परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 74/6 ग्राम रावरा तहसील खण्डार की चारागाह भूमि म. पटवारी श्री सुरेश बैरवा की मिलीभगत से अतिक्रमण किया गया है।

तहसीलदार, खण्डार को शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अत: उक्त खसरा नम्बर म. हुये अतिक्रमण की उच्च स्तरीय जाँच करवाकर पटवारी को हटाते हुए कार्यवाही करावें।

परिवाद इस सचिवालय म. प्रस्तुत होने पर इस सचिवालय के पत्र दिनांक 07.10.13 द्वारा परिवाद की प्रति जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर को प्रेषित कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन तलब किया गया। जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर ने अपने पत्र दिनांक 02.06.14, 18.07.14, 01.10.14 एवं 02.03.15 से अवगत कराया है कि परिवादिया स्वयं द्वारा ग्राम पादड़ा विस्थापित, तहसील खण्डार के खसरा नं. 63 म. किये गये अतिक्रमण को दिनांक 07.12.14 को ध्वस्त कर दिया गया है।

इस प्रकार प्रकरण म. वाँछित कार्यवाही हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 25.03.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(2)लोआस/2013

परिवादिया श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी श्री चेतन प्रकाश बलाई पुत्री स्व. देवीलाल बलाई निवासी सावर, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ने इस सचिवालय म. दिनांक 29.03.13 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परिवादिया अनुसूचित जाति की वृद्ध व अपंग महिला है। परिवादिया का पति चेतन प्रकाश बलाई तहसील कार्यालय, देवली, जिला टोंक म. च0श्रे0क0 था। विवाह के कुछ वर्षो के बाद परिवादिया के पैर खराब हो जाने की वजह से उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया था। इसके बाद पारिवारिक न्यायालय, अजमेर म. दोना. पक्षा. म. राजीनामा हुआ एवं चेतन प्रकाश को 500/- प्रतिमाह मासिक निर्वाह भत्ता परिवादिया को देने के आदेश दिये गये। करीब 6 वर्ष पूर्व चेतन प्रकाश की मृत्यु हो जाने से उक्त राशि भी बंद हो गई।

चेतन प्रकाश की अवैध व दूसरी स्त्री मेवा देवी ने तहसीलदार व राजस्व कर्मचारिया. से मिलीभगत कर व गलत ढंग से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कर चेतन प्रकाश की जगह सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली तथा जी.पी.एफ, पेंशन, बीमा आदि की राशि भी प्राप्त कर ली। इसके बाद विभिन्न न्यायालया. म. विवाद चलने के उपरांत अंतिम रूप से माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय ने उक्त मेवा देवी की अपील दिनांक 12.02.13 को खारिज कर दी व परिवादिया प्रेमदेवी को ही चेतन प्रकाश का उत्तराधिकारी माना।

अत: माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार परिवादिया को मृतक चेतन प्रकाश की पेंशन, पी.एफ., ग्रेच्युटी, बीमा आदि की समस्त राशि दिलवायी जाये। उक्त सम्पूर्ण राशि मय ब्याज मेवा देवी अथवा उसको गलत ढंग से दिलवाने वाले अधिकारिया. से वसूल कर परिवादिया को दिलवायी जाये। मृतक चेतन प्रकाश के स्थान पर अनुकम्पा के आधार पर परिवादिया को च.श्रे.क. की नौकरी दिलवायी जाये। सम्पूर्ण मामले म. विस्तृत जाँच कराकर दोषी व्यक्तिया. के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

परिवाद इस सचिवालय म. प्रस्तुत होने पर इस सचिवालय के पत्र दिनांक 15.04.14 के द्वारा जिला कलेक्टर, टोंक से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर, टोंक ने अपने पत्र दिनांक 10.06.14 से अवगत कराया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.02.13 एवं जिला न्यायाधीश, टोंक को निर्णय दिनांक 15.05.08 की छाया प्रतियां प्राप्त होने पर प्रकरण का विधिक परीक्षण सहायक निदेशक अभियोजन, टोंक से कराया गया। तत्पश्चात श्रीमती मेवादेवी, च.श्रे.क., तहसील देवली, जिला टोंक को विधिक रूप से सही उत्तराधिकारी नहीं होने के सम्बन्ध म. जरिये नोटिस 15 दिन का समय दिया गया है। श्रीमती मेवादेवी को स्व. चेतन लाल बलाई का सही उत्तराधिकारी नहीं माने जाने के फलस्वरूप सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जा रही है। श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि चेतन लाल बलाई, निवासी सावर, तहसील केकड़ी,

जिला अजमेर को विधिक उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार अनुकम्पात्मक नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

इस प्रकार परिवादिया को यथोचित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 25.07.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(131)लोआस/2013

परिवादी श्री रामगोपाल मीना, निवासी-मुकाम पोस्ट-ऊकरूंद, तहसील-महुवा, जिला-दौसा द्वारा यह परिवाद दिनांक 01.08.13 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया है कि उसकी भूमि खसरा नम्बर 624 रकबा 56 एयर ग्राम ऊकरूंद म. है जो सीट म. 50 एयर दर्ज है जिसका दावा उपखण्ड़ अधिकारी, महुवा म. विचाराधीन है एवं न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा जारी की हुई है। गाँव के लोग रामफूल, कज्जी, भरतलाल, धर्मसिंह, विश्राम, हरिसिंह व रामकरण परिवादी के खेत खसरा नम्बर 624 म. जबर्दस्ती निर्माण कर रास्ते की भूमि स्वयं रखना चाहते हैं। हरिसिंह व रामकरण ने रास्ते पर जबरदस्ती अतिक्रमण कर रखा है जिनके विरूद्ध तहसीलदार, महुवा द्वारा दिनांक 16.07.13 को धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के अधीन कार्यवाही की गयी एवं रामकरण व हरिसिंह द्वारा किये गये अतिक्रमण को गैर कानूनी ठहराया जाकर बेदखली का आदेश दिया गया लेकिन पटवारी हल्का ऊकरूंद ने दिनांक 10.10.12 को बेदखली की फर्जी व बनावटी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जबकि मौके पर अभी भी अतिक्रमण बना हुआ है। हरिसिंह द्वारा बिजली के ट्रांसफॉर्मर को खसरा नम्बर 805 म. रख दिया है जिसके सम्बन्ध म. परिवादी द्वारा पुलिस थाना मण्डावर म. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 102/2013 दर्ज करायी गयी है।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सन्दर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु जिला कलेक्टर, दौसा को पत्र दिनांक 21.08.13 को प्रेषित किया गया एवं इसके बाद सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर जिला

कलेक्टर, दौसा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 06.06.14 के अनुसार दिनांक 04.06.14 को उपखण्ड अधिकारी, महुवा के निर्देशन म. पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, महुवा की टीम द्वारा मौके पर कार्यवाही कर ग्राम ऊकरूंद से गोपालगढ़ के रास्ते के खसरा नम्बर 805 गैर मुमकिन रास्ते पर स्थित पक्के अतिक्रमणा. को व अस्थाई अतिक्रमणा. को पूर्णतः हटवा दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किए जाने के बाद परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 23.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(153)लोआस/2013

परिवादी श्री रामहेत पुत्र शिब्बूराम, ग्राम सिरसौंदा, पोस्ट दौरदा, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर ने दिनांक 06.09.13 को इस सचिवालय म. परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भरतपुर के तहसील रूपवास म. स्थित राजस्व ग्राम कस्बा रूपवास के अन्तर्गत बनी पी.डब्ल्यू.डी. सड़क रूपवास से जटमांसी के निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति के दौरान खसरा नं. 766 के खातेदार परिवादी व उसके परिजना. द्वारा दो बिस्वा भूमि का मुआवजा प्राप्त किये जाने पर भी दो बिस्वा की बजाय उसकी सम्पूर्ण खातेदारी भूमि 14 बिस्वा को राजस्व रेकार्ड से काटकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते म. दर्ज कर दिया गया। इसी खसरा के अन्य खातेदार अनेक सिंह पुत्र मेघसिंह द्वारा मुआवजा प्राप्त किये जाने के बावजूद उसकी एक बीघा चार बिस्वा भूमि को राजस्व रेकार्ड से हटाकर पी.डब्ल्यू.डी के खाते में दर्ज नहीं किया गया। परिवादी ने यह भी कथन किया कि उसने राजस्व रेकार्ड म. से अवैध रूप से हटा दी गई भूमि को पुनः राजस्व रेकार्ड म. दर्ज करवाने एवं दोषी पटवारी व गिरदावर के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु जिला कलेक्टर, भरतपुर को प्रार्थना पत्र दिया

था। उनके आदेश के बावजूद भी तत्कालीन तहसीलदार, रूपवास द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

परिवादी ने यह निवेदन किया है कि अवैध रूप से हटाई गई 12 बिस्वा भूमि को पुनः राजस्व रेकार्ड म. परिवादी एवं उसके परिजना. के नाम दर्ज किया जाये इसी खसरा नम्बर के अन्य खातेदार अनेक सिंह पुत्र मेघसिंह द्वारा मुआवजा प्राप्त किये जाने के कारण उसकी एक बीघा चार बिस्वा भूमि को राजस्व रेकार्ड से हटाकर पी.डब्ल्यू.डी के खाते में दर्ज किया जाये एवं दोषी लोकसेवका. के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

परिवाद प्रस्तुत होने पर इस सचिवालय द्वारा परिवाद की प्रतिलिपि संभागीय आयुक्त, भरतपुर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत भरतपुर को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 05.02.15 के अनुसार श्यामा बदना पिसरान जबाली हिस्सा 2/3 व रामहेत, अशोक पिसरान शिब्बू हिस्सा 1/3 कौम जाटव साकिन देह सिरसौदा खातेदारी म. खसरा नं. 2268/766 रकबा 12 बिस्वा व 1833/766 रकबा 02 बिस्वा गैर मुमकिन सड़क वाके ग्राम रूपवास म. नामान्तरण संख्या 3294 दिनांक 25.07.14 से दर्ज किया जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया जा चुका है। प्रकरण म. दोषी लोकसेवका. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की प्रक्रिया जारी है।

इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद को इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 12.03.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(199)लोआस/2013

परिवादी श्री दिलावर खान, निवासी–छोटी चेतानिया. की गली, आबिद की चक्की के पास, चाँदाहाल, जोधपुर द्वारा यह परिवाद दिनांक 03.10.13

को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया कि उसके भाई-बहना. का बी.पी.एल. कार्ड तैयार होने के बावजूद उसे नहीं दिया जा रहा है जिससे उसके भाई बहना. का इलाज नहीं हो पा रहा है। उसके चार भाई-बहिन, जो कि विकलांग हैं, म. से दो भाईया. की मृत्यु इलाज के अभाव म. हो गयी। कम्बल साड़ी योजना का चैक भी नगर निगम कार्यालय से बी.पी. एल. कार्ड नहीं होने के कारण नहीं दिया जा रहा है। अतः परिवादी द्वारा बी.पी.एल. कार्ड दिलवाए जाने व उत्तरदायी व्यक्तिया. से मुआवजा दिलवाये जाने की प्रार्थना की गयी है।

इस सचिवालय द्वारा परिवादी के परिवाद की प्रति आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जिला कलेक्टर, जोधपुर को जरिये पत्र दिनांक 08.11.13 को प्रेषित की गयी एवं परिवादी का परिवाद दिनांक 01.11.13 को नस्तीबद्ध कर दिया गया। जिला कलेक्टर, जोधपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 23.04.14 के अनुसार परिवादी द्वारा अब्दुल गफूर पुत्र इब्राहिम ने बी.पी.एल. कार्ड व राशन कार्ड बनाने की प्रार्थना की थी, जो रसद विभाग, जोधपुर द्वारा दिनांक 10.10.14 को जारी किया जा चुका है। नगर निगम कार्यालय, जोधपुर द्वारा भी अब्दुल गफूर को निःशुल्क मेडिकल कार्ड संख्या 11127 मार्च, 2014 म. जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किए जाने के बाद परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हुआ है।

एफ.11(219)लोआस/2013

परिवादी श्री हीरालाल, निवासी-ग्राम व पोस्ट-चौमाकोट, तहसील-दीगोद, जिला-कोटा द्वारा यह परिवाद दिनांक 18.10.13 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया कि भूमि खसरा नम्बर 450 किस्म चारागाह पर अतिक्रमी भंवरलाल मीणा पुत्र लक्ष्मीनारायण मीणा ने अतिक्रमण कर रखा है। उपखण्ड् अधिकारी, दीगोद द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश दे रखा है

एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी जा चुकी है, फिर भी कार्यालय तहसीलदार, दीगोद द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सन्दर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सम्भागीय आयुक्त, कोटा को पत्र दिनांक 11.11.13 को प्रेषित किया गया एवं इसके बाद सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर सम्भागीय आयुक्त, कोटा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 22.01.14 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 450 दो भागा. म. विभक्त होकर खसरा नम्बर 889/450 रकबा 0.45 हैक्टेयर गैरमुमकिन आबादी व शेष खसरा नम्बर 450 चारागाह भूमि है। अतिक्रमी भंवरलाल मीणा का खसरा नम्बर 889/450 पर मकान व बाड़ा बना हुआ है। परिवादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 453 के उत्तरी ओर खसरा नम्बर 458 रकबा 0.10 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता है जिस पर सीसी रोड़ बनी हुई है। परिवादी का अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 453 पर जाने का रास्ता बन्द नहीं है। खसरा नम्बर 450 का अतिक्रमण हटाकर परिवादी को नहीं सम्भलाया जा सकता क्याकि वह चारागाह भूमि है।

सचिवालय द्वारा जिला कलेक्टर, कोटा को पत्र दिनांक 11.03.14 प्रेषित कर चारागाह भूमि पर पाये गये अतिक्रमण के सन्दर्भ म. रिपोर्ट तलब की गयी जिस पर जिला कलेक्टर, कोटा की ओर से पत्र दिनांक 27.06.14 प्रेषित किया गया जिसमें यह अंकित किया गया कि खसरा नम्बर 889/450 गैरमुमकिन आबादी जमीन पर से अतिक्रमण हटाकर जमीन ग्राम पंचायत को सम्भला दी गयी है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किए जाने के बाद परिवादी को लगभग 8 माह म. पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 05.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(226)/लोआस/2013

परिवादी श्री मुकेश बैरवा, निवासी-ग्राम सेंदड़ी, पोस्ट-देहित, जिला-बून्दी द्वारा यह परिवाद दिनांक 21.10.13 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया कि उसके पिता के नाम आवंटित कृषि भूमि वाके ग्राम सेंदड़ी खसरा नम्बर 279 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा, वर्तमान खसरा नम्बर 481 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, जो कि राजस्व रिकॉर्ड म. गैर खातेदारी दर्ज है, पर वे नियमित रूप से कब्जा काश्त करते आ रहे हैं तथा आवंटन की शर्तो की पालना भी की गई है किन्तु उक्त भूमि उसके पिता के नाम गैरखातेदार के रूप म. दर्ज है जिसे परिवादी द्वारा स्वयं के नाम खातेदारी म. दर्ज करने की प्रार्थना की गयी है।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सन्दर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु जिला कलेक्टर, बून्दी को पत्र दिनांक 18.11.13 को प्रेषित किये जाने पर जिला कलेक्टर, बून्दी से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 01.07.14 के अनुसार श्री मोती पिसरान मन्ना, जाति-बैरवा, निवासी-ग्राम सेंदड़ी म. आवंटित खसरा संख्या 481 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा पर खातेदारी सनद क्रमांक 01 दिनांक 23.06.14 को जारी कर दी गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किए जाने के बाद परिवादी को लगभग 8 माह म. पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 23.07.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(266)/लोआस/2013

परिवादिया श्रीमती गजरा पत्नी श्री हरिसिंह हाल निवासी गोलपुरा डहरा, कुम्हेर, जिला भरतपुर द्वारा यह परिवाद दिनांक 06.10.13 को इस सचिवालय म. प्रस्तुत किया गया। परिवाद म. परिवादिया ने एस.डी.एम. भरतपुर के न्यायालय म. आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी म. उनके

निर्णय दिनांक 24.10.13 की नकल दिलवाये जाने, प्रार्थिया की कृषि भूमि पर हुये अवैध कब्जे को हटवाने तथा उक्त पत्रावली की उच्च स्तरीय जाँच करवाकर दोषी अधिकारिया. /कर्मचारिया. को दण्डित कर प्रार्थिया को न्याय दिलवाने हेतु निवेदन किया।

इस परिवाद की एक प्रति इस सचिवालय के पत्र दिनांक 21.11.13 के साथ जिला कलेक्टर, भरतपुर को आवश्यक कार्यवाही करने एवं की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु प्रेषित की गई जिस पर जिला कलेक्टर, भरतपुर ने अपने पत्र दिनांक 23.04.14 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादिया द्वारा दिनांक 26.11.13 को आवेदन करने पर नियमानुसार नकल जारी कर दी गई थी तथा परिवादिया के अन्य आरोप निराधार व असत्य है।

इस प्रकार प्रकरण म. परिवादिया को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 25.06.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(330)/लोआस/2013

परिवादी श्री दुर्गालाल पुत्र श्री भैंरूलाल निवासी सैंदड़ी द्वारा यह परिवाद दिनांक 04.03.14 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया कि उसके पिता श्री भैंरूलाल के नाम पर आराजी खसरा नम्बर 427 रकबा 3 बीघा ग्राम सैंदड़ी तहसील व जिला बून्दी म. दिनांक 07.02.1983 को जरिये पत्रावली संख्या 1166 से आवंटित हुई जिसका दखलनामा दिनांक 09.02.1983 को परिवादी को दिया गया एवं उक्त आराजी पर वह काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। परिवादी अनुसूचित जाति का है जिसे राज्य सरकार द्वारा गैर खातेदारी प्रदान कर दी गयी परन्तु गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार अभी तक उसे नहीं दिये गये। उसके द्वारा खातेदारी दिलवाये जाने की प्रार्थना की गयी।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सन्दर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु जिला कलेक्टर, बून्दी को पत्र दिनांक 10.03.14 को प्रेषित किया गया एवं इसके बाद सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर जिला कलेक्टर, बून्दी से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 01.07.14 के अनुसार परिवादी को ग्राम सेंदडी म. आवंटित भूमि खसरा नम्बर 427 रकबा 3 बीघा गैर खातेदार दर्ज था जिस पर भैरूलाल के फोत हो जाने के कारण उसके वारिसान दुर्गालाल (परिवादी) व मदनलाल के नाम खातेदारी सनद क्रमांक 02 दिनांक 23.06.14 जारी कर दी गयी है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किए जाने के बाद परिवादी को लगभग 4 माह म. पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 23.07.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(363)लोआस/2013

परिवादी श्री सुरेश कुमार पुत्र रमेश चन्द जाति जाटव, निवासी गून्दपुर, पोस्ट खानपुर जाट, जिला अलवर ने इस सचिवालय म. दिनांक 21.03.14 को यह परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम झारेड़ा की खसरा नं. 94 की सार्वजनिक जोहड़ एवं तालाब की भूमि पर गांव के प्रभावशाली लोगा. ने अतिक्रमण कर रखा है एवं तालाब के चारा. तरफ मेड़बन्दी को तोड़कर मकान बना रहे है जिससे तालाब म. पानी आने का रास्ता अवरूद्ध हो गया है। यह भी कथन किया कि ग्राम झारेड़ा, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित है जो डार्क जोन एरिया म. आता है। अत: उक्त अतिक्रमण को हटवाया जावे।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, अलवर को पत्र दिनांक 16.04.14 लिखा जाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई जिसके प्रत्युत्तर म. उन्होंने अपने अंतरिम उत्तरा. के पश्चात् पत्र दिनांक 17.01.15 से अवगत

करवाया कि परिवाद म. वर्णित तथ्या. की जाँच उपखण्ड अधिकारी, अलवर से करवायी गई। उक्त परिवाद के आधार पर भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 म. प्रकरण दर्ज किये जाकर न्यायालय द्वारा प्रकरण निर्णित किये गये हैं। निर्णय की पालना म. दिनांक 12.01.15 को सिवायचक जोहड़ भूमि खसरा नं. 94, ग्राम झारेड़ा, तहसील अलवर पर पक्का निर्माण कर किये गये अतिक्रमण को परिवादी की उपस्थिति म. ध्वस्त किया जाकर हटवा दिया गया है। परिवादी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से संतुष्ट है।

इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 12.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(17)लोआस/2014

परिवादी श्री भूपेन्द्र पुत्र लीलाधर जाति-जाट निवासी गौरीर, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं ने दिनांक 19.04.14 को झुन्झुनूं कैम्प म. परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद ग्राम गौरीर म. खसरा नं.2085 किस्म गैर मुमकिन पहाड़ स्थित है और आबादी क्षेत्र से बाहर है तथा उक्त जमीन म. से ग्राम गौरीर से खेता. म. जाने वाला रास्ता कदीमी स्थित है। उक्त रास्ते की भूमि म. गांव के कुछ लोगा. ने अवैध रूप से बाथरूम व चारदीवारी बनाकर रास्ता बन्द कर दिया है। नायब तहसीलदार, खेतड़ी ने दिनांक 28.02.14 को भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज मुकदमे म. अवैध अतिक्रमण को तोड़ने एवं रास्ता चालू करने के आदेश दिये थे किन्तु प्रशासन द्वारा उक्त निर्णय के बावजूद भी रास्ता नहीं खुलवाया गया है। उक्त रास्ता बाबत पक्षकारा. के बीच फौजदारी मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। अतः उक्त रास्ते को खुलवाने के आदेश प्रशासन को दिये जाय।

यह परिवाद दिनांक 19.04.14 को झुन्झुनूं कैम्प म. जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं की जानकारी म. प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा तहसीलदार, खेतड़ी को सीधे ही अपने पत्र दिनांक 21.04.14 द्वारा अतिक्रमण को ध्वस्त कर रास्ता खुलवाने के निर्देश देकर उसकी एक प्रति इस सचिवालय को पृष्ठांकित की थी। इसके पश्चात उनसे तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 01.08.14 से अवगत करवाया कि ग्राम गौरीर की राजकीय भूमि खसरा नं.2085 गैर मुमकिन पहाड़ पर स्थित खेता. म. जाने के कदीमी रास्ते पर गोकलेन्द्र व रूद्रप्रकाश पुत्रगण बस्तीराम जाति जाट निवासी गौरीर द्वारा बाथरूम, टॉयलेट व चारदीवारी बनाकर किये गये अतिक्रमण को दिनांक 30.04.14 को ध्वस्त करवाकर रास्ता खुलवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष 10 दिन म. ही प्राप्त हो जाने पर इस परिवाद को इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 03.12.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(42)लोआस/2014

परिवादी श्री परभाती लाल जाटव पुत्र श्री रामहंस जाटव निवासी ग्राम डरूआपुरा (कोसरा), तहसील व जिला करौली ने इस सचिवालय म. दिनांक 12.05.14 को यह परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और कच्चे घास-फूस एवं पाटोर के घर म. निवास करता है। अतः उसका नाम बी.पी.एल. सूची म. जुड़वाया जावे।

इस परिवाद की एक प्रति पत्र दिनाक 06.06.14 के द्वारा जिला कलेक्टर, करौली को आवश्यक कार्यवाही करने एवं की गई कार्यवाही से इस सचिवालय को अवगत कराने हेतु प्रेषित की गई। जिला कलेक्टर, करौली ने अपने पत्र दिनांक 10.03.15 से अवगत करवाया कि उप जिला

कलेक्टर, करौली ने न्यायालय प्रथम अपीलीय अधिकारी बीपीएल सर्वे 2002 (उपखण्ड अधिकारी) करौली की हैसियत से अपने निर्णय क्रमांकः बीपीएल/अपील/-2014/3534-3536 दिनांक 18.12.14 द्वारा परिवादी श्री परभाती लाल जाटव की अपील स्वीकार कर उसका नाम बी.पी.एल. सूची म. जोड़े जाने की स्वीकृति जारी कर दी है।

प्रकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये जाने पर विभाग द्वारा उचित कार्यवाही कर लिया जाना इस सचिवालय की महत्ता को प्रकट करता है।

एफ.11(62)लोआस/2014

परिवादी श्री विष्णु शर्मा पुत्र श्री चेतराम शर्मा निवासी 135, नानगावाली गली, ग्राम सांवई, तहसील डीग, जिला भरतपुर ने दिनांक 23.05.14 को यह परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सांवई म. स्थित खसरा नं. 1438 रकबा 2.12 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1769 रकबा 0.22 हैक्टेयर गैर मुमकिन श्मशान भूमि पर गांव के कुछ लोगा. ने नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। अतः उक्त श्मशान भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जावे एवं पैमाईश करवाई जाकर पुख्ता सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाये।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, भरतपुर को पत्र दिनांक 20.06.14 लिखा जाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपने पत्र दिनांक 08.12.14 से अवगत करवाया कि दिनांक 04.12.14 को उपखण्ड अधिकारी, डीग व तहसीलदार, डीग एवं अन्य राजस्व कर्मचारियों के द्वारा ग्राम सांवई के खसरा नं. 1438 रकबा 2.12 हैक्टेयर गैर मुमकिन श्मशान का चिन्हीकरण करवाकर मौके पर जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को हटाया गया तथा खाई की खुदाई की गई। मौके पर अब कोई अतिक्रमण नहीं है। यह भी अवगत करवाया गया कि शिकायतकर्ता विष्णु शर्मा की गई उक्त कार्यवाही से संतुष्ट है।

इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष लगभग 6 माह म. प्राप्त हो जाने पर इस परिवाद को इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 05.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(72)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती झमकू देवी पत्नी स्व. श्री पूरणसिंह रावत, ग्राम शीतला का चौड़ा, पोस्ट बदनोर, जिला भीलवाड़ा राजस्थान ने इस सचिवालय म. परिवाद दिनांक 04.06.14 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बदनोर स्थित खाता संख्या 485 की कुल किता 29 रकबा 2.34 हैक्टेयर म. से 1/5 हिस्सा भूमि परिवादिया की है जिसमें आने जाने के लिए रास्ता चारागाह भूमि आराजी नं. 5888/95 रकबा 1.36 हैक्टेयर से होकर जाता है। उक्त रास्ते का उपयोग उनके परिवार द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आने जाने के लिए किया जाता रहा है। गांव के कुछ लोगा. ने लोक सेवक पटवारी से मिलीभगत कर अतिक्रमण कर चारदीवारी का निर्माण कर उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है। उक्त रास्ता बन्द कर दिये जाने से परिवादिया विगत दो वर्षो से अपनी भूमि म. फसल काश्त नहीं कर पा रही है जिससे उसके परिवार के भूखा. मरने की नौबत आ गई है। अतः उक्त बन्द रास्ते को खुलवाया जाये एवं लोक सेवक पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को पत्र दिनांक 11.08.14 प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर भीलवाड़ा ने अपने पत्र दिनांक 27.08.14 द्वारा अवगत करवाया कि उक्त चारागाह आराजी खसरा नं. 5888/95 रकबा 1.36 हैक्टेयर पर पन्नासिंह वगैरह द्वारा अतिक्रमण करने पर अतिक्रमिया. के विरूद्ध दिनांक 22.05.14 को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत पारित बेदखली के आदेश की पालना म. दिनांक 25.06.14 को अतिक्रमिया. को भौतिक

रूप से बेदखल किया जा चुका है जिससे प्रार्थिया चारागाह भूमि म. दो तरफ रास्ते म. से होकर आवागमन कर सकती है।

इस प्रकार परिवादिया को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस परिवाद को इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 03.12.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(82)लोआस/2014

परिवादी श्री सुगनसिंह भाटी, निवासी नोख, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर ने इस सचिवालय म. दिनांक 16.06.14 को यह परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नोख, तहसील पोकरण की ओरण भूमि पर भू-माफियाआ. द्वारा दिनांक 02.03.10 को सरपंच की मिलीभगत से पत्थर की पट्टिया. से अतिक्रमण कर लिया गया था। जिला कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा दिनांक 23.04.12 को तहसीलदार, पोकरण को उक्त अतिक्रमण को भौतिक रूप से हटाने के निर्देश दिये गये थे किन्तु पांच वर्ष म. कई बार शिकायत करने पर भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, जैसलमेर से पत्र दिनांक 14.08.14 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिसके प्रत्युत्तर म. जिला कलेक्टर, जैसलमेर ने अपने पत्र दिनांक 01.12.14 द्वारा अवगत करवाया कि ओरण भूमि खसरा नं. 2552/3153 म. श्री भंवर लाल पुत्र श्री सेढाराम जाति भील एवं श्री दीपसिंह पुत्र दानसिंह जाति राजपूत के वारिसान द्वारा किये गये अतिक्रमण को उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के नेतृत्व म. दिनांक 29.11.14 को हटाकर भूमि को राज हक कब्जा लिया गया है। मौके पर फर्द मौका भी बनाई गई जिस पर परिवादी श्री सुगन सिंह भाटी द्वारा भी हस्ताक्षर किये गये हैं।

इस प्रकार परिवादी को पांच वर्ष से वाँछित अनुतोष इस सचिवालय की कार्यवाही से लगभग तीन माह म. ही प्राप्त हो जाने पर इस परिवाद को इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 27.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(84)लोआस/2014

परिवादी श्री विनोद शर्मा पुत्र श्री वासुदेव शर्मा निवासी गोविन्दम्, सदर थाने के पीछे, स्टेशन रोड़, जयपुर ने इस सचिवालय म. दिनांक 16.06.14 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 15, जयपुर महानगर, जयपुर के दीवानी वाद संख्या 141/2013 के पक्षकारान् पदमचन्द जैन व अन्य बनाम आलोक कुमार मुखर्जी एवं अरूप कुमार मुखर्जी के मध्य चल रहे दीवानी विवाद को गुणावगुण के आधार पर निर्णित ना कराकर, विद्वेषपूर्ण तरीके से, राजीनामा के आधार पर सम्पत्ति के विवाद को चन्द दिनों में निपटारा कराकर, राजीनामा की डिक्री प्राप्त करते हुए, स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया और तद्द्वारा लाखों रूपये के मुद्रांक शुल्क की अपवंचना कर सरकार के साथ छल किया। दिनांक 17.03.11 को पहला एवं दिनांक 20.05.11 को दूसरा दस्तावेज रजिस्टर्ड कराया गया है। अतः उक्त कृत्य करने वाला. के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लाखा. रूपये के मुद्रांक शुल्क की वसूली की जाये।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, जयपुर को पत्र दिनांक 02.09.14 प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई जिसके प्रत्युत्तर म. पत्र दिनांक 20.10.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त डिक्री का प्रकरण संख्या 853/14 न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, मुद्रांक म. दर्ज हुआ जिसमें दिनांक 26.09.14 को निर्णय पारित हुआ। प्रकरण म. उप पंजीयक, जयपुर-द्वितीय से प्राप्त मूल्यांकन के अनुसार कुल रूपये 83,59,038/- पर कमी मुद्रांक राशि रूपये 4,17,960/-, शास्ति रूपये 1,33,750/-, सरचार्ज रूपये 41,800/- ब्याज 75,780/- कुल 6,69,290/- रूपये वसूली योग्य

पाये गये जो दिनांक 26.09.14 को रसीद सं.3475977 द्वारा राजकोष म. जमा हो चुके हैं। अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

इस प्रकार इस सचिवालय की प्रभावी कार्यवाही से राज्य को रूपये 6,69,290/- की राजस्व आय प्राप्त हुई। परिवादी को उपर्युक्तानुसार वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 25.11.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(109)लोआस/2014

परिवादी श्री लालाराम काला, काला एण्ड कंपनी (पेट्रोल पम्प) एन.एच. 11, जिरोता, जिला दौसा ने दिनांक 24.06.14 को प्रस्तुत परिवाद म. निवेदन किया है कि जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 02.04.87 द्वारा काला एण्ड कम्पनी (पेट्रोल पम्प) को भूमि 20 वर्ष की अवधि के लिये दी गई थी। यह अवधि दिनांक 2007 को समाप्त होने से पूर्व ही परिवादी ने लीज नवीनीकरण हेतु जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन किया था एवं सभी आवश्यक जानकारियां भी उपलब्ध करवा दी थीं लेकिन आज दिनांक तक लीज नवीनीकरण नहीं हुआ है। अतः उक्त भूमि की लीज का 20 वर्ष के लिए नवीनीकरण का निर्देश प्रदान कराव।

इस परिवाद की प्रति संभागीय आयुक्त, जयपुर को पत्र दिनांक 02.09.14 से प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। संभागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 13.11.14 द्वारा अवगत करवाया कि लालाराम काला पुत्र श्री रामजी लाल काला 20, लक्ष्मी नगर, हटवाड़ा रोड़, जयपुर हाल जीरोता कलां, तहसील दौसा के पक्ष म. आवंटन/रूपान्तरण की गई ग्राम जीरोता कलां तहसील दौसा स्थित निजी खातेदारी की भूमि खसरा नं0 47, 48, 49 एवं 50 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा म. से 2300 वर्गगज भूमि की लीज दिनांक 03.04.2007 से 02.04.2027 तक (20वर्ष) की

अवधि के लिए नवीनीकरण करने का आदेश दिनांक 29.09.14 को जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष लगभग 20 दिन की अल्पावधि म. ही प्राप्त हो जाने पर इस परिवाद को इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 05.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(115)लोआस/2014

परिवादी श्री बजरंग लाल हुरकट, अध्यक्ष, गौरक्षा समिति, केशव नगर, गौशाला नये बस स्टेण्ड के पीछे, पाली मारवाड़ ने दिनांक 27.06.14 को यह परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी गौशाला पिछले 11 वर्षो से कार्यरत है किन्तु आज दिनांक तक गौशाला को कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। परिवादी ने यह भी कथन किया कि राहत शासन सचिव ने माह फरवरी 2014 म. ही सभी जिला कलेक्टर को गौशालाआ. की पशु संख्या सम्बन्धी जानकारी देने के लिए पत्र भेज दिये थे किन्तु पाली जिला प्रशासन द्वारा देर से उक्त सूचना भेजी गई जिसके कारण अनुदान मिलने म. देरी हुई क्याकि जिस दिन सूचना प्राप्त होती है उसी दिन से अनुदान मिल सकता है।

परिवादी ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार, पाली द्वारा उक्त सूचना मांगे जाने का पत्र दिनांक 07.05.14 को लिखा गया जो गौशाला म. दिनांक 10.05.14 को प्राप्त हुआ जिसकी सूचना उनके द्वारा तहसीलदार, पाली को दिनांक 30.05.14 को उपलब्ध करा दी गई है। परिवादी ने यह मांग की है कि राज्य सरकार के द्वारा फरवरी म. ही सूचना मांगे जाने के बावजूद तीन माह तक सूचना पाली जिला प्रशासन द्वारा नहीं भेजे जाने के कारण गौशाला को अनुदान नहीं मिल पाने के लिए जो भी लोकसेवक दोषी हैं उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये ताकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, पाली से पत्र दिनांक 23.07.14 से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी गई जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 09.12.14 से अवगत करवाया कि गौ रक्षा समिति केशव नगर, पाली द्वारा अपने पत्र दिनांक 08.09.14 द्वारा दिनांक 30.06.14 से 15.08.14 तक की अवधि के बिल प्रस्तुत किये गये थे जिनके संदर्भ म. आदेश संख्या 4628 दिनांक 19.11.14 द्वारा रूपये 14,27,675/- का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को लगभग चार माह म. वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस परिवाद को इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 24.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(120)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती सुगणाई पत्नी भींयाराम जाट, निवासी झाक, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर ने दिनांक 27.06.14 को यह परिवाद इस सचिवालय म. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परिवादिया ने अप्रार्थीगण दूदाराम धर्माराम, डूंगरराम, भागूराम पिसरान भींयाराम जाति जाट, निवासी झाक, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर के समक्ष भरण-पोषण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। भरण-पोषण अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), पीपाड़ शहर ने दिनांक 24.10.11 को परिवादिया का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को एक-एक हजार रूपये प्रत्येक माह की 7 तारीख तक प्रार्थिया के खाते म. जमा कराने के आदेश प्रदान किये थे। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि आदेशानुसार जमा नहीं कराये जाने पर उपखण्ड अधिकारी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध कुर्की आदेश दिनांक 10.06.14 को जारी किये थे किन्तु तहसीलदार, बिलाड़ा द्वारा उक्त आदेशा. की पालना नहीं की जा रही है। अत: अप्रार्थीगण की चल सम्पत्ति को कुर्क कर प्रार्थिया के बैंक

खाते म. 72,000 रूपये की राशि जमा कराने के आदेश तहसीलदार, बिलाड़ा को प्रदान किये जाये।

इस परिवाद की एक प्रति पत्र दिनांक 28.07.14 द्वारा जिला कलेक्टर, जोधपुर को प्रेषित की जाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। जिला कलेक्टर, जोधपुर ने पत्र दिनांक 05.09.14 द्वारा अवगत करवाया कि भरण-पोषण अधिनियम के तहत परिवादिया के खाते म. दिनांक 07.08.14 को कुल रूपये 72,000/- जमा कराये जा चुके है।

इस प्रकार परिवादिया को तत्काल वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस परिवाद को इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 24.12.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(124)लोआस/2014

परिवादी श्री छोट्या पुत्र श्री देवा, निवासी ग्राम मालीहेड़ा, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल प्रेमनगर प्रथम, स्टार पब्लिक स्कूल के पास, जमनालाल मेघवाल का मकान, कोटा ने इस सचिवालय म. दिनांक 08.07.14 को यह परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नं. 561 रकबा 1.76 हैक्टेयर ग्राम मालीहेड़ा पटवार क्षेत्र विनोदखुर्द, तहसील सांगोद, जिला कोटा म. स्थित है। उक्त भूमि पर अवैध रूप से छीतर बरानिया एवं भीमा पिसरान रामरतन गुर्जर निवासी मालीहेड़ा, तहसील सांगोद द्वारा कब्जा कर लिया गया। इसके सम्बन्ध म. परिवादी द्वारा कार्यवाही करने पर न्यायालय तहसीलदार, सांगोद द्वारा धारा 183बी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण सं. 6/2012 म. दिनांक 19.06.13 को आदेश पारित कर प्रार्थी को कब्जा सुपुर्द करने के आदेश दिये गये परन्तु आदेश की पालना म. परिवादी को उसकी भूमि पर कब्जा सुपुर्द नहीं करवाया जा रहा है। अतः प्रार्थी को उसकी भूमि पर

कब्जा दिलाया जाये एवं अकर्मण्यता के लिए जिम्मेदार स्थानीय तहसीलदार कानूनगो, पटवारी आदि के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, कोटा को पत्र दिनांक 28.07.14 प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। जिला कलेक्टर, कोटा ने अपने पत्र दिनांक 22.09.14 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी को दिनांक 05.09.14 को उक्त आराजी खसरा नं. 561 की पैमाइश करवाई जाकर भूमि का कब्जा संभला दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष लगभग एक माह की अल्प अवधि म. ही प्राप्त हो जाने पर इस परिवाद को इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 17.03.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(155)लोआस/2014

परिवादी श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रेखाराम जाति जाट निवासी ग्राम शिवराना का बास, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर ने दिनांक 14.07.14 को यह परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शिवराना का बास, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर का खसरा नं. 127 कटान का सार्वजनिक रास्ता है तथा उसके खेत म. जाने का एक मात्र रास्ता है। पड़ौसी खेत वाला. ने इस रास्ते को अपने खेता. म. मिलाकर खेती करना प्रारम्भ कर दिया है जिससे परिवादी को अपने खेत म. जाने म. परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः उक्त सार्वजनिक रास्ते को खुलवाया जावे।

इस परिवाद की एक प्रति जिला कलेक्टर, सीकर को दिनांक 14.08.14 को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित की गई जिसके प्रत्युत्तर म. जिला कलेक्टर सीकर ने अपने पत्र दिनांक 28.11.14 द्वारा अवगत करवाया कि ग्राम शिवराना का बास की भूमि खसरा नं.127 किस्म गैर मुमकिन रास्ता

को दिनांक 21.11.14 को परिवादी की उपस्थिति म. खुलवाया जा चुका है तथा वर्तमान म. मौके पर रास्ता चालू है। इस प्रकार परिवादी को लगभग 3 माह म. वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस परिवाद को इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 10.12.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

प्रकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये जाने पर भी विभाग द्वारा उचित कार्यवाही कर लिया जाना इस सचिवालय की महत्ता को प्रकट करता है।

एफ.11(162)लोआस/2014

परिवादी श्री लालचन्द सैनी पुत्र श्री केशरराम सैनी निवासी ढाणी ढायवाली, ग्राम लिसाड़िया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने दिनांक 14.07.14 को इस सचिवालय म. परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांकः निसशि/शैक्ष-3/नवीन/क्रमोन्नति/पं.115/2011-12/-1055-376 दिनांक 12.07.11 के द्वारा राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, लिसाड़िया खोला गया था । उक्त विद्यालय म. 32 छात्र-छात्राएं नामांकित होकर अध्ययनरत हैं परन्तु विद्यालय के पास न तो भवन है और न ही अपनी भूमि है। भूमि आवंटन व अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए ग्राम पंचायत को कई बार प्रार्थना की जा चुकी है परन्तु राजनैतिक द्वेषभावना के कारण पंचायत न तो भूमि आवंटित कर रही है और न अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रही है। अतः उक्त विद्यालय हेतु भवन एवं खेल मैदान हेतु निःशुल्क भूमि आवंटित करवाने की कार्यवाही शीघ्र करवाई जावे।

इस परिवाद की एक प्रति जिला कलेक्टर, सीकर को पत्र दिनांक 19.08.14 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। जिला कलेक्टर, सीकर ने अपने पत्र दिनांक 17.10.14 द्वारा अवगत करवाया कि तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर की अभिशंसा के अनुसार आदेश

क्रमांकः एफ.3(87)शिसंअस/भू.आ./राजस्व/14/5389-5400 दिनांक 15.10.14 के द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालया, धर्मशालाआ. एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के अन्तर्गत ग्राम लिसाडिया, तहसील श्रीमाधोपुर स्थित भूमि खसरा सं. 1505 रकबा 0.62 हैक्टेयर किस्म बंजड़ 2 सिवायचक सम्पूर्ण राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, लिसाड़िया के भवन व खेल मैदान हेतु संस्कृत शिक्षा विभाग को निर्धारित शर्तो पर आवंटित कर दी गई है। इस प्रकार परिवादी को लगभग 2 माह की अवधि म. वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस परिवाद को दिनांक 10.11.14 को अंतिम रूप से नस्तीबद्ध किया गया।

प्रकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये जाने पर विभाग द्वारा उचित कार्यवाही कर लिया जाना इस सचिवालय की महत्ता को प्रकट करता है।

एफ.11(165)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती विमलादेवी मीणा पत्नी श्री नाथूराम मीणा, निवासी वार्ड नं. 1 सबलपुरा पावर हाउस के सामने, सीकर हाल ताजसर खेलडोलियान, तहसील धोद जिला सीकर ने दिनांक 23.07.14 को यह परिवाद प्रस्तुत कर कथन किया उसके कब्जे, खातेदारी, अधिकार की कृषि भूमि खसरा नं. 267 क्षेत्रफल 0.70 हैक्टेयर खसरा नं. 268 क्षेत्रफल 0.69 हैक्टयेर, खसरा नं. 271 रकबा 1.16 हैक्टेयर ग्राम ताजसर खेलडोलियान पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील व जिला सीकर पर विभिन्न लोगा. द्वारा नाजायज रूप से कब्जा कर लिया गया है जिसे नियमानुसार अतिक्रमणविहीन करवाया जाकर कब्जा परिवादिया को सुपुर्द करवाया जावे।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, सीकर को पत्र दिनांक 25.08.14 लिखा जाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। इसके प्रत्युत्तर म.

जिला कलेक्टर, सीकर ने अपने पत्र दिनांक 05.11.14 द्वारा यह अवगत करवाया कि परिवादिया की उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध म. मुकदमा संख्या 2/2014 अन्तर्गत धारा 183बी न्यायालय तहसीलदार, धोद, जिला सीकर द्वारा दिनांक 16.09.14 को निर्णित किया गया एवं निर्णय की अनुपालना म. दिनांक 29.10.14 को परिवादिया श्रीमती विमला देवी को उक्त भूमि का कब्जा भौतिक रूप से संभला दिया गया है।

इस प्रकार परिवादिया को वाँछित अनुतोष लगभग 2 माह म. प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 05.01.15 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.11(175)लोआस/2014

परिवादी श्री हमीद मोहम्मद आत्मज ख्वाजू खां, ग्राम देहित, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी जरिये पुत्र रफीक मोहम्मद ने दिनांक 18.07.14 को यह परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसको दिनांक 23.06.1986 को मि.स.607/86 से ग्राम देहित, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी की आराजी खसरा संख्या 1835 रकबा 4 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। आवंटित भूमि म. से रकबा 0.17 बीघा भूमि पर रेलवे द्वारा नर्सरी लगा देने से प्रार्थी को दिनांक 22.07.1986 को रकबा 3.03 बीघा भूमि पर ही कब्जा दिया गया था जिस पर वह आज दिनांक तक निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है किन्तु वह आज भी गैर खातेदार के रूप म. दर्ज है। चूंकि आवंटन को लम्बा समय हो गया है तथा प्रार्थी द्वारा समय-समय पर सभी तरह की फीस आदि जमा की जाती रही है। अतः उसे उक्त आवंटित भूमि का खातेदारी अधिकार दिलवाया जाये।

इस परिवाद की एक प्रति जिला कलेक्टर, बून्दी को पत्र दिनांक 20.08.14 द्वारा प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। जिला

कलेक्टर, बून्दी ने अपने पत्र दिनांक 20.02.15 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी की भूमि खसरा नं. 3444/1835 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा पर उसे दिनांक 20.02.15 को खातेदारी अधिकार प्रदान कर सनद जारी की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को 6 माह म. ही वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 03.03.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(245)लोआस/2014

परिवादी श्री शेषकरण बीठू पुत्र स्व.श्री मोहन सिंह बीठू निवासी लालसिंहपुरा, पोस्ट सींथल, तहसील व जिला बीकानेर ने दिनांक 26.08.14 को इस सचिवालय म. परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लालसिंहपुरा, ग्राम पंचायत, सींथल, पंचायत समिति, बीकानेर म. स्थित है परन्तु सीमाकंन के नये प्रस्तावा. म. लालसिंहपुरा को अनुचित रूप से ग्राम पंचायत, बेलासर म. जोड़ा जा रहा है जो कि लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार के आपत्तिपूर्ण प्रस्ताव को तुरन्त प्रभाव से रोका जाये तथा लालसिंहपुरा को ग्राम पंचायत, सींथल का हिस्सा ही रखा जाये।

इस परिवाद की प्रति जिला कलेक्टर, बीकानेर को इस सचिवालय के पत्र दिनांक 30.10.14 के संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित की गई। प्रत्युत्तर म. जिला कलेक्टर, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 08.12.14 के द्वारा अवगत करवाया कि पंचायती राज संस्थाआ. के पुनर्सीमांकन/पुर्नगठन के पश्चात् ग्राम लालसिंहपुरा को ग्राम पंचायत, सींथल म. ही शामिल किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को दो माह की अवधि म. ही वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस परिवाद को इस सचिवालय स्तर पर अंतिम रूप से दिनांक 23.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

प्रकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये जाने पर विभाग द्वारा उचित कार्यवाही कर लिया जाना इस सचिवालय की महत्ता को प्रकट करता है।

एफ.11(298)/लोआस/2014

यह परिवाद श्री हनुमान सहाय जोगी, निवासी मानबाग, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर ने इस सचिवालय म. दिनांक 11.09.14 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जयसिंहपुरा खोर म. सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर सुनियोजित तरीके से मकान बनाकर बेचे जा रहे हैं। इस कार्य में मुख्य भूमिका जिला कलेक्टर कार्यालय जयपुर म. पदस्थापित श्री गोविन्द शर्मा, च.श्रे.क. की है तथा इसने सरकारी चारागाह भूमि मानबाग जयसिंहपुरा खोर म. करीब 500 वर्गगज म. मकान बना रखा है एवं इसके चरपेटे करीब 500 वर्गगज सरकारी भूमि पर मकान बनाकर बेचने का धंधा किया जा रहा है। अतः सरकारी चारागाह भूमि को भूमाफिया के कब्जे से मुक्त करवाया जाये।

इस परिवाद की प्रति आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को दिनांक 19.12.14 को प्रेषित कर कार्यवाही करने के लिए लिखा गया। सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने पत्र दिनांक 12.02.15 द्वारा अवगत करवाया कि मौके पर खसरा नं. 13/1 किल्लनगढ़ मानबाग जयसिंहपुरा खोर म. सरकारी भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया था जिसे सामूहिक अभियान चलाकर दिनांक 28.01.15 को जे.सी.बी. मशीन की सहायता से ध्वस्त करवा दिया गया है।

अतः इस प्रकार प्रकरण म. वाँछित कार्यवाही सम्पन्न हो जाने पर इस परिवाद को इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 27.02.15 को अंतिम रूप से नस्तीबद्ध किया गया।

प्रकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये जाने पर विभाग द्वारा उचित कार्यवाही कर लिया जाना इस सचिवालय की महत्ता को प्रकट करता है।

एफ.11(387)/लोआस/2014

परिवादीगण श्री रामरतन पुत्र रामदेव, श्योजी पुत्र रामरतन, रामराय पुत्र रामरतन जाति जाट, निवासी नोहटा, तहसील निवाई, जिला टोंक ने अपने परिवाद म. कथन किया कि परिवादीगण ने भारतीय स्टेट बैंक म. अपना एक शामलाती किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा था। परिवादीगण ने अपना अलग-अलग किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु बैंक में पूरी रकम जमा करवा दी और दिनांक 15.09.14 को तहसीलदार, निवाई को उनकी भूमि को रहन मुक्त करने का निवेदन किया किन्तु हल्का पटवारी, नोहटा ने इस कार्य के लिए परिवादीगण से नाजायज रूप से रूपया. की मांग की और बार-बार चक्कर काटने के बावजूद भी रहन मुक्ति का नामान्तकरण नहीं भरा। अतः उक्त पटवारी हल्का नोहटा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाये।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, टोंक ने अपने पत्र दिनांक 13.03.15 के द्वारा अवगत करवाया कि तहसीलदार निवाई द्वारा शिकायतकर्त्ताआ. की उक्त भूमि का रहन मुक्ति का आदेश क्रमांक 9670 दिनांक 15.09.14 द्वारा जारी होने पर पटवारी हल्का द्वारा ग्राम कांटोली का नामान्तरकरण संख्या 748 दिनांक 19.09.14 को ही दर्ज किया जाकर बाद जाँच भू-अभिलेख निरीक्षक दिनांक 14.10.14 को ही स्वीकृत किया

जा चुका है। शिकायकर्ताआ. ने स्वयं बयान देकर यह प्रकट किया है कि उनका नामान्तरकरण स्वीकृत हो चुका है उनको हल्का पटवारी से कोई शिकायत नहीं है एवं उन्होंने शिकायत गलतफहमी एवं गलत जानकारी मिलने के कारण की थी।

इस प्रकार परिवादीगण को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस परिवाद को दिनांक 24.03.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(47)लोआस/2011

परिवादी श्री गोविन्द सिंह व अन्य निवासी ग्राम कुरका, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर द्वारा यह परिवाद दिनांक 27.07.11 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया कि ग्राम हाडौली (जिला भरतपुर) म. खसरा सं. 909 म. स्थित गैर मुमकिन आम रास्ते पर नवल सिंह, हुकमी, महावीर, परभाती, रामस्वरूप, मनोहरी, किशनलाल आदि ने अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है जिसे खुलवाया जावे।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही की जाकर जिला कलेक्टर, भरतपुर से पत्र दिनांक 19.08.11 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन आहूत किया गया तथा इस सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 30.04.14 के अनुसार मौके पर खसरा सं. 909 म. गैर मुमकिन रास्ता के प्रारम्भ म. जाटव बस्ती के कुछ लोगा. द्वारा घूरे-बिटौरे आदि डालकर अतिक्रमण कर लिया गया था तथा पक्की दीवार बना ली थी। घूर-बिटौरे अतिक्रमिया. द्वारा हटा लिए गए हैं व पक्की दीवार का अधिकांश भाग हटा दिया गया है, केवल कुंए की सुरक्षा हेतु पक्की दीवार सुरक्षित रखी गयी है। अब गैर मुमकिन रास्ता (ग्राम कुरका से हाडौली) खुला हुआ है और परिवादी को अपने खेत म. आने-जाने हेतु 12 फुट का रास्ता उपलब्ध है जिससे वह सन्तुष्ट है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के बाद खसरा नम्बर 909 म. गैर मुमकिन रास्ता पर से अतिक्रमण हटाया जाकर रास्ता खोल दिया गया है। अतः परिवादीगण को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 12.06.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(197)लोआस/2011

परिवादिया श्रीमती नोरती, निवासी ग्राम हचूकड़ा, पोस्ट कुड़ली, तहसील फागी, जिला जयपुर द्वारा यह परिवाद दिनांक 04.03.12 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया है कि प्रहलाद गुर्जर व जगदीश गुर्जर ने परिवादिया व उसके परिजना. द्वारा अकुशल श्रमिक मनरेगा मजदूर के रूप म. किये गये कार्य की राशि हड़प करने के उद्देश्य से षड़यन्त्र रचकर उनकी हाजिरिया. म. कांटछांट कर दी एवं राजकीय दस्तावेजात म. कूटरचना कर परिवादिया व उसके परिवार द्वारा की गई मजदूरी की राशि को हड़प लिया। परिवादिया ने उसके एवं उसके परिजना. द्वारा नरेगा म. किये गये कार्य का भुगतान दिलवाने की प्रार्थना की है।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. सचिवालय स्तर पर कार्यवाही की जाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर से पत्र दिनांक 15.10.13 एवं तत्पश्चात् जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर, जयपुर से पत्र दिनांक 21.02.14 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन आहूत किया गया। जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर, जयपुर की ओर से प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 28.03.14 के अनुसार परिवादिया श्रीमती नोरती, निवासी ग्राम हचूकड़ा, पोस्ट कुड़ली, तहसील फागी को चैक सं. 3090786 दिनांक 18.03.14 के माध्यम से रूपये 900/- का एवं उसके परिजना. विमला, नीर, मन्ना, राजेश कंवर व प्रेम को चैक संख्या 3790788 लगायत 3790791 द्वारा मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के बाद परिवादिया व उसके परिजना. को मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है।

अतः परिवाद म. वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 04.04.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(19)लोआस/2012

परिवादी श्री झाबरमल जाट, निवासी वार्ड सं. 6 ग्राम लापुंवा वाया रींगस, जिला सीकर व अन्य द्वारा यह परिवाद दिनांक 03.05.12 को ग्राम लापुंवा के खसरा नं.52 रकबा 0.56 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर किये गये अतिक्रमण को हटवाने के संदर्भ म. पेश किया गया।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद पर कार्यवाही करते हुए जिला कलेक्टर, सीकर से पत्र दिनांक 05.04.13 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन आहूत किया गया जिसके संदर्भ म. जिला कलेक्टर, सीकर ने अपने पत्र दिनांक 25.06.14 द्वारा अवगत करवाया कि दिनांक 19.06.14 को ग्राम लापुंवा तहसील रींगस के खसरा सं. 52 रकबा 0.56 गैर मुमकिन रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को तहसीलदार, श्रीमाधोपुर द्वारा हटा दिया गया है एवं मौके पर बेदखली रिपोर्ट तैयार कर अतिक्रमिया. के हस्ताक्षर करवाये गये हैं और उन्हे पुनः अतिक्रमण नहीं करने हेतु भी पाबन्द किया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के बाद परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 06.08.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(154)लोआस/2012

परिवादी श्री प्रेम चन्द मीणा, निवासी ग्राम मूडिया जाट, पोस्ट नेवाड़ा, तहसील वैर, जिला भरतपुर द्वारा दिनांक 28.01.13 को यह परिवाद इस सन्दर्भ म. प्रस्तुत किया गया कि श्री गोविन्द मीणा, सरपंच एवं श्री अजीत जोशी, सचिव, ग्राम पंचायत, जहानपुर द्वारा वर्ष 2010 से 2012 तक की अवधि म. करवाये गये निर्माण कार्यों म. खुलेआम भ्रष्टाचार किया गया है एवं 10-10 हजार रूपये लेकर निजी जगहा. पर नवीन हैण्डपम्प लगवाये गये हैं। इसकी जाँच की जाकर दोषिया. को दण्डित किया जावे।

चूँकि परिवाद म. सचिव, ग्राम पंचायत के विरूद्ध भी आरोप लगाया गया था, इसलिये इस परिवाद पर कार्यवाही करते हुए प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर को पत्र दिनांक 16.07.13 व 27.09.13 प्रेषित किये गये एवं उसके बाद सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर को पत्र दिनांक 07.11.13 प्रेषित कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन आहूत किया गया । इस सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 19.09.14 के अनुसार प्रकरण में कराई गई जाँच म. श्री गोविन्द सिंह सरपंच, ग्राम पंचायत, जहानपुर द्वारा सामुदायिक भवन को अपनी निजी भूमि म. बनवाया जाना व हैण्डपम्पा. म. सिंगल फेस की मोटरें डालने वाला. के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करना पाया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 22.09.14 के अनुसार ग्राम पंचायत, जहानपुर म. वर्ष 2011-12 म. कुल 36 हैण्डपम्प लगाये गये जिनमें से 29 हैण्डपम्प सार्वजनिक भूमि म. व 7 हैण्डपम्प राजस्व भूमि म. लगाये गये एवं इन हैण्डपम्पा. का समर्पण (दानपत्र) तहसीलदार, वैर द्वारा ग्राम पंचायत के नाम स्वीकृत कर दिया गया है एवं इनका राजस्व रिकॉर्ड म. विधिवत पंजीयन भी किया गया

है। इस प्रकार परिवाद म. वर्णित हैण्डपम्प का विनियमितीकरण हो चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के बाद परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 26.09.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(107)लोआस/2013

परिवादी श्री प्रभुदयाल, निवासी वार्ड सं. 19 सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं द्वारा यह परिवाद दिनांक 10.10.13 इस सन्दर्भ म. पेश किया गया कि उसने व उसकी बावरिया जाति के 11-12 लोगा. ने पट्टा हेतु पत्रावलियाँ पंचायत समिति, सूरजगढ़ म. लगायी हुई हैं किन्तु श्री हरिशंकर कुमावत, कार्यवाहक विकास अधिकारी, सूरजगढ़ जानबूझकर पट्टा जारी नहीं करना चाहते। विकास अधिकारी द्वारा उसे सेवानिवृत्ति के बाद पी.एफ. की राशि नहीं दिलायी गयी है एवं पेंशन के सम्बन्ध म. भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। विकास अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के पूर्ण प्रतिबन्ध होने के उपरान्त भी रोहिताश पुत्र लोकराम के नाम सम्पत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया जिसके आधार पर उक्त सम्पत्ति की रजिस्ट्री तहसीलदार सूरजगढ़ के यहाँ हो गयी।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. सचिवालय द्वारा कार्यवाही करते हुए निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 31.10.13 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन आहूत किया गया एवं सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किए जाने पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 02.04.14 प्रेषित की गयी जिसमें यह अंकित किया गया कि परिवादी द्वारा जिस स्थल का पट्टा चाहा गया है, वह स्थल मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा नम्बर 617 गैर मुमकिन रास्ते म. आने, उसकी किस्म बदलने के अभाव म. तथा उक्त भूमि नगरपालिका के

नाम करने की कार्यवाही राजस्व विभाग से नहीं होने के कारण पट्टा नगरपालिका, सूरजगढ़ द्वारा जारी नहीं किया गया है। परिवादी का पेंशन प्रकरण स्वीकृति हेतु निदेशालय, पेंशन विभाग को भेजा जाकर उसका पी.एफ. खाता तैयार कर चैक सं. 192576 दिनांक 22.01.14 द्वारा उसे रूपये 1,45,128/- का भुगतान दिया गया है।

इसके पश्चात् परिवादी के शेष आरोपा. के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं से पत्र दिनांक 12.05.14 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन आहूत किया गया एवं सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही करने पर जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं द्वारा पत्र दिनांक 16.12.14 प्रेषित किया गया जिसमें यह अंकित किया गया कि परिवादी द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण किये जाने से उसके विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय म. रिट याचिका दर्ज करवाई गई है। उक्त रिपोर्ट पर परिवादी को आपत्ति प्रेषित करने हेतु पत्र दिनांक 22.12.14 प्रेषित किया गया किन्तु परिवादी द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी। इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर वाँछित कार्यवाही सम्पन्न हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 19.12.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(134)लोआस/2013

यह गुमनाम परिवाद दिनांक 29.10.13 को इस सन्दर्भ म. प्रेषित किया गया कि प्रधान, तहसील-लूणी एवं ग्राम पंचायत, पाल के सरपंच द्वारा भूमि आवंटन एवं पट्टा जारी करने म. 40-50 करोड़ का घोटाला किया गया है जिसके सम्बन्ध म. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो म. प्रकरण दर्ज किया गया है किन्तु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रधान द्वारा जोधपुर-बाड़मेर हाईवे के रास्ते की भूमि पर अपना मकान बना रखा है जिसके विरूद्ध भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

हस्तगत परिवाद बेशकीमती भूमि के आवंटन म. करोड़. के घोटाले की जाँच का होने से इसमें दिनांक 18.11.13 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर कार्यवाही करते हुए अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 20.11.13 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन आहूत किया गया एवं इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर प्रत्युत्तर म. सर्वप्रथम उन्होंने अपने पत्र दिनांक 16.09.13 से यह अवगत कराया कि ब्यूरो द्वारा उक्त प्रकरण से सम्बन्धित परिवाद सं. 145/2009 दर्ज कर सत्यापन किया गया तथा बाद सत्यापन आरोप प्रमाणित पाये जाने पर 15 प्रकरण (225/10 से 239/10) दर्ज करने का निर्णय लेकर अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया है। इसके पश्चात् सचिवालय स्तर पर निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर उनके द्वारा पत्र दिनांक 07.07.14 व 10.09.14 द्वारा यह सूचित किया गया कि सम्बन्धित दोषी व्यक्तिया. के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 226/2010, 229/2010, 232/2010, 233/2010, 234/2010, 235/2010 व 238/2010 म. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1)(डी) व 13(2) एवं भा.दं.सं. की धारा 120बी के अपराधा. म. आरोप-पत्र पेश करने का निर्णय लिया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के बाद परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 27.10.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(37)लोआस/2014

परिवादी श्री जगराम मीना, निवासी मंडेरू, तहसील टोडाभीम, जिला करौली द्वारा यह परिवाद दिनांक 21.05.14 को इस सन्दर्भ म. प्रस्तुत किया गया कि उसके घर के रास्ते पर श्री केदार व श्री राम खिलाड़ी द्वारा अतिक्रमण कर रास्ते म. एक तरफ दुकान बना दी है एवं एक तरफ डंडा लगा दिया है। उप जिला कलेक्टर, टोडाभीम जिला-करौली द्वारा भी सरपंच को अतिक्रमण हटाने के लिए पत्र दिनांक 08.11.2009 लिखा

लेकिन आज दिनांक तक उक्त रास्ते से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। परिवादी ने अतिक्रमण को हटवा कर रास्ता खुलवाने की प्रार्थना की है।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. सचिवालय द्वारा कार्यवाही की जाकर जिला कलेक्टर, करौली से पत्र दिनांक 30.05.14 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन आहूत किया गया एवं सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर जिला कलेक्टर, करौली ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 02.09.14 से अवगत करवाया कि प्रश्नगत रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को दिनांक 23.07.14 को हटा दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के बाद परिवादी को वाँछित पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 27.10.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(73)लोआस/2014

परिवादी श्री दुर्गेश शर्मा, निवासी ग्राम पोस्ट खान भांकरी, तहसील व जिला दौसा द्वारा यह परिवाद दिनांक 27.06.14 को इस सन्दर्भ म. प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पंचायत, भांकरी म. खेल की पूर्ण सुविधा नहीं है। खेल मैदान होने के बावजूद भी खेल उपकरणा. का अभाव है एवं खेल मैदान पर दबंग लोगा. द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। अतः इस सम्बन्ध म. कार्यवाही की जावे।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. सचिवालय द्वारा कार्यवाही करते हुए जिला कलेक्टर, दौसा से पत्र दिनांक 16.07.14 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन आहूत किया गया एवं निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 16.10.14 के अनुसार ग्राम पंचायत भांकरी द्वारा खेल मैदान पर से अतिक्रमण को हटवा दिया गया है एवं

तीन तरफ दीवार करवायी गयी है एवं शेष बची एक तरफ की चार दीवारी के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गयी है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के बाद परिवादी को लगभग 3 माह म. वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 30.10.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(74)लोआस/2014

परिवादी श्री आनन्दीलाल पूर्विया, सेवानिवृत्त सहायक सांख्यिकी अधिकारी, निवासी प्लाट सं. 1/229-230, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, गुप्तेश्वर रोड़, जिला दौसा द्वारा यह परिवाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, दौसा से अपना पेंशन प्रकरण विभाग को भिजवाकर पी.पी.ओ. जारी करवाने के सन्दर्भ म. दिनांक 27.06.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. सचिवालय द्वारा कार्यवाही की जाकर जिला कलेक्टर, दौसा से पत्र दिनांक 15.07.14 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन आहूत किया गया। जिला कलेक्टर, दौसा की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, दौसा द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 16.07.14 के अनुसार परिवादी व तीन अन्य कर्मचारिया. के पेंशन प्रकरणा. का जिला परिषद् द्वारा डीआरडीए नियमा. के अनुसार निस्तारण विलय करने से पूर्व ही कर दिया गया था। पेंशन फण्ड से नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है एवं जून 2014 तक पेंशन राशि का भुगतान किया जा चुका है। रिपोर्ट दिनांक 31.10.14 के अनुसार परिवादी सहित अन्य सभी सेवानिवृत्त कार्मिका. के पेंशन प्रकरण उनके कार्यालय के पत्र दिनांक 20.10.14 के माध्यम से निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर को प्रेषित किये जा चुके हैं तथा इस सम्बन्ध म. उनके स्तर पर अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 13.11.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(140)लोआस/2014

परिवादी श्री गटुलाल बलुण्डा, निवासी ग्राम लिमथान, तहसील व जिला बाँसवाड़ा द्वारा यह परिवाद दिनांक 23.07.14 को इस सन्दर्भ म. प्रस्तुत किया गया कि मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित माही परियोजना की बा.मु.नं. की आर.टी. 14 से 15 कि.मी. की मरम्मत के कार्य हेतु उसके द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की राशि 4,18,248/- का भुगतान दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी नहीं किया गया है जो शीघ्र करवाया जावे।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. सचिवालय द्वारा कार्यवाही की जाकर जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलेक्टर, डूंगरपुर से पत्र दिनांक 26.08.14 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन आहूत किया गया जिसके प्रत्युत्तर म. पत्र दिनांक 29.12.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री गटुलाल बलुण्डा, निवासी ग्राम लिमथान, तहसील व जिला बाँसवाड़ा को माही परियोजना की बा.मु.नं. की आर.टी. 14 से 15 कि.मी. की मरम्मत के कार्य हेतु आपूर्ति की गई सामग्री की राशि रूपये 4,18,220/- का भुगतान दिनांक 15.09.14 को कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 16.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(144)लोआस/2014

परिवादी श्री मणीलाल यादव, निवासी मु.पो. चनुगी का गड़ा, तहसील घाटोल, जिला बाँसवाड़ा द्वारा यह परिवाद दिनांक 23.07.14 को इस

सन्दर्भ म. प्रस्तुत किया गया है कि उसे पंचायत समिति घाटोल द्वारा इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 म. आवास आवंटित हुआ किन्तु परिवादी द्वारा मकान का काम चालू करने के बावजूद उक्त आवास की प्रथम किश्त का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा ग्राम पंचायत, चन्दूजी का गढ़ के सरपंच व सचिव से इन्दिरा आवास की प्रथम किश्त का भुगतान करवाये जाने की प्रार्थना की गई।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. सचिवालय द्वारा कार्यवाही की जाकर जिला कलेक्टर, बाँसवाड़ा से पत्र दिनांक 26.08.14 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन आहूत किया गया जिसके प्रत्युत्तर म. उन्होंने अपने पत्र दिनांक 29.12.14 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी मणीलाल यादव, लेम्पस चन्दूजी का गढ़ के खाता क्रमांक 5231 म. प्रथम किश्त की राशि रूपये 17,500/- हस्तान्तरित कर दी गयी है।

इस प्रकार परिवादी को लगभग 4 माह म. वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 04.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(149)लोआस/2014

परिवादी श्री शिवकुमार केड़िया, निवासी 86, गली नं. 4 मोहन कॉलोनी, बाँसवाड़ा द्वारा यह परिवाद दिनांक 04.08.14 को उसके द्वारा मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित बा.मु.नं. की आर.डी. 11 से 12 कि.मी. की मरम्मत कार्य राशि रूपये 2,19,773/- व बी.मु.नं. की आर.डी. 13 से 14 कि.मी. की मरम्मत कार्य राशि रूपये 51,086/- की आपूर्ति की गई सामग्री का भुगतान विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बाँसवाड़ा से कराये जाने के सम्बन्ध म. पेश किया गया।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. सचिवालय द्वारा कार्यवाही की जाकर जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलेक्टर, डूंगरपुर से पत्र दिनांक 27.08.14 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन आहूत किया गया। इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा), जिला परिषद्, बांसवाड़ा ने अपने पत्र दिनांक 29.12.14 द्वारा अवगत करवाया कि फण्ड ट्रांसफर आदेश संख्या 245606 दिनांक 17.09.14 के द्वारा राशि रूपये 1,38,938/- तथा आदेश संख्या 268742 दिनांक 07.10.14 के द्वारा रूपये 80,840/- कुल रूपये 2,19,778/- तथा आदेश संख्या 242725 दिनांक 15.09.14 के द्वारा रूपये 51,086/- का भुगतान सम्बन्धित फर्म को कर दिया गया है। फर्म की नियमित कटौती राशि रूपये 41,984 का भुगतान चैक संख्या 882629 दिनांक 02.12.14 द्वारा कर दिया गया है। इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के बाद परिवादी की फर्म को पूर्ण भुगतान हुआ।

अतः परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 16.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(192)लोआस/2014

परिवादी श्री राजाराम जाट, निवासी ग्राम पोस्ट बोसरिया, तहसील उनियारा, जिला टोंक द्वारा यह परिवाद दिनांक 25.08.14 को इस सन्दर्भ म. प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम पंचायत, बोसरिया म. उसका नाम बी.पी.एल. आवास सूची म. 17 नम्बर पर है व बीपीएल सूची म. प्राप्तांक 12 हैं। ग्राम पंचायत बोसरिया म. प्रतीक्षा सूची म. 45 नम्बर तक के व्यक्तिया. को बी.पी.एल. आवास का लाभ मिल चुका है किन्तु परिवादी को पात्र होते हुए भी लाभ नहीं मिल रहा है।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. कार्यवाही करने पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, टोंक ने अपने पत्र दिनांक 02.02.15 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी राजाराम जाट की पत्नी श्रीमती कमला निवासी ग्राम पोस्ट बोसरिया, तहसील उनियारा, जिला टोंक के नाम आदेश दिनांक 27.10.14 द्वारा आवास निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के बाद परिवादी को वाँछित पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 23.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(240)लोआस/2014

परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा, निवासी मुकाम-महेन्दी, पोस्ट पोटलां, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा द्वारा यह परिवाद दिनांक 11.09.14 को इस सन्दर्भ म. प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पंचायत, सातलियास (पंचायत समिति, सहाड़ा जिला भीलवाड़ा) द्वारा पुरूष शिक्षा प्रेरक पद के चयन के सम्बन्ध म. दिनांक 30.09.13 को विज्ञप्ति निकाली गयी जिसमें परिवादी द्वारा निर्धारित प्रारूप म. फार्म भरकर ग्राम पंचायत म. जमा करवाया गया किन्तु चयन के समय ग्राम सभा की बैठक कार्यवाही रजिस्टर म. उसका फार्म सम्मिलित नहीं करके सरपंच और सचिव द्वारा भैरूलाल पूर्बिया का गोपनीय तरीके से चयन कर लिया गया जिसकी शिकायत उप जिला कलेक्टर, गंगापुर को करने पर उनके द्वारा उक्त चयन प्रक्रिया फर्जी पायी गयी। इसके बावजूद बार-बार सरपंच द्वारा गोपनीय रूप से भैरूलाल पूर्बिया को चयनित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. कार्यवाही किये जाने पर जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा ने अपने पत्र दिनांक 14.11.14 द्वारा

अवगत करवाया कि उक्त चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है एवं भविष्य म. उक्त चयन प्रक्रिया को व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत सातलिवास को निर्देशित भी किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 08.12.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(327)लोआस/2014

परिवादी श्री जेताराम चोयल, अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, लोहिया सदन, बाईपास रोड़, जायल (शहर) नागौर द्वारा यह परिवाद दिनांक 14.10.14 को इस सन्दर्भ म. प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम पंचायत, कठौती म. मनरेगा योजना के अन्तर्गत मोदलाव की ग्रेवल सड़क पर 120 मजदूरा. द्वारा दिनांक 03.02.13 से 01.03.13 तक किये गये कार्य का भुगतान पंचायत समिति द्वारा 20 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं किया गया है जो शीघ्र करवाया जावे।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. कार्यवाही किए जाने पर जिला कलेक्टर, नागौर ने अपने पत्र दिनांक 07.01.15 द्वारा अवगत करवाया कि श्रमिका. की श्रम राशि 1,83,114/- का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के बाद परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 23.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.14(2)लोआस/2014

परिवादी श्री मदन नारायण गोस्वामी, निवासी मकान नं. 2695, मन्दिर श्री रंग बिहारी जी रास्ता, राजा शिवदास जी, पुरानी बस्ती, जयपुर द्वारा यह परिवाद पेन्शन का पुनर्निधारण करवाने के संदर्भ म. दिनांक 09.04.14 को पेश किया गया। इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा परिवहन आयुक्त, जयपुर को पत्र दिनांक 07.05.14 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) का पत्र दिनांक 16.07.14 प्राप्त हुआ जिसके अनुसार परिवादी का पेन्शन प्रकरण सहायक निदेशक, पेन्शन विभाग को पेन्शन पुनः निर्धारण हेतु अग्रेषित किया जा चुका है अतः अब इस प्रकरण म. विभागीय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.15(12)लोआस/2011

परिवादी श्री नरेश जोशी पुत्र श्री मोहन लाल जोशी निवासी एन.एच. चौकी गोरधनपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा यह परिवाद उपवन संरक्षक (उत्तर) पानी पेंच, जयपुर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर एवं विष्णुदत्त शर्मा से मिलीभगत करके अवैध आरा मशीना. की जाँच किसी उच्चाधिकारी के बजाय कनिष्ठ अधिकारी से करवाये जाने के संदर्भ म. दिनांक 14.10.11 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर को पत्र दिनांक 01.11.11 प्रेषित

किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 24.04.14 को प्राप्त हुआ। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी की जाँच कनिष्ठ अधिकारी से नहीं कराई गई तथा आरा मशीन के नाम व पंजीयन म. कोई भिन्नता नहीं है। वन विभाग द्वारा जाँच किये जाने पर अवैध संचालित मशीन के विरूद्ध न्यायालय म. परिवाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें अवैध संचालक को अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है एवं क्षतिपूर्ति राशि 33000/- रूपये वसूल किये गये हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 09.05.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.15(12)लोआस/2013

परिवादी श्री केवला राम मीणा, सेवानिवृत्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, द्वितीय, मण्डावर रोड़, महुआ, जिला दौसा द्वारा यह परिवाद सेवानिवृत्ति के 9 माह पश्चात पेंशन एवं अन्य परिलाभा. व इन पर 18 प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज दिलाये जाने के संदर्भ म. दिनांक 16.01.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 27.03.14 प्रेषित किया गया जिसके प्रत्युत्तर म. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 20.06.14 को प्राप्त हुआ। प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के विरूद्ध बकाया जाँच का निस्तारण किया

जाकर परिवादी की प्रोविजनल पेन्शन स्वीकृत करते हुए अंतिम पेन्शन स्वीकृति हेतु प्रकरण पेन्शन विभाग को भिजवा दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को न्यायोचित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 25.06.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(58)लोआस/2007

परिवादी श्री सोहनलाल अग्रवाल निवासी–ई–47, शास्त्रीनगर, जयपुर द्वारा दिनांक 27.08.2007 को यह परिवाद ई–38, शास्त्रीनगर, जयपुर म. किये गये अवैध निर्माण व आवासीय भू–खण्ड म. चल रही व्यावसायिक गतिविधिया. के सन्दर्भ म. पेश किया गया। इस परिवाद पर कार्यवाही किए जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 07.05.14 द्वारा अवगत करवाया कि आवासीय भू–खण्ड सं. ई–38 शास्त्री नगर, जयपुर म. चल रही व्यावसायिक गतिविधिया. एवं सैटबैक म. किये गये अवैध निर्माण को दिनांक 27.07.12 को हटा दिया गया है।

इस प्रकार लोकायुक्त सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 11.08.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(3)लोआस/2011

श्रीमती संतरो देवी निवासी–रतन कॉलोनी, म.नं.17, गली नं.1, वार्ड नं.32, हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर ने यह परिवाद पार्क, सड़क व अन्य स्थाना. पर सहीराम, जगदीश, दयाराम, आत्माराम व रतनलाल द्वारा नगर विकास

न्यास, श्रीगंगानगर के कर्मचारिया. के साथ मिलीभगत कर अवैध निर्माण करने के सन्दर्भ म. दिनांक 29.03.11 को पेश किया। इस परिवाद पर कार्यवाही किए जाने पर नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र दिनांक 14.03.14 द्वारा अवगत करवाया कि उक्त अतिक्रमणा. को हटा दिया गया है तथा परिवादिया ने भी अपने बयान म. उक्त कार्यवाही से सन्तुष्ट होना कहा है।

इस प्रकार लोकायुक्त सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादिया को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 03.04.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(28)लोआस/2011

इस प्रकरण म. परिवादी श्री ए.एम.कोठारी, निवासी-157-158, महावीर नगर, पाली ने दिनांक 10.05.11 को यह शिकायत की थी कि श्री रामसिंह पालावत, अधिशासी अधिकारी, नगर परिषद्, पाली ने शेषमणी नगर स्थित खसरा नं. 505/1 व 505/1/1 मण्डली खुर्द, सुमेरपुर रोड़ के भू-उपयोग परिवर्तन के लिए भारी रिश्वत ली है। कुछ भू-खण्डा. का आकार बढ़ा दिया है तथा उन्हें अच्छी जगह पर भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति दे दी है। मूल मालिक के बजाए अन्य व्यक्ति को पट्टा जारी कर दिया है।

इस परिवाद पर कार्यवाही किये जाने पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग ने अपने पत्र दिनांक 29.02.12, 12.07.12, 04.12.13 एवं 01.05.14 द्वारा अवगत करवाया कि उक्त प्रकरण म. न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा अपीलान्ट की अपील सं. 180/2011 म. दिनांक 13.01.12 को निर्णय कर नगर परिषद्, पाली द्वारा दिनांक 21.07.11 को पारित किया गया अपीलाधीन आदेश निरस्त कर दिया गया है तथा परिवादी

द्वारा आवेदित भूखण्ड सं. 24 व 25 के आवंटन पत्र दिनांक 20.03.12 को जारी किये जा चुके हैं। परिवादी ने इस सचिवालय को सम्बोधित कर एक पत्र दिनांक 29.03.12 को लिखकर दिया कि विभाग की रिपोर्ट सही है और उसे लोक सेवक श्री रामसिंह पालावत के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं है और वह उसके विरूद्ध प्रस्तुत की गई शिकायत को वापस लेता है।

इस प्रकार लोकायुक्त सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 20.05.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(93)लोआस/2011

परिवादी श्री नाथूराम लोहिया निवासी-जहाजपुर, भीलवाड़ा ने नगरपालिका जहाजपुर द्वारा खसरा नं. 6588 व 6589 रकबा दो बीघा 10 बिस्वा म. से 3183 वर्गगज भूमि का फर्जी पट्टा जारी करने तथा भू-रूपान्तरण पत्रावली मिलीभगत कर गायब करने के सन्दर्भ म. दिनांक 26.07.11 को इस सचिवालय म. यह परिवाद पेश किया। इस परिवाद के सम्बन्ध म. सचिवालय द्वारा कार्यवाही किए जाने पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 13.04.12, 11.06.12, 08.01.14, 12.02.14, 29.05.14 एवं 14.07.14 द्वारा अवगत करवाया कि श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री कल्याणमल को जारी पट्टा सं. 31 दिनांक 31.05.2000 को निकाय के पत्र क्रमांकः 1873-75 दिनांक 08.11.13 से निरस्त कर दिया गया है। यह भी अवगत करवाया कि खसरा नं.6588, 6589 म. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री कल्याणमल लोहिया को जारी पट्टा क्रमांक 31 दिनांक 31.05.2000 क्षेत्रफल 3183 वर्गगज के सम्बन्ध म. महालेखाकार, राजस्थान द्वारा अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष 4/1999 से 3/2003 म. निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्रफल का नियमन कर दिये जाने पर राशि रूपये 83,623/- वसूल करने के लगाये गये आक्षेप के संदर्भ म. श्री ओमप्रकाश से उक्त

राशि वसूल कर पालिका के कोष म. जमा करवाई जा चुकी है। गलत नियमन का आदेश करने वाले अधिकारी श्री ओमप्रकाश औदिच्य, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, जहाजपुर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अतः उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। परिवादी ने यह व्यक्त किया कि राजस्व वाद म. न्यायालय द्वारा यथास्थिति का आदेश प्रदान किया गया है।

इस प्रकार लोकायुक्त सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को विधि अनुसार देय अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 09.10.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(250)लोआस/2011

परिवादी श्री गंगाशरण श्रीवास्तव निवासी-एल-476, श्रीनाथ नगर, हिरणमगरी, सेक्टर-9, उदयपुर द्वारा यह परिवाद दिनांक 30.01.12 को एल.आई.जी. फ्लैट सं. 479 व 480 के भू-स्वामी द्वारा किये गये अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही करने के सन्दर्भ म. पेश किया गया। इस परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 15.04.14 के अनुसार फ्लैट सं. 473, 474, 479 व 480 के सीढ़ी मार्ग पर किये गये निर्माण व उपस्थित बाधा को हटा दिया गया है।

इस प्रकार लोकायुक्त सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 11.06.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(4)लोआस/2012

परिवादी सूरजमल गर्ग पता-राजेश कटपीस सेन्टर, सुभाष बाजार, टोंक द्वारा यह परिवाद वार्ड नं.5 म. श्री जाकिर अली पुत्र मोहम्मद नबी द्वारा सार्वजनिक कुएं के चौक की सार्वजनिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटवाने तथा इस अतिक्रमण को होने देने व अब न हटाने के जिम्मेदार नगर परिषद्, टोंक के अधिकारिया. के विरूद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध म. दिनांक 11.04.12 को पेश किया गया।

इस परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा निरन्तर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप अन्ततः आयुक्त, नगर परिषद्, टोंक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.09.14 द्वारा अवगत करवाया कि अतिक्रमी जाकिर अली ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.), टोंक के यहां वाद प्रस्तुत कर रखा था जिसमें न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना कार्यवाही न करने हेतु नगर परिषद् को पाबन्द किया हुआ था। न्यायालय के आदेश की पालना म. अतिक्रमी को दिनांक 02.07.14 का नोटिस वास्ते सुनवाई एवं अपना पक्ष म. सबूत, दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु जारी किया गया था जिसके उत्तर म. अतिक्रमी द्वारा कोई जवाब और सबूत प्रस्तुत न करने पर दी गई समयावधि समाप्त हो जाने पर विधि अनुसार उसके द्वारा किया गया अतिक्रमण हटा दिया गया है।

इस प्रकार लोकायुक्त सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सार्वजनिक सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सम्पन्न हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 19.09.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(80)लोआस/2012

परिवादिया श्रीमती रतनी निवासी-आलनपुर, हरिजन बस्ती, सवाईमाधोपुर द्वारा यह परिवाद दिनांक 04.07.12 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया

कि वह अनपढ़ स्त्री है इसलिये उसे पता ही नहीं चला कि वह कब सेवानिवृत्त हो गई। इस प्रकार उससे सेवानिवृत्ति के 27 माह बाद तक कार्य करवाया गया। उसकी आयु 70 वर्ष की हो चुकी है परन्तु अभी तक पेंशन नहीं मिली है।

इस परिवाद म. सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 04.10.13, 05.02.14, 10.04.14, 23.06.14 एवं 30.06.14 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादिया दिनांक 01.04.1973 से सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थी। उसे रोजगार कार्यालय के द्वारा लिया गया था जिस पर उसकी जन्म तिथि 1949 लिखी गई थी। कर्मचारी द्वारा जन्म तिथि का सबूत देने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन, तत्कालीन लिपिक द्वारा सेवाभिलेख म. परिवादिया की जन्म तिथि अंकित नहीं की जाकर केवल 1949 ही लिख दिया गया। इस सम्बन्ध म. निदेशालय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 13.04.1944 को आधार जन्म तिथि मानते हुए परिवादिया का पेंशन प्रकरण स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया। प्रकरण म. दोषी पाये गये कर्मचारी श्री राजेन्द्र कुमार जैन, तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक 10 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके थे तथा तत्कालीन आयुक्त श्री खलीलुर्रहमान भी सेवानिवृत्त हो चुके थे।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादिया को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 11.08.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(94)लोआस/2012

परिवादी श्री भंवर सिंह, निवासी–19 बी, विनायक विहार, जयपुर रोड़, अजमेर द्वारा यह परिवाद नगर निगम पार्षद् श्रवण टोनी द्वारा नगर निगम की भूमि पर वार्ड नम्बर 10 म. कब्जा कर अतिक्रमण कर व्यावसायिक कार्य करने व निगम की सार्वजनिक लाईट का कनेक्शन लेकर निगम को

आर्थिक हानि पहुँचाने के सन्दर्भ म. दिनांक 24.07.12 को पेश किया गया।

आरोपित पार्षद् के राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत लोक सेवक की परिभाषा म. नहीं आने के कारण परिवाद की प्रति जिला कलेक्टर, अजमेर को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित करते हुए प्रकरण को दिनांक 02.07.13 को नस्तीबद्ध किया गया जिसके उत्तर म. जिला कलेक्टर, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 22.07.14 द्वारा अवगत करवाया कि पार्षद् श्रवण टोनी द्वारा किये गये अतिक्रमण को नगर निगम द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। अतिक्रमण हटाने के छाया चित्र की प्रति व इस सम्बन्ध म. अखबार म. छपी खबर की प्रति भी पत्र के साथ प्रेषित की गयी।

प्रकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये जाने पर विभाग द्वारा उचित कार्यवाही कर लिया जाना इस सचिवालय की महत्ता को प्रकट करता है।

एफ.16(118)लोआस/2012

परिवादिया श्रीमती विमला कंवर निवासी-वार्ड नं.8, उनियारा, जिला-टोंक द्वारा यह परिवाद दिनांक 12.09.12 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया कि उसके मकान के पास श्री लालसिंह का मकान है तथा मकाना. के पास सरकारी परकोटा बना हुआ है। श्री लालसिंह ने परकोटे की दीवार को तोड़कर खुला शौचालय बना लिया है जिससे होने वाली गन्दगी से उसे काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, उनियारा भ्रष्टाचार म. लिप्त होकर अतिक्रमी को संरक्षण दे रहे हैं।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर जिला कलेक्टर, टोंक से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 22.05.14 के अनुसार उक्त श्री लालसिंह द्वारा

बनवाये गये खुले शौचालय को दिनांक 14.05.14 को तुड़वा दिया गया है। इस प्रकार परिवाद म. पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 19.08.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(137)लोआस/2012

परिवादी हरीश चण्डक निवासी-कल्याणपुरा मार्ग, नम्बर-5, बाड़मेर द्वारा यह परिवाद दिनांक 02.11.12 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया कि उसके द्वारा अपने रिश्तेदारा. की तीन पत्रावलियां भू-खण्डा. के पट्टे प्राप्त करने हेतु नगर परिषद्, बाड़मेर म. प्रस्तुत की गयी थीं जिनके पेटे लिपिक योगेश आचार्य द्वारा रूपये 1500/- के हिसाब से कुल 4500/- लिये गए परन्तु उनकी कोई रसीद नहीं दी गयी। बाद म. लिपिक द्वारा उक्त पत्रावलियां ही गायब कर दी गयीं। इस परिवाद म. कार्यवाही किए जाने पर नगर परिषद्, बाड़मेर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार उपर्युक्त तीना. पत्रावली सं. 47, 48 एवं 49 म. पट्टे जारी किए जा चुके हैं एवं पंजीयन भी करवाया जा चुका है।

परिवादी श्री हरीश चण्डक ने इस सचिवालय की कार्यवाही से संतुष्ट होकर आभार व्यक्त करते हुए पत्र दिनांक 03.12.14 प्रेषित किया जिसकी संक्षिप्त प्रति निम्नवत् है:-

> ''मैंने इस प्रकरण म. आपके सचिवालय से पहले कई अधिकारिया. एवं विभागा. म. शिकायतें कीं मगर मुझे कोई राहत नहीं मिली। मगर जब मैंने आपके सचिवालय म. प्रकरण दर्ज करवाया तो मुझे, मेरे रिश्तेदारा. को नगर परिषद्, बाड़मेर से पट्टे मिल गये हैं जिससे मेरी समस्या का निस्तारण हो गया है। इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।''

इस प्रकार लोकायुक्त सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 11.12.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(173)लोआस/2012

परिवादिया श्रीमती मिश्री देवी व अन्य निवासी–वार्ड संख्या 18, सांसी मौहल्ला, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर द्वारा यह परिवाद उसके मकान के सामने रास्ते म. अनाधिकृत रूप से किए गए कब्जे की शिकायत करने के बावजूद अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ़ श्री पृथ्वीराज जाखड़ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के सन्दर्भ म. दिनांक 21.02.13 को पेश किया गया।

इस परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के बाद निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 14.02.14 के द्वारा अवगत करवाया कि अतिक्रमी श्री सोहनलाल द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर म. प्रस्तुत की गई एस.बी. क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन सं.1600/08 को न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.01.13 द्वारा खारिज कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 31.03.2008 को बहाल रखने का आदेश देने पर प्रश्नगत अतिक्रमण को दिनांक 12.02.13 को हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवाद म. पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 09.04.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(22)लोआस/2013

परिवादी श्री रामेदव किशनपुरिया निवासी–वार्ड नम्बर 15, लूदी बास, राजगढ़, सादुलपुर, जिला–चूरू द्वारा यह परिवाद दिनांक 18.04.13 को इस

सन्दर्भ म. पेश किया गया कि गोपाल सोनी वार्ड नम्बर 15 कस्बा राजगढ़, जिला-चूरू द्वारा आवासीय भवन निर्माण की अनुमति लेने के बाद 9 व्यावसायिक दुकाना. का निर्माण करवा लिया गया है परन्तु निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण करवाने पर नगरपालिका के अधिकारिया. एवं कर्मचारिया. द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस परिवाद पर कार्यवाही किए जाने के बाद अध्यक्ष, नगरपालिका, राजगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 29.04.14 द्वारा अवगत करवाया कि आरोपी द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन का प्रार्थना-पत्र पेश करने पर उसके द्वारा नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन की राशि रूपये 1,01,253/- तथा व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति की राशि रूपये 6644/- जमा करवा दी गई है। परिवादी द्वारा उक्त रिपोर्ट पर कोई आक्षेप भी पेश नहीं किए गए।

इस प्रकार लोकायुक्त सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 03.07.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(37)लोआस/2013

परिवादी श्री औंकार सिंह निवासी-ग्राम कचोलिया, तहसील-मकराना, जिला-नागौर ने यह परिवाद दिनांक 01.05.13 को इस आशय का पेश किया कि उसने जोधपुर विकास प्राधिकरण की विवेक विहार आवासीय योजना म. भू-खण्ड आवंटन हेतु दिनांक 19.08.11 को पंजीकरण राशि रूपये 20,000/- यस बैंक म. जरिये चालान जमा करवाई थी। भूखण्ड का आवंटन न होने पर उसने उक्त पंजीकरण राशि लौटाने के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं यस बैंक के कई चक्कर लगाये, पंजीकृत नोटिस भी दिया लेकिन फिर भी उसकी पंजीकरण राशि नहीं लौटाई जा रही है।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद म. निरन्तर कार्यवाही किए जाने के बाद जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने अन्ततः अपने पत्र दिनांक 12.06.14 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी श्री औंकार सिंह को पंजीकरण राशि रूपये 20,000/- का भुगतान डी.डी. सं.128516 द्वारा कर दिया गया है जिसका भुगतान परिवादी को दिनांक 21.05.13 को ही प्राप्त हो चुका है।

इस प्रकार लोकायुक्त सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 20.06.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(38)लोआस/2013

डॉ. मदन राज चौधरी निवासी 17ई/797, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर द्वारा यह परिवाद श्री महेश जावा, स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने के सन्दर्भ म. दिनांक 01.05.13 को पेश किया गया।

इस सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किये जाने के बाद नगर निगम, जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 21.05.14 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी अपने उक्त आवास म. सीवर का कनेक्शन करवा रहा था जिसके लिए उसके द्वारा कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी। निगम के वार्ड प्रभारी द्वारा बिना स्वीकृति सीवर कनेक्शन करवाने के विषय पर रोके जाने पर दोना. म. तकरार हो गई जिससे नाराज होकर परिवादी ने शिकायत की है। परिवादी से व्यक्तिशः सम्पर्क किया जाकर उसकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। वार्ड प्रभारी को भविष्य म. आमजन से विनम्र व्यवहार करने तथा अवैध कार्य को रोकने के मामलों मे तकरार करने के बजाय नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

परिवादी द्वारा पत्र दिनांक 01.06.14 लिखे जाने के बावजूद भी उक्त रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य म. कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई। अतः सम्पूर्ण अनुतोष प्रदान किया जाना मानते हुए यह परिवाद दिनांक दिनांक 19.08.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(129)लोआस/2013

परिवादी कृष्ण गोपाल निवासी-बस स्टेण्ड के बाहर, हरिजन बस्ती, मालपुरा जिला टोंक द्वारा यह परिवाद दिनांक 18.07.13 को इस आशय का पेश किया गया कि उसकी माताजी स्व.श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री बुद्धाराम हरिजन की दिनांक 29.09.11 को नगरपालिका, मालपुरा म. सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत रहते हुए ब्लड कैन्सर से मृत्यु हो गई थी। दो वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद भी न तो सेवापुस्तिका पूर्ण की जा रही है और न ही सेवानिवृत्ति के परिलाभा. का भुगतान किया जा रहा है। श्री श्यामलाल चंवरिया, लिपिक द्वारा इन कार्यो के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है।

इस सम्बन्ध म. कार्यवाही करने पर अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, मालपुरा ने अपने पत्र दिनांक 28.03.14 के द्वारा अवगत करवाया कि श्रीमती भगवती की मृत्यु उपरान्त देय ग्रेच्यूटी, उपार्जित अवकाश एवं कर्मचारी अंशदान का भुगतान नगरपालिका द्वारा उसके पति श्री बुद्धाराम को किया गया है। पेंशन प्रकरण उप निदेशक क्षेत्रीय, अजमेर को भिजवाया जा चुका है। 142 अनुपयोजित उपार्जित अवकाशा. का नगद भुगतान कर दिया गया है। श्री श्यामलाल चंवरिया, लिपिक के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होना बताया गया।

इस प्रकार लोकायुक्त सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 11.04.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(186)लोआस/2013

परिवादी श्री नरेश सुखाड़िया निवासी–जटिया. का मोहल्ला, भीनमाल, जिला–जालौर ने यह परिवाद दिनांक 07.10.13 को इस आशय का पेश किया कि उसने अपनी पत्नी श्रीमती विद्या सुखाड़िया के नाम से दो प्लाट रजिस्ट्रीशुदा नीलकण्ठ कॉलोनी म. क्रय किए थे। उक्त भू–खण्डा. के पट्टे बनाने हेतु नगरपालिका, भीनमाल म. पत्रावलियां लगाई थी। श्री कैलाशचन्द व्यास, कनिष्ठ अभियन्ता से मिलने पर उसने सही रिपोर्ट करने के लिए परिवादी से रूपये 4000/- की रिश्वत की मांग की जो नहीं देने पर एक प्लाट की राशि रूपये 22,000/- निकाल दिये।

इस सम्बन्ध म. निरन्तर कार्यवाही करने पर अन्ततः निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 06.05.14 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी को दिनांक 26.12.13 को पट्टे जारी कर दिये गये हैं तथा क्रय किये गये भूखण्डा. के खसरे म. 17.6.1999 से पूर्व की बसावट होने के सम्बन्ध म. सबूत प्राप्त होने व दिनांक 14.12.12 को निकले 90 ए के आदेश के आधार पर डिमाण्ड राशि म. त्रुटिवश लिया गया विकास शुल्क वापस कर दिया गया है।

परिवादी द्वारा इस सचिवालय म. दिनांक 07.10.13 को शिकायत प्रस्तुत की गई थी जिसके सम्बन्ध म. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग से पत्र दिनांक 24.10.13 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 06.05.14 के अनुसार परिवादी को दिनांक 26.12.13 को ही पट्टे जारी कर दिये गये। इस प्रकार लोकायुक्त सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 2 माह के रिकार्ड समय म. पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो गया जिस पर यह परिवाद परिवादी से कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर दिनांक 02.07.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(188)लोआस/2013

परिवादी श्री बजरंग लाल पुत्र श्री बालाराम, बाजार नं.2, रामगंजमण्डी, कोटा ने यह परिवाद दिनांक 07.10.13 को इस आशय का पेश किया कि उसकी एक जमीन 0.89 हैक्टेयर खसरा नं. 411, 412 ग्राम सांडपुर म. स्थित है। उसने दिनांक 06.12.12 को रामगंजमण्डी नगरपालिका म. उक्त भूमि म. धनिया क्लिनिंग व ग्रेडिंग कृषि आधारित लघु उद्योग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन का आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर नरगपालिका द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा से तकनीकी राय मांगी गई। परिवादी का आरोप है कि वरिष्ठ नगर नियोजक ने उसके आवेदन के सम्बन्ध म. बार-बार अनुचित आक्षेप लगा दिये जबकि रामगंजमण्डी के मास्टर प्लान के पेज नं.66 पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि परिधि नियंत्रण पट्टी म. कृषि आधारित लघु उद्योग आ सकग़े। अतः दोषी वरिष्ठ नगर नियोजक को जाँच कर दण्डित किया जावे।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 14.05.14 एवं 13.10.14 द्वारा अवगत करवाया कि वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा द्वारा नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करने हेतु समय-समय पर आक्षेपा. की पूर्ति करवाकर अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रामगंजमण्डी को उनके विभागीय पत्रांक 1894 दिनांक 17.09.13 के द्वारा निर्देशित करते हुए भवन निर्माण स्वीकृति रीको के निर्धारित मानदण्डा. के अनुरूप किये जाने हेतु लिखा। तदुपरान्त परिवादी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन पारित किये गये आदेश दिनांक 12.05.14 के तहत दिनांक 18.06.14 को पट्टा जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को सम्पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह प्रकरण इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 04.03.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(219)लोआस/2013

परिवादी श्री आनन्द चौधरी निवासी-1-सी-7, तलवण्डी, कोटा द्वारा यह परिवाद नगर विकास न्यास व नगर निगम, कोटा के अधिकारिया. के विरूद्ध दिनांक 21.10.13 को इस सन्दर्भ म. पेश किया कि उसके द्वारा जरिये नीलामी 112.98 वर्गफीट का भू-खण्ड सं. 21 तलवण्डी योजना म. क्रय किया गया था। परिवादी ने उसके पेटे कुल रूपये 5,08,096/- जमा करवाये लेकिन उक्त भू-खण्ड के सन्दर्भ म. उसे 96.84 वर्गफीट क्षेत्रफल का ही भू-खण्ड आवंटित किया गया।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. संभागीय आयुक्त, कोटा से पत्र दिनांक 17.12.13 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके उत्तर म. सम्भागीय आयुक्त, कोटा ने अपने पत्र दिनांक 21.04.14 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी को अन्तर राशि 79,053/- का चैक सं.319313/28.02.14 दिनांक 05.03.14 को दे दिया गया है।

इस प्रकार लोकायुक्त सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को लगभग ढाई माह म. पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 11.04.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(228)लोआस/2013

परिवादी श्री गजेन्द्र प्रकाश शर्मा निवासी-जेठिया. का अखाड़ा, किशोरपुरा, कोटा द्वारा यह परिवाद दिनांक 22.10.13 को श्रीमती सन्तोष बाई द्वारा उसके रजिस्ट्रीशुदा मकान के आगे 20×16 की सरकारी ओपन लैण्ड पर किये गए अतिक्रमण को हटवाये जाने के सन्दर्भ म. पेश किया गया।

इस सम्बन्ध म. नगर निगम, कोटा से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 17.12.13 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके उत्तर म. पत्र दिनांक 18.06.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण म. समय पर पुलिस बल नहीं मिलने के कारण अतिक्रमण हटाने म. विलम्ब हुआ। अब दिनांक 18.06.14 को मौके से अतिक्रमण हटा दिया गया है।

इस प्रकार लोकायुक्त सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप लगभग 6 माह के भीतर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही सम्पन्न हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 19.06.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(266)लोआस/2013

परिवादी श्री चैननाथ निवासी ग्राम केलवाड़ा, पंचायत समिति, कुम्भलगढ़, जिला राजसमंद ने यह परिवाद दिनांक 25.11.13 को ग्राम केलवाड़ा म. सी.सी. रोड़ बनाने म. घटिया सामाग्री का उपयोग करने के सम्बन्ध म. प्रस्तुत किया है।

इस परिवाद पर कार्यवाही करने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजसमंद ने अपने पत्र दिनांक 21.05.14 एवं अधीक्षण अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त राजसमंद ने अपने पत्र दिनांक 21.08.14 के द्वारा अवगत करवाया कि पानी की पाइप लाइन डालने से क्षतिग्रस्त हुई सी.सी. रोड़ की मरम्मत कर दी गई है। घटिया सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है। परिवादी से इस संदर्भ म. आक्षेप प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया जो कि प्राप्त नहीं हुए। अतः इस प्रकरण को सम्पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए परिवाद कार्यवाही को इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 02.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(305)लोआस/2013

परिवादी श्री संजय शर्मा पुत्र श्री ब्रहमदेव शर्मा, एस-2, बालाजी फार्म, सोडाला, जयपुर ने दिनांक 05.12.14 को करतारपुरा नाले म. अवैध रूप से भराव कर भूखण्ड काटे जाने की शिकायत की और पुष्टि म. छाया चित्रा. की फोटो प्रतियां भी प्रेषित कीं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पत्र दिनांक 09.05.14 लिखा जाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर म. प्रश्नगत क्षेत्र के जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार म. होने के तथ्य से अवगत कराने पर पत्र दिनांक 21.07.14 लिखा जाकर जयपुर विकास प्राधिकरण से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। इस संदर्भ म. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनांक 09.09.14 द्वारा अवगत करवाया कि अतिक्रमिया. के विरूद्ध पुलिस थाना म. एफ.आई.आर. सं. 89/13 व 146/13 दर्ज करवाई गई है तथा दिनांक 21.08.14 को निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है तथा भविष्य म. कोई शिकायत प्राप्त होने पर प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध म. परिवादी से दो पत्र दिनांक 22.09.14 व 21.11.14 लिखे जाने के बावजूद भी कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई जिस पर इस प्रकरण को सम्पूर्ण अनुतोष प्रदान किया जाना मानते हुए दिनांक 16.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

उपर्युक्त विवरण से प्रकट है कि इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर प्राधिकरण द्वारा एक माह की अवधि म. ही अतिक्रमिया. के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जो इस सचिवालय की महत्ता और उपयोगिता को दर्शित करता है।

एफ.16(317)लोआस/2013

परिवादी श्री महेश शर्मा, करधनी गोविंदपुरा नागरिक समिति, दुकान नं. 209, करधनी स्कीम गोविंदपुरा, कालवाड रोड़, जयपुर ने यह परिवाद दिनांक 07.02.14 को करधनी आवासीय योजना म. आवासीय भूखण्ड सं.ए–40, ए–151, बी–19, बी–158, बी–167 एवं बी–168 म. बहुमंजिला व्यावसायिक निर्माण करवाने के आरोप के सम्बन्ध म. पेश किया। परिवादी द्वारा दो पत्र लिखे जाने के बावजूद भी शिकायत के समर्थन म. शपथ–पत्र पेश नहीं किया गया परन्तु मामला जनहित से जुड़ा हुआ होने के कारण स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण को पत्र दिनांक 20.05.14 लिखा जाकर तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया।

इस सम्बन्ध म. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनांक 03.09.14 द्वारा अवगत करवाया कि भूखण्ड संख्या ए–40 के स्वामी को अवैध निर्माण के विरूद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 32, 33 के अधीन नोटिस दिया जाकर न्यायालय क्रम–1, जविप्रा म. चालान पेश किया जा चुका है जो विचाराधीन है। शेष दुकान/भूखण्ड स्वामिया. का पता नहीं लगने के कारण दिनांक 30.06.14 को धारा 32 के नोटिस जारी चस्पा करवाये गये तथा दिनांक 27.08.14 को न्यायालय क्रम–1, जविप्रा म. चालान प्रस्तुत किये जा चुके हैं। इस कार्यवाही के सम्बन्ध म. परिवादी को कोई आपत्ति हो तो पेश करने के लिए पत्र दिनांक 01.01.15 द्वारा लिखा गया। परिवादी द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं किये जाने पर इस प्रकरण को अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए दिनांक 10.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(327)लोआस/2013

परिवादी श्री कैलाश चन्द विजय, 26 कैलाशपुरी, कांटा झोटवाड़ा, जयपुर ने यह परिवाद दिनांक 06.02.14 को इस सचिवालय म. इस आशय का

पेश किया कि जोन–2 जयपुर शहर म. अवैध निर्माण व आम रास्ते म. रखे गए कियोस्क सं. 17–18 को हटाया जाये।

इस परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनांक 15.06.14 द्वारा अवगत करवाया कि विद्याधर नगर–बी म. स्थित कियोस्क सं. 17–18 को दिनांक 14.11.11 को सामूहिक अभियान म. हटाया जाकर जब्त कर लिया गया है। इस प्रकार परिवाद में वांछित अनुतोष प्राप्त होने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 12.12.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(357)लोआस/2013

परिवादी श्री प्रशान्त मेहता निवासी–236, ओम टैक्सटाईल्स टॉवर, भीलवाड़ा द्वारा यह परिवाद राजस्थान आवासन मण्डल के विरूद्ध नीलामी म. खरीदे गए भू–खण्ड पर आरक्षित दर से अधिक दर पर लीज रेन्ट वसूल किए जाने व सम्पूर्ण राशि जमा कराने के बावजूद कब्जा न देने एवं रजिस्ट्री न करवाने के सन्दर्भ म. दिनांक 18.03.14 को पेश किया गया।

इस सम्बन्ध म. पत्र दिनांक 21.04.14 से आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके उत्तर म. पत्र दिनांक 11.12.14 एवं 27.02.15 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी श्री प्रशान्त मेहता को रिजर्व प्राइस पर लीज की गणना कर संशोधित आवंटन पत्र दिनांक 18.11.14 जारी किया जा चुका है। अदेय प्रमाण पत्र एवं लीज मुक्ति प्रमाण पत्र दिनांक 23.02.15 को जारी किया जा चुका है एवं रजिस्ट्री के कागजात तैयार करके परिवादी को रजिस्ट्री हेतु दिये जा चुके हैं। अतः परिवादी की समस्त आपत्तिया. का निराकरण कर दिया गया।

इस प्रकार लोकायुक्त सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 30.03.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(374)लोआस/2013

परिवादी श्री सोमेश आर्य, पता-डी 79, शिवाड़ एरिया, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर ने यह परिवाद दिनांक 21.03.14 को उक्त आवासीय परिसर म. व्यावसायिक गतिविधिया. के संचालन को रूकवाने के सम्बन्ध म. प्रस्तुत किया। इस परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के उपरान्त नगर निगम, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 13.01.15 के अनुसार तहखाने म. व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना पाया जाने पर नियमानुसार नोटिस जारी कर उक्त परिसर को सीज कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किए जाने के बाद परिवादी को अनुतोष प्राप्त होने पर यह परिवाद दिनांक 13.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(396)लोआस/2013

परिवादी श्री रमेश चंद कोली, निवासी-पी-15, नीलकण्ठ महादेव मन्दिर के पास, सुभाष नगर, वार्ड नम्बर 46, भीलवाड़ा द्वारा यह परिवाद उसके पड़ौसी नन्दलाल बैरवा द्वारा नाली के रास्ते म. 3×15 फीट म. स्थाई रूप से किये गये अतिक्रमण तुड़वाने, बाथरूम के सामने निकाली गयी खिड़की को स्थाई रूप से बन्द करवाने, मकान के बाहर सरकारी नाली का निर्माण करने व कचरा पात्र रखवाने के सन्दर्भ म. दिनांक 27.03.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के सन्दर्भ म. कार्यवाही करने पर जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा से प्राप्त सूचना के आधार पर अपने पत्र दिनांक 20.01.15 द्वारा यह अवगत करवाया कि सुभाषनगर म. परिवादी के मकान के सामने पड़ौसी श्री नन्दलाल बैरवा द्वारा नाली के रास्ते पर चबूतरी का निर्माण कर किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया है एवं न्यास द्वारा नाली का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किए जाने के बाद परिवादी को लगभग 9 माह म. पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 26.03.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(403)लोआस/2013

परिवादी राधेश्याम मीणा निवासी-जोधा मण्डल खेडा, ट्रांसपोर्ट नगर, भीलवाड़ा द्वारा यह परिवाद जोधा मण्डल खेड़ा, ट्रांसपोर्ट नगर म. सड़क, नाली व हैण्डपम्प के अभाव के सन्दर्भ म. दिनांक 27.03.14 को पेश किया गया। इस सम्बन्ध म. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर से पत्र दिनांक 21.04.14 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर उन्होंने पत्र दिनांक 03.09.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा 30 लाख रूपए खर्च कर सी.सी. रोड़ व नालिया. का निर्माण करवा दिया गया है। हैण्डपम्प स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है।

इस प्रकार लोकायुक्त सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को लगभग साढ़े पांच माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 19.09.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(441)लोआस/2013

परिवादी श्री विरेन्द्र सिंह निवासी–बी–182 ट्रांसपोर्ट नगर, अलवर द्वारा यह परिवाद विजयनगर, अलवर म. मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने व दुकान सं. बी–110 ट्रांसपोर्ट नगर म. विद्युत् कनेक्शन करवाने के सन्दर्भ म. दिनांक 31.03.14 को पेश किया गया।

इस सम्बन्ध म. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, अलवर से पत्र दिनांक 21.04.14 से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने पर उनके पत्र दिनांक 03.09.14 के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी का विद्युत् कनेक्शन दिनांक 20.03.14 को जारी किया जाकर दिनांक 24.03.14 को चालू कर दिया गया है। मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार का नीतिगत मामला है।

इस प्रकार लोकायुक्त सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 10.11.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(452)लोआस/2013

परिवादी रमेश चंद निवासी–म.नं.–566 बी/28, गीतानगर, बिहारीगंज, अजमेर द्वारा यह परिवाद दिनांक 31.03.14 को सीवर लाईन म. घटिया सामग्री इस्तेमाल करने एवं मेन–होल लीक होने के सन्दर्भ म. पेश किया गया। इस परिवाद के सम्बन्ध म. आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण से पत्र दिनांक 23.04.14 से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई जिसके उत्तर म. उनके पत्र दिनांक 11.06.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय म. कार्य पूर्ण न करने पर उसे हटा दिया गया है। सीवर लाईन का कार्य अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है एवं ओवरफ्लो की समस्या समाप्त कर दी गयी है। परिवादी ने पत्र दिनांक

05.08.14 लिखे जाने के बावजूद कोई आपत्ति पेश नहीं की। अतः इस प्रकरण को वाँछित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए दिनांक 19.11.14 को नस्तीबद्ध किया गया। लगभग 2 माह की अल्पावधि म. अनुतोष प्राप्त होना इस सचिवालय की महत्ता को प्रकट करता है।

एफ.16(459)लोआस/2013

परिवादी श्री गुलाबचंद पुत्र श्री जेठानंद, जे.के.सीमेन्ट, सरवाड़, जिला अजमेर ने दिनांक 31.03.14 को यह परिवाद श्री दुर्गा लाल द्वारा निर्माण स्वीकृति के विपरीत दस फीट अधिक भूमि पर अवैध रूप से निर्माण करवा लेने के सम्बन्ध म. पेश किया।

इस सम्बन्ध म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सरवाड़, जिला अजमेर से पत्र दिनांक 11.06.14 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर उनके पत्र दिनांक 06.08.14 के द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री दुर्गालाल निवासी सरवाड़ को भवन निर्माण स्वीकृति दिनांक 21.11.12 को दी गई थी जिसमें उसको रोड़ के मध्य से 40 फीट रास्ता छोड़ते हुए स्वीकृति दी गई थी किन्तु उसके द्वारा पड़ौसी की बनी हुई दुकाना. की लाइन म. 10 फीट भूमि पर अतिक्रमण करते हुए दुकाना. का निर्माण करवा लिया गया। इस पर निर्माणकर्त्ता को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194, 245 के अधीन अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस क्रमांक 437-39 दिनांक 21.06.13 व 134 दिनांक 19.03.14 व 132 दिनांक 17.06.14 जारी किये गये। श्री दुर्गालाल द्वारा उक्त भूमि को पड़ौसी दुकाना. की लाइनिंग होने से 32.3×10 फीट भूमि को क्रय करने हेतु पत्रावली दिनांक 03.07.14 को नगरपालिका म. प्रस्तुत की जिस पर मण्डल सभा म. ही निर्णय किया जाना प्रस्तावित है। परिवादी श्री गुलाबचन्द की ओर निकाला गया जंगला बंद हो चुका है।

परिवादी को उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट पर यदि कोई आपत्ति हो तो पेश करने हेतु पत्र दिनांक 27.10.14 एवं स्मरण पत्र दिनांक 09.12.14 लिखे गये। परिवादी द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं करने पर अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए दिनांक 20.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(468)लोआस/2013

परिवादी श्री परमानंद गोयल, 706, शरतकुंज अपार्टमेंट, सी–58/18 सेक्टर 62, नोएड़ा, उत्तरप्रदेश ने यह परिवाद दिनांक 31.03.14 को इस आशय का पेश किया कि भूखण्ड संख्या बी–53, त्रिवेणी नगर, जयपुर म. भवन नियमा. के विरूद्ध सेटबैक म. अवैध निर्माण कराया जा रहा है जिसे रूकवाया जावे एवं ध्वस्त करवाया जावे।

परिवादी द्वारा शिकायत के समर्थन म. शपथ पत्र पेश न करने पर यह परिवाद दिनांक 20.06.14 को नस्तीबद्ध कर इसकी एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को प्रेषित की गई जिसके प्रत्युत्तर म. उनके कार्यालय के पत्र दिनांक 25.07.14 एवं 29.12.14 के द्वारा अवगत करवाया गया कि भूखण्ड सं.बी–53, त्रिवेणी नगर, जयपुर म. अनधिकृत रूप से सेटबैक कवर करते हुए प्रथम मंजिल पर निकाली गई बालकोनी के निर्माण को ध्वस्त करवा दिया गया है और रोड़ पर लगाई गई लोहे की ग्रिल को भी हटवा दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किए जाने के बाद परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 06.01.15 को अंतिम रूप से नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(36)लोआस/2014

परिवादी डॉ.राजेश कटेवा, प्लाट नं. 33, जय जवान कॉलोनी–प्रथम, टोंक

रोड़, जयपुर ने यह परिवाद दिनांक 02.05.14 को इस सचिवालय म. पेश कर जय जवान कॉलोनी प्रथम, टोंक रोड़ के अनुमोदित ले-आऊट प्लान को सड़क चौडाई म. गैर कानूनी रूप से रद्दोबदल कर भूमाफियाआ. को फायदा पहुँचाने की शिकायत की है।

इस परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के उपरान्त जयपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 30.06.14 के अनुसार जोनल लेवल कमेटी की बैठक दिनांक 28.03.13 म. रखकर मौके पर उपलब्धता के मुताबिक प्रश्नगत 60 फीट की सेक्टर रोड़ को 30 फीट रखने का निर्णय लेकर अनुमोदित मानचित्र पर संशोधन नोट अंकित किया गया। उक्त संशोधन सेन्ट्रल रिकार्ड म. जमा नक्शे एवं जोन के नक्शे पर किया गया परन्तु जोन का उक्त नक्शा पत्रावली पर नत्थी नहीं होने से पूर्व म. जारी जय जवान कॉलोनी-प्रथम के अनुमोदित मूल नक्शे के अनुसार ही 60 फीट रोड़ मानते हुए ख.नं. 1/204 पर सृजित भूखण्ड सं. 2, 3 व 4 की आवंटन कार्यवाही की गई। चूंकि संशोधित मानचित्र ख.नं. 1/204 की पत्रावली पर नत्थी नहीं था, इस कारण सहवन से उक्त भूखण्डा. के पट्टे 30 फीट की बजाय 60 फीट पर जारी हो गये, ध्यान म. लाये जाने पर उक्त त्रुटि को नियमानुसार दुरूस्त करते हुए भूखण्ड सं. 2, 3 व 4 के संशोधित साईट प्लान दिनांक 02.06.14 को जारी हुए पत्रावली के नक्शे पर भी दुरूस्ती कर ली गई है।

इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त होने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 15.12.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(41)लोआस/2014

परिवादी श्यामसुन्दर तापड़िया पुत्र श्री कन्हैयालाल तापड़िया, ए-24, चन्दवरदाई नगर, अजमेर ने यह परिवाद दिनांक 06.05.14 को इस सचिवालय म. इस आशय का पेश किया कि पृथ्वीराज नगर योजना म.

प्लॉट सं. सी–123 की लीज डीड जारी नहीं की जा रही है जबकि आवंटन पत्र जारी हो चुका है। साथ ही श्री नवलकिशोर गुप्ता, भूमि अवाप्ति अधिकारी के विरूद्ध भी शिकायत प्रस्तुत की है।

इस परिवाद पर सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के उपरान्त कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 16.07.14 के अनुसार परिवादी के भू–खण्ड संख्या सी–123 पर अतिक्रमण होने से लीज डीड जारी नहीं की गई। उक्त क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवाये जाने के बाद ही लीज डीड जारी करने की कार्यवाही की जावेगी। श्री नवलकिशोर गुप्ता, भूमि आवाप्ति अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उनका लीज डीड जारी करने से कोई सम्बन्ध नहीं है। भू–खण्ड की लीज डीड जारी करने का कार्य योजना प्रभारी का होता है। परिवादी से उक्त रिपोर्ट पर आपत्ति पेश करने हेतु लिखे जाने पर उसने अपने पत्र दिनांक 20.9.14 द्वारा अवगत करवाया है कि प्रश्नगत भू–खण्ड संख्या सी–123 की लीज डीड जारी कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 10.12.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(49)लोआस/2014

परिवादी डॉ.यदुनाथ दशानन ने यह परिवाद दिनांक 07.05.14 को प्रस्तुत कर प्रार्थना की कि मैसर्स एन.एस.पब्लिसिटी इण्डिया प्राईवेट लि. के विरूद्ध जयपुर म. जे.एल.एन. मार्ग पर स्थापित गैंन्ट्रिया. की बकाया विज्ञापन राशि रूपये 6,13,85,180/–की वसूली करने म. कोताही बरतने वाले जयपुर नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारिया/कर्मचारिया. के खिलाफ राजकोष को नुकसान पहुंचाने बाबत मुकदमा दर्ज करवा कर फर्म से बकाया राशि वसूल कर उसे ब्लैक लिस्टेड कर कार्यवाही की जाये।

इस परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के उपरान्त स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 23.09.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर निगम जयपुर द्वारा मैसर्स एन.एस.पब्लिसिटी से नगर निगम कोष म. रसीद सं. 9002/2830 दिनांक 12.06.14 के द्वारा राशि रूपये 1,85,26,117 जमा करवा लिये गये हैं।

लोकयुक्त सचिवालय द्वारा कार्यवाही किए जाने के बाद नगर निगम के कोष म. इतनी बड़ी बकाया राशि का प्राप्त होना इस संस्था की महत्ता को दर्शित करता है। परिवाद म. वाँछित कार्यवाही पूर्ण होने पर यह परिवाद दिनांक 11.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(57)लोआस/2014

परिवादी नीलेश बुरड़, पता-संयोजक, आम आदमी पार्टी, फिरोज कॉम्प्लेक्स, सतपुलिया, बस स्टेण्ड के पास, ब्यावर, जिला अजमेर द्वारा यह परिवाद नगर परिषद्, ब्यावर म. अवैध निर्माण, अनियमितताआ, सार्वजनिक लाईट, सफाई एवं ट्रैफिक व्यवस्थाआ. के सन्दर्भ म. दिनांक 07.05.14 को पेश किया गया।

इस सम्बन्ध म. पत्र दिनांक 16.05.14 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने पर जिला कलेक्टर, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 06.06.14 के द्वारा अवगत करवाया कि सार्वजनिक लाईटा. के 24 घंटे जले रहने के सन्दर्भ म. टाईमर स्विच लगा दिए गए हैं। कचरा वाहना. को त्रिपाल से ढक कर ले जाने के लिए व्यवस्था कर दी गयी है। आवारा पशुआ. को पकड़ने का कार्य ठेके पर देने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। नगर परिषद् म. लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे ठीक करवा दिए गए हैं। लोक सूचना बोर्ड, जो क्षतिग्रस्त था, नया बनवा दिया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था व अवैध कॉम्प्लेक्स निर्माण के विरूद्ध नोटिस जारी कर सीज करने की

कार्यवाही की जा रही है। सड़क के दोना. ओर नाली बनवाकर दुरूस्ती का काम किया जा रहा है। सड़क के बीच म. डिवाइडर बनवाया जा रहा है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को लगभग एक माह म. पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 03.09.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(60)लोआस/2014

परिवादी राजेन्द्र कुमार सुराणा, पता–सुराणा मंगल मार्केट, पाली बाजार, ब्यावर, जिला–अजमेर द्वारा यह परिवाद नगर परिषद्, ब्यावर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन सूचनाएँ उपलब्ध नहीं करवाए जाने के सन्दर्भ म. दिनांक 09.05.14 को पेश किया गया।

इस सम्बन्ध म. पत्र दिनांक 16.05.14 के द्वारा जिला कलेक्टर, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने पर उनके पत्र दिनांक 23.06.14 के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी को चाही गयी सूचनाएँ उपलब्ध करवायी गई हैं।

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 25.06.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(61)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती कमला, गंगानगर कॉलोनी, ब्यावर ने यह परिवाद दिनांक 09.05.14 को इस सचिवालय म. इस आशय का पेश किया कि गंगानगर कॉलोनी के प्लाट नं. 7 के पास सरकारी (पड़त) भूमि पड़ी है जिस पर आए दिन भू–माफिया. और असामाजिक तत्वा. की नजर रहती

है। सन् 2011-12 म. भी कुछ लोगा. ने वहाँ पर अवैध कब्जा कर लिया था जिसकी सूचना, नगर परिषद् म. देने पर उस वक्त उस अवैध कब्जे को गिरा दिया था। उसके बाद परिषद ने कोई ध्यान नहीं दिया और अब वहाँ पर वापस अवैध कब्जा कर लिया गया है जिसे हटवाया जावे।

इस परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के उपरान्त कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 26.08.14 द्वारा अवगत करवाया कि श्रीमती कमला देवी के पास गंगानगर कॉलोनी के प्लाट न. 7 के पास सरकारी पड़त भूमि पर बाउण्ड्रीवाल बना कर किये गये अतिक्रमण को नगर परिषद्, ब्यावर द्वारा नियमानुसार दिनांक 12.08.14 को ध्वस्त कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किए जाने के बाद परिवादिया को अनुतोष प्राप्त होने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 12.12.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(70)लोआस/2014

परिवादी श्री हरिचरण, अनाज मण्डी, करौली ने यह परिवाद दिनांक 14. 05.14 को इस सचिवालय म. इस आशय का पेश किया कि खसरा नं. 4713, 14, 15, 16, 17, 18, 23 व 24 के आगे रियासतकालीन नाला निकला हुआ था। कुछ समय पहले नगर परिषद् द्वारा इस नाले के ऊपर रोड़ बना दी गई है जिससे उसके घर का पानी नहीं निकल पा रहा है। अतः रोड़ के दोना. तरफ नाले का निर्माण कराया जावे।

इस परिवाद पर कार्यवाही करने पर आयुक्त, नगर परिषद्, करौली ने अपने पत्र दिनांक 07.08.14 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी की स्वयं

की भूमि म. मंदिर बना हुआ है और वहां पर पानी भरा हुआ है। पानी के निकासी के लिये पक्की नाली का निर्माण कराया जाना है जिसमें अनुमानित लागत लगभग 20 लाख रूपये है। नगर परिषद् म. बजट उपलब्ध होने पर कार्य करवा दिया जावेगा। इस प्रकार परिवाद म. इस सचिवालय स्तर की कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 20.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(130)लोआस/2014

परिवादी श्री एन.एस.सिंह व अन्य, पता-मनोचिकित्सालय, गोविन्द मार्ग, आदर्श नगर, जयपुर द्वारा यह परिवाद मनोचिकित्सालय आदर्श नगर, जयपुर के बाहर तम्बू लगाकर चलाए जा रहे ढ़ाबे को हटाए जाने के सन्दर्भ म. दिनांक 10.06.14 को पेश किया गया।

चूँकि परिवाद म. किसी भी परिवादी का पता अंकित नहीं था, अत: इसकी एक प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित करते हुए इसे दिनांक 20.06.15 को नस्तीबद्ध किया गया जिसके उत्तर म. नगर निगम ने अपने पत्र दिनांक 18.07.14 द्वारा यह सूचित किया कि परिवाद म. वर्णित उक्त अतिक्रमण दिनांक 10.07.14 को हटा दिया गया है।

प्रकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये जाने पर विभाग द्वारा उचित कार्यवाही कर लिया जाना इस सचिवालय की महत्ता को प्रकट करता है।

एफ.16(178)लोआस/2014

परिवादी जगाराम गुजराती, मण्डिया रोड़, हरिजन बस्ती, पाली ने यह परिवाद दिनांक 04.07.14 को इस सचिवालय म. इस आशय का पेश

किया है कि नगर परिषद्, पाली द्वारा दिनांक 17.12.13 को 283 सफाई कर्मचारिया. के स्वीकृत सीधी भर्ती के रिक्त पदा. पर धांधली करते हुए नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं। इस सम्बन्ध म. कार्यवाही की जावे। इस परिवाद के सम्बन्ध म. कार्यवाही करने पर स्वायत्त शासन विभाग ने यह अवगत करवाया कि कुछ अभ्यर्थिया. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय म. रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी जिसमें पारित निर्णय म. माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्त्ताआ. को निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने व ऐसे प्रतिवेदन पर एक माह म. विधिवत निर्णय लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध म. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग के पत्रांक 1087 दिनांक 11.02.15 के द्वारा उक्त प्रतिवेदन पर निर्णय पारित करते हुए (62-6) 56 व्यक्तिया. को सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र मानते हुए नियमानुसार नियुक्ति हेतु नगर परिषद् को निर्देशित किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 27.03.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(214)लोआस/2014

परिवादी ग्यारसीलाल, सरपंच, ग्राम धर्मपुरा, बाड़ा-पदमपुरा, तहसील-चाकसू, जिला-जयपुर द्वारा यह परिवाद ग्राम गोरधनपुरा, तहसील-चाकसू म. सार्वजनिक श्मशान हेतु भूमि आवंटन के सन्दर्भ म. दिनांक 12.07.14 को पेश किया गया। इस सम्बन्ध म. पत्र दिनांक 22.07.14 द्वारा आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने पर उनके पत्र दिनांक 12.03.15 द्वारा अवगत करवाया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 114वीं बैठक दिनांक 19.02.15 म. लिये गये निर्णयानुसार ग्राम गोरधनपुरा तहसील चाकसू म. स्थित प्राधिकरण के स्वामित्व के खसरा नं. 65 किस्म चरागाह

रकबा 8.24 हैक्टेयर म. से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित करने का निर्णय ले लिया गया है।

इस प्रकार लोकायुक्त सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को 7 माह म. पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 25.03.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(281)लोआस/2014

परिवादी लोकेश अग्रवाल, निवासी-प्लाट नम्बर-88, गीजगढ़ विहार, हवा सड़क, बाईस गोदाम, जयपुर द्वारा यह परिवाद भू-खण्ड सं. 89 गीजगढ़ विहार, बाईस गोदाम, जयपुर म. किये जा रहे अवैध निर्माण के सन्दर्भ म. दिनांक 11.08.14 को पेश किया गया।

इस सचिवालय द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर को परिवाद के सन्दर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 21.08.14 व 15.09.14 प्रेषित किये जाने के बाद नगर निगम, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 10.10.14 के अनुसार भूखण्ड सं. 89, गीजगढ़ विहार, बाईस गोदाम, कच्ची बस्ती म. फ्रन्ट सैटबैक म. किये गये निर्माण को हटवा दिया गया है एवं उक्त प्रकरण म. न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-4, जयपुर महानगर म. वाद विचाराधीन है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किए जाने के बाद परिवादी को लगभग 2 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 23.03.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(289)लोआस/2014

परिवादी श्री हीरालाल पंवार, निवासी-7/3, खान्दू कॉलोनी, मैनगेट, बांसवाड़ा द्वारा यह परिवाद प्लाट सं. 14 व 208, खान्दू कॉलोनी म. किए गए अवैध निर्माण को हटाने के सन्दर्भ म. दिनांक 23.07.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के सन्दर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु आयुक्त, नगर परिषद्, बांसवाड़ा को पत्र दिनांक 13.08.14 भेजा गया एवं इसके बाद सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही किए जाने पर नगर परिषद्, बाँसवाड़ा के पत्र दिनांक 10.02.15 द्वारा अवगत करवाया गया कि भू-खण्ड सं. 14 व 208 पर किये गये अवैध निर्माण को हटा दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किए जाने के बाद परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 25.03.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(308)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती टीना लोहिया, निवासी-कबूतरा. का चौक, भजन चौकी, जालोरी गेट के अन्दर, जोधपुर द्वारा यह परिवाद अपने भू-खण्ड सं. सी-182, कमला नेहरू नगर, प्रथम विस्तार योजना, जोधपुर का नाम हस्तान्तरण करने के सन्दर्भ म. नगर निगम, जोधपुर के लोक सेवका. के विरूद्ध दिनांक 11.08.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर को पत्र दिनांक 19.08.14 प्रेषित कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किए जाने के बाद नगर निगम, जोधपुर ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 30.01.15 द्वारा अवगत करवाया कि मकान

सं. 182, सेक्टर 'सी', कमला नेहरू नगर, प्रथम विस्तार योजना, जोधपुर का हस्तान्तरण श्रीमती टीना लोहिया व श्री रमेश लोहिया के नाम करने की स्वीकृति निगम के हस्तान्तरण आदेश क्रमांक 3444 दिनांक 13.10.14 द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किए जाने के बाद परिवादिया को लगभग 2 माह म. पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 26.03.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(312)लोआस/2014

परिवादी फूलचंद शर्मा, निवासी-मकान नम्बर 21, आदित्य नगर, ग्रामीण पुलिस लाइन, बोरखेड़ा, कोटा द्वारा यह परिवाद भू-खण्ड सं. 5, आदित्य नगर म. मशरूल हसन द्वारा मस्जिद व मदरसे का निर्माण बिना इजाजत किए जाने के सन्दर्भ म. दिनांक 14.08.14 को पेश किया गया।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सन्दर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर को पत्र दिनांक 21.08.14 को प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 05.02.15 के अनुसार भू-स्वामी मशरूल हसन को नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा विधि विरूद्ध निर्माण के सन्दर्भ म. नोटिस दिया गया एवं नोटिस का जबाव सन्तोषजनक न पाए जाने पर भू-खण्ड सं. 5 का पट्टा निरस्त किया गया एवं भू-खण्ड का कब्जा नगर विकास न्यास द्वारा वापस लेकर सुरक्षा गार्ड नियुक्त किया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किए जाने के बाद परिवादी को लगभग 6 माह म. पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 01.04.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(316)लोआस/2014

परिवादी श्री ओ.पी.अग्रवाल, सचिव, श्याम नगर विकास समिति, निवासी-डी-90, जनपथ, श्यामनगर, जयपुर द्वारा यह परिवाद भू-खण्ड सं. ए-157-ए, अयोध्या पथ, श्यामनगर, जो कि पब्लिक पार्क (Facility Area) के लिए आरक्षित था, पर सत्यनारायण सिंह राठौड द्वारा स्वयं को 1/3 हिस्से का मालिक बताते हुए, उसके गैर कृषि रूपान्तरण के सन्दर्भ म. प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रकाशित लोक सूचना के आक्षेप के बतौर यह परिवाद दिनांक 13.08.14 को पेश किया गया है।

इस सम्बन्ध म. पत्र दिनांक 13.08.14 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई जिसके उत्तर म. उनके पत्र दिनांक 17.12.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुमोदित योजना मानचित्र म. प्रश्नगत भूमि को सुविधा क्षेत्र/पार्क दर्शाये हुए होने तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुविधा क्षेत्र के रूप म. घोषित भूखण्डा. का अन्य उपयोग हेतु परिवर्तन करने पर डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 13084/2009 म. पारित आदेश दिनांक 07.07.11 द्वारा पूर्णतः रोक लगाई हुई होने के कारण सत्यनारायण सिंह द्वारा प्रस्तुत गैर कृषि कार्य हेतु रूपान्तरण का प्रार्थना-पत्र जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा खारिज कर दिया गया है।

इस प्रकार लोकायुक्त सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 13.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(318)लोआस/2014

परिवादी ओमप्रकाश लोहार, निवासी-राईका बस्ती, जैतारण, पाली द्वारा यह परिवाद राईका बस्ती म. नाली निर्माण, नए तालाब पर सीसी रोड़ के निर्माण व रोड़ लाईट लगवाए जाने के सन्दर्भ म. दिनांक 04.08.14 को पेश किया गया।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद पर कार्यवाही किये जाने के बाद उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्वायत्त शासन निकाय विभाग, जोधपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 12.03.15 के अनुसार परिवादी द्वारा बताये गये स्थल पर सड़क व नालिया. के निर्माण के लिए नगरपालिका द्वारा वर्ष 2009 म. आई.एच.एस.डी.पी. योजना स्वीकृत होकर टेण्डर आमंत्रित किये जाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया लेकिन संवेदक द्वारा कार्य, बीच म. छोड़ देने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। दो बार निविदा जारी करने के बाद भी किसी फर्म द्वारा निविदा पेश नहीं की गयी है। इस बीच नगरपालिका म. पदस्थापित आई.एच.एस.डी.पी. योजना के कनिष्ठ अभियन्ता को हटा दिया गया है। रोड़ लाईट सम्बन्धी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परिवादी द्वारा भी कार्यवाही से सन्तुष्ट होना बताया गया है।

इस प्रकार लोकायुक्त सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 24.03.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(336)लोआस/2014

परिवादी रूपराम मेघवाल, पार्षद, वार्ड नम्बर-4, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा यह परिवाद वार्ड नम्बर-4 म. विकास कार्य करवाने व विकास कार्यो म. भेदभाव के सन्दर्भ म. दिनांक 12.08.14 को पेश किया गया।

इस सम्बन्ध म. पत्र दिनांक 22.10.14 से निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने पर उनके पत्र दिनांक 11.03.15 द्वारा अवगत करवाया गया कि वार्ड संख्या-4 म. विभिन्न विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। परिवादी की शिकायत का समाधान नगरपालिका, सादुलशहर द्वारा किया जा चुका है।

इस प्रकार लोकायुक्त सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 26.03.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(437)लोआस/2014

परिवादी श्री बनवारी लाल छीपा, निवासी-6/37, गणेश कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर द्वारा यह परिवाद दिनांक 03.09.14 को इस सन्दर्भ म. पेश किया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अनुमोदित कुशल नगर, सांगानेर स्थित प्लाट सं. 144 से 170 का एक ब्लॉक है लेकिन प्लॉट सं. 144 के मालिक द्वारा प्लाट सं. 145 पर अनाधिकृत निर्माण करवाया जा रहा है।

इस परिवाद के सन्दर्भ म. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु पत्र दिनांक 02.10.14 को प्रेषित किया गया जिसके क्रम म. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र दिनांक 13.11.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त भूखण्ड सं. 145 के ग्राउण्ड फ्लोर पर सैटबैक को कवर कर बनाये गये अवैध पिलरा. को जेडीए एक्ट की धारा 32-33 के नोटिस जारी कर ध्वस्त कर दिया गया है एवं न्यायालय म. चालान पेश कर दिया गया है। उक्त रिपोर्ट म. परिवादी ने जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही से सन्तुष्ट होना कहा है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किए जाने के बाद परिवादी को लगभग 6 माह म. पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 17.03.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(565)लोआस/2014

परिवादी बाबूलाल सैनी, निवासी–नवीन बस स्टेण्ड के पीछे, मानसरोवर कॉलोनी, राजगढ़, अलवर द्वारा यह परिवाद दिनांक 26.09.14 को इस आशय का पेश किया कि लगभग सात माह पहले नगरपालिका द्वारा उसके भवन के साइड की नाली म. भरी हुई गन्दगी के ऊपर ही रोड़ी–सीमेंट डालकर बीच म. से ऊंचा कर दिया गया जिसके कारण पीछे की नाली नीची रह गई जिसमें लगभग डेढ़–दो फुट गन्दगी भरी हुई है जिसे ठीक करवाया जावे।

परिवादी द्वारा शिकायत के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत न करने पर परिवाद की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजगढ़ को प्रेषित करते हुए यह परिवाद दिनांक 19.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया जिसके उत्तर म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 12.03.15 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी की समस्या का पूर्ण समाधान कर दिया गया है एवं परिवादी पूर्णतः सन्तुष्ट है।

प्रकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये जाने पर विभाग द्वारा उचित कार्यवाही शीघ्र कर लिया जाना इस सचिवालय की महत्ता को प्रकट करता है।

एफ.18(3)लोआस/2013

परिवादी श्री मनीराम, सरपंच, ग्राम पंचायत, भोजासर बड़ा, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर व अन्य के द्वारा यह परिवाद गांव म. अवैध रूप से चलने वाले देशी व अंग्रेजी शराब के ठेकों को बंद करवाने के संदर्भ म. दिनांक 24.04.13 को पेश किया गया।

इस सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, सीकर को पत्र दिनांक 31.10.13 प्रेषित किया गया जिसके प्रत्युत्तर म. पत्र दिनांक 20.02.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम भोजासर बड़ा म. चल रही शराब की दुकान आबकारी विभाग से नियमानुसार आवंटित होकर चल रही थी जिसे ग्रामवासिया. की शिकायत पर अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 19.05.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.18(17)लोआस/2014

परिवादी श्री श्रवण कुमार व अन्य, वार्ड नं. 10 गुलाबपुरा, तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा द्वारा यह परिवाद वार्ड नं. 10 म. स्थित देशी शराब की दुकान को मंदिर एवं विद्यालय के नजदीक होने के कारण हटाने के संदर्भ म. दिनांक 23.05.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा आबकारी आयुक्त, उदयपुर को पत्र दिनांक 10.06.14 प्रेषित किया गया जिसके प्रत्युत्तर म. पत्र दिनांक 30.06.14 द्वारा यह अवगत करवाया गया कि वार्ड

नं. 10 गुलाबपुरा म. स्थित मदिरा की दुकान को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाकर परिवादी की परिवेदना का समाधान किया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 31.12.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(6)/लोआस/2011 एवं एफ.22(38)/लोआस/2011

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की इन पत्रावलिया. म. राजस्व ग्राम, रानीपुर, चाकसू की 10.61 हैक्टेयर, राजस्व ग्राम शिवदासपुरा, चंदलाई व रामपुराबास गोनेर की 23.20 हैक्टेयर भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है। यह भू-उपयोग परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ किया गया है। पत्रावलिया. का परीक्षण इस सचिवालय द्वारा किये जाने पर यह पाया गया कि संबंधित भूमि के खातेदारा. द्वारा श्री अशोक कुमार अग्रवाल के पक्ष म. मुखत्यारनामे आम निष्पादित किये जाकर इनमें भूमि विक्रय के अधिकार भी दिये गये हैं। राजस्थान वित्त अधिनियम, 2004 के अनुसार अचल सम्पत्ति के विक्रय का अधिकार देने वाले मुखत्यारनामा आम पर संपत्ति की मार्केट वैल्यू का 2 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क देय होता है। इन पत्रावलिया. म. प्रस्तुत मख्त्यारनामा आम म. न तो मुद्रांक शुल्क की वसूली की गई है और न ही इनका पंजीयन करवाया गया है। इस सचिवालय के पत्र दिनांक 04.02.14 के द्वारा आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त अमुद्रांकित एवं अपंजीकृत मुखत्यारनामा आम पर निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी की वसूली की कार्यवाही करने हेतु लिखा गया। सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 19.06.14 के द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण म. मुद्रांक शुल्क की वसूली हेतु उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के न्यायालय म. रेफरेन्स दर्ज

करवा दिया गया है। उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर, मुद्रांक वृत-तृतीय ने अपने पत्र दिनांक 20.10.14 के द्वारा यह अवगत कराया है कि मुद्रांक शुल्क वसूली हेतु उनके न्यायालय म. प्रकरण संख्या 410/2014 दर्ज कर लिया गया है।

इस प्रकार प्रकरण म. मुद्रांक शुल्क की अपवंचना पाई गई थी। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अमुद्रांकित मुखत्यारनामा आम के आधार पर ही कार्यवाही कर दी गई थी। इस सचिवालय के निर्देश पर प्रश्नगत मुखत्यारनामा आम पर मुद्रांक शुल्क की वसूली करने हेतु सक्षम न्यायालय म. रेफरेन्स प्रकरण दर्ज करवा दिया गया है। पत्रावली म. रेफरेन्स प्रकरण की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट इस सचिवालय द्वारा ली जा रही है।

एफ.22(179)/लोआस/2011

यह पत्रावली जिला कलेक्टर, कोटा के कार्यालय से संबंधित है। इस पत्रावली म. ग्राम कनवास, तहसील सांगोद, जिला कोटा की श्रीमती जेबुनिशा की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 2219 रकबा 5800 वर्गमीटर भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रा. म. कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजना. के लिए सम्परिवर्तन) नियम 1992 के अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन किया गया है। पत्रावली का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि प्रकरण म. उक्त नियमा. के बजाय राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रा. म. कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजना. के लिए सम्परिवर्तन) नियम 2007 के तहत कार्यवाही की जानी थी।

इस प्रकार पत्रावली म. 24,300/- की भूमि रूपान्तरण राशि कम वसूल होना पाया गया। इस सचिवालय के पत्र दिनांक 13.03.14 के द्वारा जिला कलेक्टर, कोटा को प्रकरण म. भूमि सम्परिवर्तन की बकाया राशि वसूल कर अवगत कराने के निर्देश दिये गये। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 02.03.15 के द्वारा अवगत कराया कि बाकीदार जेबुनिशा ने रसीद संख्या

305883/06 दिनांक 20.02.15 के द्वारा बकाया राशि रूपये 24,300/- राजकोष म. जमा करा दी हैं।

प्रकरण म. अप्रचलित एवं पुराने नियमा. के तहत कम रूपान्तरण राशि जमा कर भूमि रूपान्तरण कर दिये जाने से इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशा. की पालना म. आवेदक से नये एवं प्रचलित नियमा. के तहत निर्धारित सम्परिवर्तन की अन्तर राशि जमा करवा लिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(312)/लोआस/2011

यह प्रकरण नगर विकास न्यास, उदयपुर से संबंधित है। पत्रावली म. डूंगरपुरिया मोची समाज समिति, उदयपुर को सामाजिक कार्यो हेतु न्यास की भुवाणा विस्तार योजना, श्याम नगर, बी-ब्लॉक म. 6000 वर्गफीट भूमि रियायती दर पर आवंटित की जाकर दिनांक 04.03.2005 को न्यास द्वारा आवंटन-पत्र जारी किया गया है। इस आवंटन बाबत न्यास ने दिनांक 18.08.2008 को लाईसेंस डीड भी जारी कर दी। संस्था को किया गया आवंटन राज्य सरकार के अनुमोदन से किया गया है। प्रकरण की पत्रावली का इस सचिवालय द्वारा परीक्षण किये जाने एवं आवंटित भूमि की मौका रिपोर्ट लिये जाने पर यह तथ्य उजागर हुआ कि संस्था ने उसको जारी लाईसेंस डीड की शर्त संख्या तीन की अनुपालना म. निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करवाया है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 17.09.14 के द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर को संस्था द्वारा आवंटन शर्तो की पालना न करने से नियमानुसार आवंटन निरस्त करने अथवा संस्था के आवेदन पर राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के तहत नियमितीकरण की कार्यवाही करने हेतु लिखा गया, जिसके क्रम म. उन्होंने अपने पत्र दिनांक 21.01.15 के द्वारा अवगत कराया कि संस्था ने

आवंटित भूमि पर बेसमेंट+भूमि से तल का निर्माण कार्य पूर्ण करवा लिया गया है तथा आवंटन शर्तो की पालना करवा ली गई है। उन्होंने मौके पर हुए निर्माण के फोटोग्राफ्स भी साथ म. प्रेषित किये। प्रकरण म. लीज डीड दिनांक 18.08.2008 को जारी होने के बावजूद संस्था द्वारा इसकी शर्तो की पालना म. निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करवाया था। इस सचिवालय द्वारा निर्देश दिये जाने के पश्चात् न्यास ने उक्त संस्था से आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य पूर्ण करवाकर आवंटन शर्तो की पालना सुनिश्चित करवा ली है। आवंटन शर्तो की पालना म. सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(320)/लोआस/2011

नगर विकास न्यास, उदयपुर की इस पत्रावली म. राजस्थान क्षत्रिय दमामी (ढ़ोली) महासभा, उदयपुर को छात्रावास निर्माण हेतु न्यास की भुवाणा विस्तार योजना, श्याम नगर, बी–ब्लॉक म. 6000 वर्गफीट भूमि आरक्षित दर पर आवंटित की जाकर दिनांक 15.04.05 को आवंटन पत्र जारी किया गया। संस्था को दिनांक 18.04.07 को लाईसेंस डीड भी जारी कर दी गई। यह आवंटन राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरांत किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने एवं जिला कलेक्टर, उदयपुर से जाँच करवाये जाने के पश्चात् यह तथ्य सामने आया कि संस्था द्वारा उसको जारी लाईसेंस डीड की शर्त संख्या तीन के अनुसरण म. आवंटित भूमि पर छात्रावास निर्माण का कार्य निर्धारित समयावधि म. नहीं करवाया गया है। इस सचिवालय के पत्र दिनांक 17.09.14 से सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर को संस्था द्वारा आवंटन शर्तो की पालना न करने से नियमानुसार आवंटन निरस्त करने अथवा संस्था के आवेदन पर प्रकरण के नियमितीकरण की कार्यवाही किये जाने बाबत लिखा गया। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 21.01.15 के द्वारा अवगत कराया

कि संस्था से आवंटित भूमि पर भूमि तल+प्रथम तल का निर्माण कार्य पूर्ण करवा लिया गया है। उन्होंने मौके के फोटोग्राफ्स भी साथ म. प्रेषित किये। इस प्रकार संस्था को वर्ष 2007 म. लाईसेंस डीड जारी होने के बाद भी संस्था ने आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया था। इस सचिवालय द्वारा निर्देश दिये जाने के बाद नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा प्रकरण म. संस्था से निर्माण कार्य पूर्ण करवाकर आवंटन शर्तो की पालना सुनिश्चित करवा ली गई है अतः पालना पूर्ण हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(323)/लोआस/2011

नगर विकास न्यास, उदयपुर की इस पत्रावली म. श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज, नवयुवक मण्डल संस्थान, उदयपुर को सामाजिक गतिविधिया. हेतु न्यास की हिरण मगरी योजना, सेक्टर 14 म. 8500 वर्गफीट भूमि आरक्षित दर की 25 प्रतिशत की रियायती दर से आवंटित की जाकर न्यास द्वारा दिनांक 28.05.2004 को आवंटन पत्र जारी किया गया। आवंटन के सम्बन्ध म. दिनांक 13.03.2006 को संस्था के पक्ष म. लाईसेंस डीड का निष्पादन किया गया। आवंटन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। पत्रावली का परीक्षण इस सचिवालय द्वारा किये जाने पर यह तथ्य सामने आया कि संस्था द्वारा आवंटन के सम्बन्ध म. जारी लीज डीड की शर्तो की पालना म. निर्धारित अवधि म. निर्माण कार्य पूर्ण कर आवंटन प्रयोजनार्थ भूमि को काम म. नहीं लिया है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 17.09.14 के द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर को संस्था द्वारा आवंटन शर्तो की पालना न करने से नियमानुसार आवंटन निरस्त करने अथवा संस्था के आवेदन पर राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के तहत प्रकरण के नियमितीकरण की कार्यवाही करने हेतु लिखा गया। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 16.04.15 के द्वारा अवगत कराया कि संस्था द्वारा निर्धारित

समयावधि म. निर्माण नहीं करने के सम्बन्ध म. भूखण्ड की कीमत का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से 7 वर्ष के लिए विलम्ब शुल्क की राशि न्यास कोष म. जमा करवाई जाकर प्रकरण का नियमितीकरण कर दिया गया है। प्रकरण म. संस्था को जारी लाईसेंस डीड की शर्त संख्या तीन के अनुसार दो वर्ष की अवधि म. निर्माण कार्य पूरा करना था जिसकी अनुपालना न्यास द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई थी।

इस सचिवालय द्वारा निर्देश दिये जाने के पश्चात् न्यास ने आवंटी से निर्धारित शास्ति राशि वसूल कर प्रकरण का नियमितीकरण कर दिया है जिससे पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया है।

एफ.22(327)/लोआस/2011

नगर विकास न्यास, उदयपुर की इस पत्रावली म. राजस्व ग्राम, बलीचा तह0 गिर्वा, उदयपुर के खसरा नं. 100, 242 से 246, 256, 257, 1854/258, 259 से 262, 264 से 266, 268, 331 से 344, 355, 356 व 417 किता 24 रकबा 13.24 हैक्टेयर खातेदारी भूमि के सम्बन्ध म. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहण की कार्यवाही तथा ले-आउट प्लान अनुमोदन के पश्चात् भूमि का नियमन किया जाकर आवंटन पत्र/पट्टा विलेख जारी करने की कार्यवाही की गई है। इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर यह तथ्य प्रकट हुआ कि धारा 90 बी एल.आर.एक्ट की कार्यवाही के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के यहाँ अपील प्रस्तुत हुई जिसमें खसरा नं. 245 व 246 की भूमि को तालाब पेटा की भूमि मानते हुए प्रश्नगत पुनर्ग्रहण आदेश को निरस्त किया गया तथा प्रकरण को नये सिरे से निर्णीत करने के निर्देश दिये गये।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 23.04.14 के द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर को तालाब पेटा की प्रतिबंधित भूमि के सम्बन्ध म. की

गई धारा 90 बी एल.आर.एक्ट के तहत पुनर्ग्रहण की कार्यवाही के सम्बन्ध म. उचित निर्णय लेकर अवगत कराने हेतु लिखा गया। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 19.06.14 के द्वारा अवगत कराया कि नदिया, तालाबों, झीला. की डूब क्षेत्र व जलग्रहण क्षेत्र की भूमिया. की धारा 90 बी भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी। अब्दुल रहमान की जनहित याचिका सं. 1536/03 म. पारित निर्णय के अन्तर्गत प्रतिबंधित किस्म की होने से न्यास द्वारा खसरा नं. 245 व 246 की भूमि के सम्बन्ध म. की गई पुनर्ग्रहण की कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया है।

प्रकरण म. प्रतिबंधित भूमि के सम्बन्ध म. 90 बी की कार्यवाही अनियमित रूप से संपादित कर दी गई थी, जिसे इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त निरस्त कर दिया गया है जिससे पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(345)/लोआस/2011

नगर विकास न्यास, उदयपुर की इस पत्रावली म. सर्वधर्म समिति, उदयपुर को सामाजिक/धार्मिक प्रयोजनार्थ चिकित्सालय भवन निर्माण एवं संचालन हेतु न्यास की हरिदास जी की मगरी योजना म. 17,950 वर्गफीट भूमि आरक्षित दर की 25 प्रतिशत दर पर आवंटित करने की कार्यवाही की गई है। पत्रावली का इस सचिवालय द्वारा परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि इस आवंटन को निरस्त करने के लिए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि उक्त संस्था अस्तित्व म. नहीं है एवं यह भूमि व्यायामशाला के रूप म. उपयोग म. लाई जा रही है। संस्था ने संसाधना. के सम्बन्ध म. बैलेन्सशीट आदि प्रस्तुत नहीं की है। संस्था को आवंटित भूमि का आवंटन पत्र भी जारी नहीं होना पाया गया।

सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर को इस सचिवालय के पत्र दिनांक 01.03.12 के द्वारा सर्वधर्म समिति, उदयपुर को किये गये इस भूमि आवंटन के सम्बन्ध म. अन्तिम निर्णय लेकर अवगत कराने हेतु लिखा गया। इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशा. के अनुसरण म. सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर ने अपने पत्र दिनांक 04.06.14 के द्वारा अवगत कराया कि नगर विकास न्यास के तत्कालीन न्यासी द्वारा स्वयं के नाम न्यास भूमि आवंटित करवाने एवं सर्वधर्म संस्था के प्रत्यायक, बैलेन्सशीट एवं धन के विधिक स्त्रोत नहीं पाये जाने के कारण संस्था को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया गया है।

संस्था को किया गया आवंटन अनियमित होने से इस सचिवालय के निर्देश पर उक्त आवंटन को निरस्त कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(350)/लोआस/2011

यह पत्रावली नगर विकास न्यास, उदयपुर से संबंधित होकर इसमें राज्य सरकार की स्वीकृति से श्री जैन श्वेताम्बर, मूर्ति पूजक शिक्षा सोसायटी, उदयपुर को न्यास की भुवाणा योजना म. 2 एकड़ भूमि का रियायती दर पर आवंटन किया जाकर दिनांक 20.03.2006 को आवंटन पत्र जारी किया गया। दिनांक 14.11.2007 को आवंटन के सम्बन्ध म. लाईसेंस डीड का संपादन संस्था के पक्ष म. किया गया। पत्रावली के परीक्षण एवं जिला कलेक्टर, उदयपुर से रिपोर्ट प्राप्त करने पर यह तथ्य सामने आया कि संस्था द्वारा लाईसेंस की शर्त संख्या तीन की पालना नहीं की गई है। इस क्रम म. सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर को इस सचिवालय के पत्र दिनांक 26.09.14 के द्वारा आवंटन शर्तो की पालना न होने से नियमानुसार आवंटन निरस्त करने अथवा अन्य वैकल्पिक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 21.01.15 के द्वारा अवगत

कराया कि आवंटित भूमि पर विद्यालय का संचालन प्रारम्भ हो चुका है एवं संस्था ने आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना कर ली है।

इस सचिवालय के निर्देशा. के उपरान्त संस्था से आवंटन शर्तो की पालना सुनिश्चित करवा लिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(353)/लोआस/2011

यह पत्रावली नगर विकास न्यास, उदयपुर की है। इस पत्रावली म. सेवा भारती समिति, उदयपुर को प्रारम्भ म. गोवर्धन विलास के खसरा नं. 7 की भूमि म. से 15,000 वर्गफीट भूमि का आरक्षित दर पर आवंटन करने की स्वीकृति दी गई। तत्पश्चात् इस आवंटन को निरस्त करते हुए उसके बजाय हरिदास जी की मगरी, टीवी स्टुडियो के पास भूमि क्षेत्रफल 51,000 वर्गफीट का आवंटन संस्था को किया जाकर दिनांक 22.02.06 को आवंटन पत्र जारी किया गया तथा लाईसेंस डीड का निष्पादन दिनांक 26.04.2006 को किया गया। पत्रावली का परीक्षण करने एवं जिला कलेक्टर, उदयपुर से रिपोर्ट प्राप्त करने पर यह स्पष्ट हुआ कि संस्था द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 08.10.14 के द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर को संस्था द्वारा आवंटन शर्तो की पालना न करने से प्रकरण म. आवंटन निरस्त करने अथवा अन्य वैकल्पिक कार्यवाही नियमानुसार करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 21.01.15 के द्वारा अवगत कराया कि आवंटित भूमि पर चिकित्सालय संचालित हो चुका है एवं आवंटन के उद्देश्या. की सम्यक् पूर्ति कर ली गई है।

इस सचिवालय के निर्देशा. से प्रकरण म. आवंटन शर्तो की पालना सुनिश्चित कर लिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(355)/लोआस/2011

यह प्रकरण नगर विकास न्यास, उदयपुर से संबंधित है। पत्रावली म. श्री खण्डेलवाल दिगम्बर जैन संस्थान, उदयपुर को न्यास की भुवाणा विस्तार योजना म. 20,000 वर्गफीट भूमि का रियायती दर पर आवंटन किया जाकर दिनांक 22.02.2006 को आवंटन पत्र तथा दिनांक 07.04.2007 को लाईसेंस डीड जारी की गई। आवंटन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। यह आवंटन संस्थान को सामाजिक गतिविधिया. के संचालन हेतु किया गया है। पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर यह तथ्य उजागर हुआ कि संस्था द्वारा उसे जारी लाईसेंस डीड की शर्त संख्या तीन के अनुसार निर्धारित अवधि म. निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 17.09.14 के द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर को आवंटन शर्तो की पालना न होने से नियामानुसार आवंटन निरस्त करने अथवा संस्था के आवेदन पर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के तहत नियमितीकरण की कार्यवाही करने हेतु लिखा गया। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 21.01.15 के द्वारा अवगत कराया कि आवंटित भूमि पर संस्था द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करवा लिया गया है एवं आवंटन शर्तो की पालना कर ली गई है। आवंटन के सम्बन्ध म. सात वर्षो के भीतर भी आवंटन शर्तो की पालना न्यास द्वारा नहीं करवाई गई थी।

इस सचिवालय द्वारा निर्देश दिये जाने के बाद न्यास ने संस्था से निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जाकर आवंटन शर्तो की पालना सुनिश्चित करवा ली है जिससे पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(543)/लोआस/2011

यह पत्रावली नगरपरिषद्, चूरू से संबंधित है। इस पत्रावली म. राजस्व ग्राम, चूरू के खसरा नं. 1715/291 की 841 वर्गगज भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जिला स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है।

पत्रावली म. आवेदक श्री हनुमान प्रसाद पुत्र नागरमल प्रजापत को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू–आवंटन पत्र भी जारी किया गया है। पत्रावली का परीक्षण इस सचिवालय द्वारा किया गया। परीक्षणोपरान्त यह तथ्य प्रकट हुआ कि पत्रावली म. भू–उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने से पूर्व निर्धारित भू–उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की राशि नगरपरिषद्, चूरू द्वारा आवेदक से जमा नहीं करवाई गई है तथा लीज डीड म. भी वाणिज्यिक के स्थान पर आवासीय अंकित कर दिया गया है। इस सचिवालय के पत्र दिनांक 19.05.14 के द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्रकरण म. नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की राशि जमा करवाने व लीज डीड म. आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 05.08.14 के द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण म. भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की राशि आवेदक द्वारा रसीद संख्या 9/24 दिनांक 01.08.14 से नगर परिषद् कोष म. जमा करवा दी गई है तथा इसके साथ ही लीज डीड के प्रारूप म. संशोधन भी कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशा. की पालना म. कार्यवाही सम्पन्न हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(546)/लोआस/2011

नगरपरिषद्, चूरू से संबंधित इस पत्रावली म. मैसर्स ओरिक्योर हैल्थ केयर के आवेदन पर ग्राम चूरू स्थित खसरा नं. 1605/946, 1606/946, एवं 1607/946 की 50 बीघा 13 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन परिधि नियन्त्रण पट्टी से आवासीय योजना प्रयोजनार्थ राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि प्रकरण म. भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2000 के तहत निर्धारित, भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की राशि जमा नहीं करवाई गई है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 13.05.14 के द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की राशि जमा करवाकर अवगत कराने को लिखा गया। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 12.03.15 के द्वारा अवगत कराया कि आवेदक से दिनांक 24.02.15 को रसीद संख्या 17/43 के माध्यम से निर्धारित राशि रूपये 50,000/- नगरपालिका म. जमा करवाये जा चुके हैं। पूर्व में प्रकरण म. किये गये भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध म. कोई राशि वसूल नहीं की गई थी।
इस सचिवालय द्वारा निर्देश दिये जाने के पश्चात् आवेदक से भू-उपयोग परिवर्तन बाबत निर्धारित राशि वसूल कर लिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(549)/लोआस/2011

नगरपालिका, रतनगढ़, जिला चूरू की इस पत्रावली म. आवेदक श्री सुशील कुमार की ग्राम रतनगढ़ स्थित खसरा नं. 1889/1873/502 रकबा 1914.06 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन वन आरक्षित भूमि से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन

समिति द्वारा किया गया है। पत्रावली का परीक्षण इस सचिवालय द्वारा किये जाने पर यह पाया गया कि प्रकरण म. भू-उपयोग परिवर्तन के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क एवं बकाया लीज की राशि नगरपालिका, रतनगढ़ द्वारा आवेदक से जमा नहीं करवाई गई है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 19.05.14 द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को उक्त बकाया राशि जमा करवा कर सूचना प्रेषित करने हेतु लिखे जाने पर उन्होंने अपने पत्र दिनांक 06.08.14 के द्वारा यह अवगत कराया कि प्रकरण म. आवेदक श्री सुशील कुमार गौड़ से कृषि भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन के क्रम म. आवेदन शुल्क की राशि रूपये 1914/- रूपये एवं बकाया लीज राशि के पेटे रूपये 3,95,561/-, कुल राशि रूपये 3,97,475/- जरिये रसीद क्रमांक 83/34 दिनांक 11.07.14 के द्वारा पालिका कोष म. जमा करवाये जा चुके हैं। प्रकरण म. नगरपालिका रतनगढ़ द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन बाबत कोई राशि वसूल नहीं की गई थी।

इस सचिवालय द्वारा निर्देश दिये जाने पर प्रकरण म. नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क एवं लीज राशि जमा हो चुकी है जिससे पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(580)/लोआस/2011

नगर विकास न्यास, अलवर की इस पत्रावली म. ग्राम लिवारी, तहसील अलवर के खसरा नं. 9,12,26 व 27 के खातेदार श्री प्रदीप वतराना की कृषि भूमि रकबा 12066 वर्गगज भूमि का पैरीफेरी कन्ट्रोल बैल्ट से ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस पत्रावली के परीक्षणोपरान्त इस सचिवालय द्वारा यह पाया गया कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध म.

भू-उपयोग परिवर्तन के लिए निर्धारित राशि रूपये 12067/- के मुकाबले मात्र 5000/- रूपये ही आवेदक से जमा करवाये गये हैं।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 04.06.14 के द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर को भूमि के सम्बन्ध म. बकाया भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की राशि जमा करवाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 16.06.14 के साथ जमा राशि की रसीद की फोटोप्रति प्रेषित करते हुए उल्लेख किया कि प्रकरण म. भू-उपयोग परिवर्तन हेतु बकाया राशि रूपये 7,067/- प्रार्थी के द्वारा रसीद संख्या 1997/26 दिनांक 16.06.14 के द्वारा न्यास कोष म. जमा करवा दिये गये हैं। प्रकरण म. भू-उपयोग परिवर्तन बाबत निर्धारित राशि से कम वसूल की गई थी।

अतः अब इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशा. की पालना म. वसूल किया जाकर राशि न्यास कोष म. जमा हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1288)/लोआस/2011

जिला कलेक्टर, अलवर की इस पत्रावली म. खातेदार श्री सतीश कुमार के खसरा नं. 886/485 रकबा 0.21 हैक्टेयर ग्राम पदमाड़ा कलां तह. मुण्डावर, जिला अलवर की कृषि भूमि को औद्योगिक शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व ग्रामीण क्षेत्रा. म. कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन नियम 2007 के तहत सम्परिवर्तित करने की कार्यवाही की गई है। पत्रावली का परीक्षण इस सचिवालय द्वारा किये जाने पर यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सम्परिवर्तन किये जाने से पूर्व ही स्कूल भवन का निर्माण किया हुआ था। भूमि सम्परिवर्तन से पूर्व निर्माण कर लिये जाने पर उक्त नियमा. के तहत नियमानुसार पैनल्टी राशि वसूल किये जाने का प्रावधान है किन्तु इस

प्रकरण म. पूर्व म. किये गये निर्माण के सम्बन्ध म. निर्धारित पैनल्टी राशि वसूल नहीं किया जाना पाया गया।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 02.01.14 के द्वारा जिला कलेक्टर, अलवर को प्रकरण म. सम्परिवर्तन से पूर्व किये गये निर्माण के सम्बन्ध म. पैनल्टी राशि वसूल करने के निर्देश दिये गये। जिला कलेक्टर, अलवर ने अपने पत्र दिनांक 19.05.14 के द्वारा यह अवगत कराया कि आवेदक श्री सतीश कुमार से निर्माण पर सम्परिवर्तन शुल्क का चार गुणा शास्ती राशि रूपये 40,356/- वसूल किये जाकर जरिये चालान दिनांक 19.05.14 को राजकोष म. जमा करवा दिये गये हैं। प्रकरण म. रूपान्तरित भूमि पर पूर्व से विद्यमान निर्माण को नजरअंदाज करते हुए तथा बिना पैनल्टी राशि वसूल किये भूमि रूपान्तरण कर दिये जाने पर इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशा. की पालना म. पूर्व निर्माण पर नियमानुसार शास्ति राशि वसूल कर राजकोष म. जमा कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1405)/लोआस/2011

जिला कलेक्टर, राजसमंद की इस पत्रावली म. इंडिया हेरिटेज फाउण्डेशन, बैंगलोर को थीम पार्क हेतु ग्राम उपली ओडन तह. नाथद्वारा के आराजी खसरा नं. 490 म. से 20 बीघा भूमि आवंटित करने की कार्यवाही की गई है। यह आवंटन राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालया. एवं धर्मशालाआ. तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के तहत कीमतन किया गया है। आवंटन के सम्बन्ध म. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। पत्रावली का परीक्षण इस सचिवालय द्वारा किये जाने पर यह पाया गया कि उक्त नियमा. के तहत भूमि का आवंटन प्रश्नगत भूमि के नगरपालिका क्षेत्र म. स्थित होने से डीएलसी रेट की 75 प्रतिशत कीमत पर किया जाना था जबकि यह आवंटन ग्रामीण क्षेत्रा. म. लागू डीएलसी रेट की 50 प्रतिशत राशि पर ही कर दिया गया है।

इस सचिवालय द्वारा जिला कलेक्टर, राजसमंद को शेष राशि जमा कराने बाबत दिनांक 16.01.14 को निर्देश दिये गये। जिला कलेक्टर, राजसमंद ने अपने पत्र दिनांक 24.02.14 के द्वारा अवगत कराया कि इण्डिया हेरिटेज फाउण्डेशन बैंगलोर से देय अन्तर राशि रूपये 1,61,700/- राजकोष म. जमा करवा लिये गये हैं। प्रकरण म. किये गये भूमि आवंटन बाबत डीएलसी रेट की 25 प्रतिशत राशि कम ली जाकर कार्यवाही कर दी गई थी। इस सचिवालय के द्वारा निर्देश दिये जाने के बाद संस्था से बकाया राशि वसूल की जाकर राजकोष म. जमा करवा दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1614)/लोआस/2011

परिवादी श्री अजय माथुर, जी-992, गांधीनगर, जयपुर द्वारा दिनांक 11.05.09 को प्रस्तुत परिवाद म. कल्पना नगर योजना, कानोता, आगरा रोड़ म. श्री विपुल खण्डेलवाल एवं परिवादी स्वयं को आवंटित किये गये भूखण्ड का आवंटन पत्र एवं कब्जा दिलवाने की मांग की गई। परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय के पत्र दिनांक 22.10.13 के द्वारा आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

इस सचिवालय द्वारा रिपोर्ट चाहे जाने एवं निर्देश दिये जाने के बाद सचिव, जविप्रा ने अपने पत्र दिनांक 09.05.14 से अवगत कराया कि श्री विपुल खण्डेलवाल को कल्पना नगर योजना म. भूखण्ड सं. एच.-478 क्षेत्रफल 275 वर्गगज का आवंटन किया जाकर कब्जा पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र दिनांक 01.09.14 से यह भी अवगत कराया कि परिवादी श्री अजय माथुर को भूखण्ड सं. बी-338 कल्पना नगर योजना का भौतिक कब्जा दिनांक 14.08.14 को दे दिया गया है। इस प्रकार परिवादी द्वारा वर्ष 1997 म. भूखण्ड हेतु आवेदन करने एवं विकल्प पत्र

देने के बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण ने लगभग 15 वर्षों तक भूखण्ड का कब्जा परिवादी को नहीं दिया था।

इस सचिवालय के निर्देश पर परिवादी को भूखण्ड के सम्बन्ध म. कब्जा-पत्र दिया जाकर भौतिक कब्जा भी सुपुर्द कर दिया है। परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से परिवाद को नस्तीबद्ध किया गया है।

एफ.22(1632)/लोआस/2011

परिवादी श्री सत्यनारायण शर्मा व अन्य निवासी, रंगबाड़ी, कोटा द्वारा दिनांक 01.05.09 को प्रस्तुत परिवाद म. मधुस्मृति संस्थान को करोड़. रूपये की आबादी भूमि नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा आवंटन करने, संस्थान द्वारा आवंटन से इतर उद्देश्या. हेतु भूमि का उपयोग करने व रास्ते की भूमि म. अतिक्रमण कर शौचालय निर्माण करने की शिकायत की गई।

जिला कलेक्टर, कोटा से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 22.10.13 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहे जाने पर उन्होंने पत्र दिनांक 31.12.13 से अवगत कराया कि संस्थान को आरक्षित दर पर भूमि का आवंटन किया गया है। संस्थान को किया गया आवंटन राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद किया गया है। अवैध निर्माण के सम्बन्ध म. की गई कार्यवाही की रिपोर्ट इस सचिवालय द्वारा चाहे जाने पर जिला कलेक्टर, कोटा ने अपने पत्र दिनांक 07.07.14 के द्वारा यह अवगत कराया कि अतिक्रमण कर बनाये गये शौचालय आदि को तोड़कर हटवा दिया गया है एवं मौके पर अब कोई अतिक्रमण नहीं है।
इस सचिवालय के निर्देशा. पर रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाये गये शौचालय का निर्माण हटा दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.23(3)लोआस/2012

परिवादी श्री अनिल चौधरी पुत्र पतराम जाति जाट एवं अन्य, निवासी कस्बा गांधी बड़ी, तहसील भादरा, जिला, हनुमानगढ़ द्वारा यह परिवाद श्री ओमप्रकाश व्यास, अधिशाषी अभियन्ता, श्री रामप्रताप सहायक अभियन्ता, श्री प्रेमसिंह गुर्जर कनिष्ठ अभियन्ता, सिंचाई क्षेत्र अमर सिंह ब्रांच खण्ड द्वितीय भादरा द्वारा चक 4 एस.डी.आर. म. खाला निर्माण सही रूप से नहीं करवाये जाने के संदर्भ म. दिनांक 01.12.12 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा मुख्य अभियन्ता, सिंचाई खण्ड हनुमानगढ़ को पत्र दिनांक 06.05.13 प्रेषित किया गया। मुख्य अभियन्ता, सी.ए.डी. ने अपने पत्र दिनांक 09.10.13 द्वारा अवगत करवाया कि परिवाद म. खाला निर्माण के सम्बन्ध म. जिन कमिया. का उल्लेख किया गया था उनका परिवादी के समक्ष निराकरण करा दिया है तथा खाले म. पानी सुचारू रूप से चल रहा है। परिवादी अनिल चौधरी द्वारा लिखित प्रार्थनापत्र, समस्या का निराकरण कर दिये जाने के सम्बन्ध म. प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 24.07.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.23(24)लोआस/2013

परिवादी श्री सुखाराम मेघवाल पुत्र श्री टीकूराम मेघवाल निवासी ग्राम रोड़ा, तहसील नोखा जिला बीकानेर द्वारा यह परिवाद जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता, श्री कैलाश वर्मा एवं सहायक अभियन्ता, श्री शरद कुमार माथुर, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, नोखा के विरूद्ध रिश्वत लेकर पानी की चोरी करवाने के संदर्भ म. दिनांक 23.01.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 11.04.14 को प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त बीकानेर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 30.01.15 को प्राप्त हुआ। उक्त पत्र दिनांक 30.01.15 के अनुसार ग्राम रोड़ा से गिरधारीराम, मेघवाला. की ढाणी म. नियमित पानी उपलब्ध हो रहा है और हौज भी भरा हुआ है। सारे अवैध कनेक्शन हटा दिये गये हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 25.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.26(8)लोआस/2013

परिवादी श्री हरदेव सिंह पुत्र श्री जगीर सिंह जाति जटसिख निवासी 3 डी.डी.बी. हाल जे.एस.एम. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर द्वारा यह

परिवाद उसे आवंटित भूमि पर गुल सिंह पुत्र मूल सिंह द्वारा जबरन कब्जा करने एवं उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं.1 पर गुलसिंह को बेदखल नहीं करने के संदर्भ म. दिनांक 17.02.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर को पत्र दिनांक 17.06.14 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप पत्र दिनांक 19.12.14 प्राप्त हुआ। आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर से प्राप्त पत्र के अनुसार दिनांक 12.06.14 को परिवादी को 22.10 बीघा भूमि का कब्जा दे दिया गया एवं किला नं. 5 म. एक बीघा भूमि का कब्जा मौके पर विवाद के कारण नहीं दिया जा सका, जिसका कब्जा दिनांक 18.12.14 को पुलिस जाब्ते के सहयोग से प्रार्थी को दिया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 31.12.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(6)लोआस/2014

परिवादी श्री नेम प्रकाश खण्डाका पुत्र स्व. सरदार मल खण्डाका, निवासी मकान नं. 2148, खण्डाका हवेली, हल्दिया. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर द्वारा यह परिवाद बकाया राशि रूपये 804/- दिनांक 21.04.14 को जमा करवा दिये जाने के बावजूद भी पानी चालू नहीं करने के संदर्भ म. दिनांक 21.05.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 10.06.14 लिखा जाकर तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। तत्पश्चात् परिवादी ने पत्र दिनांक 09.08.14 द्वारा यह सूचित किया कि उसकी शिकायत का निवारण दिनांक 08.08.14 को हो गया है। परिवादी ने इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के लिए धन्यवाद् भी दिया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 27.08.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(13)लोआस/2014

परिवादी श्री लक्ष्मीकांत शर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र शर्मा, वीपीओ खान भांकरी, जिला दौसा द्वारा यह परिवाद ग्राम पंचायत, भांकरी के हरियाणा व मीणा मोहल्ले को पेयजल आपूर्ति के लिये 7-8 वर्ष पूर्व बनी पानी की टंकी को चालू करवाने के संदर्भ म. दिनांक 27.06.14 को पेश किया गया।

इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर को पत्र दिनांक 28.07.14 लिखा जाकर तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर म. उनके पत्र दिनांक 04.12.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत भांकरी के हरियाणा व मीणा मोहल्ले म. बनी पानी की टंकी को अगस्त 2014 म. चालू कर दिया गया है। इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 25.02.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.32(11)लोआस/2012

परिवादी श्री सम्पत राम, राजेश ट्रेडर्स, 27 व्हाइट हाउस, सूरजपोल, पाली द्वारा यह परिवाद कार्यालय उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, पाली को आपूर्ति की गई स्टेशनरी सामग्री के बकाया भुगतान की राशि रूपये 12900/- दिलाये जाने के संदर्भ म. दिनांक 14.09.12 को पेश किया गया। इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु निदेशक, महिला बाल विकास विभाग, जयपुर को पत्र दिनांक 26.08.13 लिखने पर उनके पत्र दिनांक 03.04.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी की समस्या का निराकरण करते हुए रूपये 12,900/- उसके खाते म. ऑन लाइन जमा करवा दिये गये हैं।

इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 11.04.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.32(16)लोआस/2013

परिवादी श्री सुखपाल गुर्जर पुत्र श्री केसर लाल गुर्जर, निवासी ग्राम प्रदोषनगर, तहसील पीपलू, जिला टोंक द्वारा यह परिवाद वर्ष 2010-2011 व 2011-2012 की बी.एस.टी.सी. प्रशिक्षण की छात्रवृत्ति दिलाये जाने के संदर्भ म. दिनांक 25.102013 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान को तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाये जाने के लिए पत्र दिनांक 13.11.13 लिखे जाने पर प्राचार्य, डाईट, मसूदा, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 03.11.14 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी छात्र श्री

सुखपाल गुर्जर को छात्रवृत्ति मद के अंतर्गत फीस पुनर्भरण राशि 1800/- का भुगतान ऑन-लाइन उसके खाते म. जमा कराकर, कर दिया गया है। इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 09.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.32(18)लोआस/2013

परिवादी श्री मनोज कुमार वर्मा पुत्र श्री मोहन लाल वर्मा, वीपीओ नांगल नाथूसर, वार्ड नं. 6, तहसील श्री माधोपुर, जिला सीकर द्वारा यह परिवाद उसे बीएसटीसी प्रथम वर्ष 2010-2011 की स्वीकृत छात्रवृत्ति का भुगतान जिला समाज कल्याण अधिकारी, जयपुर शहर से दिलवाने के संदर्भ म. दिनांक 31.10.13 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर को पत्र दिनांक 21.11.13 लिखे जाने पर आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 12.03.14 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी छात्र श्री मनोज कुमार वर्मा को वर्ष 2010-11 की छात्रवृत्ति की राशि रूपये 11,840/- रूपये का चैक बनाया जाकर परिवादी के शिक्षण संस्थान आकाशदीप संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मानसरोवर, अग्रवाल फार्म, जयपुर को प्रेषित कर दिया गया है। इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 29.04.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.32(20)लोआस/2013

परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार गोचर पुत्र श्री रामकिशन गोचर, निवासी सांगाहेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ द्वारा यह परिवाद विकलांग पालनहार योजना के अन्तर्गत माह जून, 2013 से जनवरी, 2014 तक पालनहार योजना के सम्बन्ध म. आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के संदर्भ म. दिनांक 06.11.13 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु निदेशक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 25.11.13 प्रेषित किया गया जिसके प्रत्युत्तर म. उनके पत्र दिनांक 24.02.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी नरेन्द्र कुमार गोचर को माह जून, 2013 से जनवरी, 2014 तक पालनहार योजना की राशि रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से रूपये 4000/- स्वीकृत कर भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 02.05.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.32(6)लोआस/2014

परिवादी श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री कन्नू कंडेरा, निवासी होली खिड़किया बाहर, वार्ड नं. 7, करौली द्वारा यह परिवाद पेन्शन दिलवाने के संदर्भ म. दिनांक 21.05.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को पत्र दिनांक 09.06.14 प्रेषित किया गया

जिसके प्रत्युत्तर म. उनके पत्र दिनांक 26.06.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी का बकाया पेन्शन का भुगतान मनी ऑर्डर सं. 54 द्वारा दिनांक 20.6.14 को भेज दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 18.09.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.32(13)लोआस/2014

परिवादी श्री भागचन्द बागोरिया पुत्र श्री सुआलाल बागोरिया निवासी रामपुरा डाबड़ी, तहसील आमेर, जिला जयपुर द्वारा यह परिवाद परिवादी की पुत्री आकांक्षा को वर्ष 2012-2013 की छात्रवृत्ति दिलाने के संदर्भ म. दिनांक 09.07.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. अतिरिक्त निदेशक (अजा./जजा.कल्याण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को पत्र दिनांक 14.07.14 प्रेषित कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर म. उनके पत्र दिनांक 25.07.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री भागचन्द बागोरिया की पुत्री आकांक्षा का वर्ष 2012-13 की छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान कार्यालय म. प्राप्त नहीं हुआ है तथा वर्ष 2013-14 की छात्रवृत्ति राशि 8700/- रूपये दिनांक 31.07.14 को स्वीकृत की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 23.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.32(17)लोआस/2014

परिवादी श्री गणपतराज पुत्र श्री चन्द्रावास व अन्य, निवासी ग्राम जोयावास, तहसील जैतारण, जिला पाली द्वारा यह परिवाद राजकीय कन्या छात्रावास सावित्री बाई फूले छात्रावास, निमाज म. गत दो तीन वर्ष से अध्ययनरत छात्राओ. को 50 प्रतिशत अंक से कम अंक होने पर छात्रावास से बाहर निकालकर उन्हें शिक्षा से वंचित करने के संदर्भ म. दिनांक 04.08.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर को पत्र दिनांक 11.09.14 प्रेषित किया गया जिसके प्रत्युत्तर म. उनके पत्र दिनांक 12.11.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी एवं अन्य की पुत्रिया. को छात्रावास म. प्रवेश दे दिया गया है।

इस प्रकार परिवादीगण को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 21.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.32(27)लोआस/2014

परिवादी श्री रतन लाल पुत्र स्व. श्री गंगासहाय गुर्जर निवासी ग्राम रामपुरा गूजरान, पोस्ट अनन्तवाड़ा, तहसील बसवा, जिला दौसा द्वारा यह परिवाद वृद्धावस्था पेन्शन अवधि अक्टूबर, 2013 से मई 2014 की बकाया राशि प्राप्त करने के संदर्भ म. दिनांक 15.09.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर को पत्र दिनांक 07.10.14 प्रेषित किया गया जिसके प्रत्युत्तर म. उनके पत्र दिनांक 30.10.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री रतन लाल पुत्र स्व. श्री गंगासहाय गुर्जर निवासी ग्राम रामपुरा गूजरान, पोस्ट अनन्तवाड़ा, तहसील बसवा, जिला दौसा की अक्टूबर, 2013 से मई 2014 तक की अवधि की बकाया पेंशन राशि रूपये 4000/- मनी ऑर्डर के माध्यम से भिजवा दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को लगभग 4 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 16.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(119)लोआस/2013

परिवादी श्री रोहित विजय, पत्रकार निवासी सूर्यनगर, सोमनाथ नगर, दौसा ने दिनांक 23.09.13 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दौसा जिले म. संचालित ई-मित्र और सी0एस0सी0 के संचालन म. अनियमितताएं की जा रही हैं जिनकी जाँच की जाकर दोषिया. के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

परिवाद इस सचिवालय म. प्रस्तुत होने पर इस सचिवालय के पत्र दिनांक 18.11.13 द्वारा परिवाद की प्रति जिला कलेक्टर, दौसा को प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर, दौसा ने अपने पत्र दिनांक 27.03.14 के द्वारा अवगत करवाया है कि कुछ ई-मित्र/सीएससी केन्द्रा. के सम्बन्ध म. शिकायत मिलने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई है। शिकायतकर्ता श्री रोहित विजय को अपना पक्ष रखने हेतु कार्यालय म. दिनांक 13.03.14 को बुलाया गया जिस पर परिवादी ने स्वीकार किया कि वर्तमान म. लिमिट जारी करने की समस्या नहीं रही है। अब

सीएससी की तरह ही ई-मित्र कियोस्क धारक बैंक म. पैसे जमा कराकर उनके एवज म. लगातार कार्य कर सकता है। परिवादी की शिकायत पर ए.सी.पी. (उप निदेशक) एवं अतिरिक्त सचिव, जिला ई गवर्नेन्स सोसायटी, दौसा को यह निर्देश भी दे दिये गये हैं कि यदि कोई सीएससी स्वीकृत स्थान पर संचालित नहीं किया जा रहा है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जावे।

इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद को इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 24.06.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(141)लोआस/2013

यह प्रकरण श्री गंगालहर अग्रवाल निवासी 293-बी, विवेक विहार स्कीम नम्बर 10, अलवर के द्वारा दिनांक 11.09.13 को पेश किया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि वह दिनांक 30.09.10 को राज्य सेवा से सेवानिवृत हो गया था परन्तु विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि अवधि दिनांक 27.08.2008 से 30.09.10 का भुगतान नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जयपुर द्वारा सदस्य खाता संख्या आर.जे./1922/2003 का भी भुगतान नही किया जा रहा है।

इस शिकायत के सम्बन्ध म. कार्यवाही करने पर अधीक्षण अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, अलवर ने अपने पत्र दिनांक 13.08.14 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी श्री गंगालहर अग्रवाल, निवासी 293-बी, विवेक विहार स्कीम नम्बर 10, अलवर को वित्त वर्ष 2009-10 की प्रोत्साहन राशि 1716/- रुपये का भुगतान कर दिया गया है और वर्ष 2008-09 की प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिये परिवादी से 10 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अण्डरटेकिग मांगी गई है जो प्राप्त होते ही बकाया भुगतान कर दिया जावेगा। इसी प्रकार सहायक भविष्य निधि आयुक्त, पेन्शन-1, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जयपुर ने अपने पत्र

दिनांक 03.02.14 द्वारा यह अवगत करवाया है कि परिवादी को 15,190/- रुपये का भुगतान दिनांक 25.09.1997 को जरिये चैक संख्या 117034 द्वारा पूर्व म. ही किया चुका है।

इस प्रकार परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 30.09.14 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.35(199)लोआस/2013

परिवादी श्री केदार मीणा एवं रामपाल कुमावत, निवासी ग्राम अचरोल छापर की ढाणी, तहसील आमेर, जिला जयपुर ने दिनांक 17.01.14 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के द्वारा स्पोर्ट्स सिटी हेतु अवाप्त भूमि म. कन्जर बस्ती के द्वारा अवैध कब्जा करके सरेआम वैश्यावृत्ति व आम राहगीरा. के साथ लूटपाट-मारपीट की जा रही है जिसके सम्बन्ध म. कार्यवाही की जावे।

परिवादीगण म. से किसी के द्वारा भी शिकायत के समर्थन म. शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया किन्तु मामला जनहित से जुड़ा होने के कारण इस प्रकरण म. स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर पत्र दिनांक 05.02.14 द्वारा परिवाद की प्रति आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर, पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण, जयपुर व जिला कलेक्टर, जयपुर को प्रेषित कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन तलब किया गया।

पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 10.03.14 के अनुसार परिवादी व राजेश नट के बीच अचरोल पुलिया के पास स्थित भूखण्ड का विवाद था अब उनके बीच राजीनामा हो गया है। सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 07.05.14 के अनुसार स्पोर्ट्स सिटी म. मौके पर कच्ची झोपड़ी, टिन शेड, त्रिपाल आदि लगाकर अतिक्रमण किया हुआ पाये जाने पर 13 अतिक्रमिया. को दिनांक

29.04.14 को बेदखल कर राजकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवा दिया गया है। उपर्युक्तानुसार वाँछित कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 03.06.14 को नस्तीबद्ध किया गया है।

एफ.35(247)लोआस/2013

यह परिवाद श्री रमेशचन्द चमोली, सेवानिवृत्त वन रक्षक, निवासी वार्ड नं. 44, हनुमानगढ़ ने दिनांक 20.02.14 को प्रस्तुत किया जिसमें कोषाधिकारी व बैंक द्वारा 2007 से आज तक उसकी पेन्शन नहीं दिये जाने के आरोप लगाते हुए पेन्शन का भुगतान करवाये जाने का निवेदन किया गया।

इस सम्बन्ध म. कार्यवाही करने पर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.05.14 द्वारा अवगत करवाया कि किसी भी पेंशन का प्रथम भुगतान प्रारम्भ करने से पहले तथा प्रत्येक वर्ष नवम्बर के महीने म. पेंशनर से जीवित प्रमाण पत्र, बेरोजगारी प्रमाण पत्र एवं परिवचन पत्र आदि लिये जाते हैं जिसके लिए पेंशनर को स्वयं बैंक म. उपस्थिति होना होता है लेकिन पेंशनर ने उक्त सभी दस्तावेज बैंक म. प्रस्तुत नहीं किये जिस कारण बैंक द्वारा पेंशनर की पेंशन शुरु नहीं की गई।

वर्तमान म. पेंशनर श्री रमेशचन्द चमोली, सेवानिवृत्त वन रक्षक, निवासी वार्ड नं.44, हनुमानगढ़ को प्रत्येक माह नियमित रुप से बैंक द्वारा पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। उपर्युक्तानुसार अनुतोष प्राप्त हो जाने के पश्चात् यह परिवाद दिनांक 19.08.14 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.35(52)लोआस/2014

परिवादी श्री रामेश्वर लाल शर्मा द्वारा शान्ति कृषि फार्म, प्याउ वाली ढाणी, कपूरावाला, साँगानेर, जयपुर ने दिनांक 13.05.14 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परिवादी और उसकी पत्नि सीनियर सिटीजन हैं।

उनको अपने बड़े पुत्र की पत्नी एवं दो पौत्रा. से जानमाल का खतरा है। अतः उनकी जानमाल की सुरक्षा करवाई जावे तथा इस सम्बन्ध म. परिवादी व उसके पुत्र द्वारा मुहाना थाने म. दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 223 दिनांक 01.05.14 म. भी कार्यवाही करवाई जावे।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. पत्र दिनांक 30.05.14 द्वारा पुलिस उपायुक्त(दक्षिण), जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर पत्र दिनांक 08.07.14 के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी द्वारा दर्ज करवाये गये उक्त अभियोग सं. 223/2014 धारा 451, 323, 341, 379 आई.पी. सी. म. अभी तक किये गये अनुसंधान म. आरोपी अर्पित शर्मा, महेन्द्र कुमार शर्मा, श्रीमती शान्ति देवी व राहुल शर्मा के विरूद्ध धारा 451, 341, 323 आई0पी0सी0 का अपराध प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण म. आगामी अनुसंधान जारी है।

उपर्युक्तानुसार इस सचिवालय स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही सम्पन्न हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 27.08.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(104)लोआस/2013

श्री मजीदुल्ला खां पुत्र श्री इनायतुल्ला खां निवासी ग्राम गहलोद, तहसील पीपलू, जिला टोंक व अन्य ने यह परिवाद दिनांक 21.08.13 एवं 08.11.13 को ग्राम गहलोद म. तिराहे पर रोड़ के दोना. तरफ स्थिति राजकीय चारागाह भूमि खसरा नं.912 पर भू-माफिया एवं बजरी माफिया द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाने के सम्बन्ध म. पेश किया।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. कार्यवाही करने पर जिला कलेक्टर, टोंक ने अपने पत्र दिनांक 21.05.14 द्वारा अवगत करवाया कि ग्राम गहलोद के आराजी खसरा नं. 912/1 रकबा 9.16 बीघा किस्म गैर मुमकिन चारागाह म. कुल 8 व्यक्तिया. द्वारा बाड़े, पक्की दुकानें आदि बनाकर किये गये

अतिक्रमण को दिनांक 10.04.14 को मौके पर ध्वस्त कर भूमि का कब्जा बहक सरकार ले लिया गया है।

इस प्रकार प्रकरण म. वाँछित कार्यवाही सम्पन्न हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 04.06.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.45(10)लोआस/2013

परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय पुत्र श्री रतनलाल विजयवर्गीय निवासी बी-46 विद्युत् नगर, जिला भीलवाड़ा द्वारा यह परिवाद तत्कालीन माईनिंग इन्जिनियर श्री महेश माथुर, माइन्स सर्वेयर श्री सुरेश व्यास एवं अन्या. के द्वारा पद का दुरूपयोग करने एवं दोषी अधिकारिया. एवं कर्मचारिया. को बर्खास्त किये जाने के संदर्भ म. दिनांक 12.11.13 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु आयुक्त, खनिज विभाग, राजस्थान, उदयपुर को पत्र दिनांक 21.11.13 लिखे जाने पर उनके पत्र दिनांक 11.07.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि एम.एल. नम्बर 136/2002 एवं एम.एल. नम्बर 299/1994 के विवाद की कमेटी द्वारा मौके पर जाँच की गई एवं वास्तविक स्थल सीमांकन किया। सीमांकन से दोना. पक्ष सहमत हुए एवं भविष्य म. कोई विवाद नहीं रहने बाबत आश्वस्त किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 28.08.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(12)लोआस/2013

परिवादिया श्रीमती पुष्पा खण्डेलवाल पत्नी स्व. श्री रघुनाथ प्रसाद गुप्ता, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक, निवासी जवाहरगंज, डीग, भरतपुर द्वारा यह परिवाद 10 प्रतिशत डीए की नकद राशि दिलवाने के संदर्भ म. दिनांक 17.02.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु निदेशक, निदेशालय पेन्शन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर को पत्र दिनांक 10.06.14 लिखे जाने पर उनके पत्र दिनांक 07.08.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादिया श्रीमती पुष्पा खण्डेलवाल सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापिका, निवासी जवाहरगंज, डीग, भरतपुर को 10 प्रतिशत महंगाई भत्ते की राशि भुगतान का किया जा चुका है। इस प्रकार परिवादिया को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 25.08.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(3)लोआस/2014

परिवादी श्री मुकेश माली पुत्र दयाल माली, निवासी नाजिर का मन्दिर खोहरी, पोस्ट कैलादेवी, जिला करौली द्वारा यह परिवाद अक्टूबर, 2013 से दिसम्बर 2013 की पेंशन दिलाने के संदर्भ म. दिनांक 19.05.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 28.05.14 लिखे जाने पर उनके पत्र दिनांक 26.06.14 द्वारा अवगत करवाया गया

कि परिवादी श्री मुकेश माली को दिनांक 02.06.14 को उक्त अवधि की पेन्शन राशि रूपये 1500/-का भुगतान हो चुका है। इस प्रकार परिवादी को लगभग 3 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 14.08.14 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(4)लोआस/2014

परिवादी श्री सत्यनारायण शर्मा, सेवानिवृत्त अध्यापक, निवासी गणेश नगर, राजस्थान पी.जी. कॉलेज के पास, जिला करौली द्वारा यह परिवाद संशोधित ग्रेच्युटी के अन्तर की राशि एवं दिनांक 01.01.2006 से संशोधित पेंशन स्थिरीकरण की अन्तर राशि आदि का भुगतान दिलाये जाने के संदर्भ म. दिनांक 21.05.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. कार्यवाही करने पर निदेशक, निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 07.08.14 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी श्री सत्यनारायण शर्मा पीपीओ नं. 767744 (आर) का छठे वेतन आयोग के अनुसार पेंशन संशोधन आरपीपीओ सं. 780051(आर) पेंशन रूपये 11525/- प्रतिमाह, आरजीपीओ संख्या 815094 (आर) राशि रूपये 16187 दिनांक 23.07.14 को जारी कर दिये गये हैं। 2013 की संशोधित पेंशन रूपये 11660/- प्रतिमाह आरपीपीओ संख्या 780127 (आर) दिनांक 05.08.14 को जारी कर निस्तारण कर दिया गया है। प्रकरण म. अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 23.01.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

अध्याय-7

लोकायुक्त अधिनियम : संशोधन हेतु प्रयास

लोकायुक्त संस्था राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित उच्चस्तरीय सांविधिक संस्था है जिसका सृजन करने का उद्देश्य यह रहा है कि यह संस्था राज्य के लोक सेवका. के कदाचरण, पद के दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचार से सम्बन्धित प्राप्त शिकायता. के सम्बन्ध म. स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं प्रभावी जाँच/अन्वेषण आदि का कार्य कर सके।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अधिनियमन करते समय मंत्रिया, सचिवों, राज्य सेवका. और कुछ संस्थाआ, कम्पनिया. और निगमा. के अधिकारिया. और कर्मचारिया. को लोकायुक्त जाँच के दायरे म. रखा गया था। कुछ प्राधिकारिया. और संस्थाआ. को अधिसूचना के माध्यम से भी लोकायुक्त जाँच के परिक्षेत्र में लाने का प्रावधान किया गया किन्तु ऐसी अधिसूचित संस्थाआ. की संख्या नाममात्र ही है। परिणामतः लोकायुक्त जाँच का दायरा सीमित होने एवं शक्तिया. तथा संसाधना. का अभाव होने के कारण यह संस्था भ्रष्टाचार समाप्त करने की दिशा म. जन साधारण की आशाओं के अनुरूप प्रभावी कार्य नहीं कर पा रही है।

केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् से विभिन्न संगठना. एवं स्वयंसेवी संस्थाआ. द्वारा राजस्थान म. भी लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. उक्त अधिनियम जैसे प्रावधान जोड़ते हुए इस संस्था को सशक्त एवं प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधित) बिल, 2014 का प्रस्तावित प्रारूप इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ. 1(14)लोआस/84/13552 दिनांक 17.01.2014 द्वारा राज्य सरकार को

भिजवाया गया। इस पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने पर इस सचिवालय द्वारा स्मरण-पत्र दिनांक 20.01.15 (परिशिष्ट 7.1) भिजवाया गया परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में की गयी आगामी कार्यवाही से राज्य सरकार द्वारा इस सचिवालय को अवगत नहीं करवाया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के पैटर्न पर ओडिशा लोकायुक्त बिल, 2014 दिनांक 13.02.2015 को ओडिशा विधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया है जिसमें ओडिशा राज्य में लोकायुक्त संस्था को पर्याप्त रूप से सशक्त एवं प्रभावी बना दिया गया है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश एवं कर्नाटक राज्यों के अधिनियमा. म. पहले से ही ऐसे प्रभावी प्रावधान हैं, इसलिये इन राज्या. की लोकायुक्त संस्थाएँ अधिक सशक्त एवं प्रभावी हैं। मध्यप्रदेश राज्य म. पुलिस द्वारा किए जाने वाले अन्वेषणों को लोकायुक्त के नियंत्रण एवं निर्देशन म. रखा गया है।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. उक्त राज्या. की तुलना म. न तो लोक सेवक की परिभाषा व्यापकता लिए हुए है, न सर्च वारण्ट जारी करने की शक्तियां निहित हैं और न ही उसकी स्वयं की अन्वेषण एजेन्सी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त सचिवालय हेतु मध्यप्रदेश एवं कर्नाटक की तर्ज पर अलग से पुलिस प्रकोष्ठ की स्थापना की माँग की गई थी। राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांकः प.6(2)का/क-3/शिका/2011 जयपुर दिनांक 4.10.2013 द्वारा कुल 15 अधिकारी/पुलिसकर्मी के पद स्वीकृत करते हुए पुलिस प्रकोष्ठ की स्थापना भी कर दी गई थी परन्तु कालान्तर म. राज्य सरकार द्वारा उक्त स्वीकृत पदा. के विरूद्ध अधिकारी/पुलिसकर्मी का पदस्थान करने म. असमर्थता व्यक्त की गयी, इसके बाद सचिवालय द्वारा दिनांक 17.10.2014 को यह प्रस्तावित किया गया कि यदि उपरोक्त स्वीकृत पदा. के विरूद्ध अधिकारी/पुलिसकर्मी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तब ऐसी स्थिति म. लोकायुक्त द्वारा राज्य सरकार की अनुमति के बिना राज्य की किसी भी

अन्वेषण एजेन्सी की सेवाएं उनके निर्देशन म. कार्य करने हेतु तत्काल उपलब्ध करवाई जावें ताकि आवश्यक मामला. म. मौके पर कार्यवाही की जा सके । अभी तक इस सम्बन्ध म. भी राज्य सरकार की ओर से लिये गये निर्णय से अवगत नहीं करवाया गया है।

इस प्रकार राजस्थान म. लोकायुक्त जाँच का दायरा सीमित होने एवं शक्तियों तथा संसाधना. का अभाव होने के कारण राजस्थान की लोकायुक्त संस्था राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त करने की दिशा म. जन आकांक्षाआ. के अनुरूप प्रभावी कार्य नहीं कर पा रही है।

केन्द्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल अधिनियम, 2013 के मुख्य प्रावधानों तथा विभिन्न राज्यों के लोकायुक्त अधिनियमों के पैटर्न के मद्देनजर राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में जन अपेक्षाओं के अनुरूप आवश्यक होने से कतिपय संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं। इनमें मुख्य रूप से जो संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं, उनका सार निम्न प्रकार है :-

1. अधिनियम में विद्यमान लोकसेवक की परिभाषा के दायरे को विस्तृत करते हुए राज्य सेवकों और मंत्रियों के साथ-साथ मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्यों, राजस्थान विधान सभा के कानून के अन्तर्गत बनी सभी संस्थाओं, निगमों, निकायों, राज्य सरकार के स्वत्वाधीन, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित कम्पनियों, निगमों, सोसाइटियों और पब्लिक ट्रस्टों, राज्य अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार द्वारा स्थापित गैर-सांविधिक निकायों और समितियों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भी लोकायुक्त जांच के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है।
2. लोकायुक्त के नियंत्राधीन एक अन्वेषण शाखा एवं एक अभियोजन शाखा के गठन का प्रावधान किया गया है जिससे जांच एवं

अन्वेषण का कार्य त्वरित गति से होकर दोषी लोक सेवकों का त्वरित एवं प्रभावी अभियोजन संभव हो सकेगा।

3. प्रभावी जांच के लिए तलाशी वारण्ट जारी करने की शक्ति भी लोकायुक्त को प्रदान करना प्रस्तावित किया गया है।

4. लोकसेवकों का अभियोजन करने के लिए अभियोजन की स्वीकृति जारी करने के लिए लोकायुक्त को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

5. लोकायुक्त को भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति को कुर्क करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। साथ ही विशेष न्यायालय को ऐसी सम्पत्तियों को जब्त करने के लिए भी अधिकृत किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

6. लोकायुक्त द्वारा अन्वेषित मामलों की सुनवायी राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 के अधीन गठित विशेष न्यायालय द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है। इससे मामलों का त्वरित निस्तारण सम्भव होगा।

7. लोकायुक्त को ऐसे लोक-सेवक के स्थानान्तरण या निलम्बन के आदेश देने की शक्ति दी गई है जिसके विरूद्ध जांच चल रही है।

8. यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक लोक-सेवक प्रतिवर्ष अपनी सम्पत्ति और दायित्वों का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा और उसे सार्वजनिक किया जायेगा। जहां लोक-सेवक के पास घोषित संसाधनों से अधिक सम्पत्ति पायी जाती है, वहां यह माना जायेगा कि वह भ्रष्टाचार से अर्जित की गयी है।

9. लोकायुक्त द्वारा किये गये कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करने और ऐसे मामलों को जहां लोकायुक्त की सलाह को नहीं माना गया हो, राज्य सरकार की Action taken Report सहित ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा में प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त सभी प्रावधान ऐसे हैं जिनसे जनसाधारण द्वारा लोक सेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार, कदाचार, पद के दुरूपयोग एवं निष्क्रियता के सम्बन्ध में प्रेषित शिकायतों की प्रभावी जांच एवं अन्वेषण सम्भव हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा राज्य द्वारा केन्द्रीय लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की तर्ज पर उड़ीसा लोकायुक्त बिल, 2014 दिनांक 13.02.15 को पारित कर दिया गया है जिसमें उक्त केन्द्रीय अधिनियम के समान ही प्रावधान रखे गए हैं।

इस प्रकार उड़ीसा राज्य की भांति उक्त प्रस्तावित संशोधन बिल पर राज्य सरकार द्वारा आवश्यक विधिक प्रक्रिया शीघ्र पूरी करवाई जाकर इसे विधान सभा द्वारा शीघ्र पारित करवा कर राजस्थान में भी लोकायुक्त संस्था को सशक्त बनाया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त प्रस्तावित संशोधन बिल, राज्य सरकार द्वारा विधान सभा से शीघ्र पारित कराया जाना अपेक्षित है।

सत्यमेव जयते

परिशिष्ट–7.1

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/84/124855 दिनांक–20.01.15

शासन सचिव,
कार्मिक (क–3) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:– राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन बाबत।

प्रसंग:– इस सचिवालय का पत्र कमांक 1(14)लोआस/84/13552 दि.17.1.14

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि लोकपाल अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् विभिन्न संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रभावी संशोधन किए जाने की निरन्तर मांग की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम, 1973 में लोकायुक्त संस्था के गठन के उद्देश्यों के प्रभावी कियान्वयन एवं इस संस्था को सुदृढ़ स्वरूप प्रदान करने हेतु आवश्यक संशोधनों के साथ राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 प्रस्तावित कर शीघ्र कार्यवाही कराए जाने हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा निवेदन किया गया था।

तदुपरान्त इसी कम में आपसे हुई वार्ता के अनुरूप देश के विभिन्न राज्यों में प्रभावी लोकायुक्त अधिनियमों की फोटो प्रतियां भी आपको तत्समय ही उपलब्ध करा दी गई थीं।

उक्त प्रस्तावित संशोधनों पर राज्य स्तर पर की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में हुई प्रगति से इस सचिवालय को अवगत नहीं कराया गया है।

अत: निर्देशानुसार प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 के सन्दर्भ में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को शीघ्र अवगत कराया जाना निवेदित है।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

ह./-19.1.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

अध्याय–8

विविध

8.1 लोकायुक्त एवं उप– लोकायुक्त की पदस्थापन अवधि

लोकायुक्त			
क्रस	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री आई.डी.दुआ, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय	28.08.1973	27.08.1978
2. *	माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी.गुप्ता, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	28.08.1978	05.08.1979
3.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल जोशी, पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	06.08.1979	07.08.1982
4. *	माननीय न्यायमूर्ति श्री के.एस.सिद्धू, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	04.04.1984	03.01.1985
5.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल श्रीमाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सिक्किम उच्च न्यायालय	04.01.1985	03.01.1990
6.	माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरूषोत्तम दास कुदाल, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	16.01.1990	06.03.1990
7. *	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	10.08.1990	30.09.1993

क्रस	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
8. *	माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद शंकर दवे, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	21.01.1994	16.02.1994
9.	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	06.07.1994	06.07.1999
10.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मिलाप चन्द जैन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय	26.11.1999	26.11.2004
11.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एल.गुप्ता, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	01.05.2007	30.04.2012
12.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सज्जन सिंह कोठारी, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	25.03.2013	निरन्तर
उप-लोकायुक्त			
1.	श्री के.पी.यू.मेनन आई.ए.एस. पूर्व मुख्य सचिव	05.06.1973	25.06.1974

* कार्यवाहक लोकायुक्त

8.2 श्री कल्याण सिंह, माननीय राज्यपाल से न्यायाधिपति श्री एस.एस. कोठारी, लोकायुक्त की भेंट एवं प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण

राजभवन में दिनांक 30.03.2015 को 28वाँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए

06.09.2014 को शिष्टाचार भेंट

8.3 आयोजित शिविरों और बैठकों के कतिपय चित्र

मेड़ता सिटी (नागौर) – दिनांक 14.01.2015

करौली – दिनांक 12.05.2014

सीकर – दिनांक 14.07.2014

बांसवाड़ा – दिनांक 23.07.2014

डूंगरपुर – दिनांक 24.07.2014

बीकानेर – दिनांक 26.08.2014